अष्टम माला, खंड 11, अंक 14

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1985

15 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 11, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 14, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1985/15 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
श्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—28
*तारांकित प्रश्न संख्या :	264, से 268, 270 से 272 और 274	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	28—238
तारांकित प्रश्न संख्या :	275 से 283, और 163,	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2803 से 2811, 2813 से 2823, 2825 से 2835, 2837 से 2843, 2845 2846, 2848 से 2870 2872 से 2878, 2881 से 2963, 2965 से 3019 और 3021; से 3038	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	... ...	239—243
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	... ...	244
दूसरा प्रतिवेदन		

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

लोक लेखा समिति 244

16वां प्रतिवेदन

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... ... 244—280

विभिन्न राज्यों में भारी मात्रा में धान जमा हो जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री मूल चन्द डागा 244
श्री के० पी० सिंह देव 245
श्रीमती गीता मुखर्जी 249
श्री अमल दत्त 251
श्री अनिल बसु 253
श्रीमती प्रभावती गुप्त 256

सभा का कार्य ... ... 280—286

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) विधेयक (—जारी) ... ... 286—289

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पीयूष तिरकी *286*
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह *288*

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 290

आठवां प्रतिवेदन

विधेयक—पुर:स्थापित 290

(एक) फसल बीमा निगम विधेयक

श्री बालासाहिब विखे पाटिल 290

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 311 में संशोधन)

डा० दत्ता सामन्त 291

पृष्ठ

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 16 में संशोधन)

श्रीमती जयन्ती पटनायक 292

(चार) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 25 क का अंत:स्थापन)

श्रीमती जयन्ती पटनायक 292

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 293

श्री जी० एम० बनातवाला 293

नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... ... 293—295

संविधान (संशोधन) विधेयक ... ... 295—332

(नये भाग 10 क का अंत:स्थापन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री आनन्द पाठक 295

श्री राम प्यारे पनिका 300

श्री हरीश रावत 304

श्री नारायण चौबे 309

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 313

श्री गिरधारी लाल डोगरा 317

श्री सुन्दर सिंह 321

श्री पीयूष तिरकी 323

श्री शांता राम नायक 325

श्री मूलचन्द डागा 328

डा० के० जी० अदियोडी 330

लोक सभा

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1985/15 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : सदन में कोई अजनबी आया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रंगा साहब, मैं भी यही देख रहा हूं कि कौन आ गया।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : लग रहा है कोई रंगारंग वेशभूषा (फैंसी ड्रेस) की प्रतियोगिता हो रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सुविधाजनक वेशभूषा है, बस इतना ही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब फाइनेन्स मिनिस्टर ने पैटर्न कर दिया है तो हम भी कल एक कम्बल में आ जाते हैं।

श्री बालकवि बैरागी : सिर पर तो बेल-पत्र चढ़ते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इम्पार्टेन्ट है कि इसके नीचे क्या है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "उपयुक्त स्थानों" की योजना

*264. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "उपयुक्त स्थानों" की योजना आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कौन-कौन से स्थान शामिल किए गए हैं; और

(ग) ऐसे स्थान योजना में शामिल करने के मानदंड क्या हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) "राइट प्लेसिस" नामक कोई योजना नहीं है। संभाव्यत: माननीय सदस्य, पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित "राइट प्लेस" टूरिस्ट मैप शीर्षक प्रकाशन का हवाला दे रहे हैं जिसमें भारत के मुख्य-मुख्य पर्यटक केन्द्र दर्शाए गए हैं।

(ख) "राइट प्लेस" टूरिस्ट मैप में पूरे देश को कवर करते हुए लगभग 150 पर्यटक केन्द्र शामिल हैं।

(ग) शामिल करने के लिए जिस मानदण्ड का अनुसरण किया जाता है वह मुख्यत: एक स्थान पर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा अन्य पर्यटक अभिरुचियों, आवास जैसी आधारभूत-संरचना की निश्चित मात्रा में उपलब्धता, वायु सड़क या रेल यातायात द्वारा सुगम्यता की डिग्री और पर्यटकों द्वारा प्रदर्शित अभिरुचि से सम्बन्धित है। तथापि, मानदंड के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एक लचीली नीति का अनुसरण करता है और स्थानों की सूची नए-नए विकास-कार्यों के आधार पर समय-समय पर संशोधित की जाती है।

श्रीमती डी० के० भंडारी : महोदय, माननीय मन्त्री ने अभी-अभी मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर देते हुए कहा कि "राइट प्लेसिस" नामक कोई योजना नहीं है। लेकिन पर्यटन विभाग ने "राइट प्लेस" शीर्षक से एक मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें भारत के प्रमुख पर्यटन केन्द्र दर्शाए गए हैं। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सिक्किम राज्य में पर्यटन के विकास की अपूर्व संभावनाओं को देखते हुए क्या, गंगटोक या सिक्किम के किसी और शहर को "राइट प्लेस" के रूप में इसमें शामिल करेगी।

श्री एच० के० एल० भगत : भारत सरकार सिक्किम/गंगटोक को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की बहुत इच्छुक है। राज्य सरकार द्वारा दी गई योजना पर भारत सरकार द्वारा निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : सिक्किम के मुख्य मन्त्री जी ने क्या सिफारिश की हैं ?

श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या सरकार ने सिक्किम में पर्यटन के विकास के लिए इस साल कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है। यदि हां, तो क्या मैं उसका ब्यौरा तथा उसके लिए निर्धारित की गई राशि के बारे में जान सकता हूं ?

श्री एच० के० एल० भगत : इस समय मेरे पास सिक्किम में लागू की जाने वाली योजना का

ब्यौरा नहीं है क्योंकि प्रश्न का सम्बन्ध "राइट प्लेस" से है और भारत से ऐसे 150 स्थान हैं। मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से सूचना दे दूंगा। मैं फिर दोहराऊंगा कि राज्य सरकार द्वारा दी गई योजनाओं पर अवश्य ही विचार किया जाएगा। हम सिक्किम को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं जैसा कि आपको ज्ञात है खजुराहो और मांडू दोनों ही विश्व विख्यात पर्यटन स्थल हैं, खजुराहो के लिए जैसा आपने कहा हर तरह की सुविधा सुगमता से देने का प्रयास करते हैं लेकिन वहां पर रेल यातायात की कमी है। खजराहो और मांडु दोनों स्थानों पर "ध्वनि और प्रकाश" के जो आपके कार्यक्रम होते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं, क्या इस कार्यक्रम के द्वारा वहां की संस्कृति, कला और इतिहास का भी प्रसार और प्रचार करने की आपकी कोई योजना है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ध्वनि और प्रकाश।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, इन 150 केन्द्रों में खजुराहो को भी दर्शाया गया है। इस प्रश्न का लाभ उठाते हुए, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गंगटोक, सिक्किम भी उन चुने हुए स्थलों में से एक है। जहां तक किसी स्थान विशेष के लिए किसी योजना विशेष का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास सभी स्थानों के बारे में ब्यौरे नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं ब्यौरा दे सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : खजुराहो को क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : आप कारण जानते हैं कि क्यों ?

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने उनसे पर्टिकुलर प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : एक-एक स्कीम के बारे में इस तरीके से नहीं पूछ सकते।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष जी, मैंने ध्वनि और प्रकाश के बारे में स्पष्ट पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : उसका स्पष्ट उत्तर आया है।

[अनुवाद]

श्रीमती डी० के० तारा देवी : क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि कर्नाटक में चिकमगलूर एक

ऐसा जिला है जो वहां के सर्वाधिक मनोहारी जिलों में से है। यदि हां, तो क्या मन्त्री जी भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा वहां एक 'मोटल' बनाने पर गम्भीरता से विचार करेंगे ताकि इसे हसन और बंगलौर से जोड़ा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आज एक तरफा यातायात ही चल रहा है; केवल महिलाएं। हमें कभी-कभी ऐसा भी करना चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मोटे तौर पर मैं कहूंगा कि कर्नाटक सरकार द्वारा सुझाई गई किसी भी योजना पर हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : केवल महिलाएं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती चौहान, आज आपको अपनी महिला साथी का अभाव महसूस हो रहा होगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे जेठानी और देवरानी के बाद अब आपने सासू जी को बुलाया है।

श्रीमती प्रेमलाबाई चौहान : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे, स्थानों का सिलैक्शन करने का क्राइटेरिया क्या है? महाराष्ट्र में बहुत अच्छे-अच्छे टूरिस्ट सैन्टर्स हैं, वहां टूरिस्ट सैन्टर खोले जा सकते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं, क्या स्थानों के सिलैक्शन के लिए कोई कमेटी है, जो हम लोगों को टूरिस्ट सैन्टर की सुविधायें देती है?

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत पर्यटन विकास निगम, राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों द्वारा केन्द्र की अर्थात् पर्यटन मन्त्रालय की धनराशि का उपयोग करके पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सब पर्यटन में योगदान देते हैं। किसी स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में चुनने का मापदंड यह है कि वहां पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाएं कितनी हैं, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, वहां कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां क्या किया जाना चाहिए? किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के लिए बहुत सी बातों पर विचार किया जाता है और इस मामले में राज्य सरकारों को बहुत कुछ कहने का अधिकार होता है। महाराष्ट्र के बारे में कोई प्रस्ताव है तो माननीय सदस्य मुझे दे दें। मैं उस पर महाराष्ट्र सरकार को टिप्पणी देने के लिए कहूंगा। मेरा उत्तर यह है कि हमें जो भी प्रस्ताव दिये जाते हैं—मैं यह नहीं कह सकता कि हर प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है—हर प्रस्ताव पर गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जाता है। लेकिन प्रस्तावों पर विचार निश्चित तौर पर किया जाता है।

भारतीय हथकरघा उत्पादों का निर्यात

*265. श्री शरद दिघे†
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा 24 जून, 1985 को अधिसूचित "नीडल एण्ड थ्रैड" की नई परिभाषा, जिसमें गद्दों के बिछावनों, आसनों और नैपकिनों जैसे हथकरघा उत्पादों की सप्लाई अथवा किनारी बनाने में हाथ अथवा पैर से चलाई जाने वाली किसी मशीन का प्रयोग निवारित किया गया है, के परिणामस्वरूप भारत को संयुक्त राज्य अमरीका से आठ करोड़ रुपए के मूल्य के क्रयादेशों का नुक्सान हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश, जापान और कनाडा अमरीका का अनुकरण करने का निर्णय करते हैं तो भारत से हथकरघा उत्पादों का निर्यात बन्द हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को हथकरघा वस्त्र उत्पादों के सम्बन्ध में "नीडल तथा थ्रैड" परिभाषा अपनाने के लिए इन देशों में से किसी से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए भारत से हथकरघा मैड-अप्स के निर्यातों के बन्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शरद दिघे : महोदय, माननीय मंत्री ने प्रश्न (क) का उत्तर "जी नहीं" में दिया है। यह खबर 8 सितम्बर 1985 के "इकोनामिक्स टाईम्स" में सुर्खियों में छपी है। इसमें कहा गया है कि :

> "नई दिल्ली द्वारा सरकारी अधिकारियों का एक दल तुरन्त वाशिंगटन भेजा जा रहा है ताकि वह अमरीकी सरकार को हथकरघा उत्पादों की अपनी नई परिभाषा को वापस लेने के लिए मना सकें। जिसके कारण इस मद का निर्यात ठप्प हो गया है और देश में हजारों हथकरघा बुनकरों की जीविका को खतरा पैदा हो गया है।"

यही नहीं। समाचार-पत्र की रिपोर्ट में आगे कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय : सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, बहुत ही दिलचस्प है।

श्री शरद दिघे : रिपोर्ट में यह भी कहा गया है :

"डा० जे० के० बागची, संयुक्त सचिव (वस्त्र) वाणिज्य मंत्रालय के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मण्डल जाएगा उसमें हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद तथा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। इस निर्णायक समझौते के 10 सितम्बर को शुरू होने की संभावना है।"

समाचार में यह सब कहा गया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अमरीका ने इस संबंध में कोई कदम उठाया था जिसके कारण सरकार ने इस प्रतिनिधि मण्डल को भेजा और बाद में मामला ठप्प हो गया।

श्री खुर्शीद आलम खां : अमरीका सरकार की सुई और धागे के बारे में व्याख्या यह है कि हथकरघा में हाथ या पैर से चलने वाली किसी मशीन का इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन हमारा तर्क यह था कि बहु-तंतु अनुबंध और अमरीका के साथ हमारे द्विपक्षीय अनुबंध के अन्तर्गत हमें यह स्वीकार्य नहीं था और इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। इसके परिणामस्वरूप अमरीकी सरकार ने सितम्बर 1986 तक अवधि बढ़ा दी है। इस प्रश्न पर अभी और विचार-विमर्श किया जा सकता है।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : हमारे हथकरघे के माल को अस्वीकार करना आयात वाले इन देशों की अति सामान्य परिपाटी बन चुकी है। हमारा बहुत सा सामान अस्वीकार हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि उन देशों द्वारा अस्वीकार किए जाने वाले वस्त्रों की वास्तविक संख्या क्या है, इनके मुख्य कारण क्या हैं और क्या बहुत से राज्यों ने वर्तमान संदर्भ में केन्द्रीय सरकार पर एक नई हथकरघा नीति बनाने पर बल दिया है। क्या सरकार नई हथकरघा नीति विकसित करने को तैयार है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मूल प्रश्न तो यह है कि हम यह दावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हथकरघे से बने हुए कपड़े में उन मशीनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो हाथ-पैर से चलाई जाती हैं, क्योंकि करोड़ों पोशाकें तैयार की जाती हैं और यदि यह सूई और हाथ से बनाए जाते हैं तो इन्हें सप्लाई करने में, उनकी आवश्यकताएं पूरा करने में बहुत साल लग जाएंगे।

किंतु जहां तक अस्वीकृति के प्रश्न का संबंध है तो, इसमें थोक रूप से अस्वीकृति के विषय में कोई विशेष सूचना नहीं है। कहीं-कहीं एक अथवा दो अस्वीकृतियां हुई हैं; किंतु कुल मिलाकर, गुणवत्ता नियंत्रण संतोषजनक है।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया है। नई हथकरघा नीति बनाने के बारे में उनका क्या विचार है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हमारी वर्तमान हथकरघा नीति पूर्ण रूप से संतोषजनक है। इस नीति का पुनरीक्षण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री आनन्द गजपति राजू : यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा अमरीकी महाद्वीप में कपड़ों के निर्यात में कमी को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष होने वाली "जनरल एग्रिमेंट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड" की बैठक में बहु-रेशी समझौते के पुनरीक्षण का प्रयत्न किया जाएगा ? इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी देश अब मन्दी से उभर रहे हैं और हम उनको बहुत-सा कच्चा माल निर्यात कर रहे हैं, तो क्या हम इन हथकरघा उत्पादों को कच्चे माल के निर्यात के साथ जोड़ देंगे जिससे कि हमें एक सुनिश्चित मण्डी मिल सकेगी।

श्री खुर्शीद आलम खां : इन नीतियों के संबंध में मामला सदा जी० ए० टी० टी० के विचाराधीन रहता है, और स्वाभाविक है कि जी० ए० टी० टी० की अगली बैठक में इस विषय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हम निश्चय ही यह देखेंगे कि हमारे हित सुरक्षित रहें और हमें अपने देश के लिए सबसे अच्छी शर्तें प्राप्त हों।

राजस्व की वसूली

*266. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि का राजस्व वसूल हुआ;

(ख) इस वसूली को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि की वसूली होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान राजस्व वसूली की रकम 22,816.05 करोड़ रुपए थी।

(ख) वसूलियों को बढ़ाने के लिए किए गये उपायों में तत्वतः केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम तथा आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को तेजी से लागू करना तथा निगरानी सम्मिलित है।

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए बजट अनुमान 25,209 करोड़ रु० है तथा आशा है कि वसूलियां इस रकम से अधिक हो जाएंगी।

श्री उत्तम राठौड़ : लक्ष्य में से अभी तक जो नवीनतम आंकड़े हमने एकत्र किये हैं, मैं वह जानना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गत वर्ष के 11,509.26 करोड़ की तुलना में अप्रैल से अक्तूबर तक की वसूली के आंकड़े 14,103.59 करोड़ रुपये के हैं। इसमें 2,594 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई गई है। अर्थात् बजट अनुमान के अनुसार केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि के स्थान पर 22.54 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, सीमा-शुल्क में वृद्धि और आयात में उदारता के कारण राजस्व में क्या वृद्धि हुई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसकी संख्या बताना कठिन है कि आयात उदारता द्वारा तथा सीमा-शुल्क के द्वारा कितना वसूल हुआ है; पिछले वर्ष की तुलना में 33.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और जो मैं सदन को भी बताना चाहता हूं वह यह है कि—प्रत्यक्ष करों पर बहुत चर्चा हुई है और इसे छोड़ा जा सकता है—25.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो कुल वृद्धि से बहुत अधिक है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप को पता लग रहा है कि पैसा ज्यादा आने से हमारे मिनिस्टर बैंकिंग इन्चार्ज को गर्मी लग रही है ।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : राजस्व प्राप्ति में कितनी रकम का अनुमान है ? क्या आप आशा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक होगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, मैं इसे इतना बढ़ाकर नहीं कहूंगा अथवा निर्धारित करूंगा परन्तु हम 25,209 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को भी पार कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

मैसर्स कोका कोला कारपोरेशन की ओर आयकर तथा उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

*267. **डा० ए० के० पटेल** †
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोका कोला कारपोरेशन, नई दिल्ली पर ब्याज तथा जुर्माने सहित आयकर तथा उत्पाद शुल्क की अलग-अलग कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिए उक्त कारपोरेशन की कितने मूल्य की सम्पत्ति प्रतिभूति के रूप में गिरवी तथा गारंटी स्वरूप रखी गई है ?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) जहां तक आयकर की बकाया का संबंध है, इस समय मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम की ओर 7.68 लाख रु० की रकम बाकी है। यह मांग उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक दी गई है। तथापि, मार्च, 1982 में कुर्क की गई इस निर्धारिती कंपनी के बैंक खाते की 32.47 लाख रु० की रकम अभी भी बनी हुई है।

जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की देय रकमों का सम्बन्ध है, कंपनी से 68.39 लाख रु० का उत्पादन शुल्क और 25 लाख रु० का व्यक्तिगत जुर्माना वसूल किया जाना बाकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मांग की वसूली के खिलाफ स्थगन आदेश दिया है। तथापि, कंपनी ने रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के पास 6.02 लाख रुपये जमा कर दिये हैं तथा शेष देय रकम के लिए बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की है।

डा० ए० के० पटेल : पिछले अधिवेशन में भी यही प्रश्न पूछा गया था और इस समय भी मुझे वही उत्तर मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह कितने अनुकूल हैं !

डा० ए० के० पटेल : माननीय वित्त मंत्री अत्यन्त सकुशल मंत्री हैं और मैं समझता हूं कि इस अवधि के दौरान कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि वह व्यक्ति सत्तारूढ दल से सम्बद्ध है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस बात का खण्डन करता हूं कि सत्तारूढ दल से कोई लगाव है। इस मामले के तथ्यों से माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे कि हमने कार्यवाही की है; और जहां तक आयकर का सम्बन्ध है हमने कुछ पूर्वोपाय किए हैं। अब बकाया राशि केवल 7.68 लाख रुपये है और न्यायालय ने स्थगन आदेश दिए हैं; अतः हम कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। फिर भी, इस के बावजूद, 33.47 लाख रुपये कुर्क किए गए, अर्थात बैंक लेखा कुर्क किया गया और कुर्की अभी जारी हैं। अतः हमारा इस सम्बन्ध में नर्म रवैया नहीं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह वही बात कह रहे हैं जो वक्तव्य में है।

अध्यक्ष महोदय : और कुछ कहने की आप उनसे आशा कैसे कर सकते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो कुछ इसमें है, क्या मैं इसके अतिरिक्त और कुछ कह सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : कम से कम श्री जंगा रेड्डी को प्रसन्न करने के लिए ?

विश्वनाथ प्रताप सिंह : और जहां तक अधिकता का सम्बन्ध है, इस विषय में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। किन्तु हमने गारन्टी ली है। उन्होंने 6 लाख रुपये से अधिक राशि जमा की है

और शेष राशि के लिए हमने 87 लाख रुपये की बैंक गारन्टी ली है। अतः हमने रकम की वसूली के लिए सभी पूर्वोपाय किए हैं।

डा० ए० के० पटेल : आप मेरिडियन होटल को क्यों नहीं ले रहे हैं जो अभी पड़ा हुआ है ?

एक माननीय सदस्य : वह बेच दिया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं समझता हूं कि यह एक अलग ही प्रश्न है। श्री चिरन्जीत सिंह प्यारे ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्बद्ध हैं और यह प्रश्न मेसर्स कोका कोला कॉर्पोरेशन से है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आपने बताया है कि एक करोड़ एक लाख से ज्यादा ड्यू है। मार्च, 82 में बैंक खाते की 32.47 लाख रुपये की रकम अभी भी बनी हुई है जबकि उन्होंने हाई कोर्ट में 6.02 लाख रुपये जमा करा दिए हैं तथा बकाया पैसे की बैंक गारन्टी प्रस्तुत की है। क्या आप सिर्फ बैंक गारन्टी से सेटीस्फाइड हैं। हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्टे आर्डर उनको मिला हुआ है। इस पैसे के ऊपर कितना इंटरेस्ट आता है। क्या और भी रुपया बकाया है जबसे स्टे मिला है। सन् 82 से सन् 85 यानी तीन साल का कितना बकाया है और उसको वसूल करने में सरकार को क्या दिक्कत है।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आरम्भिक बकाया राशि 21.65 लाख रुपये थी। बाद में उन्हें 1967-68 से 1980-81 तक समायोजित कर लिया गया। शेष 7.68 लाख रुपये स्थगन आदेश के अन्तर्गत बकाया पड़े हैं। हम बैंक की गारन्टी वापिस ले रहे हैं। 32 लाख रुपये जो कुर्क किए गए थे, वह कुर्की अभी जारी है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आपने तो दस सालों का बता दिया है। पिछले तीन सालों का बताइए ······(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 1.4.85 को इतनी मांग थी। यही नवीनतम है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है उनका दंगों में कितना नुकसान हुआ है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अगर नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट कम्पनसेट कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जितना बताना था, वह बता दिया। अब आप बैठ जाइए। बहुत हो चुका है।

[अनुवाद]

भारतीय चाय के निर्यात का लक्ष्य श्रीलंका और कीनिया से कम रहना

*268. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि भारतीय चाय का निर्यात पिछले कुछ समय से श्री लंका और कोनिया द्वारा किए जाने वाले चाय के निर्यात की तुलना में कम रहा है, और भविष्य में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मूल्यांकन का ब्योरा क्या है;

(ग) यदि जब तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो क्या अब किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) भारत अभी भी चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। गत तीन वर्षों के दौरान भारत, श्री लंका तथा कीनिया से चाय के निर्यात नीचे दर्शाये गए हैं :

(आंकड़े मिलियन किग्रा० में)

वर्ष	भारत	श्रीलंका	कीनिया
1982	189.90	181.14	79.80
1983	208.47	157.9	100.65
1984	214.73	204.23	91.20

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुरूप : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि चाय सबसे बड़ी निर्यात को आने वाली वस्तु है। किंतु बात यह है कि इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 22 करोड़ किलोग्राम है। यह बात बिल्कुल निश्चित है कि हमारा देश यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है

क्योंकि 2-3 महीने पूर्व सरकार चाय के न्यूनतम निर्यात मूल्य तथा चाय के निर्यात पर अन्य प्रतिबन्ध हटाने पर तैयार थी। मेरा पहला पूरक प्रश्न इसी विषय में है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य तथा अन्य प्रतिबन्धों का पूरे दक्षिण भारतीय चाय बागानों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और पूरी दक्षिण भारतीय चाय इस क्षति को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। मैं विशेषत: मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार दक्षिण भारतीय चाय को चाय निर्यात पर लगाये गए प्रतिबन्ध से उत्पन्न हुई क्षति को पूरा करने तथा केन्द्रीय सरकार की नीतियों से उत्पन्न स्थिति से निकलने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : पहले मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि 2200 लाख किलोग्राम चाय के निर्यात का लक्ष्य नवम्बर तक पूरा होगा और हम पहले ही 1946.40 लाख किलो निर्यात करती हैं। जहां तक न्यूनतम निर्यात मूल्य पर प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, उन्हें पहले ही हटा दिया गया है और 2 दिसम्बर, 1985 तक न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार 2080 लाख किलोग्राम पहले ही निर्यात की गई है।

श्री सुरेश कुरूप : मुख्य प्रश्न यह था कि दक्षिण भारतीय चाय को केन्द्रीय सरकार की नीतियों द्वारा पहुंची हुई क्षति को पूरा करने के लिए सरकार क्या-क्या उपाय करेगी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : चाय के निर्यात में वृद्धि के कारण स्वाभाविक है कि उपयोग होने वाले 150 लाख किलो ग्राम चाय से अधिक चाय चाहिए और स्वाभाविक ढंग से अधिक चाय देश से निर्यात की जाएगी। इस समस्त चाय का उपभोग किया जाएगा।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बारे में इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं ?

श्री सुरेश कुरूप : मेरा प्रश्न था कि उत्तर भारत की चाय की कीमतों के मुकाबले में दक्षिण भारतीय चाय की कीमत बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में वह क्या कर सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : मैंने यह पूछा था कि सरकार दक्षिण भारत के चाय उत्पादकों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाएगी और वह बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। हर बार मन्त्री महोदय सदन में इसी तरह से जबाब देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : चाय की कीमत देश के विभिन्न भागों में उगाई गई चाय की किस्मों पर निर्भर करती है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, यह क्या जवाब दिया गया है ? दक्षिण भारत की चाय के बारे में

उनका क्या विचार है ? दक्षिण भारत की चाय हिन्दुस्तान में सबसे उत्तम किस्म की चाय है।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर इसकी कीमतें कम क्यों हो रही हैं ?······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, इसमें क्या बाधाएं हैं ? चाय का खुला बाजार है। खुले बाजार में विभिन्न किस्मों की चाय उपलब्ध है और एक ही किस्म की चाय की अलग-अलग कीमतें नहीं हो सकतीं ? मैं ऐसा नहीं समझता···

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर बहस कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, इसके लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया था और चाय के निर्यात पर अन्य कई प्रतिबन्ध लगाये गए थे और 2-3 महीने पूर्व ही ये प्रतिबन्ध हटाए गए हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिए। क्या दक्षिण भारतीय चाय के बारे में आप कुछ विशेष बात जानते हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : सामान्यतः देश में उत्पादित चाय को ही बढ़ावा दिया जाता है और उसमें दक्षिण भारतीय चाय भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में आपको कुछ और तो नहीं पूछना ।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैंने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है। मुझे कुछ मिनट का समय और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, आप पहले ही बहुत समय ले चुके हैं।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, यह प्रश्न संपूर्ण दक्षिण भारत के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं प्रश्न पूछूंगा। दक्षिण भारतीय चाय, बागान संघ ने जिसे 'उपासी' भी कहा जाता है, अपने वार्षिक सम्मेलन में विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध से दक्षिण भारत के चाय बागानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किस पर नियन्त्रण लगा है ?

श्री सुरेश कुरूप : सरकार द्वारा 2-3 माह पूर्व हटाये गए न्यूनतम निर्यात मूल्य से, जिसका दक्षिण भारतीय चाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : न्यूनतम समर्थन मूल्य ।

श्री सुरेश कुरूप : नहीं, यह निर्यात मूल्य था । 'उत्पासी' के अध्यक्ष ने वार्षिक सम्मेलन में एक मांग यह की थी कि सरकार को दक्षिण भारतीय चाय को अलग पहचान देनी चाहिए जिससे दक्षिण भारतीय चाय उत्पादकों की कठिनाइयां दूर हो सकें; क्योंकि सरकार की नीति से दक्षिण भारत के चाय बागानों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है । क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यह इस बात पर विचार के लिए सुझाव है ।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, उन्होंने जवाब नहीं दिया है । यह क्या उत्तर है ? महोदय आप सभा में पीठासीन हैं और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप हमारी सहायता करें···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है । मैं पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने जवाब दिया है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैंने कहा है कि यह इस बात पर विचार के लिए सुझाव है ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह सुझाव नहीं है । न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त क्यों किया गया ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इस समय कोई न्यूनतम मूल्य नहीं है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या पहले था ? यदि हां, तो उसे हटाया क्यों गया ?

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, आपको मन्त्री महोदय को कहना चाहिए कि वह अधिक स्पष्ट जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इससे स्पष्ट उत्तर कुछ और हो सकता है । मैं नहीं जानता कि हम उनसे इससे अधिक और क्या अपेक्षा कर सकते हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा विशेष प्रश्न यह है कि इसे समाप्त क्यों किया गया । उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : यह नीति व्यापारियों के इस सुझाव पर हटा ली गई थी कि यदि

इसके हटाये जाने से अधिक चाय का निर्यात किया जा सकेगा क्योंकि विश्व में चाय बाजार में इसकी भरमार हो गई थी।

श्री पी० कुलनदईवेलु : महोदय, चाय के निर्यात में टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों का निजी स्वार्थ निहित है और छोटे चाय उत्पादक, जिनके पास 4-5 एकड़ जमीन है उन्हें दूसरे देशों को अपनी अच्छी किस्म की चाय निर्यात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या छोटे उत्पादकों को अपनी चाय निर्यात करने का मौका दिया जा रहा है, यदि नहीं तो क्या भविष्य में उन्हें मौका दिया जाएगा।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, कुल उत्पाद के 75% की नीलामी की जाती है और उस नीलामी में सभी आते हैं और अपनी चाय की नीलामी करते हैं। अतः वे नीलामी का लाभ उठाते हैं और उन्हें बोली का मूल्य मिलता है।

डा० के० जी० अदियोडी : महोदय, चाय बागान सौ वर्ष पुराने हैं। सामान्यतः उनकी औसतन आयु 50 वर्ष होती है। चूंकि बागान पुराने पड़ गए हैं, अतः चाय का स्तर गिरता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इनके पुनः रोपण के लिए कुछ सहायता करने के लिए सहायता देगी।

श्री खुर्शीद आलम खां : बागानों का स्तर सुधारने, अधिक भूमि पर बागान लगाने और पुराने पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाने संबंधी कई योजनाएं पहले से ही बनाई गई हैं।

लोहा तथा इस्पात के लिए भाड़ा समीकरण नीति

*270. **श्री आनन्द पाठक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे तथा इस्पात के लिए भाड़ा समीकरण नीति होने तथा कोयले की ढुलाई के लिए टेलिस्कोपिक भाड़ा दर की नीति होने, परन्तु अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक आदानों के लिए इस प्रकार की नीति न होने के कारण पूर्वी क्षेत्र में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या शीघ्र ही उक्त नीति की समीक्षा की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इसकी समीक्षा किये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) क्षेत्र/राज्य विशेष में औद्योगिक विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है, परन्तु यह कहना कठिन है कि भाड़ा समीकरण के कारण औद्योगिक विकास रुका है। टेलीस्कोपिक भाड़ा ढांचा कोयले सहित सभी वस्तुओं पर लागू होता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के आधार पर लोहे तथा

इस्पात से संबंधित भाड़ा समीकरण योजना को समाप्त करने के बारे में सरकार ने सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है। फिर भी इसे उचित समयावधि में समाप्त करना होगा ताकि मूल्यों में समायोजन करने के लिए सम्बन्धित उद्योगों को पर्याप्त समय मिल सके। लोहे और इस्पात के बारे में भाड़ा समीकरण योजना को वापस लेने की प्रक्रिया तथा उसे वापस लेने की समयावधि सम्बन्धी कार्य को भी अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कोयले सहित किसी भी वस्तु के लिए टेलीस्कोपिक भाड़ा ढांचे की समीक्षा नहीं की गई है।

श्री आनन्द पाठक : मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर न केवल असंतोषजनक है अपितु टालमटोल करने वाला भी है। इन असंगत नीतियों के कारण न केवल पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था अपितु बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों की अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भाड़ा समानीकरण और उद्योगों की स्थापना पर इसके प्रभाव की मराठे समिति ने गहराई से जांच की। उससे पहले एक अन्य समिति ने भी गहराई से इसकी जांच की थी। इसके बाद श्री बी० जी० पांडे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने भी इस मामले की जांच की···।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या आप इसका पिछला इतिहास बता रहे हैं ?

श्री आनन्द पाठक : जैसा कि मैंने पहले बताया कि मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक है, साथ ही यह अस्पष्ट भी है अत: मैं इसे साबित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे सिद्ध करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न काल के दौरान कुछ प्रमाणित नहीं किया जाता। आप प्रश्न पूछिए।

श्री आनन्द पाठक : मैं उस पर आ रहा हूं।

उसके बाद एक अन्य समिति नियुक्ति की गई। उस समिति ने भी सिफारिश की कि भाड़ा समानीकरण नीति को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। इन दोनों समितियों की सिफारिश समान थी। भारत सरकार ने भी इस सिफारिश को स्वीकार किया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न रखने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप कुछ पढ़कर सुना रहे हैं। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सीधे से पूछिए। अन्यथा मैं इसे काट दूंगा।

श्री आनन्द पाठक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नीति की समीक्षा करने जा रही है ताकि इन राज्यों की, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न था। आप अनावश्यक रूप से समय गंवा रहे थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि मैंने पहले कहा, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश

के आधार पर सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि भाड़ा समानीकरण योजना को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। क्या भाड़ा समानीकरण योजना के समाप्त करने से पूर्वी क्षेत्रों में उद्योग स्वतः पनपने लगेंगे ? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए बहुत-सी बातें जरूरी होती हैं, उदाहरण के लिए विद्युत आदि। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि यद्यपि सरकार ने यह निर्णय लिया है—और हम एक योजना बना रहे हैं —पर देश में कुछ अन्य राज्य भी हैं जो भाड़ा समानीकरण योजना को समाप्त करने या उसके उन्मूलन के पक्ष में नहीं हैं। स्वाभावतः ये वो राज्य हैं जो पूर्वी भारत में स्थित इस्पात उत्पादन क्षेत्र से बहुत दूरी पर हैं यद्यपि दक्षिण में इस्पात संयंत्र लगने से स्थिति में एक बार परिवर्तन आएगा। स्थिति यह है। लेकिन हम योजना को उन निर्णयों के अनुसार बना रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र किया है।

श्री आनन्द पाठक : मुझे कोयले का उदाहरण देना है, जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वह कोयला दुर्गापुर में अन्य क्षेत्रों की बजाय अधिक महंगा पड़ता है।

अतः इस नीति के बने रहने से, यहां उत्पादित किए जाने वाली अन्य वस्तुओं के संबंध में बाजार में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस नीति की समीक्षा करेगी ताकि या तो इस नीति को समाप्त किया जाए अथवा यह अन्य वस्तुओं पर भी लागू हो।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह योजना लोहा और इस्पात के संबंध में भाड़ा समानीकरण निधि को समाप्त करने के बारे में है। लेकिन दूसरी ओर माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस नीति को अन्य वस्तुओं पर भी लागू करूं। महोदय, ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकतीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि सिद्धान्त रूप से इसे स्वीकार किया जा चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए तत्काल महत्व का विषय है, इस नीति को सिद्धांत रूप से स्वीकार करने और इसे कार्यान्वित करने के बीच कितना समय लगा ? क्या मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : समिति ने अपना प्रतिवेदन 1980 में दिया था, सरकार ने निर्णय 1982 में लिया। इस्पात विभाग ने भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया। सबके विचारों में कुछ अन्तर था। कई राज्यों ने इस मामले में अपने अभ्यावेदन भेजे। मैं राज्यों का जिक्र करना नहीं चाहता। मैं किसी राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाना नहीं चाहता। कई राज्यों ने इस पर आपत्ति प्रकट की। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से इसके पक्ष में हैं। सरकार ने समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में हम जो भी करेंगे हम उन राज्यों को भी वैसा ही परिवर्तन करने की अनुमति देंगे। उन्हें उसके साथ सामंजस्य करना पड़ेगा। अचानक किए गए परिवर्तन के अनुरूप समायोजन करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ यह है कि उन्हें बड़ी मात्रा में अतिरिक्त परिव्यय करना होगा। उन्होंने समीकरण योजना के आधार पर उद्योग स्थापित किये हैं। यह योजना तीस वर्षों से, 1956 से चल रही है। जब चरणबद्ध रूप में

समाप्त किया जाएगा तो उन राज्यों पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमें 30 वर्षों तक वंचित रखा गया है क्या यह समय काफी नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : बंगाल ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। यह तो बहुत छोटी सी बात है।

कपास की विवश बिक्री रोकने के उपाय

*271. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव†**
श्री एस० जयपाल रेड्डी
} : **क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या इस समय कपास के मूल्य बहुत गिर गए हैं;

(ख) क्या इसके कारण विभिन्न राज्यों में किसानों को विवश होकर न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से भी नीचे मूल्य पर बिक्री करनी पड़ रही है; और

(ग) कपास की विवश बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) गत रुई मौसम की रिकार्ड फसल के परिणामस्वरूप और चालू रुई मौसम के दौरान सन्तोषजनक फसल के आसारों से गत मौसम की तुलना में रुई की कीमतों में गिरावट आई है। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने इस मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें घोषित कर दी हैं और किसानों को लाभकारी कीमतें उपलब्ध कराने के लिए रुई निगम बाजार में विद्यमान है। वर्तमान रुई मौसम के दौरान निगम के पास 15,00 लाख गांठों की खरीद का कार्यक्रम है और उसने 28-11-85 तक लगभग 1.52 लाख गांठें खरीदी हैं। आवकों के दबाव को कम करने हेतु सरकार ने जनवरी 1985 से निर्यात के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लम्बे और अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई की 4.95 लाख गांठों का कोटा, 27,000 बंगाल देशी की गांठें और थैलों पिकिंग की 25,000 गांठें रिलीज की हैं।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : माननीय मंत्री महोदय ने इस वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में अपने विवरण में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। किसान जानते हैं कि गत वर्ष यह मूल्य 535 रुपये था परन्तु उन्हें यह नहीं मालूम कि इस वर्ष यह कितना है। आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों को सफेद

मक्खी की वजह से अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस कीट के कारण उन्हें केवल 3 क्विंटल प्रति एकड़ उपज मिल रही है जबकि औसतन उन्हें 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिलनी थी। गुंटूर जिले के कलक्टर ने भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष को सूचित किया है कि कपास उत्पादकों को लगभग सौ करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है। मंत्री महोदय के विवरण के अनुसार भारतीय कपास निगम ने 28-11-85 तक 1.52 लाख गांठें खरीदी हैं जबकि हमारी जानकारी यह है कि आन्ध्र प्रदेश में सिर्फ कुछ हजार कपास की गांठें ही खरीदी गई हैं। अतः, क्या सरकार भारतीय कपास निगम को सभी जगह पर्याप्त कर्मचारियों से लैस खरीद केन्द्र खोलने के लिए निर्देश देगी, क्योंकि किसान को भारतीय कपास निगम के हाथ अपनी कपास बेचने हेतु कपास तुलवाने में एक हफ्ता लगता है तथा चैक तैयार करने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में और 10 दिन लग जाते हैं। इसलिए क्या सरकार भारतीय कपास निगम को आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के निर्देश देगी ? 1974 का एक पूर्व दृष्टांत है जब खरीद मूल्य 360 रुपये था तो भारतीय कपास निगम ने 525 रुपये दिये थे। अतः वर्तमान वर्ष में किसानों की कठिन स्थिति को देखते हुए क्या सरकार 535 रुपये प्रति टन खरीदने का निर्देश देगी ? वास्तव में यह मात्र 460 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीद रही है।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों की समस्याओं को देखते हुए एक विशेष दल वारंगल तथा अन्य क्षेत्रों में भेजा गया था जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने वहां जाकर प्रत्येक बात पर गौर किया था और मुख्य मंत्री से भी मिले थे और उनसे विस्तार से बातचीत की थी और अधिकांश बातों पर निपटारा हो गया था। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उत्पादकों की हर संभव सहायता की जायेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : न्यूनतम मूल्य की क्या स्थिति है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : क्या आप मुझे उत्तर देने देंगे ? (व्यवधान) जहां तक न्यूनतम मूल्य का प्रश्न है, न्यूनतम मूल्य का सुझाव कृषि मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है। उसी के अनुसार न्यूनतम मूल्य लागू होता है। परन्तु यहां पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कपास के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में स्वाभाविक है कि न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कपास की दशा के अनुरूप निश्चित किया जायेगा।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैंने माननीय मंत्री महोदय को विशिष्ट तौर पर यह बताया है कि ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब भारतीय कपास निगम ने भारतीय कपास निगम द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य से अधिक मूल्य दिया है। परन्तु उन्होंने ऐसा न कहकर फिर से क्वालिटी का उल्लेख किया है।

इस निर्यात कोटा रिलीज के बारे में उन्होंने अपने विवरण में कहा है कि इस कपास की 4.95 लाख गांठें रिलीज की गई हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यह आंकड़े गत फसल के हैं और इस वर्ष इस मौसम की नई कपास फसल आने के पश्चात् कितना निर्यात कोटा रिलीज किया गया था। और गुजरात महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा यह निरन्तर मांग रही है कि इस निर्यात कोटे को तुरन्त रिलीज किया जाये ताकि बाजार में मूल्यों के बढ़ने से कपास उत्पादकों की

सहायता की जा सके। क्या मंत्री महोदय कृपया इस बात का निश्चित उत्तर देंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इस वर्ष, इस कोटा के अंश के रूप में, पहले ही हमने 2 लाख गांठों को रिलीज कर दिया है और हम देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और तीन लाख गांठों को रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। परन्तु निर्यात में जो एक मात्र समस्या हमारे सामने है वह है कि हमारे देश के मूल्य जिन देशों में कपास का निर्यात किया जाता है उसके मुकाबले बहुत अधिक हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और चीन में, जो कपास पैदा करने वाले दो बड़े राष्ट्र हैं, हमारे देश के मुकाबले मूल्य 25 प्रतिशत कम हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह उत्तर लेना चाहूंगा कि क्या नई कपड़ा नीति में परिवर्तन होने के बाद, जिसमें कृत्रिम रेशे पर अधिक बल दिया गया है, इस वर्ष कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई है।

श्री खुर्शीद आलम खां : कपड़ा नीति के परिणामस्वरूप मूल्यों में गिरावट नहीं आई है क्योंकि कपड़ा नीति जून, 1985 में ही घोषित की गई थी। वास्तव में यह कपास के उत्पादन का प्रश्न है जो गत मौसम में बहुत अच्छा था और इसलिए मूल्य गिर गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, किसान को दंडित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें अधिक पैदावार करने के लिए बोनस दिया जाना चाहिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मंत्री महोदय तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे रहे हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यही तो कारण है कि कृषि मूल्य आयोग ने न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है।... (व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : इस वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इस वर्ष का न्यूनतम मूल्य गत वर्ष से अधिक है।

प्रो० एन० जी० रंगा : गत वर्ष का न्यूनतम मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। महोदय इसका कुछ कारण है। इसके लिए जांच करने और गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह।

श्री सी० जंगा रेड्डी : श्रीमान्, केवल एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : जंगा रेड्डी जी एक बार किसी दल के सदस्य को एक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल जाती है तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलता है। आपको पहले ही एक अवसर मिल चुका है।

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, मान्यवर।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप हमारी तरफ से प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा पहले ही कर चुका हूं। आपके कहने के बिना ही मैंने ऐसा कर दिया है। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं? वित्त मन्त्री को झिड़कना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनका कम्बल उतार लेते हैं।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, यह कपास का नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : किसानों को जो कठिनाई आती है वह यह है कि यद्यपि सरकार कोटे को तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी निर्धारित करती है परन्तु कपास को समय पर खरीदना शुरू नहीं करती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी कपास व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। जब सरकार कपास की खरीदारी शुरू करती है तो वह किसानों से खरीदने की बजाय व्यापारियों से खरीदती है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाये।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि समर्थन मूल्य पहले ही घोषित हों तथा पर्याप्त प्रबन्ध किए जायें ताकि जैसे ही समर्थन मूल्य घोषित हों धन तथा मशीनरी कपास खरीदने के लिए उपलब्ध हो और किसानों को प्रबन्ध किये जाने तक इंतजार न करना पड़े?

अध्यक्ष महोदय : कम से कम इन वस्तुओं के लिए तो ये प्रबन्ध किए जाने चाहिएं।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यह एक अच्छा सुझाव है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकारी बुनियादी ढांचा वहां पहले ही मौजूद है और जैसे ही मूल्य घोषित होते हैं हम सक्रिय हो जाते हैं।... (व्यवधान)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : किसानों को नहीं मालूम कि न्यूनतम मूल्य क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की भावनाओं से सहमत हूं जिसको मंत्री महोदय को नोट करने की आवश्यकता है। वह इसके प्रति कार्यवाही करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, प्रो० रंगा फिर मुझे बता रहे हैं। क्या मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक समर्थन मूल्य को देने का सवाल है उसके लिए किसी भी तरह से कोष की कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आप बोल सकते हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : कोष के संबंध में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। कोष उपलब्ध है। परन्तु हमें समर्थन मूल्य पर खरीदना होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रबन्ध कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वारंगल में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है। मैंने पहले ही आपकी भावनायें व्यक्त कर दी हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में तो सपोर्ट प्राइज ही नहीं मिल रही है, काटन की। कम से कम राजस्थान में सपोर्ट प्राइज दिलवाने की व्यवस्था कराइए।

अध्यक्ष महोदय : सपोर्ट के ऊपर ज्यादा सपोर्ट होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन वैराले : महोदय वह कपास के निर्यात के लिए अनुमति मांगते रहे हैं। किंतु जब कभी वे निर्यात की अनुमति मांगते हैं सरकार केवल दो लाख का आबंटन करती है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय इस स्थिति को ध्यान में रखेंगे और इसका निवारण करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : सारे देश के किसान आपको धन्यवाद देंगे।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपको ऐसा निर्देश देना चाहिए जिससे कि प्रो० रंगा को कभी-कभी क्रोध आ जाए ताकि इसका मंत्री पर अच्छा प्रभाव पड़े।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।

महानगरों और शहरों में स्थित बैंकों की शाखाओं को हुई हानि

*272. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों की महानगरों और शहरों में स्थित अनेक शाखाओं में वर्ष प्रतिवर्ष हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बैंकों की संख्या का पता लगाने के लिए राज्य-वार कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या इन हानियों के कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) दिसम्बर 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 4396 महानगरीय/पत्तन नगरीय शाखाओं और 5196 शहरी शाखाओं में से 260 महानगरीय शाखाओं और 459 शहरी शाखाओं को लगातार 5 वर्ष से हानि हो रही है। चूंकि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली के अधीन हानि वाली शाखाओं की केवल बैंक वार सूचना इकट्ठी की जाती है, इसलिए ऐसी शाखाओं का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हानि के मुख्य कारण ये हैं: जमा राशियों का स्वरूप उचित न होना, कारोबार का निम्न स्तर, उच्च स्टाफ लागत, निष्क्रिय परिसम्पत्तियों का अपेक्षाकृत उच्च स्तर निष्क्रिय नगद राशियां, कार्यालय की इमारत का अपेक्षाकृत अधिक किराया आदि। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि वे हानि वाली शाखाओं की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करें और उनके कार्य में सुधार लाएं।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : उन्होंने विवरण में यह कहा है कि 260 महानगरीय शाखाओं और 459 शहरी शाखाओं में गत पांच वर्षों से निरन्तर हानियां हो रही हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाएं ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं। हम नहीं जानते कि नगरी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हानि क्यों हो रही है। और साथ ही मैं यह जानना चाहूंगा कि इस हानि को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। नगरीय क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के विषय में क्या नीति है, क्योंकि बहुत से नगरीय सहकारी बैंक नई शाखाएं खोलने की अनुमति मांग रहे हैं? उनके प्रार्थना-पत्र रिजर्व बैंक में पड़े हैं और कुछ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिए गए हैं। यदि नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का कारोबार अच्छा नहीं हो रहा है तो वे नई शाखाएं क्यों खोलना चाहते हैं? क्या वे केवल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं अथवा जनता की सेवा के लिए? इन दोनों बातों के बारे में सरकार की क्या राय है?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, हमने उन शाखाओं का पता लगा लिया है जिनमें हानि हो रही है और मैं उन सभी शाखाओं के कार्य पर निगरानी रखे हुए हूं ताकि उन्हें लाभप्रद बनाया जा सके।

4396 महानगरीय/पत्तन नगरीय शाखाओं में से 260 शाखाएं हानि पर चल रहीं हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि 4,136 शाखाएं लाभ पर चल रही हैं। 5,196 शहरी शाखाओं में से 459 शाखाएं हानि पर चल रही हैं। 4,737 शाखाएं लाभ पर चल रही हैं। मैं माननीय सदस्यों को अभी यह बताऊंगा कि हम क्या उपाय कर रहे हैं।

घाटे पर चलने वाली शाखाओं पर आते हुए मैं यह कहूंगा घाटे पर चलने वाली शाखाओं का ऐसे ही बना रहना वांछनीय नहीं है। किंतु हमें एक बात की ओर ध्यान देना है कुछ रिहायशी क्षेत्रों में शाखाएं हैं। वहां हम राशियां जमा कर रहे हैं। उधार नहीं दिया जा रहा है। जब ऋणों के रूप में कुछ भी पैसा बाहर नहीं जा रहा है तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। यदि ये शाखाएं केवल राशियां जमा ही करती रहेंगी तो उन शाखाओं को कोई लाभ नहीं होगा, और उन शाखाओं में जमा राशि को किन्हीं अन्य शाखाओं में प्रयोग में लाया जाएगा। अन्य शाखाओं द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा। हानि का एक कारण यह है। मैं यह नहीं कहता कि यह एकमात्र कारण है।

अब हानि दिखाने वाली शाखाओं की इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए ? इसके लिए भी हमें अपने खर्च को घटाना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि शाखाओं में क्या हो रहा है। कुछ शाखाओं में अपेक्षित से अधिक कर्मचारी हैं। हमें उन शाखाओं का भी पता लगाना होगा। जहां कहीं अपेक्षित से अधिक कर्मचारी हैं तो हमें उन अधिक कर्मचारियों को अन्य शाखाओं में भेजना होगा। इस मामले में मुझे सभी लोगों का सहयोग चाहिए, विशेषकर कर्मचारी संघ के लोगों का। हम अतिरिक्त कर्मचारियों को उन शाखाओं में भेज रहे हैं जहां कर्मचारियों की कमी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं आपका ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर दिला रहा हूं। मद्रास में हमने एक शाखा से दूसरी शाखा में, जो केवल 100 गज की दूरी पर है कुछ कर्मचारियों का तबादला किया। तो समस्त दक्षिण भारत में हड़ताल हो गई। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं एक ही कसबे में हमने एक शाखा से दूसरी शाखा में तबादला किये थे। चेयरमैन······

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप घन्टी नहीं बजाएंगे, तो यह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर 45 मिनट तक बोलते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : ये कुछ कठिनाइयां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। निष्क्रिय पड़ी हुई राशि का हम अधिक करेंसी चेस्ट खोलकर उपयोग कर रहे हैं। ये कुछ कदम हैं जो हम उठा रहे हैं।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : अनेक शहरी सहकारी बैंक शहरी क्षेत्रों में नई शाखाओं की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे रही है और इस प्रकार इन शाखाओं को हानि पर चलने दे रही है।

इन बैंकों की संख्या कितनी है, क्योंकि उनके पास राज्य-वार ब्यौरा नहीं है, और उन बैंकों के नाम क्या हैं जो हानि पर चल रहे है ?

श्री जनार्दन पुजारी : शहरी बैंक तथा सहकारी बैंक दोनों ही काम कर रहे हैं। किंतु कुछ बैंक हानि पर चल रहे हैं। किंतु देश के लोग, जहां कहीं भी जाते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों की मांग करते हैं, सहकारी बैंकों की नहीं। वे क्या कहते हैं ? ये सहकारी बैंक समाज के केवल एक वर्ग की ही सेवा कर रहे हैं और दूसरे वर्ग को कुछ नहीं देते हैं। हमें यह शिकायत प्राप्त होती है मांग राष्ट्रीयकृत बैंकों की है, सहकारी बैंकों की नहीं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण वितरण में की गई अनियमितताएं

*274. श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के वितरण में की जा रही अनियमितताओं के बारे में राजस्थान पावरलूम एसोसिएशन, किशनगढ़ (राजस्थान) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकार को नवम्बर 1985 में राजस्थान पावरलूम एसोसिएशन, किशनगढ़ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दो स्थानीय शाखाओं ने पावरलूम एककों के वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया और साथ ही ऐसे एककों को नए आवेदन-पत्र देने से भी इन्कार कर दिया है।

(ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित बैंकों से रिपोर्ट मांगी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किशनगढ़ और मदन गंज में जो पावरलूम के व्यापारी हैं, उनकी कितनी एप्लीकेशंस लोन के लिए रिसीव की गई हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स में और पर्टिकुलरली अगर यू को बैंक का बता सकें तो बताएं कि कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुईं, कितनों पर लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं कितने समय से पेंडिंग हैं और किन कारणों से पैंडिंग हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : यूनाइटेड कामर्शियल बैंक की शाखा का कार्य तनिक भी संतोषजनक

नहीं था। जहां तक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर का सम्बन्ध है—यह भी प्रश्न का एक अंग है —इनका कार्य संतोषजनक है; स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को तीन आवेदन पत्र द्वारा प्राप्त हुए थे और इसमें से दो आवेदन पत्र यह कह कर वापस कर दिये गये हैं कि उन्होंने कहीं और से भी ऋण ले रखे हैं, जहां तक यू०को० बैंक के कार्य का संबंध है, मैं सदस्य महोदय का आभारी हूं कि वे इस तथ्य का सरकार की जानकारी में लाए हैं। उन्होंने विद्युत करघा क्षेत्र को ऋण नहीं दिए हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि वह कमजोर वर्गों को ब्याज की विभेदक दर के अन्तर्गत भी और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी ऋण नहीं दे पाये हैं बैंक प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। सदस्यों की सूचनार्थ यह बता रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं और पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम यह बात यू को बैंक के बारे में मानी है, लेकिन स्टेट बैंक के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि एप्लीकेशन्स ही रिसीव नहीं की जाती हैं और जितना करप्शन वहां पर है उससे लोग परेशान हैं। राजस्थान में भीषण अकाल की स्थिति है और मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में किशनगढ़ ही इंडस्ट्रियलाइज्ड प्लेस है, वहां पर स्टेट बैंक और बाकी बैंकों में बहुत करप्शन है, उसको रोकने के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त कार्यवाही करें तो ज्यादा अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक स्टेट बैंक का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि कोई विशेष मामला हमारी नोटिस में लाया जाएगा तो उन लोगों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मुझे भी पूछना है, बहुत देर से बैठा हूं, आपकी नजर नहीं जाती है।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो आपको समय दिया था।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उसका भी जवाब नहीं आया। बहुत महत्वपूण प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसे कि इन्होंने यू० को० बैंक को तो सर्टिफिकेट दे दिया कि उसका कामकाज खराब है, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से बैंक का कामकाज अच्छा है और आज तक स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी एप्लीकेशंस स्वीकृत की गई हैं उद्योग विभाग द्वारा कितने लोगों को बैंकों से ऋण मिला है और कितने लोग अभी बाकी हैं। आपने ऐसे लोगों को लोन दिलवा दिया जिनको आवश्यकता नहीं थी और जो जरूरतमंद लोग थे वे

आज तक भटकते फिर रहे हैं। तो क्या इस व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने में कुछ करने की व्यवस्था करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : एक ही बात सब पर लागू करना और यह कहना कि सभी बैंक ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं उचित नहीं है। समस्त देश में हमारी 50,980 शाखाएं हैं और उनमें से – मैं यह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता रहा हूं—29,837 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं; प्रतिशतता के तौर पर यह 58.5 प्रतिशत हैं। यदि कहीं कुछ कमियां हैं तो हम उन कमियों का पता लगा रहे हैं और आवश्यक कार्यवाही भी कर रहे हैं। 14 दिसम्बर को वित्त मंत्री वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, यहां तक कि रिजर्व बैंक गवर्नर भी और ऐसे सभी लोग जिनमें मैं भी शामिल हूं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं;

(व्यवधान).

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आई० आर० डी० पी० का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं चल रहा है, लोग जगह-जगह गड़बड़ कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया मेरी बात सुनिए। हम सभी संसद सदस्यों को भी लिख रहे हैं। माननीय सदस्य भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैंक में जा सकते हैं और वह भी··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : पार्लियामेंट के मेंबरों को तो बैंक कमेटी में रखा ही नहीं है इन्होंने।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : क्या मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैंने राज्य मंत्री श्री चन्दू लाल चन्द्राकर से बात-चीत की थी और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक परिपत्र भेजा है कि संसद सदस्य डी० आर० डी० ए० के सदस्य होंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : कोई भी जन-प्रतिनिधि उसमें नहीं है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए, इस हाऊस में और भी सज्जन आदमी हैं।...

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि और फार्म उत्पादों का निर्यात

*275. श्री रामस्वरूप राम
डा० बल्लल पेरुमान
: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किये जाने की आशा है;

(ख) इन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों की किन-किन मदों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को उनका निर्यात किया गया; और

(ग) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार मुख्य कृषि उत्पादों के निर्यात मूल्य निम्नोक्त प्रकार से हैं :—

1983-84 (अनन्तिम)	करोड़ रु० में (1984-85) (अनन्तिम)
2286-46	2354-63

इस समय सभी कृषि वस्तुओं के निर्यातों की मांग के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात कुल उत्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति पर निर्भर करेंगे।

(ख) भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख कृषि वस्तुएं हैं : बासमती चावल, फल तथा सब्जियां, काजू, गिरी, काफी, चाय, मसाले, तम्बाकू, साधित खाद्य तथा आयल मिल निर्यात मुख्य रूप

से मध्यपूर्व देशों सोवियत संघ तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को हो रहे हैं।

(ग) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे नकद मुआवजा सहायता, पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी की सुविधा, बाजार विकास के लिए सहायता, मूल्य वर्धित पैक्टों में निर्यातों को प्रोत्साहन, निर्यात योग्य कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श आदि। कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कृषि तथा साधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकरण प्राधिकरण और मसाला बोर्ड की स्थापना जैसे संस्थागत परिवर्तन की व्यवस्था की गई है।.

खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर राज-सहायता समाप्त करना

*276. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र पर कर लगाने तथा खाद्यान्नों एवं उर्वरकों पर दी जाने वाली राज-सहायता को समाप्त करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं। इसके अलावा, यह नोट किया जाना चाहिए कि कृषि आय पर कर लगाना राज्य का विषय है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कन्याकुमारी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

*277. श्री एन० डेनिस : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कन्याकुमारी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की बृहद योजना पर अनुवर्ती कार्य क्या किया गया है; और

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में सहयोग देने की पेशकश की है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने कन्याकुमारी के विकास के लिए 16.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक मास्टर

प्लान तैयार की है; यह 1982 में प्रारम्भ हुई है और इसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में किया जाएगा। राज्य सरकार पहले से ही अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से 196.67 लाख रुपये की राशि पर स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है।

कन्याकुमारी और विवेकानन्द स्मारक शिला के बीच नौकायन सेवारत एक मोटर लांच को जिसे 1974 में मंजूर किया गया था, तबदील करने संबंधी प्रस्ताव पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गया है। कन्याकुमारी में आठ समुद्र-तटीय कुटीरों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु विभाग से अनुरोध किया था। यह भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

इस्पात की सिल्लियों और छड़ों का निर्माण

*278. श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने लघु इस्पात संयंत्र हैं जो नर्म इस्पात की सिल्लियों और छड़ों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में नर्म इस्पात सिल्लियों और छड़ों का कुल कितना निर्माण हुआ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जिन एककों को हाल में ढलाई के लाइसेंस दिए गए हैं, वे नर्म इस्पात सिल्लियों का अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं और इन्हें ढलवां इस्पात, छड़ों आदि के ब्रांड नाम से बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन एककों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) नरम इस्पात पिण्ड तथा बिलेटों का उत्पादन कर रहे 159 लघु इस्पात कारखाने हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन विद्युत चाप भट्टी इकाइयों द्वारा सूचित किए गए नरम इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन लाख टन में
1982-83	15.90
1983-84	16.74
1984-85	16.20

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चार्ज क्रोम का निर्यात

*279. डा० कृपा सिंधु भोई
श्री मानवेन्द्र सिंह
: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चार्ज क्रोम का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो चार्ज क्रोम का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है;

(ग) पिछले वर्ष कितनी मात्रा में चार्ज क्रोम का निर्यात किया गया; और

(घ) इस वर्ष तथा आगामी वर्ष के दौरान जापान को कितनी मात्रा में चार्ज क्रोम का निर्यात किए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) चार्ज क्रोम मुख्यतः जापान को निर्यात किया जाता है।

(ग) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार 1984-85 के दौरान निर्यातित चार्ज क्रोम की मात्रा (एक एकक द्वारा निर्यातित फैरो सिलिकोन सहित) 29267 मे० टन० है।

(घ) एककों द्वारा सीधे निर्यात किए जाते हैं और सरकार को उनकी देशवार निर्यात योजनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

उद्योगवार मजदूरी समझौते का कार्यान्वयन

*280. श्री बसुदेव आचार्य क्या : इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1983 में किये गये पिछले उद्योगवार मजदूरी समझौते में अन्तर्विष्ट उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु भारतीय इस्पात प्राधिकरण को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि सभी केन्द्रीय मजदूर संघों की प्रतिक्रिया इस समझौते के विरुद्ध है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) मई, 1983 में सरकार ने इस्पात उद्योग के गैर-कार्यपालकों की मजूरी में वृद्धि तथा अन्य लागों के बारे में "सेल" के प्रस्ताव को

अनुमोदित कर दिया था। इसके आधार पर इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति द्वारा 25 मई, 1983 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे। इस ज्ञापन में मजूरी तथा अन्य भत्तों और शैक्षणिक सुविधाओं, सेवा-निवृत व्यक्ति के एक आश्रित को रोजगार देने, छुट्टी तथा सरकारी छुट्टियां, कामगार मुआवजा और उत्पादन, उत्पादकता तथा शांतिपूर्वक मालिक-मजदूर सम्बन्ध जैसे लाभों से सम्बन्धित मामलों को रखा गया था। परन्तु सरकार को सलाह दी गई थी कि सेवा-निवृत्त कर्मचारी के एक आश्रित को रोजगार देने से सम्बन्धित समझौता करने से संविधान का उल्लंघन होगा। इस आधार पर "सेल" को सलाह दी गई थी कि वह सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने से सम्बन्धित धारा को कार्यान्वित न करें।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय मजदूर संघों ने इस समझौते के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं की थी परन्तु उन्होंने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने से सम्बन्धित धारा को कार्यान्वित न करने के बारे में सरकार की सलाह के विरुद्ध प्रतिक्रिया की थी।

सिंगापुर तथा बैंकाक जाने वाले भारतीयों द्वारा भारत में अपने संबंधियों तथा मित्रों को उपहार पार्सल भेजा जाना

*281. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर तथा बैंकाक जाने वाले भारतीय लोग भारत में अपने संबंधियों तथा मित्रों को उपहार पार्सल भेज सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कितने उपहार, कितने भार, मूल्य तथा मात्रा तक के पार्सल भेज सकते हैं; और

(ग) क्या उन पर कोई शुल्क लिया जाता है?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 के व्यावृत्ति खण्ड 11 (छछ) के तहत डाक द्वारा अथवा अन्यथा किसी व्यक्ति के निमित्त उसके अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल हेतु, अथवा किसी संस्थान अथवा अस्पताल के निमित्त उनके अपने इस्तेमाल हेतु प्राप्त 1,250/-रुपये के मूल्य तक के अप्रार्थित उपहारों (जिनमें 500/-रुपये तक की इलैक्ट्रानिकी की मदें भी शामिल हैं) को सीमाशुल्क-निकासी के परमिट के बगैर लाने दिया जाता है। तथापि, उपर्युक्त व्यावृत्ति-खण्ड में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय मदों का आयात उपहारों के रूप में अनुमत्य नहीं है।

हालांकि उपहारों की मात्रा के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी वह आयातित माल तर्कसंगत आधार पर उपहार ही प्रतीत होना चाहिए, न कि व्यापार के सिलसिले में आयात किया गया माल।

जहां तक डाक से भेजी जाने वाली पत्रगत वस्तुओं/पार्सलों के वजन पर पाबंदी का सम्बन्ध

है, यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय डाक अभिसमय द्वारा शासित होता है, न कि सीमाशुल्क कानून द्वारा।

(ग) व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आशयित उपहार-पार्सलों, जो डाक से अथवा हवाई-भाड़े से प्राप्त होते हैं (किंतु शीर्ष सं० 100.01 के तहत आने वाली वस्तुओं और अल्कोहल-युक्त पेयों को छोड़कर), उन सभी मदों पर 140 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल किया जाता है, परन्तु औषध-द्रव्यों तथा औषधियों पर 100 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल किया जाता है। तथापि, ऐसे वास्तविक उपहारों को सीमाशुल्क की अदायगी से छूट दी गई है जिनमें अनन्य रूप से खाद्य-पदार्थ हों जिसमें खाद्य-सामग्री तथा मिष्ठान्न भी शामिल हैं (किंतु अलकोहल-युक्त पेय नहीं) अथवा औषधियां हों और जिन्हें डाक से अथवा हवाई भाड़े की अदायगी करके आयात किया गया हो तथा जिनका मूल्य 200/-रुपये से अधिक नहीं हो। डाक से आयातित अन्य वास्तविक उपहारों, जिनका मूल्य 200/-रुपये से अनधिक होता है, पर भी सीमा-शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उपाय

*282. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात बढ़ाने हेतु सुझाव देने के लिए गठित की गई उच्च शक्ति सम्पन्न समिति की सिफारिशों को पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आयात द्वारा इंजीनियरी उद्योग को चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के तत्कालीन सचिव, श्री डी० वी० कपूर की अध्यक्षता में "इंजीनियरी तथा पूंजीगत माल के निर्यात के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तथा नीति सम्बन्धी समिति स्थापित की गई थी ताकि इंजीनियरी एवं पूंजीगत माल के निर्यात के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तथा नीति तैयार की जा सके। समिति ने अनुमान लगाया है कि संसाधनों तथा कुशल मानव-शक्ति के होने पर इंजीनियरी निर्यातों के क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि हासिल करने के लिए अच्छा आधार है। इसके लिए समिति ने दो उद्देशीय नीति की सिफारिश की अर्थात् :—

(1) निर्यात के लिए प्रोत्साहनों की वर्तमान व्यापक नीति को जारी रखना तथा उसे मजबूत बनाना, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर कच्चे माल की और घरेलू कराधान आदि से उत्पन्न होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना शामिल होगा।

(2) प्रौद्योगिकी, क्वालिटी और लागत की दृष्टि से हमारे घरेलू उद्योग के आधारभूत ढांचे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाना। इस उद्देश्य के लिए समिति ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों का जिनमें वर्तमान औद्योगिक ढांचा काफी विकसित है और जिनमें हमें सम्भाव्य तुलनात्मक लाभ है, चयन करके अधिक चयनात्मक आधार पर विशेष

प्रयासों की सिफारिश की। समिति ने सिफारिश की कि उत्पादन के अनुकूलतम स्तर, प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण और प्रतियोगिता की बातों को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों को विशेष नीति पर्यावरण उपलब्ध किया जाए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वे प्रतियोगी बन सकें। निर्यात बाजार और परियोजनाओं के निर्यात के संबंध में चयनात्मकता के सिद्धांत की भी सिफारिश की गई।

सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और इंजीनियरी तथा पूंजीगत माल के निर्यात बढ़ाने के लिए समिति द्वारा सिफारिश की गई, आधारभूत नीति का अनुमोदन किया है।

आयात के जरिए प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन करने की नीति के तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: —

(1) आधुनिकीकरण और निर्यात उत्पादन के लिए आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मशीनरी की 201 मदों को ओ॰ जी॰ एल॰ के अन्तर्गत निर्यात के लिए स्वीकृत पूंजीगत माल की सूची में शामिल किया गया।

(2) प्रौद्योगिकी का अधिक उदारीकृत आयात/तकनीकी विकास नीति के अन्तर्गत उत्पादन की क्वालिटी और/अथवा मात्रा पर प्रभाव डालने वाले उपस्कर, तकनीकी जानकारी विदेशी परामर्श आदि के आयात के लिए प्रति इकाई मूल्य की सीमा 5 लाख अमरीकी डालर से बढ़ाकर 100 लाख रु॰ के बराबर अमरीकी डालर तक कर दी गई है।

(3) कम्प्यूटर प्रणालियों तथा उनके अतिरिक्त पुर्जों के उदारीकृत आयात।

(4) परियोजना आयातों पर शुल्कों में कटौती।

"महत्वपूर्ण" उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन के बारे में समिति की अन्य सिफारिशें हैं: प्रौद्योगिकी के आयात को ओ॰ जी॰ एल॰ के अन्तर्गत रखना, महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क तथा टैरिफ ढांचे की समीक्षा, प्रौद्योगिकी के भुगतानों पर कर की कम दरें और "महत्वपूर्ण" उद्योगों में रायल्टी के भुगतान तथा अन्य भुगतानों के लिए अधिक लोचशील नियम।

जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ किया गया व्यापार समझौता

*283. श्री पी॰ एम॰ सईद
श्री मुरली धर माने } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यापार समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारत से निर्यात किये जाने वाली वस्तुओं तथा जर्मन जनवादी गणराज्य से आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच 1 नवम्बर 1985 को हस्ताक्षरित व्यापार तथा भुगतान करार में दोनों देशों के बीच 31 दिसम्बर 1990 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए रुपया व्यापार प्रबन्धों को जारी रखने की व्यवस्था है। इन प्रबन्धों के अन्तर्गत सभी वाणिज्य तथा गैर वाणिज्य सौदों के सम्बन्ध में भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में की जाएंगे।

(ग) भारत से निर्यात की जाने वाली तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से आयात की जाने वाली मदों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अधीन अनुसूची-क और अनुसूची-ख में दिया गया है।

विवरण

अनुसूची-क

भारत गणराज्य को जर्मन गणतंत्र गणराज्य से निर्यात के लिए उपलब्ध माल की सूची

1. जहाज, उपकरण एवं फालतू पुर्जे।
2. धातुकर्मक उद्योग के लिए संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण।
3. ओपन कास्ट लिगनाइट खनन और कोयला का ग्रेड़ बढ़ाने के लिए संयंत्र एवं उपकरण।
4. रसायनिक संयंत्र एवं उपकरण।
5. सीमेंट उद्योग के लिए संयंत्र एवं उपकरण।
6. परिवहन उपकरण एवं वहन मशीनरी।
7. प्लास्टिक एवं इलास्टिक के लिए संसाधित मशीनें।
8. रोलिंग स्टाक।
9. सड़क वाहन।
10. वस्त्र मशीनरी।
11. मशीनी औजार।
12. मुद्रण मशीनरी।
13. फूडस्टाक एवं पैकिंग उद्योगों के लिए मशीनरी एवं उपकरण।

14. कृषीय मशीनरी और उपकरण।

15. वायु एवं वातानुकूल इंजीनियरिंग के लिए उपकरण।

16. ऊर्जा संभरण के लिए संयंत्र एवं उपकरण।

17. वैज्ञानिक एवं तकनीकी यंत्र और उपकरण।

18. कार्यालय मशीनें नवं इलैक्ट्रानिक आंकड़े तैयार करने वाली मशीनें।

19. विद्युतीय इंजीनियरिंग-इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में संयंत्र और उत्पाद।

20. इस्पात उत्पाद।

21. उर्वरक।

22. भवन निर्माण सामान उद्योग के उत्पाद।

23. रासायनिक उद्योग के उत्पाद।

24. फोटो कैमिकल उत्पाद।

25. कागज।

26. ग्लास और सीरेमिक सामान।

27. औद्योगिक उपभोक्ता माल।

28. पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं स्टाम्प्स।

29. विविध।

टिप्पणी :—आर्थिक एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर पारस्परिक समझौते द्वारा अनुसूची— क -- संशोधित एवं परिवर्धित की जा सकती है।

अनुसूची-ख

भारत गणराज्य से जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य को निर्यात के लिए उपलब्ध माल की सूची

1. कृषि उत्पाद

2. समुद्री उत्पाद।

3. खनिज एवं अयस्क।

4. रासायनिक कच्चा माल एवं रासायनिक उद्योग के उत्पाद।

5. औषध विनिर्माण के लिए कच्चा माल और भेषजीय उद्योग के लिए उत्पाद।

6. रबड़ एवं प्लास्टिक उद्योगों के लिए उत्पाद।

7. ग्लास एवं सीरेमिक उद्योगों के लिए उत्पाद।

8. काष्ट—कार्य उद्योग की उत्पाद।

9. जूता एवं चमड़ा उद्योग के उत्पाद।

10. रुई ऊन एवं रेशम उद्योगों के लिए धागे।

11. तकनीकी वस्त्र।

12. निटवियर के उद्योग के उत्पाद।

13. जूट उत्पाद जिसमें फेब्रिक शामिल है।

14. परिधान उद्योग के उत्पाद।

15. कायर उत्पाद जिसमें यार्न शामिल है।

16. वस्त्र उद्योग के अन्य उत्पाद।

17. मशीनी औजार एवं अनुषंगी।

18. मशीनरी एवं उपकरण।

19. औद्योगिक एवं सफाई सेनिटरी फिटिंग्ज।

20. मशीन बाउंड एवं दस्ती औजार।

21. विद्युतीय इंजीनियरिंग उद्योग के उत्पाद।

22. इंजीनियरिंग संघटक।

23. वैज्ञानिक यंत्र।

24. कृषीय मशीनरी, निर्माण उद्योग एवं परिवहन के लिए उपस्कर संघटक एवं अनुषंगी।

25. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उपकरण।

26. वातानुकूलित उपकरण।

27. इलैक्ट्रानिक उत्पाद, जिसमें कार्यालय और आंकड़े तैयार करने वाले उपकरण शामिल हैं।

28. लघु पैमाने उद्योगों के उत्पाद जिसमें हस्तलिपि की वस्तुएं शामिल हैं।

29. विविध।

टिप्पणी :—आर्थिक एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर पारस्परिक समझौते द्वारा अनुसूची "ख" संशोधित एवं परिवर्धित की जा सकती है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

*163. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल) के आधुनिकीकरण के लिए 900 करोड़ रुपयों की एक परियोजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या आधुनिकीकरण की योजना को अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक दल द्वारा पूरी तरह जांच किये जाने के बाद तैयार की गई थी और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को लाभ अर्जित करने वाला एक प्रतिष्ठान बनाने के लिए इस प्रकार का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1980 में और जापान की स्टील मिलों के एक दल द्वारा वर्ष 1982 में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए लगभग 990 करोड़ रुपये (वर्ष 1984 की तीसरी तिमाही में प्रवर्तमान मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

सरकार द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है और प्रारम्भिक और समर्थकारी कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी गई है।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड इस योजना पर सरकार का पूंजीनिवेश संबंधी निर्णय प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। सातवीं योजना में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए 460 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

[अनुवाद]

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और अमरीका की मेरिल लायन्स द्वारा संयुक्त वित्तीय और निवेश कम्पनी की स्थापना

2803. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अमेरिका के मैरिल लायन्स का विश्व इक्विटी भागीदारी सहित 100 मिलियन डालर से मुख्य रूप में भारत को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त वित्तीय और निवेश कम्पनी की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कम्पनी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है;

(घ) विदेशी और भारतीय सहभागियों द्वारा पूंजी किस प्रकार लगाई जाएगी और विदेशी भागीदारियों को विनियमित करने के लिए शर्तें क्या हैं; और

(ङ) इस नये उद्यम से भारत को कितना लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने, संयुक्त राज्य अमेरिका की मेरिल लिंच एण्ड कम्पनी को 600 लाख डालर की प्रारम्भिक सामान्य पूंजी के साथ एक सांझी निधि वाली कम्पनी, जिसका नाम "भारत अन्तर्राष्ट्रीय निधि" होगा, स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जो कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विशेष यूनिट योजना में ही पूंजी का निवेश करेगी।

(ग) और (घ) मेरिल लिंच एण्ड कम्पनी द्वारा भारत अन्तर्राष्ट्रीय निधि की स्थापना विदेश में की जाएगी। मेरिल लिंच एण्ड कंपनी द्वारा निधि की सामान्य शेयर पूंजी, विदेशी संस्थात्मक निवेशकों, विदेशी निवेशकर्ताओं तथा अनिवासी भारतीयों से जुटाई जाएगी। निधि के सामान्य शेयरों को विदेशस्थ स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस निधि की स्थापना से यह परिकल्पना नहीं की गई है कि भारतीय कम्पनियो के शेयरों को विदेशी स्टाक एक्सचेंजों में भी सूचीबद्ध किया जाएगा। निधि द्वारा जुटाई जाने वाली पूंजी को, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विशेष यूनिट योजना में लगाया जाएगा और भारतीय यूनिट ट्रस्ट इस तरह से प्राप्त इन राशियों को भारत में गौण बाजार के सामान्य शेयरों, नए सामान्य शेयरों, उपक्रम विषयक पूंजी तथा भारत में स्थिर ब्याज प्रतिभूतियों में लगाएगा। भविष्य में निवेश करने की प्रणाली को निर्धारित करने से संबंधित व्यापक नीति का निश्चयन करने के लिए, निधि की एक सलाहकार समिति होगी, जिसमें मेरिल लिंच/निधि का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य शामिल होंगे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे।

(ङ) इस योजना का मुख्य लाभ यह होगा कि देश को निवेश के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो जाएंगे। जिससे भारतीय पूंजी बाजार के विकास में सहायता मिलेगी। इसके अलावा इस योजना से देश के पूंजी बाजार में विदेशी पूंजी का अप्रत्यक्ष समावेश होगा, जिसके लिए भारतीय कम्पनियों के शेयरों को विदेशस्थ स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की जरूरत नहीं होगी।

बल्क औषधों के आयात पर सीमा शुल्क

2804. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार आयात किये गये बल्क औषधों के नाम, उनकी मात्रा और मूल्य क्या है;

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उनके आयात पर कितना सीमा-शुल्क लगाया गया है;

(ग) उपर्युक्त औषधों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली इण्टरमीडिएट ड्रग्स का यदि आयात किया जाना है, तो आयात पर कितना सीमा शुल्क लगाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को उस विशेष मामले में जब वह इंटरमीडिएट्स से स्वदेश में ही इन आयातित औषधों का निर्माण करना चाहे तो क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या यह सच है कि औषधों और फार्मास्युटिकल्स सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह सिफारिश की थी कि अपने देश में इण्टरमीडिएट स्तर पर ही बल्क औषधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रग्स इंटरमीडिएट्स की परिभाषा की जाये; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयातित थोक औषध-द्रव्यों की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से, आयातित थोक औषध-द्रव्यों के नाम बता पाना सम्भव नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन औषध-द्रव्यों का आयात किया गया है, उसका विवरण निम्नोक्त है :—

वर्ष	आयात (करोड़ रुपयों में)
1981-82	105.55
1982-83	115.55
1983-84	123.06

(ख) से (घ) औषध-द्रव्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 अथवा 30 के अन्तर्गत आते हैं और औषध मध्यवर्ती सामान्यतया उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत आते हैं। हालांकि इन अध्यायों के अन्तर्गत आने वाली मदों पर सामान्यतया सांविधिक मूल शुल्क 100% है, तथापि, औषध द्रव्यों पर सामान्यतया मूल्यानुसार 60% प्रभावी मूल शुल्क और औषध मध्यवर्ती पर मूल्यानुसार 70% है। इसके अतिरिक्त उपसंघी शुल्क मूल्यानुसार 40% की दर से और अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समतुल्य

उद्ग्रहणीय है। तथापि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके विभिन्न विनिर्दिष्ट औषध-द्रव्यों और औषध मध्यवर्तियों पर शुल्क की दर घटा दी गई है और इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं को सदन-पटल पर रख दिया गया है। औषध-द्रव्यों और औषध मध्य-वर्तियों के सम्बन्ध में सीमाशुल्क के युक्तियुक्तकरण के लिए प्रस्तावों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सरकार का यह प्रयास है कि औषध-द्रव्यों के उत्पादन के सिलसिले में आधारभूत स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाए।

(ङ) और (च) मध्यवर्तियों के सम्बन्ध में शुल्कों के युक्तियुक्तकरण के सिलसिले में राष्ट्रीय औषध-द्रव्य और फार्मास्यूटिकल विकास परिषद ने अनेक सुझाव दिए हैं। परिषद के उक्त सुझावों के संबंध में सरकार ने अभी निर्णय करना है।

रबड़ की कीमतों में गिरावट

2805. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से किसानों ने रबड़ को बाजार में बेचने के लिए लाना प्रारम्भ किया है तब से रबड़ की कीमतों में गिरावट आ गई है;

(ख) किसानों को अपने उत्पाद का लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो इसके लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आर०एम०ए०-4 रबड़ के लिए 1650 रु० क्विंटल की बेंच मार्क कीमत की तुलना में कीमतें शीर्ष उत्पादन मौसम के बावजूद अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर रही है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

	1984-85		1985-86	
महीना	आर०एम०ए० 4	लाट रबड़	आर०एम०ए० 4	लाट रबड़
1	2	3	4	5
अप्रैल	1694	1667	1608	1580
मई	1683	1633	1729	1651
जून	1760	1708	1723	1655
जुलाई	1835	1728	1746	1692
अगस्त	1811	1690	1775	1706

1	2	3	4	5
सितम्बर	1651	1579	1781	1678
अक्तूबर	1605	1565	1785	1672
नवम्बर	1548	1494	1738†	1623

अनन्तिम

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात संयंत्रों में फालतू श्रमिक

2806. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के चेयरमैन ने यह बताया है कि इस्पात संयंत्रों में इस समय कार्यरत श्रमिकों में 25 से 30 प्रतिशत श्रमिक "फालतू" हैं;

(ख) यदि हां, तो यह निर्धारण कैसे और किसने किया था;

(ग) क्या इस मामले में मजदूर संघों की राय ली गई थी; और

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के चेयरमैन द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार संयंत्र-वार "फालतू" जन-शक्ति के आंकड़े क्या हैं?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) चूंकि फालतू जनशक्ति के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं अत: अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर, आर्थिक दृष्टि से सक्षम कारखानों में जनशक्ति के वांछनीय स्तरों को ध्यान में रखते हुए, इस देश में इस्पात कारखानों में जनशक्ति काफी अधिक मानी जाती है।

बैंकों में भवन निर्माण ऋण की राशि में वृद्धि की मांग

2807. **श्री मुरली धर माने**
श्री गुरुदास कामत } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारी संघ ने यह मांग की है कि भवन निर्माण की सामग्री के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखकर भवन निर्माण ऋण की सीमा बढ़ाकर 1,25,000/- रुपये की जाए, जैसा कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1982 के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

2808. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के संशोधित उपबंधों के अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाने वाला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) श्रम मन्त्रालय ने सूचित किया है कि फिलहाल औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम का कार्यक्षेत्र केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों तथा रेलवे तक ही सीमित है। चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक "औद्योगिक प्रतिष्ठान" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, अतः उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

गौड़ ग्रामीण बैंक, जिला मुर्शिदाबाद की परिसम्पत्तियों और देयताओं का ग्रामीण बैंक मुर्शिदाबाद को हस्तांतरण

2809. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौड़ ग्रामीण बैंक, जिला मुर्शिदाबाद की परिसम्पत्तियों और देयताओं का ग्रामीण बैंक, मुर्शिदाबाद को हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गौड़ ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की, जिनसे मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक में स्थानान्तरण के लिए विकल्प मांगा गया है, वर्तमान आर्थिक और सेवा शर्तों की रक्षा के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों बैंक पृथक-पृथक काम करेंगे या गौड़ ग्रामीण बैंकों का विलय ग्रामीण बैंक में होगा; और

(घ) जिन कर्मचारियों ने मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक में कार्य करने के विकल्प देने वाले गौड़

ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक ढांचे आदि को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। जब इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को मूर्त रूप दे दिया जाएगा, तब इन्हें संसद के दोनों सदनों के सम्मुख विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ से ज्ञापन

2810. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ की ओर से ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, विशेष रूप से पदोन्नति नीति, आवास ऋण, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी और सुरक्षा व्यवस्था तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की मांग के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मांगों की जांच की है और उस पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) ज्ञापन में दी गई मुख्य मांगों और उन पर सरकार/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मांग	सरकार/नाबार्ड द्वारा की गई कार्रवाई
1	2
1. "समान कार्य के लिए समान वेतन" और वेतनमानों तथा सेवा-शर्तों के मामले में वाणिज्यिक बैंकों के साथ बराबरी।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिकल्पना सीमित कार्य-क्षेत्र और ग्राहकों को सामने रखकर कम लागत वाले संस्थानों के रूप में की गई है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 17 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और पारिश्रमिक तय करते समय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और तुलनात्मक स्तर के स्थानीय प्राधिकारियों और अधिसूचित क्षेत्रों के दर्जे को ध्यान में

1	2
	रखकर करेगी। इसे देखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का पारिश्रमिक और सेवा शर्तें अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान नहीं हो सकतीं।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदोन्नति नीति	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के मार्ग-निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों और शाखा प्रबंधकों के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत खाली स्थान आंतरिक उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने के वास्ते आरक्षित रखे गए हैं। बाकी 50 प्रतिशत रिक्तियां प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नई प्रतिभा के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना जरूरी समझा गया है।
3. आवास ऋण	नाबार्ड द्वारा जनवरी, 1985 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम मार्गनिदश जारी कर दिए गए हैं, जिनके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अपने कर्मचारियों को, राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों से ली जाने वाली ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक की अधिकतम सीमा तक आवास ऋण मंजूर कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीमित स्रोतों को देखते हुए इस समय सीमा को बढ़ाना या ब्याज दर को कम करना संभाव्य नहीं है।
4. संदेशवाहकों को नियमित करना	सरकार ने बैंक के प्रधान कार्यालय और इसकी कुछ प्रमुख शाखाओं में नियमित संदेशवाहक नियुक्त करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं।
5. बातचीत का मंच	कर्मचारियों की शिकायतों और उनकी सेवा शर्तों पर बातचीत करने और इस सम्बन्ध में सरकार/नाबार्ड को उचित सिफारिशें भेजने के लिए अभी हाल ही में क्षेत्रीय प्रबन्धक नाबार्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक मंच की स्थापना की गई है।
6. प्रायोजक बैंकों के स्टाफ की वापसी	शुरू-शुरू में यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अपने हित में है कि प्रायोजक बैंक से स्टाफ डेप्यूटेशन पर लिया जाए। प्रति-नियुक्ति पर आया स्टाफ 5 वर्ष के पश्चात् भी परस्पर सहमति से अपने पद पर बना रह सकता है और जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्टाफ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो जाए तब उसे विभिन्न चरणों में वापस भेजा जा सकता है।
7. सुरक्षा उपाय	भारत सरकार ने राज्य सरकारों से क्षेत्रीय ग्रामीण

1	2
	बैंक के कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए कहा है।
8. नया बैंक खोलना	दिनांक 2 नवम्बर, 1985 को चम्बा जिले में एक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोल दिया गया है।

पिछड़े राज्यों में ग्रामीण विकास के लिए अधिक धनराशि निवेश करने के निर्देश

2811. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बकों की शाखाओं में और जमा राशि में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने शहरों और उद्योगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों की राशि के बारे में सूचना एकत्र की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास, विशेषकर उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में, के लिए अधिक धन राशि का निवेश करने के निर्देश जारी करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1969 में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या 8262 थी जो मार्च, 1985 में बढ़कर 50980 हो गयी। जून, 1969 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां 4646 करोड़ रुपये थी जो सितम्बर, 1985 में बढ़कर 78539 करोड़ रुपये हो गई।

(ख) और (ग) बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने और उन्हें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की शाखाओं में ऋण:जमा अनुपात का 60 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा गया था। बैंकों द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण अग्रिमों की राशि जो जून, 1969 में 54 करोड़ रुपये थी, दिसम्बर, 1984 में बढ़कर 6342 करोड़ रुपये हो गई। ग्रामीण शाखाओं का ऋण:जमा अनुपात जून, 1969 में 37.2 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर, 1984 में 65.4 प्रतिशत हो गया। दिसम्बर, 1984 के अंत की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में, उड़ीसा और अखिल भारत स्तर पर ऋण:जमा अनुपात के जनसंख्या समूहवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

	ऋण:जमा अनुपात	
	उड़ीसा	अखिल भारत
ग्रामीण	133.5	65.4
अर्ध शहरी	73.1	52.9
जोड़	85.7	68.8

उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि उड़ीसा का ऋण:जमा अनुपात अखिल भारत औसत की तुलना में अधिक है।

वर्ष 1975 से 1985 तक लोहा और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि से वसूल किया राजस्व

2813. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से 1985 की अवधि के दौरान प्रशासनिक आदेश द्वारा लोहा और इस्पात के (प्रति टन) मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) प्रत्येक बार कितने रुपये की वृद्धि हुई;

(ग) लोहा और इस्पात के वर्ष 1975 से 1985, तक वर्ष-वार प्रति टन मूल्य क्या थे; और

(घ) वर्ष 1975 से 1985 तक लोहा और इस्पात के मूल्य में वर्ष-वार वृद्धि से कुल कितना अतिरिक्त राजस्व वसूल किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित लोहे और इस्पात की मुख्य-मुख्य श्रेणियों के मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति, जो भारत सरकार द्वारा गठित एक निकाय है, द्वारा नियत और घोषित किए जाते हैं। लोहा और इस्पात नियंत्रक संयुक्त संयंत्र समिति के अध्यक्ष होते हैं और इस समिति में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों और रेलवे के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं।

1 जनवरी, 1975 से लेकर अब तक लोहे और इस्पात की सामग्री के मूल्यों में बीस बार परिवर्तन किया गया है, लेकिन सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों को इन बीस बारों में से केवल नौ बार अतिरिक्त प्राप्तियां मिलीं। अन्य ग्यारह बार मूल्यों में की गई वृद्धि निम्नलिखित में से एक या अधिक कारकों में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है :—

(1) रेल भाड़े/भाड़ा वर्गीकरण में संशोधन से समीकरण भाड़ा।

(2) उत्पाद शुल्क; और

(3) इस्पात विकास निधि, आयात पूल निधि और इंजीनियरी सामान निर्यात सहायता निधि के लिए अंशदान।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी "अनाउंसमेंट्स आफ ज्वाइंट प्लांट कमेटी" शीर्षक से प्रकाशित एक पुस्तिका में उपलब्ध है। इस प्रकाशन की एक प्रति संसद पुस्तकालय को भी भेज दी गई है।

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

गाजीपुर स्थित ओपियम एण्ड एल्कोलाइड वर्क्स के आधुनिकीकरण में प्रगति

2814. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर स्थित सरकारी ओपियम एण्ड एल्कोलाइड वर्क्स के आधुनिकीकरण में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : यह निर्णय किया गया है कि गाजीपुर एल्कालाइड कारखाने में अफीम एल्कालाइड के निस्सारण के लिए अपनाई गई पुरानी प्रौद्योगिकी को बदलकर एक विकसित प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और कुछेक मौजूदा उपकरणों में सुधार करके तथा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित अतिरिक्त विशेष उपकरणों को संस्थापित करके संयंत्र की क्षमता को बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को क्रमश: परामर्शदाता और परियोजना इंजीनियरों के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्थल के सर्वेक्षण, मिट्टी के विश्लेषण, आदि कार्य पूरे हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपकरण, जैसे—सेंट्रीफ्यूगल डिकेंटर, क्लैरीफायर और निस्सारण कालम का आयात पहले ही किया जा चुका है।

परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई गतिविधि-योजना के अनुसार, इस परियोजना के दिसम्बर, 1987 तक पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

नई चैक बुक और चैकों का शीघ्र शोधन

2815. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राहकों को तेजी से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु नई चैक बुक जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसी शहर में और अन्य शहरों में इन चैकों का शोधन में अब कितना समय लग रहा है; और

(ग) क्या नई चैक व्यवस्था से जाली चैकों का भुगतान रोकने में कोई सफलता मिली है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों में चैकों पर मशीनों से प्रक्रिया करने के प्रयोजन से, भारतीय रिजर्व बैंक ने मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकगनीशन (एम०आई०सी०आर०) टेक्नालाजी शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। जो विभिन्न दौरों में पूरा किया जाएगा। इससे चैकों का शोधन जल्दी होने में मदद मिलेगी। चालू वर्ष के अन्त तक बम्बई, मद्रास और दिल्ली में बैंकों की सभी शाखाओं में एम०आई०सी०आर० चैक व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

(ख) बताया गया है कि इस समय एक ही शहर के चैकों का शोधन जमा करने की तारीख

से 2 से 5 दिन के अन्दर-अन्दर हो जाता है। बाहरी चैकों के शोधन में अधिक समय लगता है।

(ग) चूंकि चैकों पर मशीनों द्वारा कार्रवाई करने की प्रणाली अभी लागू की जानी है। अतः यह सवाल अभी पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

2816. **श्री अमल दत्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएं खोलने का लाइसेंस देने के बावजूद पश्चिम बंगाल में अपनी शाखाएं नहीं खोल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में ऐसी कितनी शाखाएं खोली जानी हैं, प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के सम्बन्ध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जारी किए गए लाइसेंसों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पहली जनवरी, 1985 से 30 जून 1985 तक की अवधि के दौरान, सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में 204 शाखाएं खोली गईं। अलबत्ता, 30 जून 1985 तक इन बैंकों के पास पश्चिम बंगाल में शाखाएं खोलने के लिए 446 लाइसेंस विचाराधीन लम्बित थे। आबंटित केन्द्रों में शाखाएं न खोलने के मुख्य कारणा हैं : आधारभूत सुविधाओं का अभाव, उपयुक्त परिसर न मिलना, सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त न होना आदि।

(ग) 30 जून, 1985 तक, पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास लम्बित लाइसेंसों की संख्या का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उक्त केन्द्रों में शाखाएं खोलना सुविधाजनक बनाने के लिए जिनके नए बैंकों के पास लाइसेंस लम्बित हैं, दिनांक 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुई शाखा विस्तार अवधि के लिए जारी किए गए ऐसे सभी लाइसेंसों की वैधता अवधि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ा दी गई है और बैंकों को 31 दिसम्बर, 1985 से पहले सभी लम्बित लाइसेंसों का उपयोग करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा, राज्य में शाखा विस्तार में हुई प्रगति पर नजर रखने और बैंकों के पास लम्बित लाइसेंसों का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का एक कृतिक बल गठित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक एक केन्द्र के

स्थान पर दूसरे केन्द्र के लिए अनुमति देने और यहां तक की बैंकों के बीच केन्द्रों का पुनः आबंटन करने के मामले में भी उदार रहा है ताकि और अधिक शाखाएं खोलना सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

30 जून, 1985 तक, पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास लम्बित लाइसेंसों की संख्या का ब्यौरा

	बैंक का नाम	लम्बित लाइसेंसों की संख्या
	1	2
1.	भारतीय स्टेट बैंक	93
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
3.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	2
4.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1
5.	इलाहाबाद बैंक	14
6.	आंध्र बैंक	3
7.	बैंक आफ बड़ौदा	7
8.	बैंक आफ इंडिया	27
9.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1
10.	केनरा बैंक	5
11.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	36
12.	कारपोरेशन बैंक	2
13.	देना बैंक	3
14.	इंडियन बैंक	4
15.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3
16.	न्यू बैंक आफ इंडिया	6
17.	पंजाब नेशनल बैंक	21

1		2
18.	सिंडिकेट बैंक	10
19.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	10
20.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	98
21.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	99
	जोड़ :	446

उड़ीसा को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल करना

2817. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन के बारे में उड़ीसा पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भव्य स्मारकों और मन्दिरों, रमणीय समुद्र तटों और झीलों, विभिन्न प्रकार से वन्य जीवन और आदिवासियों के बावजूद, इस राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में स्थान नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका आंशिक कारण यह है कि पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कार्यवाही करने का है ताकि उड़ीसा का नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में आ सके ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा विदेशों में संवर्धन कार्यनीति हेतु उड़ीसा की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है और उसे समुचित स्थान दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के पर्यटक आकर्षणों पर एक बहुत बड़ी मात्रा में ब्रोशर, फोल्डर और पोस्टर छपवाए गए हैं। हाल ही में विभाग ने "उड़ीसा-ए लैंड आफ अनफारगैटेबल मैमोरीज (उड़ीसा—एक अविस्मरणीय यादों की भूमि) शीर्षक, फिल्म के 50 प्रिंट खरीदे हैं जिनका भारत और विदेश-स्थित हमारे कार्यालयों में वितरण किया गया है। इसके अलावा, इस विभाग द्वारा बनाई गई कम से कम 5 अन्य फिल्मों में उड़ीसा को कवर किया गया है। उड़ीसा में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीमों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) जी, नहीं। उड़ीसा राज्य अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर स्पष्ट रूप से चित्रित है।

उड़ीसा के प्रति पर्यटक अभिरुचि भी काफी तेजी से बढ़ रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दिल्ली की एक जवाहरात की फर्म से 200 कि० ग्राम सोना पकड़ा जाना

2818. श्री महेन्द्र सिंह
श्री आनन्द सिंह
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिल्ली के प्रसिद्ध आभूषण विक्रेता द्वारा चोरी छिपे किया जाने वाला लगभग 200 कि० ग्राम सोने का लेन-देन पकड़ा है जो हाल ही के वर्षों में सबसे बड़ी राशि का मामला है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स मेहरा सन्स ज्यूलर्स के कनाट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन तथा करोल-बाग स्थित चारों लाइसेंसशुदा परिसरों की तलाशी ली गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2,72,227.00 रुपये मूल्य के लेखा बाह्य 2 03 कि० ग्रा० स्वर्ण-आभूषण पकड़े गए तथा 5,02,691.00 रुपये मूल्य के 2-57 कि० ग्रा० स्वर्ण आभूषणों की कमी का पता लगा। उपर्युक्त के अलावा, अपराध-आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गए जिनसे 4,00,17,450.00 रुपये मूल्य के 200.023 कि० ग्रा० स्वर्ण आभूषणों के गुप्त लेन-देन का पता चला है। मामले का न्याय-निर्णय किया जा रहा है।

इस्पात उद्योग में रुग्णता

2819. श्री रेणुपद दास : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग में रुग्णता उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(ग) महत्वपूर्ण और बुनियादी उद्योग को बचाने के लिए अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) देश में इस्पात उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार की गुंजाइश है। देश में सर्वतोमुखी इस्पात करखानों का प्रमुख लक्षण यह है कि इन कारखानों में क्षमता का उपयोग कम होने, ऊर्जा की खपत अधिक होने, कच्चे माल की क्वालिटी

में गिरावट, सार्वजनिक स्रोतों से बिजली की अपर्याप्त सप्लाई होने, पुरानी प्रौद्योगिकी, उपकरण पुराने पड़ जाने, श्रमिक अधिक होने और उद्योग में कार्य के माहौल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता के कारण इन कारखानों की उत्पादन लागत अधिक है।

लघु इस्पात क्षेत्र में स्थापित क्षमता का उपयोग भी कम हो रहा है। पिछले दो-तीन वर्षों में मुख्य रूप से बिजली की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण विद्युत चाप भट्टी की परिचालनरत इकाइयों की क्षमता का औसतन उपयोग 65-75 प्रतिशत के बीच रहा है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के बेहतर रखरखाव, उसके आधुनिकीकरण और अड़चनों को दूर करने के लिए योजनाएं तैयार की गई है। मालिक-मजदूर सम्बन्धों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने और इस्पात बिरादरी में कार्य का एक नया माहौल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संयन्त्र का आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं से कच्चे माल के बेहतर सम्मिश्रण, ऊर्जा की खपत में कमी करने, उत्पादिता में वृद्धि करने और क्षमता के बेहतर उपयोग में सहायता मिलेगी। इन उपायों से भारतीय इस्पात उद्योग को उत्पादन की बढ़ती हुई लागत पर काबू पाने में मदद मिलनी चाहिए।

लघु इस्पात क्षेत्र और पुनर्बेलकों का कच्चे माल तथा बिजली की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उपाय जारी हैं।

उड़ीसा में वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण बैंक खोलना

2820. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अब तक कितने ग्रामीण बैंक खोले गए हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कमजोर वर्गों के लोगों को वर्ष वार कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास वर्ष 1985-86 में इन ग्रामीण बैंकों की शाखाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में वर्ष 1985-86 में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उड़ीसा के सभी 13 जिलों के लिए 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यत: कमजोर वर्गों जैसे छोटे और सीमान्तिक किसानों, कृषि क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों और गांवों के कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों, गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे धंधों

और छोटे दुकानदारों को ऋण देते हैं। जिनकी निवेश से पहले की वार्षिक आय 6500 रुपये से अधिक न हो। तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त बैंकों द्वारा संवितरित ऋण से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी हाल ही में घोषित 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक विकास खण्ड में 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने और स्थानिक दूरियों को कम करना है जिससे 10 किलो-मीटर के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों से उपर्युक्त शाखा लाइसेंसिंग नीति के संदर्भ में शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा है। उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न बैंकों को अधिक शाखाएं खोलने की अनुमति देने के प्रश्न पर राज्य सरकार से केन्द्रों की सूची प्राप्त होने पर और उपर्युक्त नीति के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।

विवरण

उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित ऋण

बैंक का नाम	संवितरित ऋण (लाख रुपये)		
	1982-83	1983-84	1984-85
पुरी ग्राम्य बैंक	417.50	665.15	444.06
बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक	837.33	928.39	416.90
कटक ग्राम्य बैंक	1075.98	647.36	834.64
कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक	540.00	301.00	242.00
कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक	उ०न०	उ० न०	उ० न०
बैतरणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	370.53	233.40	146.48
बालासोर ग्राम्य बैंक	158.93	95.44	153.03
ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक	138.32	245.40	349.24
धेनकनाल ग्राम्य बैंक	144.04	203.22	205.72
	3682.63	3309.36	2792.07

उ० न० = उपलब्ध नहीं

विदेशी मुद्रा भण्डार

2821. श्री के० एस० राव० : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1985 को विदेशी मुद्रा का कितना भंडार था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा भेजी गई; और

(ग) सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने अर्जित धन को विदेशी मुद्रा में भारत भेजने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 अक्टूबर, 1985 को विदेशी मुद्रा संसाधन (सोने और विशेष निकासी अधिकारों को छोड़कर) 6822.10 करोड़ रुपये के थे।

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निवेशों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

	31-12-1983	31-12-1984	30-9-1985
(i) प्रत्यक्ष निवेश (अनुमोदित प्रस्ताव)	119.46	224.88	419.33
(ii) पोर्टफोलियो निवेश (शेयरों/ऋण-पत्रों की वास्तविक खरीद)	39.37	46.63	51.94
(iii) बैंक निक्षेप (एन० आर० ई०/एफ० सी० एन० आर० खातों में बकाया राशि)	2552.83	3502.87	4547.23

(अ) : अनन्तिम शेष संचयी है।

(ग) अनिवासी भारतीयों को दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :—

— कतिपय विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों पर 20% की समान दर से आयकर

— विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों पर 20% की दर से दीर्घावधि पूंजीगत लाभकर।

— एन० आर० ई०/एफ० सी० एन० आर० खातों में बैंक निक्षेपों और राष्ट्रीय बचत पत्रों पर निवासियों को उसी परिपक्वता की अवधि के लिए जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज की दर की तुलना में अधिक ब्याज दर।

— धन कर से छूट। यह छूट स्वतः निर्धारणीय परिसम्पत्तियों तथा भारत में स्थाई रूप से बसने के लिए लौटते समय साथ लाई गई परिसम्पत्तियों और विदेशी मुद्रा पर उत्तरवर्ती सात वर्ष तक बनी रहेगी।

— दान कर से छूट, यदि दान भारत में रिश्तेदारों को दिया जाए।

— देश लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की पात्रता की स्कीम के अन्तर्गत, विदेशों से लौटने वाले भारतीय अपने विदेश निवास काल में अपने द्वारा प्रत्यावर्तित विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत भाग तक की विदेशी मुद्रा की राशि को अगले दस वर्षों तक के लिए विदेशों की यात्राएं करने, व्यक्तिगत प्रयोजनों और डाक्टरी इलाज करवाने, आश्रित बच्चों और अभिरक्षितों को विदेशों में शिक्षा दिलाने, विदेशों में रहने वाले नजदीकी रिश्तेदारों को उपहार देने और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए विशेष सामान का आयात करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं।

— अनिवासी भारतीय, रिहायश बदलने पर भारत में प्रत्यावर्तित की गई समस्त विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों को अपने साथ वापस ले जा सकते हैं यदि वे भारत में आने के बाद पांच वर्षों के अन्दर किसी अन्य देश में बसने के लिए भारत छोड़ना चाहते हों।

उपर्युक्त सभी कर रियायतें वैयक्तिक रूप में अनिवासी भारतीय निवेशकों को उपलब्ध हैं।

उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को ऋण का वितरण

2822. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को कितनी धन राशि के ऋण वितरित किए गए; और

(ख) उड़ीसा के संबलपुर जिले में उक्त अवधि के दौरान उक्त लेखे के अन्तर्गत वितरित ऋण का ब्यौरा क्या है और कितनी राशि का ऋण दिया गया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से किसी वर्ष विशेष में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋणों की राशि के संबन्ध में राज्यवार तथा जिलावार सूचना उपलब्ध नहीं होती। उड़ीसा में दिसम्बर 1983 और दिसम्बर

1984 के अन्त में वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की बकाया राशि के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :

निम्नलिखित के अन्त में	खातों की संख्या (लाखों में)	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
दिसम्बर 1983	5.18	115.05
दिसम्बर 1984	5.70	142.76

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात का कोटा प्राप्त करने वाले केन्द्रीय/राज्य सरकार के निगम

2823. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा गत तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए कोटा नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय/राज्य सरकार के कितने निगमों को कोटा मंजूर किया गया, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक देश को प्रतिवर्ष कितने वस्त्रों का निर्यात कोटा मन्जूर किया गया है तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1985 में तथा गत तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए कुल कितनी नगद सहायता दी गई तथा सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए कुल कितनी सहायता दी गई ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विवरण-1 तथा 2 संलग्न हैं।

(ख) विवरण-3 संलग्न है।

विवरण—1

केन्द्रीय/राज्य निगमों की सूची जिन्हें 1982 से जनवरी-सितम्बर 1985 के दौरान मात्राएं आबंटित की गई हैं।

1982 **के दौरान**

1. दि० एस० टी० सी० आफ इंडिया लि०
2. पंजाब स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
3. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
4. यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०
5. दि एच० एच० ई० सी० आफ इंडिया लि०

6. मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि०

7. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०

8. महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०

1983 के दौरान

1. दि एस० टी० सी० आफ इंडिया

2. पंजाब स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लि०

3. बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०

4. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०

5. मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०

6. यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०

7. दि एच० एच० ई० सी० आफ इंडिया लि०

8. महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०

9. पंजाब स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०

10 महाराष्ट्र स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०

1984 के दौरान

1. दि एच० एच० ई० सी० इंडिया लि०

2. दि महाराष्ट्र एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०

3. बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०

4. दि यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०

5. दि नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०

6. दि एस० टी० सी० आफ इन्डिया लि०

7. आल इन्डिया हैंडलूम फैब्रिक मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०

8. पंजाब स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०

9. महाराष्ट्र स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०

10 इपिटैक्स इन्टरनेशनल लि०

1985 के दौरान

1. दि यू० पी० एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०
2. दि एच० एच० ई० सी० आफ इन्डिया लि०
3. पंजाब वूमैन एण्ड चिल्डरेन वेलफ़ेयर कारपोरेशन लि०
4. इपिटेक्स इन्टरनेशनल लि०
5. केरल स्टेट हैंडलूम डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०
6. मैसूर सेल्स इन्टरनेशनल लि०
7. बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०
8. आल इन्डिया हैंडलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
9. आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०
10. महाराष्ट्र स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०
11. हरियाणा स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०
12. दि राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
13. महाराष्ट्र एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०
14. गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०
15. दि नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
16. दि दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०
17. पंजाब स्माल इन्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०
18. दि एस० टी० सी० आफ इन्डिया लि०
19. मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०

(स्रोत : अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद)

विवरण—2

केन्द्रीय/राज्य सरकार निगमों को 1982 से 1985 (जनवरी सितम्बर) तक मंजूर की गई देशवार परिधान निर्यात हकदारियों के ब्यौरे।

वर्ष	देश ("000" नग में)					
	सं० रा० अमरीकी	ई० ई० सी० सदस्य राज्य	स्वीडन	फिनलैंड	आस्ट्रिया	कनाडा
1982	121	673	471	2	—	40
1983	620	347	291	106	—	—
1984	2172	611	971	19	1	26
1985 (जनवरी सितम्बर)	2102	267	721	11	—	170

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त केन्द्रीय/राज्य सरकार निगमों द्वारा निर्यात के लिए रैस्ट ग्रुप नामक एक श्रेणी के अन्तर्गत 1000 कि० ग्रा० के विभिन्न परिधान भी आबंटित किए गए हैं।

(स्रोत : अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद)

विवरण—3

परिधानों के निर्यात के आधार पर 1982 से वितरित की गई नकद मुआवजा सहायता।

वितरण का वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
1982	14.55
1983	13.71
1984	10.37
1985	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय)।

आंध्र प्रदेश में बैराइट खानों का राष्ट्रीयकरण

2825. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में कडप्पा में बैराइट खानों के राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) विभिन्न खानों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है क्या वे उन खानों को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आदि की सप्लाई करते हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में बैराइट खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले सहित कुल बैराइट उत्पादन वर्ष 1983 तथा 1984 में इस प्रकार रहा :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (हजार रुपयों में)
1983	3,75,750	7,21,59
1984 (अक्तूबर तक)	3,87,343	5,29,93

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बैराइट का मुख्य खरीददार है।

(ग) और (घ) जी हां।

खाड़ी देशों से वापिस आने वाले मजदूरों द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों पर विचार करने हेतु सलाहकार समिति का गठन

2826. **श्री गुरुदास कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी देशों आदि से वापिस आ रहे मजदूरों द्वारा हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा मनमानी कार्यवाही के कारण उठाई जा रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि गरीब मजदूरों को अनुचित दंड न दिया जाये; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में सुझावों पर विचार करने हेतु अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति गठन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) असबाब नियमों के अधीन उपलब्ध निःशुल्क असबाब लाए जाने की सुविधा तथा अन्य रियायतों के अलावा, विदेशों में एक वर्ष का अनुबंध पूरा करके स्वदेश आने वाले कामगारों को पांच हजार रुपये के मूल्य तक की इस्तेमाल-शुदा व्यक्तिगत वस्तुओं और घरेलू सामान को बिना शुल्क अदा किए लाने की अनुमति है। विदेशों में दो वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् स्वदेश वापस आने वाले व्यक्तियों को इस्तेमालशुदा व्यक्तिगत वस्तुओं और घरेलू सामान के सम्बन्ध में आवास-रियायत के अन्तरण के पूरे लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है। खाड़ी के तथा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के मामलों में जो अपने साथ शुल्क्य वस्तुएं लाते हैं, शुल्क—का निर्धारण असबाब की अंतर्वस्तु के बारे में उनके द्वारा स्वयं पेश किए गए घोषणापत्र तथा असबाब में रखी हुई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर ही किया जाता है तथा केवल संदिग्ध मामले में ही सामान की जांच की जाती है। ऐसी जांच का काम वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में ही किया जाता है।

खाड़ी के देशों से आने वाले यात्रियों को उनकी निकासी में होने वाले विलम्ब तथा कठिनाइयों के सम्बन्ध में कुछेक शिकायतें सरकार की जानकारी में लाई गई हैं। जब कभी भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उन पर उपयुक्त कारंवाई करने के उद्देश्य से उनकी भली-भांति छानबीन की जाती है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, असबाब निकासी को सुविधाजनक बनाने हेतु उपायों पर विचार करने तथा भारत में स्थित हवाई अड्डों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए विभिन्न सरकारी अभिकरणों तथा एयरलाइन्स के प्रतिनिधियों को पहले से ही एक स्थायी सुविधा समिति है। प्रत्येक सीमाशुल्क गृह में एक-एक सीमाशुल्क सलाहकार समिति है जिसमें अधिकारियों के साथ-साथ व्यापारियों और उद्योगों के प्रतिनिधि हैं।

निर्यात संवर्धन के लिये लैटिन अमरीका की यात्रा

2827. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान किसी अधिकारी ने निर्यात संवर्धन के लिए लैटिन अमरीका की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) गत दो वर्षों में राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०), खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०), व्यापार विकास प्राधिकरण (टी० डी० ए०) तथा इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई० ई० पी० सी०) के अधिकारियों के चुनिंदा लैटिन अमरीकी देशों के दौरों के

परिणामस्वरूप मुख्य रूप से इन देशों में से कुछ मदों की निर्यात सम्भाव्यता का पता चला है। त्रिनिदाद और टौबेगो के मामले में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा यूरिया का आयात किए जाने के आधार पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० (बी० एच० ई० एल०) द्वारा भारत से बिजली के उपकरणों का निर्यात किए जाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों में विदेशी कार्मिकों की सेवा शर्तें

2828. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र कब चालू हुए थे और उनमें कितने विदेशी और अन्य तकनीशियन रखे गये थे;

(ख) विदेशी कार्मिकों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त दो संयंत्रों में इस समय कितने विदेशी कार्मिक नियुक्त हैं; और

(घ) उनकी सेवा की शर्तें और इन संयंत्रों में उनकी सेवा अवधि क्या है और उनके वेतन और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों के पूरे किए गए चरणों को चालू करने की तारीख तथा इन चरणों को चालू करने के पश्चात् रोके गए विदेशी तकनीशियनों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कारखाना	चालू किया गया चरण	चालू करने की तारीख	चालू करने के पश्चात रोके गए विदेशी तकनीशियनों की संख्या
भिलाई	प्रथम चरण-दस लाख टन	सितम्बर, 1961	334 (31-12-61 को)
	द्वितीय चरण-25 लाख टन	अक्तूबर, 1967	74 (31-12-67 को)
बोकारो	प्रथम चरण-17 लाख टन	फरवरी, 1978	250 (31-12-78 को)

(ख) विदेशी विशेषज्ञों का वेतन तथा परिलब्धियां वर्षानुवर्षी आधार पर हस्ताक्षरित करारों के नियमों तथा शर्तों के आधार पर संशोधित तथा निगमित की जाती हैं। इन नियमों तथा शर्तों में वेतन, स्थानान्तरण अनुदान, यात्रा-भत्ता छुट्टी, आवास, चिकित्सा परिचर्या, परिवहन, बीमा आदि शामिल हैं।

(ग) 31-10-85 को भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों में विदेशी-कार्मिकों की कुल संख्या क्रमश: 124 तथा 27 थी।

(घ) उनके वेतन तथा परिलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

पदनाम	सेवाओं की प्रतिपूर्ति की मासिक दर (रूबल)
महा-अधीक्षक/मुख्य अभियन्ता	1898
उप-महा-अधीक्षक/उप मुख्य अभियन्ता	1560
मुख्य विशेषज्ञ	1208
वरिष्ठ अभियन्ता	1027
अभियन्ता	963
सभी तकनीशियन/फोरमैन	778
कुशल कामगार	672

प्रत्येक कारखाने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञों की संख्या का निर्धारण वर्षानुवर्षी आधार पर किया जाता है। विशेषज्ञ-विशेष की, पदावधि का निर्धारण सोवियत संगठनों द्वारा किया जाता है। उनके लिए वर्तमान नियमों तथा शर्तों के अनुसार वे निम्नलिखित के पात्र हैं :—

(1) विशेषज्ञों तथा उसके परिवार के लिए वायुयान का किराया।

(2) यदि विशेषज्ञ भारत में कार्य करता है तो प्रत्येक 11 दिन पर एक दिन की पूरे वेतन सहित छुट्टी।

(3) विशेषज्ञ तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार की निःशुल्क सुविधा।

(4) कार्य-स्थल तक जाने तथा वापस आने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा।

(5) बीमा।

(6) स्थानान्तरण अनुदान।

विदेशी सिंथेटिक वस्त्र की तस्करी

2829. श्री दिनेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी सिंथेटिक वस्त्रों की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय अर्थ-व्यवस्था से पूरी तरह तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) देश में तस्कर-आयात किए गए संश्लिष्ट फैब्रिकों की मात्रा का उचित अनुमान बता पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि तस्करी का धन्धा चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धन्धा होने की वजह से और उसके स्वयं के स्वरूप को देखते हुए भी उसका कोई परिमाण नहीं बताया जा सकता। तथापि, प्राप्त रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि संश्लिष्ट फैब्रिक लगातार तस्करी के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं।

तस्करी के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमा शुल्क विभाग का निवारक तथा गुप्तचर्या तन्त्र सामान्यतया तस्करी की गतिविधियों के विरुद्ध और तस्करी के आकर्षण को जिन्सों, जिसमें संश्लिष्ट फैब्रिक भी शामिल है, के विरुद्ध सतर्क रहता है। केन्द्रीय और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके समुचित उपचारी कार्यवाही के लिए तस्करी के तौर-तरीकों और किए गए अभिग्रहणों की सतत समीक्षा की जाती है।

भारत-चैकोस्लोवाकिया व्यापार में वृद्धि

2830. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-चैकोस्लोवाकिया व्यापार में वर्ष 1986 के दौरान वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) नई दिल्ली में 26 नवम्बर, 1985 को हस्ताक्षरित 1986 हेतु भारत-चैकोस्लोवाकिया व्यापार संलेख में 1985 की अपेक्षा उच्च व्यापार कारोबार की व्यवस्था है। चैकोस्लोवाकिया को भारतीय निर्यातों में मुख्यतः ये शामिल होंगे। कृषि उत्पाद, वस्त्र, इंजीनियरी माल, खनिज एवं अयस्क, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद और कतिपय अन्य विविध मदें। चैकोस्लोवाकिया भारत से जेरोग्राफिक उपस्कर, सूती यार्न, सूती सिले-सिलाए परिधान, जूट उत्पाद, तैयार चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों जैसे विनिर्मित और गैर-परम्परागत उत्पादों के आयात हेतु सहमत हो गया है। चैकोस्लोवाकिया से भारतीय आयातों मे अधिकांशत: ये मदें शामिल हैं : बेल्लित इस्पात उत्पाद, डीजल जनरेटिंग सेट, सीवनहीन पाइप, ट्यूबें और वेस्टन, मशीनी औजार, बाल, रोलर एवं टैपर बियरिंग, उर्वरक और चैकोस्लोवाकिया द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए उपस्कर।

विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा दिया जाना

2831. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों की यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा दी है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा के बारे में राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

विवरण

1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान विभिन्न प्रयोजनों से विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीयों को भारतीय रिजर्व बैंक/प्राधिकृत डीलरों द्वारा (प्रत्योजित शक्तियों के अधीन) दी गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	1982-83	1983-84	1984-85
(I) उच्च शिक्षा			
(i) तकनीकी पाठ्यक्रम	8.46	11.76	16.25
(ii) गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम	8.17	9.52	13.82
(II) निर्यात संवर्धन सहित व्यावसायिक यात्राएं	99.90	112.50	137.99
(III) अन्य प्रयोजन जिसमें डाक्टरी, चिकित्सा, अध्ययन दौरे, सम्मेलनों में भाग लेना और विविध प्रयोजन शामिल हैं)	25.79	32.91	35.02
(IV) विदेश यात्रा योजना	61.37	91.92	इस समय आंकड़े उपलब्धनहीं हैं

[हिन्दी]

बैंक कर्मचारियों पर दृढ़ अनुशासन लगाना

2832. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र का विकास करने के लिए बैंकों को सौंपी गई भूमिका कार्य-कुशलता से निभाने तथा बैंकों द्वारा अपने हितों को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार का बैंक कर्मचारियों पर दृढ़ अनुशासन लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस ओर अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से यह कहा गया है कि वे बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों का अचानक दौरा करें ताकि कर्मचारियों में अनुशासन और समय की पाबंदी में सुधार लाया जा सके। परिणामतः बैंकों ने समय की पाबंदी और कार्यालयों में हाजिरी पर उचित नजर रखने तथा सभी स्तरों पर उचित अनुशासन बनाये रखने के लिए सभी शाखाओं/कार्यालयों के नाम मार्ग-निर्देश जारी कर दिए हैं। "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत को लागू किया जा रहा है और जहां कहीं जरूरी होता है, वहां कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है। बैंकों ने यह बताया है कि अनुशासन और समय की पाबंदी में अब काफी सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

यूरोप के देशों के साथ व्यापार समझौतों में विस्तार

2833. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समझौतों में विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारत यूरोपीय व्यापार विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यूरोपीय देशों के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) सरकार सभी देशों

के साथ, जिनमें यूरोपीय देश भी शामिल हैं, जिनके साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, व्यापार संबंधों का विस्तार करने में रुचि रखती है।

भारत ई० ई० सी० के बीच घनिष्ठतर व्यापार तथा आर्थिक संबंधों के संवर्धन के लिए एक भारत ई० ई०सी० वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग करार है। पश्चिम यूरोप के अधिकांश व्यक्तिगत देशों के साथ भी बेहतर व्यापार संबंधों पर विचार विमर्श करने के लिए संस्थागत ढांचा समिति आयोग है। इसके अतिरिक्त इन देशों के साथ व्यापार का विस्तार करने के लिए क्वालिटी स्तर में सुधार, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान, संयुक्त उद्यमों में सहयोग, बाजार सर्वेक्षण करना आदि जैसे सभी सामान्य उपाय भी किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

जीवन बीमा निगम की लोक-आवासीय योजनाएं

2834. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या वित्त मंत्री जीवन बीमा निगम की लोक आवासीय योजनाओं के बारे में 26 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 696 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने पालिसीधारियों के लिए मकानों/फ्लैटों का निर्माण करने के लिए कोई और कार्रवाई की है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने अपनी नई आवासीय योजना के बारे में अपने सभी पालिसी-धारियों को सूचित किया है; और

(ग) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम देश में अपने पालिसी-धारियों के लिए कब तक मकान बनाकर देगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम ने 324 मकान अपने पालिसी-धारकों को अहमदाबाद में बिक्री के लिए प्रस्तुत किए हैं। दूसरे चरण में अहमदाबाद में 180 और फ्लैटों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है। बंगलौर और हैदराबाद में जन आवास योजना के सम्बन्ध में आवश्यक नक्शों को स्थानीय प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।

(ख) बिक्री के लिए जब मकान तैयार हो जाते हैं तो पालिसी-धारकों की सूचना और उनसे आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी कर दिए जाते हैं।

(ग) पालिसी-धारकों से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों के अनुसरण में यथा-अनुमोदित पद्धति के अनुसार आबंटन किया जाएगा क्योंकि विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध मकानों की तुलना में मांग अधिक होने की संभावना है।

केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

2833. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के कितने होटल हैं और कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या ये होटल लाभ में चल रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में पर्यटन विकास के लिए वहां और होटल खोलने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम केरल के अन्तर्गत कोवलम में कोलवम अशोक बीच रिसार्ट नामक केवल एक 5-सितारा होटल का संचालन करता है :—

(ख) इस होटल के संबंध में लाभ और हानि इस प्रकार हैं :—

वर्ष	निवल लाभ/हानि (+) (—) (लाख रु० में)
1982-83	(—) 10.34
1983-84	(+) 1.35
1984-85	(+) 3.62

(ग) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम का केरल में कोई होटल खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को नारियल जटा के उत्पादों का निर्यात

2837. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को नारियल जटा के उत्पादों का निर्यात भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच किसी समझौते के अन्तर्गत किया जाता है;

(ख) इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत नारियल जटा के उत्पादों पर लगाये जाने वाली शुल्क की वर्तमान दर क्या है; और

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में से भारतीय नारियल जटा के उत्पादों के मुख्य खरीददार कौन-कौन से देश हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों में भारतीय कयर उत्पादों के मुख्य खरीदार फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, डेनमार्क तथा बेल्जियम हैं।

लाल इमली वूलेन मिल्स का आधुनिकीकरण

2838. **श्री राजकुमार राय :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल इमली वूलेन मिल्स जो कभी भारत की एक प्रसिद्ध वूलेन मिल थी, का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथों में लिये जाने के बाद इसकी दशा खराब होती जा रही है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस मिल का आधुनिकीकरण के लिए 11.12 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दे दी है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, कानपुर के निजी तौर पर रखे गये शेयरों को 11-6-1981 को सरकार ने ले लिया था। लाल इमली का उत्पादन 1980-81 को 428 लाख रु० से बढ़कर 1984-85 में 1529 लाख रु० हो गया है। ब्याज और घिसावट को निकाल कर हानियां जो 1980-81 में 413 लाख रु० की थी, घटकर 1984-85 में 68 लाख रु० रह गई हैं।

(ख) 12.71 करोड़ रु० के परिव्यय की आधुनिकीकरण की एक योजना अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

उपहार कर

2839. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितना उपहार कर वसूल किया जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी कितनी वसूली की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपहार कर के कितने मामलों का आंकलन किया गया था; और

(ग) पहली अप्रैल, 1985 तक आंकलन हेतु कितने मामले लम्बित थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दानकर के रूप में वसूल की गई राशि वर्ष-दर-वर्ष भिन्न-भिन्न है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दान कर के रूप में वसूल की गई रकम के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
1982-83	7.71
1983-84	8.84
1984-85	10.56

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित दान-कर के मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	निर्धारित दानकर मामलों की संख्या
1982-83	73412
1983-84	82450
1984-85	80881

(ग) 1 अप्रैल, 1985 की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारण के लिए बकाया पड़े दान-कर के मामलों की संख्या 38456 थी।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण

2840. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों एककों की संख्या तथा उनकी रोजगार क्षमता की तुलना में उन्हें ऋण बहुत कम दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार लघु एककों को दिए जाने वाले ऋण में यथानुपात वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों द्वारा किसी एकक को दिया जाने वाला ऋण उसकी आवश्यकता और अर्थक्षमता पर निर्भर करता है। बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों को बढ़ाने के निदेश दिये गये हैं। लघु उद्योग एकक इसी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दिसम्बर 1982, 1983 और जून 1984 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :--

(खाते लाखों में)

(राशि करोड़ रुपयों में)

दिसम्बर में समाप्त अवधि	खातों की संख्या	बकाया रकम	कुल बैंक ऋण	कालम 4 की तुलना में कालम 3 का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1982	10.25	4209.22	31969.85	13.2
	(10.9)	(11.8)		
1983	12.08	5063.92	36790.97	13.8
	(17.9)	(20.3)		
जून 1984	13.06	5549.24	40145.09	13.8
	(8.1)	(9.6)		

(कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

(स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक)

(ख) और (ग) अति लघु एककों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन मामलों में कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को भी शामिल कर लिया है, जहां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 'कमजोर वर्गों' के अन्तर्गत अलग-अलग एककों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं 25,000 रुपये से अधिक नहीं होतीं और बैंकों से कहा है कि कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की राशि उनके कुल ऋणों का कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में करनूल जिले से कपास की खरीद और उसका समर्थन मूल्य

2841. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में करनूल जिले में नान्दयाल, अडोनी तथा वारंगल में भारतीय कपास निगम द्वारा खरीदी गई कपास की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) कपास का सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य क्या है;

(ग) जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1985 के महीनों में नान्दयाल, अडोनी तथा वारंगल में किसानों द्वारा किन दरों पर कपास बेची गई; और

(घ) आंध्र प्रदेश में उपर्युक्त केन्द्रों पर मजबूरन बिक्री को रोकने हेतु भारतीय कपास निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) नान्दयाल, अदोनी और वारंगल में भारतीय रुई निगम ने 1 सितम्बर 1985 से 29-11-1985 तक रुई की खरीद इस प्रकार की :—

		क्विंटल में
अदोनी	:	6858
नान्दयाल	:	3741
वारंगल	:	45000

उपर्युक्त केन्द्रों में व्यापार की गई रुई के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन कीमतें इस प्रकार हैं :— —

किस्में	समर्थन कीमत प्रति क्विंटल (रुपयों में)
डी० सी० एच०-32	600
एम० सी० यू०-5	555
जे० के० वाई०-1	535
एच०-4	535

भारत सरकार ने एस० सी० एच० 11 किस्म की कपास के लिए समर्थन कीमत निर्धारित नहीं की है। चूंकि यह किस्म 1007 किस्म की कपास के बराबर समझी जाती है, अत: आवश्यकता

होने पर घटिया क्वालिटी के लिए सामान्य कटौती करके इसकी खरीद 1007 किस्म के लिए निर्धारित 500 रुपये प्रति क्विंटल की समर्थन कीमत पर की जा रही है।

जुलाई-अक्तूबर 1985 की अवधि के दौरान नानदयाल, अदोनी और वारंगल में रुई निगम द्वारा दी गई औसत कीमतें विभिन्न किस्मों के लिए 398 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 550 रुपये प्रति क्विंटल तक रही। उपर्युक्त क्षेत्रों के रुई उपजकर्ताओं को अपना स्टाक बेचने में मदद करने के लिए भारतीय रुई निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) निगम ने राज्य कृषि विभाग और निगम के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की। समिति ने नानदयाल जिले के 40 ग्रामों का दौरा किया और उसके परिणामस्वरूप निगम ने लगभग 7000 क्विंटल कपास समेटी और इस प्रकार रुई उपजकर्ताओं को अपना स्टाक निकालने में मदद की।

(2) निगम ने 1985-86 सीजन के दौरान खरीद के लिए अपने प्रबन्ध पहले ही पक्के कर दिए हैं और अदोनी, नानदयाल तथा वारंगल में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति कर दी है। निगम ने अदोनी में एक पृथक उपशाखा कार्यालय भी खोला है।

(3) वस्त्र मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा भारतीय रुई निगम के अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक की एक अन्तः मंत्रालय दल ने रुई की खरीद तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के लिए किए गएप्रबन्धों की स्थल पर समीक्षा करने के लिए आंध्र प्रदेश के कई स्थानों का दौरा किया।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा कपास के मूल्य में वृद्धि किए जाने की मांग

2842. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के संगठनों ने कपास के मूल्यों में वृद्धि किए जाने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने उन मांगों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां तो प्रति क्विंटल मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चालू रुई मौसम के दौरान सरकार ने कपास की छोटी तथा मध्यम श्रेणियों की न्यूनतम समर्थन कीमतें लगभग 15 रु० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ा दी हैं।

[अनुवाद]

रबड़ का उत्पादन

2843. **डा० के० जी० अदियोडी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में राज्य-वार रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ के वर्ष-वार उत्पादन की सामान्य दर कितनी होने की संभावना है; और

(ग) इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ का राज्य-वार उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :—

(मात्रा मै० टनों में)

राज्य	1982-82	1983-84	1984-85
केरल	152662	162212	172092
तमिलनाडु	9700	9736	10603
कर्नाटक	3070	2785	3095
अन्य	418	547	660
योग :	165850	175280	186450

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के अनुमान निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	(मात्रा टनों में)
1985-86	201,000
1986-87	215,000
1987-88	231,000
1988- 9	248,000
1989-90	265,000

(ग) रबड़ बोर्ड कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, अर्थात् उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागान के तीव्र विकास की परियोजना, रबड़ बागान विकास योजना, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में रबड़ की कृषि के विकास के लिए तकनीकी अवस्थापना का विकास आदि। इसके अतिरिक्त, रबड़ बोर्ड उत्पादकों को उपदान, विस्तार परामर्शी सहायता, बरसात से बचाव सम्बन्धी सामग्री आदि प्रदान करता है तथा देश में रबड़ उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से रबड़ की खेती के विभिन्न पहलुओं पर गवेषणा कार्य भी करता है।

[हिन्दी]

पटसन का खरीद मूल्य

2845. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री ने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य प्रति वर्ष जनवरी में घोषित किया जाना चाहिए और किसानों से पटसन की खरीद सीधे भारतीय पटसन निगम के माध्यमों से की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के कृषि मंत्री ने भारत सरकार के कृषि मन्त्री को जनवरी तक कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करने तथा किसानों द्वारा सामना की गई उन समस्याओं के बारे मे, जिन्हें कि वे ज्योंही समर्थन कीमत उनके अनुमानों से कम होती है, करते हैं, के बारे में लिखा है। पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) भारतीय पटसन निगम को यह निदेश दिया गया है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत पर कच्चे पटसन की बड़े पैमाने पर खरीद करें। भारतीय पटसन निगम सीधे उपजकर्ताओं से खरीद करता है।

(2) भारतीय पटसन निगम को कीमत समर्थन कार्य करने के लिए पर्याप्त ऋण दिया गया है।

(3) पटसन आयुक्त ने निजी क्षेत्र में कार्य कर रही सभी पटसन मिलों को विशेषीकृत स्तरों तक कच्चे पटसन के स्टाक बनाने के लिए 6-9-85 को एक निदेश जारी किया है ताकि मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीद बढ़ाई जा सके।

(4) भारतीय पटसन निगम को कच्चे पटसन की सीमित मात्रा निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

काफी की खपत में कमी

2846. श्री जी० भूपति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में काफी की खपत में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत आस्ट्रेलिया व्यापार

2848. श्री सुभाष यादव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1985 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आस्ट्रेलिया मछली पकड़ने वाली नौकाओं, खनिजों का पता लगाने के लिए रिगों और सौर-ऊर्जा पैनलों का उत्पादन करने के लिए भारत आस्ट्रेलियाई व्यापार को गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में बढ़ाने की कोशिश में संयुक्त उद्यम लगाने की इच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) हाल के महीनों में आस्ट्रेलिया का दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में, जिनमें संयुक्त उद्यम शामिल हैं, सहयोग के क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास रहा है। दोनों सरकारों और साथ ही निजी स्तर पर बातचीत जारी है। भारत सरकार अपनी सामान्य नीति के अनुसरण में, आपसी लाभ के लिए आस्ट्रेलिया के साथ वाणिज्यिक तथा आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रस्तावों का स्वागत करती है।

[हिन्दी]

कालीन उद्योग के समक्ष संकट

2849. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, देश में कालीन बनाने वाला एक प्रमुख राज्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा ऊन और मेमनों के निर्यात की अनुमति दिए जाने के कारण यह उद्योग संकट में पड़ गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

एल्यूमिनियम के मूल्य में वृद्धि

2850. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रति टन एल्यूमिनियम के मूल्य में होने वाली वृद्धि की जानकारी है;

(ख) क्या देश में एक एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया गया है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार एल्यूमिनियम के बिक्री मूल्य में वृद्धि के बारे में विचार कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) नामक एक वृहत बाक्साइट-एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलैक्स उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थापित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कोरापुट जिले में पंचपटमाली में 24 लाख टन वार्षिक क्षमता की एक बाक्साइट खान और दामनजोड़ी में 8 लाख टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमिना संयंत्र तथा ढेनकनाल जिले में अंगुल क्षेत्र में 2.18 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक प्रद्रावक और 600 मेगावाट क्षमता का एक ग्रहीत बिजली संयंत्र शामिल है; विशाखापत्तनम पत्तन से 3.75 लाख टन एल्यूमिना के वार्षिक निर्यात की क्षमता भी इसके अंतर्गत है।

[हिन्दी]

बम्बई में कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

2851. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत कपड़ा उत्पादन में वृद्धि के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बम्बई में कितनी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या बम्बई में कपड़ा मिल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सेवा से हटाये गये कामगारों और कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ कपड़े और धागे की विभिन्न किस्मों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकरण होने तक 1983 में सरकार द्वारा बम्बई के 13 वस्त्र उपक्रमों का प्रबन्ध अधिग्रहण किया गया था।

(ख) और (ग) अधिकांश वस्त्र मिल श्रमिकों को 1983 में, ज्यों ही मिलें पुनः खुलीं वापिस ले लिया गया था। विभिन्न मिलों द्वारा अलग-अलग श्रमिकों की बहाली अब प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी।

[अनुवाद]

मेंढकों का निर्यात

2852. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अनेक वर्षों से मेंढकों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है जिससे पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है और इस कारण धान जैसी फसलों में कीटनाशी दवाओं का अधिक मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी के पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने भारत के पारिस्थितिकी सन्तुलन और आवश्यकताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से भारत से मेंढकों का आयात बन्द करने के लिए आन्दोलन चलाया था;

(ग) क्या सभी के हित में इसका कोई समाधान निकालने के लिये राष्ट्रीय समस्या के मामले पर उच्च स्तर पर चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) परिस्थितिकीय बातों को ध्यान में रखते हुए कई निर्धारित विनियमों के आधार पर मेंढक की टांगों के निर्यात की अनुमति है। 1984-85 में इनके निर्यात 7.77 करोड़ रु० मूल्य के हुए हैं।

(ख) से (घ) गत वर्ष के दौरान परिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने कई बाहरी देशों में जिनमें प० जर्मनी शामिल है, मेंढक की टांगों के निर्यात पर रोक लगाने के लिए कहा है। मेंढक की टांगों के निर्यात की नीति के सम्बन्ध में सारे मामले की समीक्षा की गई और ऐसे निर्यातों को रोकने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मेंढकों को पकड़ने तथा संसाधन करने और कुल निर्यातों को सीमित करने के सम्बन्ध में ऐसे निर्यातों के लिए विनियकों को कठोर बनाया गया है ताकि अन्यवस्थित रूप से मेंढक पकड़ने को रोका जा सके जिससे मेंढकों की जीव संख्या पर प्रभाव पड़ सकता है।

चीन और पाकिस्तान को यूरेनियम की तस्करी

2853. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश**
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सिंहभूम जिले में स्थित जदुगुदा यूरेनियम खान से नेपाल के रास्ते चीन और पाकिस्तान को यूरेनियम की नियमित तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तस्करी कई वर्षों से की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने यूरेनियम की तस्करी को रोकने के लिये कोई कदम उठाये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खान और मिल काम्पलैक्स से चोरी-छिपे यूरेनियम ले जाने के विरुद्ध कड़े सुरक्षात्मक उपाय मौजूद हैं। तस्करी की गतिविधियों के विरुद्ध अभियान सामान्यतया तेज कर दिया गया है और केन्द्रीय और राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके समुचित उपचारी उपाय किये जाते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा तस्करी

2854. श्री श्रीहरि राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देशी घुसपैठिये सीमा के आर-पार बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन घुसपैठियों को बंगलादेश वापिस भेजने और सीमा के आर-पार तस्करी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है; और

(घ) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि बंगला देशी घुसपैठिये भारत-बंगलादेश सीमा के आर-पार बड़ी संख्या में तस्करी के धन्धे में लगे हुए हैं।

तथापि, सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने 1984 के पूरे वर्ष में अभिगृहीत किए गए 2.56 करोड़ रुपये के माल तथा गिरफ्तार किए गए 208 व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 1985 में अक्तूबर माह तक 3.27 करोड़ रुपये के मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं अभिगृहीत की हैं और 308 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ख) और (घ) भारत-बंगला देश सीमा का क्षेत्र तस्करी की गतिविधियों के लिए सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है। केन्द्रीय और राज्य सरकार की सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके इस क्षेत्र में तस्करी के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क विभाग की निवारक और गुप्तचर्या मशीनरी इस क्षेत्र में तस्करी विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क बनी रहती है। तस्करी के तौर-तरीकों और इस क्षेत्र में पकड़े गए माल की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि आवश्यक उपयुक्त कारंवाई की जा सके।

तस्करों की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर तथा न्यायालयों में मुकदमे दायर करके कड़ी कारंवाई की जाती है। माल को जब्त किए जाने और उपर्युक्त मामलों में व्यक्तिगत जुर्माने लगाए जाने के अलावा लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द भी किया जाता है।

गैर-सरकारी यात्राओं के लिए स्टाफ कारों का प्रयोग

2855. श्री चित्त महाता : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रालयों के सचिवों और सरकारी उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों

के प्रमुखों द्वारा सरकार को 500 कि० मी० की दूरी के लिए 150.00 रु० का भुगतान कर गैर-सरकारी प्रयोजन हेतु स्टाफ कारों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरीके से उनको टैक्सी भाड़ा दरों की अपेक्षा सस्ती दरों पर निरन्तर सहकारी वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय मन्त्रालयों के सचिवों और स्वायत्तशासी निकायों के प्रमुखों ने गैर-सरकारी यात्रा के प्रयोजन हेतु 500 कि० मी० की दूरी के लिए 150/- रु० प्रतिमाह भुगतान करके स्टाफ कारों का नियमित प्रयोग करने का स्थाई प्रबन्ध कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार सरकारी वाहनों का स्थाई आधार पर प्रयोग करने के मामलों में उन्हें निरुत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने निजी प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा सरकारी कार के उपयोग की मंजूरी दी है :—

(i) केन्द्रीय मन्त्रालयों के सचिवों और उनसे ऊपर के पदधारियों तथा सांविधिक/स्वायत्तशासी निकायों के प्रमुखों द्वारा प्रतिमास 500 कि० मी० की दूरी तक निम्नलिखित दरों पर भुगतान करने पर :

16 हार्स पावर तक की तथा 16 हार्स पावर वाली कारों के लिए	150/—रु० प्रतिमाह
16 हार्स पावर के ऊपर की कारों कारों के लिए।	225/—रु० प्रतिमाह

(ii) सरकारी उद्यमों के प्रमुखों द्वारा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद में 1000 कि० मी० की दूरी तक तथा अन्य शहरों में 750 कि०मी० की दूरी तक निम्नलिखित दरों पर :

16 हार्स पावर की तथा इससे नीचे की गैर-वातानुकूलित कारों के लिए	150/—रु० प्रतिमाह

16 हार्स पावर से ऊपर की कारों के लिए	225/—रु० प्रतिमाह
16 हार्स पावर तथा उससे नीचे की वातानुकूलित कारों के लिए	200/—रु० प्रतिमाह
16 हार्स पावर से ऊपर की कारों के लिए	300/—रु० प्रतिमाह

(ग) से (च) भारत सरकार के सचिवों तथा उनसे ऊपर के पदधारियों और सांविधिक/स्वायत्तशासी निकायों के प्रमुखों की कार्यात्मक और सुरक्षा का लिहाज करते हुए भुगतान करने पर गैर-सरकारी यात्राओं के लिए स्टाफ कारों के सीमित प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। अत: टैक्सी के भाड़ा दरों के साथ इसकी तुलना करना उचित प्रतीत नहीं होता। वर्तमान सुविधा एक स्थाई व्यवस्था है जो ऊपर उल्लिखित निर्धारित किलोमीटर दूरी तक सीमित है।

पश्चिम बंगाल में बैंकों की शाखाएं खोलना

2856. श्री भोला नाथ सेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल-अक्तूबर 1985 की अवधि के दौरान वर्ष 1983 और 1984 की उसी अवधि की तुलना में बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार अप्रैल से जून, 1985 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में बैंकों की 35 शाखाएं खोली गईं। अप्रैल-अक्तूबर, 1983 और अप्रैल-अक्तूबर, 1984 के दौरान क्रमश: 46 और 72 शाखाएं खोली गई थी।

केरल में सर्प नौका दौड़ों का आयोजन

2857. श्री तम्पन थामस : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अमुंला सर्प नौका दौड़ों का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रकार की नौका दौड़ केरल में बहुत लोकप्रिय है और ओनम पर्व के दौरान आयोजित की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु पर्यटन के विकास के लिए ऐसी नौका दौड़ें बड़े पैमाने पर आयोजित करने का विचार है;

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार को केरल में ओणम त्यौहार के अवसर पर नौका-दौड़ के आयोजन की लोकप्रियता के बारे में जानकारी है और राज्य सरकार को राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहारों का आयोजन करने के लिए, जिनमें नौका दौड़ भी शामिल है, स्थाई/अर्ध-स्थाई प्रकार की परि-सम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

घाटे की अर्थव्यवस्था

2858. श्री अजय विश्वास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कुल कितने घाटे की अर्थ व्यवस्था की गई है; और

(ख) घाटे की अर्थ व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं से निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए क्या दिशा निर्देश है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के बजटीय घाटे की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार अपने घाटे को नियन्त्रणीय सीमाओं में रखने का प्रयत्न करती है। केन्द्र के घाटे में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अंतरित संसाधनों के प्रभाव राज्य सरकारों के अनुमोदित आयोजना परिव्यय के वित्तपोषण की योजना, प्राकृतिक विपत्तियों के बारे में व्यय के वित्तपोषण के अनुमोदित स्वरूप को हिसाब में लिया जाता है। इसलिए राज्यों से घाटे में जाने की अपेक्षा नहीं की जाती।

विवरण

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का बजटीय घाटा (—)/अधिशेष/(+)

(करोड़ रुपये)

	1981-82	1982-83	1983-84
	1	2	3
(क) केन्द्रीय सरकार	—1391.87	—1655.46*	—1816.33**
(ख) राज्य सरकारें :—			
1. आंध्र प्रदेश	+26.27	+9.19	—82.00

	1	2	3
2. आसाम	+25.19	30.87	—50.99
3. बिहार	—54.22	—235.36	+92.01
4. गुजरात	— 39.20	+42.15	—52.70
5. हरियाणा	—30.78	—66.87	+86.24
6. हिमाचल प्रदेश	— 3.48	—11.36	—11.40
7. जम्मू और कश्मीर	... @	—1.15	3.20@
8. कर्नाटक	+39.50	—46.91	—32.19
9. केरल	—85.99	—1.48	—73.76
10. मध्य प्रदेश	+0.04	—64.45	—15.05
11. महाराष्ट्र	+17.25	+23.58	—30.31
12. मणिपुर	+5.53	—17.58	1.13
13. मेघालय	—0.30	— 4.5[illegible]	—2.44
14. नागालैंड	—19.31	—18.94	—18.65
15. उड़ीसा	—0.88	—55.96	+107.87
16. पंजाब	+50.81	+ 25.60	—108.79
17. राजस्थान	+5.94	— 26.07	+27.73
18. सिक्किम	—6.92	— 6.54	—2.63
19. तमिलनाडु	+12.84	40.50	21.98
20. त्रिपुरा	@—7.24	—5.13	—3.44
21. उत्तर प्रदेश	—66.83	—86.00	—52.61
22. पश्चिम बंगाल	+57.79	—82.51	—24.22
राज्यों का कुल :	—73.99	—701.71	— 323.64

*इसमें राज्य सरकारों को 31 मार्च, 1982 तक के अपने घाटों को बेबाक करने के लिए दिए गए 1743.46 करोड़ रुपये के ऋण शामिल नहीं हैं।

**इसमें राज्य सरकारों को मार्च, 1983 के अन्त तक के अपने ओवर-ड्राफ्टों को चुकाने के लिए दिए गए 400 करोड़ रुपये के ऋण शामिल नहीं हैं।

@ संशोधित अनुमान

दीर्घावधि आर्थिक नीति

2859. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दीर्घावधि आर्थिक नीति तैयार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) नीति की घोषणा संसद के चालू सत्र में किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय चाय की मांग में कमी

2860. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय चाय के निर्यात में कमी के क्या कारण हैं;

(ख) भारत द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जिन देशों को चाय का निर्यात किया गया है उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन देशों में भारतीय चाय की मांग में कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पुराने चाय बागानों में दिन प्रतिदिन उत्पादन घट रहा है और उसकी किस्म में गिरावट आ रही है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार नये उत्पादकों को विशेष सहायता देने का है जिससे वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मुकाबला कर सकें ?

वस्त्र मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से चाय का निर्यात निम्नलिखित अनुसार रहा है :—

वर्ष	मात्रा	मात्रा मि० किग्रा० (मूल्य करोड़ रु०)
1982	189.9	355.55
1983	208.5	516.82
1984	214.70	744.92

जिन मुख्य देशों को भारत से चाय का निर्यात किया जाता है वे हैं सोवियत संघ, यू० के०, पश्चिम जर्मनी, ईरान, पोलैन्ड, इराक और मिस्र का अरब गणराज्य।

(घ) भारत में चाय बागानों की उत्पादकता 1982 में 1420 किग्रा०/हैक्टेयर से बढ़कर 1984 में लगभग 1600 किग्रा०/हैक्टेयर हो गई है।

(ङ) बोर्ड अनेक ऋण तथा उपदान योजनाएं चला रहा है और उत्पादकता तथा चाय के अंतर्गत क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर रियायतें भी दी गई हैं।

[अनुवाद]

काले धन को समाप्त करने के लिए विशेष बांड

2861. श्री आनन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालेधन को समाप्त करने के लिए विशेष बांड जारी करने हेतु काले धन संबंधी हाल ही की रिपोर्ट में दिये गये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) काले धन को बाहर निकालकर इसे मुख्य धारा में लगाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन इसे किसी भी ऐसी योजना द्वारा चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, प्राप्त नहीं किया जा सकता जो बेईमान करदाता को ईमानदार करदाता से बेहतर स्थिति में रखे। इसे अन्यथा स्पष्ट कर दिया गया है कि चालू विवरणियों में अपेक्षाकृत अधिक आय घोषित करने वाले लोगों से मात्र इसलिए पूछताछ नहीं की जाएगी कि उन्होंने पर्ववर्ती वर्षों में अपेक्षाकृत कम आय दिखाई है।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा जिले (उत्तर प्रदेश) में लक्ष्मी कर्मशियल बैंक की शाखाओं का बन्द होना

2862. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में लक्ष्मी कर्मशियल बैंक की कुल कितनी शाखाएं बन्द कर दी गई हैं;

(ख) क्या उनका मंत्रालय उन स्थानों पर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन शाखाओं के कब तक खुल जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केनरा बैंक ने, जिसमें 24 अगस्त 1985 से लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का विलय किया गया था, बताया है कि उसने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भूतपूर्व लक्ष्मी कमर्शियल बैंक की कोई शाखा बंद नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

माल को कम मूल्य का दिखाकर सीमा-शुल्क की अपवंचना

2863. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कुछ कम्पनियों द्वारा आयातित माल को कम मूल्य का दिखा-कर सीमा-शुल्क को अपवंचन करने और भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कुछ कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के कुछ मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान पता लगाये गये इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० में जन-शक्ति की आवश्यकता

2864. श्री सुधीर राय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के प्रबन्धक ने जनशक्ति की आवश्यकता के बारे में दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात संयंत्र के कर्मचारी संघ के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते में किए गए वायदे का पालन करने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के प्रबन्धकों के निर्णय से मिश्रित इस्पात संयंत्र में, जिसकी कि अपनी उत्पादन क्षमता का 98 प्रतिशत उपयोग करने का रिकार्ड था, तीव्र श्रमिक असंतोष व्याप्त हो गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान जनशक्ति को दूसरे स्थान पर लगाकर कारखाने के चरणों में विस्तार के कार्या-न्वयन के बारे में यूनियनों से विचार-विमर्श किया गया था। "इन्टक" की यूनियन ने श्रमिकों को दूसरे

स्थान पर लगाने की प्रबन्धकों की योजना के लिए अपनी सहमति प्रदान की है जबकि दूसरी यूनियनों ने इसका विरोध किया था। इसके परिणामस्वरूप 3-10-85 से 29-10-85 तक उत्पादन में बाधा पड़ी। यूनियनों के बीच विचार-विमर्श हो जाने के परिणामस्वरूप 29-10-85 को यह समझौता हुआ कि मिश्र इस्पात कारखाना 30-10-85 को प्रात: 6 बजे से काम शुरू कर देगा। प्रबन्धकों तथा यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच यह सहमति हुई कि यदि श्रमिकों को दूसरे स्थान पर भेजने से कोई समस्या उत्पन्न हुई तो संयुक्त बैठकों में इनका समाधान कर दिया जाएगा।

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता में नुकसान

2865. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता में वर्ष 1985 में प्रति माह न केवल लगभग 2.5 करोड़ रुपये की दर से नकद घाटा हो रहा है, बल्कि निर्मित वस्तुओं के भण्डार में भी काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्धारित अवधि के भीतर निर्मित वस्तुओं का निपटान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सहायक कंपनियों के घाटे को रोकने तथा उनके सुचारू कार्यचालन और उनकी स्थिति मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी नहीं। अप्रैल से सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी०ए० बी०ओ०) लि० के अधीन मिलों को 1.75 करोड़ रुपए प्रति मास नकद हानियां हुई। तैयार उत्पादों और चल रहे कार्य के बारे में एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) द्वारा बनाई गई सूची 31-3-85 के 10.35 करोड़ रु० की तुलना में 30-9-85 को मामूली कम होकर 10.20 करोड़ रु० थी।

(ग) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के अधीन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए अथवा किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(एक) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समय पर वसूली के लिए व्यवस्था की जा रही है;

(दो) नकद हानियों की पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति कर दी गई है;

(तीन) विद्युत की कमी दूर करने के लिए स्वजनित्र क्षमता की व्यवस्था की गई है;

(चार) सभी स्तरों पर उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए लागत नियंत्रण पद्धतियां आरम्भ की गई हैं;

(पांच) अनुषंगी स्तर पर प्रबन्ध को उपलब्ध स्रोतों के बेहतर प्रबन्ध के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है।

(छः) मिलों के प्रबंध में श्रमिक भागीदारी योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दो और तीन सितारा होटलों की सेवाओं में सुधार की पुनरीक्षा

2866. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दो और तीन सितारा होटलों की सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त श्रेणियों के होटलों की सेवाओं में गुणात्मक सुधार के संबंध में कोई पुनरीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे होटलों की वित्तीय स्थिति के संबंध में कोई पुनरीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री हरकिशन लाल भगत) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग ऐसे होटलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के स्तर के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए 2 और 3 सितारा श्रेणियों के होटलों सहित देश में वर्गीकृत होटलो का समय-समय पर निरीक्षण करता है। ऐसे निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों के बारे में, आवश्यक उपचारात्मक उपाय करते हेतु, होटलों को सूचित कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) पर्यटन विभाग होटलों की वित्तीय स्थिति के बारे में कोई समीक्षा नहीं करता।

स्पंज आयरन के एकक

2867. **श्री मोहनभाई पटेल**
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी स्पंज आयरन परियोजनाएं कार्य कर रही हैं तथा स्पंज आयरन का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या मांग की पूर्ति के लिए स्पंज आयरन का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना स्पंज आयरन आयात किया जाता है और इस पर कितनी राशि खर्च की जाती है;

(घ) क्या देश में और अधिक स्पंज आयरन एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने की सम्भावना है तथा कहां ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस समय देश में स्पंज लोहे की दो इकाइयां उत्पादन कर रही हैं। स्पंज लोहे के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1983-84	50,285
1984-85	76,167
1985-86	59,615
(अक्तूबर 1985 तक)	

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1983-84 और 1984-85 में क्रमशः 23,700 टन और 42,170 टन स्पंज लोहा आयात किया गया था जिनका मूल्य क्रमशः 4.71 करोड़ रुपये और 6.85 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ) स्पंज लोहा उद्योग पर से लाइसेंस की प्रक्रिया हटा ली गई है। उत्पादन-रत इकाइयों को छोड़कर जिन इकाइयों को आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं अथवा जिन्हें पंजीकरण प्रदान किया गया है, उन इकाइयों की संख्या (तथा ये इकाइयां किस-किस राज्य में स्थित हैं) से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या	क्षमता टन
1	2	3
असम	3	5,57,500
आंध्र प्रदेश	6	12,80,000
बिहार	4	3,13,000
गुजरात	1	4,00,000

1	2	3
हरियाणा	4	5,50,000
कर्नाटक	4	2,10,000
मध्य प्रदेश	6	7,40,000
महाराष्ट्र	1	4,00,000
उड़ीसा	3	3,90,000
पश्चिम बंगाल	3	5,10,000
	35	53,50,500

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन

2868. श्री पी० कुलन्दई वेलू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने मांग की है कि गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के वेतनमान में 1 फरवरी से संशोधन किया जाए;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वेतनमानों में संशोधन किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वेतनमानों में संशोधन न करने के क्या कारण कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि उसने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के एसोसिएशन से अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए प्राप्त अनुरोध के उत्तर में हाल में एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श किया था। ऐसा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के कुछ निर्णयों के परिणाम-स्वरूप हुआ। चूंकि ये बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र में है इसलिए वर्तमानों वेतनमानों में सुधार लाने के सम्बन्ध में निर्णय करना इन बैंकों के प्रबन्धकों के हाथ में है।

भारत पर्यटन विकास निगम में एकक परिषद की योजना आरम्भ करना

2869. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने कुछ समय पहले अपनी एकक परिषदों के माध्यम से प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो देश भर में भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न क्रियाकलापों में एकक-वार/क्रियाकलापवार कार्यरत प्रत्येक एकक-परिषद (श्रमिक और प्रबन्धकों के प्रतिनिधि) के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक एकक परिषद की बैठक कितनी अवधि के बाद होती है तथा एकक परिषद का मुख्यालय कहां है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक परिषद की कितनी बैठकें हुईं और इस अवधि के दौरान, कार्य कुशलता उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रत्येक एकक/गतिविधि ने क्या सुझाव/सिफारिशें की हैं; और

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने उन सुझावों/सिफारिशों पर यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम में एकक परिषदों के सदस्यों की एककवार सूची, वर्ष 1984 और 1985 के दौरान हुई बैठकों की आवृत्ति और संख्या और उन बैठकों में दिए गए सुझावों/सिफारिश व उन पर की गई कार्रवाई

क्र० सं०	एकक का नाम	एकक परिषद के सदस्यों की सूची		आयोजित बैठकों की आवृत्ति	वर्ष 1984 व 1985 में आयोजित बैठकों की संख्या	दिए गए सुझाव/सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई
		प्रबन्धक वर्ग के प्रतिनिधि	कर्मचारियों के प्रतिनिधि			
1	2	3	4	5	6	7
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	(1) उपाध्यक्ष प्रचालन-व प्रधान प्रबन्धक	सर्व श्री बी० वी० बी० राव	तिमाही	1984-शून्य	(1) कार्य बढ़ाने और ओवर-टाइम घटाने।
		(2) उपप्रधान प्रबन्धक (कार्मिक)	ओमप्रकाश एस० एस०उपाध्याय		1985-5	(2) पावर व ईंधन खर्च में किफायत बरतना।
		(3) मुख्य लेखा अधिकारी	तेज पाल			एकक परिषद ने उपर्युक्त
		(4) प्रबन्धक (खाद्य व पेय)	आई० डी० माथुर			सुझाव/सिफारिशें मंजूर

1	2	3	4	5	6	7
		(5) प्रबन्धक इलैक्ट्रिकल व मैकेनिकल)	वी॰ एन॰ गुलाटी			की और इनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए।
2.	अकबर होटल, नई दिल्ली	(1) प्रधान प्रबन्धक (2) कार्यपालक प्रबन्धक (खाद्य व पेय) (3) वरिष्ठ प्रबन्धक (इलैक्ट्रिकल व मैके-निकल) (4) वरिष्ठ कार्यपालक हाउसकीपर (5) सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)	जे॰ के॰ भसीन बी॰ एस॰ बिष्ट आर॰ एन॰ अग्रवाल सोहन लाल	वर्ष में एक बार	1984-1 1985-1	(1) अनुपस्थिति/देर से आने पर नियन्त्रण। (2) उठाईगिरी समाप्त करना। प्रबन्धक वर्ग ने उपर्युक्त सुझाव/सिफा-रिशें मंजूर की और इनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए।
3.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	(1) प्रबन्धक (2) सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)	सर्व श्री अर्जुन राम संवारू प्रसाद	तिमाही	1985-3	सामान्य मामलों पर चर्चा की गई।

1	2	3	4	5	6	7
		(3) सहायक प्रबन्धक (इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल)	पी० के० भट्टाचार्या			
		(4) सहायक प्रबन्धक (फ्रंट कार्यालय)	स्वदेशी प्रसाद			
4.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	(1) प्रबन्धक (2) सहायक प्रबन्धक (लेखा)	रामकिशन पालसपगार एस० डी० वकील	तिमाही	1985-3	(1) काम और लाभदायकता बढ़ाने के लिए अनुशासन लागू करना। प्रबन्धक वर्ग ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की। (2) कर्मचारियों का प्रशिक्षण, एकक परिषद में पास किए गए संकल्प के अनुसार होटल के कर्मचारियों के लिए 15 दिनों का एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
5.	कोवलम अशो तट विहार, कोवलम	(1) प्रधान प्रबन्धक (2) प्रबन्धक (कार्मिक) (3) सहायक प्रबन्धक (हाउसकीपिंग)	वी० सुधा करन नडार के० के० लेनिन	तिमाही	1984 } 1985 } -5	सामान्य मामलों पर चर्चा की गई।
			सर्व श्री			
6.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	(1) सहायक प्रबन्धक (कार्मिक) (2) सहायक प्रबन्धक (लेखा)	बी० के० बनर्जी एस० खसमीरा	2-3 महीने में एक बार	1984-3 1985-6	(1) उच्च उत्पादकता, और छीजन/उठाईगिरी को समाप्त करना।
7.	लोधी होटल नई दिल्ली	(1) प्रधान प्रबन्धक (2) वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक)	गोपाल दास के० आई० नायर	एकक परिषद हाल ही में गठित की गई है और इस परिषद की पहली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानी है।		
		(3) सहायक प्रबधक (फ्रन्ट कार्यालय)	मंगल लाल			
8.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	(1) प्रधान प्रबन्धक (2) उप प्रबन्धक (आवास)	ई० जे० ऐकिन डी० पी० वर्मा	एकक परिषद हाल ही में गठित की गई है और इस परिषद की पहली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानी है।		

1	2	3	4	5	6	7
		(3) उप प्रबन्धक (खाद्य व पेय)	मथुरा प्रसाद			
		(4) प्रबन्धक (कार्मिक)	मान सिंह			
		(5) सहायक प्रबन्धक (इलैक्ट्रिकल व मैकेनिकल)				
9.	होटल-जयपुर अशोक, जयपुर	(1) उप प्रबन्धक (फ्रन्ट कार्यालय)	बी० के० मोतवानी	एकक परिषद हाल ही में गठित की गई है और इस परिषद की पहली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानी है।		
		(2) सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)	आर० के० अवस्थी			
10.	परिवहन एकक (उत्तर)	(1) प्रबन्धक (वर्कशाप) (2) प्रबन्धक (ए० टी० एस० एस०)	ए० एच० सिद्दीकी जे० एस० बेदी	महीने में दो बार	1984 1985 } 4	सामान्य मामलों पर चर्चा की गई।
		(3) प्रबन्धक (परिवहन)	आर० सी० ठाकुर			
		(4) सहायक प्रबन्धक (एम० एम० एंड डी०)	भीम सिंह			
		(5) सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)	धर्म सिंह			

टिप्पणियां :—कामगार सहभागिता की योजना के अनुसार एकक परिषदों का गठन निगम के विभिन्न एककों में किया जाना है; मुख्यालय में नहीं।

मछली के निर्यातकों को प्रोत्साहन

2870. श्री हुसेन दलवाई : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से प्रतिवर्ष कुल कितनी मछली का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या मछली के निर्यात को मछली निर्यात करने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो मछली निर्यातकों को इससे क्यों वंचित रखा गया है; और

(ङ) भारत को इस प्रकार के निर्यात से क्या लाभ हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्नांकित प्रकार थे :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1982-83	78175	361.36
1983-84	92691	373.02
1984-85	86187	384.29

(ख) तथा (ग) समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को मिलने वाले प्रोत्साहनों में शामिल हैं :—

(1) चुनिंदा मदों पर नकद मुआवजा सहायता ।

(2) नमूनों के हवाई भाड़े के लिए सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता, और

(3) जैनेरेटिंग सैटों, प्रशीतित ट्रकों, स्वचालित फलेग-चिपवर्फ बनाने की मशीन की स्थापना के लिए, जमाने के एककों को अपग्रेडिंग के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए और पीलिंग शैड़ों की अपग्रेडिंग तथा रखरखाव के लिए मशीनरी प्राप्त करने के लिए उपदान सहायता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) इन निर्यातों से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अतिरिक्त...उनसे समाज के आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर मिलते हैं ।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात का आयात

2872. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री सुभाष यादव
: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसाकि 31 अक्तूबर, 1985 के फाइनेंशियल टाइम्स में समाचार छपा है, क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने इस्पात का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) किन-किन देशों से इस्पात का आयात किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) इस्पात का आयात मुख्यत: अर्जेंटाइना, ब्राजील, बेल्जियम, डी० पी० आर० कोरिया, फ्रांस, जापान नीदरलैण्ड, रूमानिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और यूगोस्लाविया से किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने एम० एम० टी० सी० की मार्फत 1985-86 के दौरान लोहा और इस्पात मदों के आयात के लिए 547 करोड़ रु० की राशि की विदेशी मुद्रा रिलीज की है।

व्यापार घाटे में वृद्धि

2873. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 13 नवम्बर, 1985 को नई दिल्ली में "साइंस एण्ड टेक्नोलोजी : इन इण्डिया रिप्रास्पेक्ट एण्ड प्रास्पेक्ट" पर दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते समय तर्क दिया था कि यदि आयात-प्रतिस्थापन महंगा पड़ता है, तो आयात बढ़ाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दृष्टिकोण आत्म-निर्भरता के मार्ग के प्रतिकूल है; और

(ग) क्या इस नये दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा नहीं बढ़ेगा जो पहले ही अप्रैल और जुलाई 1985 के बीच 3,079 करोड़ रु० तक पहुंच चुका है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। प्रधान मंत्री ने केवल आयात प्रतिस्थापना की लागत को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बैंक लाकर का केवल सावधिक जमाकर्ताओं को ही उपलब्ध होना

2874. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने अपनी शाखाओं को निदेश जारी किए हैं कि बैंक लाकर केवल उन्हीं ग्राहकों को उपलब्ध कराये जाएं जो बैंक में सावधिक जमा खाता खोलने को तैयार है;

(ख) क्या आल इंडिया आई० एम० बी० सी० सी० के सचिव ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें सूचना दी गई है कि यह संदेह से परे है कि बैंक ग्राहकों पर हावी हैं और लाकर आवंटित करने से पहले यह शर्त लगाते हैं कि वे धनराशि जमा करवाएं या अपने मित्रों और संबंधियों के नाम धनराशि जमा करवाएं; और

(ग) यदि हां, तो क्या बैंकों की इस प्रवृत्ति से यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि सावधिक जमा खातों के लिए लाकरों पर अमीरों का एकाधिकार होगा और उनका काला धन सुरक्षित रहेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को लाकर अलाट करने के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिये 1984 में कुछ मार्ग निदेश जारी किये थे। इन मार्ग निदेशों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) शाखाओं में लाकरों के अलाटमेंट की एक प्रतीक्षा सूची होनी चाहिए। लाकर अलाट करने के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की प्राप्ति की सूचना दी जानी चाहिए और उसमें प्रतीक्षा की संख्या भी दी जानी चाहिए।

(2) शाखाओं द्वारा कम से कम 80 प्रतिशत लाकर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर अलाट किये जाने चाहिए। बाकी लाकर शाखा प्रबन्धक अपने विवेकानुसार कारोबार के विचार से अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को अलाट कर सकते हैं।

(3) लाकरों के अलाटमेंट में बैंकों को सावधि जमा के रूप में धनराशि जमा कराने पर जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि बैंक आवेदक से जिसे लाकर अलाट किया गया हो उतनी धनराशि की (लेकिन अलाटमेंट की शर्तों के रूप में नहीं) मांग करें, जिसका वार्षिक ब्याज लाकर के वार्षिक किराये से अधिक न हो तो उस पर कोई आपत्ति नहीं। विकल्प के रूप में, लाकर धारियों से 3 वर्ष के लिए लाकर का किराया पेशगी लिया जा सकता है। वे लाकर धारी जो किराये का वार्षिक भुगतान करते हैं और भुगतान में चूक करते हैं उन्हें तब तक इन लाकरों में समान रखने तथा सामान निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वे किराए की बकाया रकम को अदा नहीं कर देते।

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का पालन कर रहे हैं लेकिन जब कभी इन मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के बारे में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद

2875. **श्री सतीश चन्द्र सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने चालू मौसम के दौरान कच्चे पटसन की खरीद हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है तथा भारतीय पटसन निगम द्वारा अब तक कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में कच्चा पटसन खरीदा गया है;

(ग) उस प्रकार की खरीद के लिए पटसन उत्पादकों को भारतीय पटसन निगम द्वारा क्या मूल्य दिया गया;

(घ) पिछले तीन मौसमों के दौरान भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में क्या स्थिति थी; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ख), (ग) और (घ) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारतीय जूट निगम को सर्वाधिक समर्थन कीमत पर उपजकर्ताओं द्वारा निगम को बिक्री हेतु कच्चे जूट की अपेक्षित मात्रा की खरीद के सम्बन्ध में स्थायी अनुदेश मिले हुए हैं। 3 दिसम्बर, 1985 तक भारतीय जूट निगम ने राज्य सहकारिताओं की सहायता से लगभग 79.31 करोड़ रु० मूल्य की 18.75 लाख गाठों की कुल मात्रा की खरीद की है। भारतीय जूट निगम चालू सीजन के दौरान की गई खरीद हेतु उपजकर्ताओं को दी गई कीमत डब्ल्यू-5 एक्स-असम के लिए 215 रु० से 240 रु० के बीच और टीडी-5 एक्स-पश्चिम बंगाल के लिए 244 रु० से 273 रु० प्रति क्विंटल के बीच रही।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय जूट निगम द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान कच्चे जूट की वसूली के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

मात्रा-हजार गाठों में
मूल्य-लाख रु० में

1982-83

राज्य	अधिप्राप्त की गई मात्रा	अधिप्राप्ति कीमत की श्रेणी			अधिप्राप्त मात्रा का अनुमानित मूल्य
		प्रमुख किस्म	कीमत (रु०/क्वि०) न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6
असम	130.9	डब्ल्यू-5	175.00	185.00	442.2

1	2	3	4	5	6
बिहार	69.3	डब्ल्यू-5	184.50	195.00	239.1 (उ० प्र०—सहित)
मेघालय	1.7	मेस्टा बाट	154.00	154.00	1.1
उड़ीसा	0.7	डब्ल्यू-5	188.50	188·50	2.3
त्रिपुरा	34.0	मेस्टा बाट	159.50	159.50	98.3
उ० प्र०	0.1	डब्ल्यू-5	190.00	190.00	—
प० बंगाल	622.8	टीडी-5	194.50	229.50	2321.0
आ० प्र०	—	बिमली बाट	कोई खरीद नहीं		—
योग :	859.5				3104.0

मात्रा हजार गाठों में
मूल्य लाख रु० में

1983-84

राज्य	अधिप्राप्त की गई मात्रा	अधिप्राप्ति कीमत की श्रेणी			अधिप्राप्त मात्रा का अनुमानित मूल्य
		प्रमुख किस्म	कीमत (रु०/क्वि०)		
			न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6
असम	103.9	डब्ल्यू-5	245.00	285.00	546.7
बिहार	53.5	डब्ल्यू-5	245.00	290.00	284.9
मेघालय	2.9	मेस्टा बाट	225.00	255.00	3.9
उड़ीसा	0.7	डब्ल्यू-5	225.00	310.00	3.7
त्रिपुरा	24.1	मेस्टा बाट	260.00	295.00	127.1
उ० प्र०	—	डब्ल्यू-5	कोई खरीद नहीं		—
प० बंगाल	654.0	टी डी-5	255.00	325.00	3581.7
आ० प्र०	—	बिमली बाट	कोई खरीद नहीं		
योग :	839.1				4548.0

1984—85

1	2	3	4	5	6
असम	155.3	डब्ल्यू-5	575.00	920.00	2309.8
बिहार	99.8	डब्ल्यू-5	600.00	910.00	1382.5 (उ० प्र०—सहित)
मेघालय	6.4	मेस्टा बाट	650.00	820.00	16.8
उड़ीसा	23.8	डब्ल्यू-5	595.00	965.00	394.7
त्रिपुरा	28.3	मेस्टा बाट	400.00	800.00	356.2
उ० प्र०	4.1	डब्ल्यू-5	800.00	800.00	—
प० बंगाल	683.7	टी० डी-5	612.50	980.00	10268.1
आ० प्र०	15.6	बिमली बाट	570.00	800.00	199.7
योग :	1016.0				14927.8

चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक के बिना कार्य कर रही राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली के सहायक मिल

2876. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम नई दिल्ली के 9 सहायक मिलों में से अधिकांश मिलें इस समय चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक के बिना कार्य कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किस तारीख से इन मिलों में चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक के बिना प्रबन्ध व्यवस्था चल रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) नौ में से केवल तीन सहायक कम्पनियां इस समय अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशकों के बिना हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) **एन० टी० सी० (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा)** :

इस सहायक कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक ने त्याग-पत्र दे दिया था तथा उन्हें 31-8-1985 को कार्यमुक्त कर दिया गया। चुने गए उम्मीदवार को नियुक्ति का आफर भेज दिया गया है।

(2) एन० टी० सी० (मध्य प्रदेश) लि० :

सह सहायक कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक 24-12-1985 को अपने कार्यकाल के पूरे होने के पूर्व 1-10-85 से अवकाश पर चले गए हैं; तथा

(3) एन० टी० सी० (उत्तर प्रदेश) लि० :

इस सहायक कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक ने 13-9-1985 को त्यागपत्र दे दिया। इनका त्याग-पत्र इस बीच स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

2877. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनके निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभान्वितों के हितों की देख-रेख के लिए इन जातियों के एक अथवा अधिक व्यक्ति हैं; और

(ख) क्या गत अनेक वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति द्वारा बार-बार की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार निदेशक मंडलों में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का निदेशक नियुक्त करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में नामित गैर-सरकारी निदेशकों में सरकार का यह प्रयास रहता है कि इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में कुछ समय पहले तक, जो ऐसे प्रतिनिधि अन्य गैर-सरकारी निदेशकों के साथ कार्य कर रहे थे, वे जनवरी 1985 से 3 वर्ष का अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद निदेशक नहीं रहे। ये स्थान खाली हो जाने के बाद अभी भरे नहीं गये हैं। इन स्थानों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल उन गैर-सरकारी निदेशकों में जिनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, विजया बैंक के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति के एक निदेशक कार्य कर रहे हैं।

औषधियों के निर्यात में गिरावट

2878. **श्री राम भगत पासवान :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषध कम्पनियों के नाम क्या हैं जो विदेशों में औषध कम्पनी स्थापित करने जा रही हैं;

(ख) क्या एककों के विदेशों में लगाने से औषधियों के निर्यात में गिरावट होने के कारण सरकार को बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की हानि होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने एफ०ई०आर०ए० के अधीन निम्नलिखित भारतीय कम्पनियों को अनुमति प्रदान कर दी है जिनके बारे में बताया गया है कि वे क्रियान्वयन के अन्तर्गत हैं।

नाईजीरिया

1. मैसर्स राप्ताकोस ब्रेट एण्ड कं० लिमिटेड, बम्बई।

2. मैसर्स यूनीक फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटरीज (प्रा०) लि०, बम्बई।

3. मैसर्स यूनाइटेड कैमोलाइड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बम्बई।

मलयेशिया

4. मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि०, नई दिल्ली।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रबड़ बागान के विकास के लिए निधि

2881. **श्री जार्ज जोसेफ मुण्डाकल**
डा० के० जी० अदियोडी } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में रबड़ बागान के विकास के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक रबड़ के महत्व और रबड़ के आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा के घाटे को ध्यान में रखते हुए, रबड़ विकास योजना के लिए कम से कम 150 करोड़ रु० की व्यवस्था करने का है;

(ग) क्या रबड़ के बागानों का अधिक श्रमिकोन्मुख होने और हमारे देश की बेरोजगारी को देखते हुए और सरकार का रबड़ बागानों के विकास के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) छठी योजना अवधि के दौरान किए गए 32.10 करोड़ रु० के वास्तविक व्यय की तुलना में सातवीं योजना के लिए 53.43 करोड़ रु० का अन्तरिम आवंटन किया गया है जोकि छठी योजना के वास्तविक व्यय की अपेक्षा 66.4% अधिक है । कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं ।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को विशेष भत्ता

2882. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विद्यमान वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों को आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष भत्ता दिया जा रहा है जैसा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रागीण बैंकों के कर्मचारियों को ऐसा विशेष भत्ता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बंक से यह कहा है कि उसे किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में विशेष भत्ता दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ मोटे तौर पर बराबरी के सिद्धान्त पर सुलभ कराई जाएं ।

बिहार में खनिज सम्पदा का पूरा उपयोग

2883. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में खनिज सम्पदा के भण्डार उपलब्ध हैं और इसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) इस खनिज सम्पदा का पूरा उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि उपलब्ध की जा रही है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लोहिक किस्म के इस्पात का निर्माण करने के लिए मंजूरी

2884. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात संयंत्रों को लोहिक किस्म के इस्पात का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने इस्पात संयंत्रों को मंजूरी दी गई है और प्रत्येक इस्पात संयंत्र के लिए कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त किस्म के इस्पात का अधिकतम निर्माण करने के लिए अनुमति देने का विचार है; और

(घ) क्या देश में सिक्कों की कमी की समस्या को हल करने के लिए निकल के सिक्कों के बजाय इस्पात के सिक्के बनाने का प्रयोग करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न में लोहिक किस्म के इस्पात का अभिप्राय बेदाग इस्पात की लोहिक किस्म से है। बेदाग इस्पात के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं, न कि विशेष रूप से बेदाग इस्पात की लोहिक अथवा किसी अन्य किस्म के लिए। बेदाग इस्पात के उत्पादन के लिए लाइसेंसीकृत इकाइयां बेदाग इस्पात की विभिन्न किस्मों की किसी एक अथवा अधिक किस्मों का उत्पादन कर सकती हैं।

विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिए कार्बन तथा मिश्र इस्पात, जिसमें बेदाग इस्पात/ताप-प्रतिरोधी इस्पात भी शामिल है, का अपनी-अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता तक उत्पादन करने की अनुमति है।

(घ) लोहिक किस्म के बेदाग इस्पात से सिक्के बनाने का सुझाव दिया गया है।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ा गया करोड़ों रुपये मूल्य के सामान का गोदामों में बेकार पड़े रहना

2885. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ा गया करोड़ों रुपये का माल निपटान न होने के कारण गोदामों में बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अभिग्रहीत किया गया और माल गोदामों में जमा किया गया निषिद्ध माल अभिग्रहण के तुरन्त बाद निपटान के लिए तैयार नहीं हो जाता है। माल निपटान के लिए तभी तैयार होता है जब उसे सरकार द्वारा अन्तिम रूप से जब्त कर लिया जाता है, अर्थात् अपील, पुनरीक्षण और अभियोजन की कार्रवाइयों, यदि कोई हों, के पूर्ण हो जाने के पश्चात्। दिनांक 30-9-85 को स्थिति के अनुसार विभिन्न सामहर्तालियों में निपटान हेतु पड़े हुए जब्तशुदा माल का मद-वार कुल मूल्य निम्नोक्त है :--

	(मूल्य (लाख रुपयों में)
सोना	83
चांदी	29
हीरे एवं रत्न	123
मुद्रा	16
घड़ियां	323
इलैक्ट्रानिकी का सामान	137
संश्लिष्ट फैब्रिक	172
अन्य वस्तुएं	983
जोड़ :	1866 (अनन्तिम)

(ग) खराब होने वाले माल को विभाग द्वारा चलाए जा रहे खुदरा बिक्री काउंटरों के जरिए

उपभोक्ताओं को सीधे ही बेच दिया जाता है। उपभोक्ता माल को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य सिविल आपूर्ति निगमों, राज्य सहकारी संघों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत सभी सहकारी समितियों, सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कैन्टीनों को और खुदरा बिक्री के जरिए बेचा जाता है। व्यापारी माल, जैसे—मशीनरी पुर्जों, मोटर वाहन पुर्जों, आदि को सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बेचा जाता है। सरणीबद्ध औषध-द्रव्यों की पेशकश सरणीबद्ध अभिकरणों को की जाती है, सोना तथा चांदी भारत सरकार की टकसाल में जमा कर दी जाती है।

इसके अलावा, निषिद्ध माल के निपटान की नीति की सतत समीक्षा की जाती रहती है और ऐसे माल का शीघ्र निपटान करने के लिए यथापेक्षित समुचित उपाय किये जाते हैं।

विदेशी फिल्म निर्माता को "वर्ल्ड आफ आई०टी०डी०सी०" शीर्षक से फिल्म निर्माण का काम सौंपा जाना

2886. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन प्रचार के संवर्धनात्मक कार्यों के लिए विदेशी एजेंसी नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार/भारतीय पर्यटन विकास निगम के नियम तथा विनियम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के मैसर्स ओस्सग्रेथम को "वर्ल्ड आफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन" शीर्षक से भारतीय पर्यटन विकास निगम पर फिल्म निर्माण का काम सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त फिल्म का निर्माण विदेशी एजेंसी को देने के क्या कारण हैं, जबकि भारत का फिल्म उद्योग काफी बड़ा है तथा यहां बहुत सक्षम फिल्म निर्माता हैं;

(घ) क्या उक्त विदेशी फर्म के साथ किसी समझौते या संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका तथा उक्त विदेशी फर्म को फीस के रूप में दी जाने वाली धनराशि तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विदेशी विज्ञापन और जन-सम्पर्क एजेंसियों की नियुक्ति से सम्बन्धित नियम और विनियम, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हमारे विदेशी "आपरेशन्स" के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विभाग और एयर इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से बनाये जाते हैं। जहां तक भारत पर्यटन विकास निगम का सम्बन्ध है, इसने अभी हाल ही में सम्बन्धित मन्त्रालयों की अनुमति से मैसर्स गोल्डन ट्यूलिप वर्ल्ड वाइड होटल्स, नीदरलैंड्स और मैसर्स

ओडनर होटल रिप्रेजेंटेटिव, हांग कांग के साथ मार्केटिंग और रिज़र्वेशन करार (एग्रीमेंट्स) किए हैं।

(ख), (घ) और (ङ) मैसर्स आर०जी०एम० फिल्म लंदन को केवल 20,750/- पौंड (लगभग 3.11 लाख रुपये के बराबर) की समेकित फीस पर दो फिल्में तैयार करने का काम सौंपा गया था। भारत पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग के पास संवर्धनात्मक और वाणिज्यिक उद्देश्य से उसे डुप्लीकेट करने और टी०वी० तथा अन्य नेट-वर्क्स पर दिखाने का अधिकार, सुरक्षित है। इस लागत में स्क्रिप्ट तैयार करने डायरेक्टर और पांच व्यक्तियों के क्रयू के लिए फीस शामिल है। उनके साथ इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। एक फिल्म का शीर्षक "वर्ल्ड आफ आई०टी०डी०सी०" है और दूसरी "गोआ" विषयक है। फिल्म क्रयू को पर्यटन विभाग के आतिथ्य और मीडिया सम्पर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत आतिथ्य प्रदान किया गया था।

(ग) उच्च-स्तरीय व्यावसायिक पर्यटन अभिमुखी वृत-चित्र के निर्माण के लिए, जो अभिप्रेरक उद्देश्यों तथा हार्ड-सैल हेतु समानतः प्रयुक्त हो सके, न केवल इस क्षेत्र में अनुभव और सुविज्ञता अपेक्षित होती है बल्कि इस क्षेत्र में प्रायः एक सुप्रसिद्ध नाम भी चाहिए। मैसर्स आर०जी०एम० फिल्म्स को विदेशों में वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए भारत पर पर्यटन अभिमुखी फिल्मों के निर्माण का काफी अनुभव है और इन्होंने एक सुप्रसिद्ध फिल्म "पैलेस आन व्हील्स" बनाई है जो विदेशों में कई टी०वी० नेट वर्क पर दिखाई जा चुकी है जिससे पर्यटक भेजने वाली मार्केटों में भारत के बारे में मूल्यवान प्रचारात्मक कार्य हुआ है।

विदेशी विमान सेवाओं के माल गोदामों से तस्करी के सोने के बिस्कुट, मैडेसिनल चूर्ण और हाथ की घड़ियां जब्त किया जाना

2887. श्री यू० एच० पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रूपीज 77 लैक्स वर्थ कोन्ट्राबैंड सीज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 7 नवम्बर, 1985 को सीमा-शुल्क विभाग के निवारक एकक के जासूसों द्वारा पालम में बड़े पैमाने पर मारे गये तस्करी विरोधी छापे के दौरान एक विदेशी विमान सेवा के माल गोदाम से 77 लाख रुपये मूल्य के तस्करी के सोने के बिस्कुट, मैडेसिनल चूर्ण और हाथ की घड़ियां जब्त की गईं;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति और देश शामिल हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिनांक 5-11-1985 को सीमाशुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के अधिकारियों ने

दो पैकेटों को रोककर उनकी जांच की जो हांगकांग से लाये गये थे तथा जिन्हें काबुल/काठमांडू ले जाया जाना था। जांच किए जाने पर 13.57 लाख रुपये मूल्य की 3392 कलाई-घड़ियां तथा 20 किलोग्राम के मूल औषध-द्रव्य बरामद करके अभिग्रहीत किए गए थे।

अनुवर्ती कार्रवाई में 7795 कलाई-घड़ियां, 11,977 घड़ियों के कल-पुर्जे, दस-दस तोले सोने के 100 बिस्कुट, 83 किलोग्राम दवाइयों का पाउडर, विदेशी मूल का विविध माल 1.25 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा तथा एक कार पकड़ी गई थी। पकड़े गये माल का कुल अनन्तिम मूल्य 1.03 करोड़ रुपये है।

इस सम्बन्ध में अब तक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चूंकि इस मामले की अभी जांच की जा रही है, इसलिए इस स्तर पर और ब्यौरे देना उचित नहीं होगा।

नारियल का तेल और खोपरा आयात करने के लिए केरल सरकार का सुझाव

2888. **श्री टी० बशीर**
श्री पी० ए० एन्टनी } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने नारियल की खेती को संकट से बचाने के लिये खोपरा और नारियल के तेल का आयात करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय को इस प्रकार का कोई भी सन्दर्भ नहीं भेजा गया है।

(ख) खोपरा और नारियल तेल की विद्यमान निर्यात नीति में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, सरकार ने हाल ही में खोपरा और नारियल उत्पादों का 500 मी०टन और ताजा छिलका रहित नारियल का 100 मी०टन नेपाल को निर्यात अनुमोदित किया है।

हालैंड प्रमोशन फाउन्डेशन द्वारा पर्यटन संवर्धन का प्रस्ताव

2889. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैंड प्रमोशन फाउन्डेशन ने दोनों देशों के बीच पर्यटन संवर्धन के अनेक प्रस्ताव रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में घाटा

2890. श्री मूल चन्द डागा : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आज तक कितने होटल बनाये गये हैं और वे कहां कहां स्थित हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ होटल घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने होटल पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रहे हैं और उन्हें कितना घाटा हुआ तथा घाटा होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन होटल सम्राट, जो वर्ष 1982 में बनाया गया था, घाटे में चल रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम ने होटल सम्राट सहित अपने होटलों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए हैं: —

——विदेशों, में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के बारे में, विपणन तथा आरक्षण सम्बन्धी टाई अप्स करना ताकि विदेशी पर्यटकों द्वारा इनका सतत प्रयोग किया जा सके;

——भारत पर्यटन विकास निगम की अपनी ट्रैवल एजेंसी की स्थापना;

——स्थानीय कम्पनियों, ट्रैवल एजेन्टों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि को अतिरिक्त छूट देना;

——स्वदेशी ग्राहकों के, लिए सस्ती एक-मुश्त यात्राएं प्रारम्भ करना;

——ट्रैवल ट्रेड फोरम्ज में भागीदारी द्वारा विदेशी मार्केट में भारत पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियों का संवर्धन;

——उत्पाद में सुधार, आदि।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आज तक निर्माण किए गए होटलों की संख्या, उनके स्थान, पिछले तीन वर्षों में हुए लाभ और हानि के कारण आदि

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	स्थान और होटल का नाम	निवल लाभ (+)/हानि (—)		
		82-83	83-84	84-85
1	2	3	4	5
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	(+) 124.90	(+) 3.10	(+) 7.68
2.	अकबर होटल, नई दिल्ली	(+) 109.28	(—) 18.01	(—) 58.39
3.	कुतब होटल, नई दिल्ली	(+) 10.75	(—) 2.15	(+) 8.45
4.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	(—) 70.19	(—) 206.67	(—) 128.05
5.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	(+) 41.09	(+) 68.00	(+) 58.62
6.	कनिष्क होटल, नई दिल्ली	(—) 24.11	(+) 51.10	(+) 42.94

1	2	3	4	5
7.	लोदी होटल, नई दिल्ली	(+) 27.87	(+) 23.16	(+) 29.23
8.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	(+) 7.42	(—) 8.62	(—) 0.33
९.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	(—) 26.71	(—) 14.18	(+) 17.28
10.	होटल अशोक बंगलौर	(—) 47.64	(—) 5.49	(—) 59.84
11.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट कोवलम	(—) 10.34	(+) 1.35	(+) 3.62
12.	ललित महल प्लेस होटल, मैसूर	(—) 2.34	(—) 1.09	(+) 5.66
13.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	(—) 10.46	(+) 38.53	(+) 52.02
14.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	(—) 3.19	(—) 3.75	(—) 2.86
15.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	(—) 8.17	(+) 0.34	(—) 3.27
16.	होटल हसन अशोक, हसन	(—) 0.72	(—) 1.68	(+) 0.03
17.	लक्ष्मी विलास प्लेस होटल, उदयपुर	(+) 6.58	(+) 11.65	(+) 6.36
18.	टेम्पल अशोक बीच रिसोर्ट महाबलीपुरम	(—) 3.91	(—) 3.22	(—) 3.02
19.	होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर	(+) 4.60	(+) 3.41	(—) 11.07
20.	होटल मैंदूरै अशोक, मैंदूरै	(—) 8.95	(—) 6.67	(—) 6.35

1	2	3	4	5
21.	होटल, जम्मू अशोक, जम्मू	(—) 2.76	(—) 2.32	(—) 4.12
22.	होटल औरंगाबाद अशोक औरंगाबाद	(—) 6.10	(—) 1.06	(+) 0.03
23.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	(—) 6.45	(+) 3.34	(—) 2.11
24.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	(—) 7.71	(—) 9.48	(—) 7.98

हानि के प्रमुख कारण

——दिल्ली में तीन नए होटल स्थापित किए गए जो जैस्टेशन पीरियड में हैं और भारी ब्याज तथा मूल्य-ह्रास की वजह से वित्तीय बोझ उठा रहे हैं।

——कुछ नगरों में अनावश्यक होटल आवास।

——पूर्णतः संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए कुछ होटलों की अवस्थिति (लोकेशन)

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास से सम्बन्धित फर्में

2891. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "सेवन्थ प्लान एक्सपोर्ट टार्गेट फेसिज ए फिशी प्राब्लम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(क) यदि हां, तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास पर वाणिज्य सचिव द्वारा कोचीन में बड़ी फर्मों को क्या आश्वासन दिए गये थे;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को श्रिम्प मछली के अधिक पकड़े जाने की जानकारी है;

(ग) श्रिम्प मछली की पैदावार के विकास के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) गहरे समुद्र में श्रिम्प मछली की सम्पत्ति को वैज्ञानिक तरीकों से सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) कोचीन में हुई बैठक में समुद्री खाद्य उद्योग द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग के संबंध में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में बड़ी व्यवसायी फर्मों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(ख) ऐसा कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है कि श्रिम्प मछली अधिक पकड़ी गई हैं।

(ग) और (घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में जो कदम उठाए गये हैं उनमें शामिल हैं (i) तीन क्षेत्रीय तथा दो उप-क्षेत्रीय प्रान प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थापित किया जाना। (ii) तटीय राज्यों में सूक्ष्मस्तरीय सर्वेक्षण करना (iii) कोचीन के निकट वल्लारपावम में माडल प्रान सीड हैचरी तथा फार्म की स्थापना करना। (iv) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक के हिसाब से तीन-प्रान सीड हैचरी की स्थापना करने की योजनाएं तथा (v) हैचरी सीड बैंकों तथा फार्मों की स्थापना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की योजनाएं तैयार करना।

(ङ) कोचीन में हुई बैठक में, समुद्री खाद्य उद्योग के प्रतिनिधियों ने गहरे समुद्र में मछली उद्योग के संसाधनों का उपयोग किए जाने में उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को बताया तथा इस संबंध में उदार और विकास अभिमुख नीति के लिए आग्रह किया।

गुजरात का शिप ब्रेकिंग उद्योग शिष्ट मण्डल

2892. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात, भावनगर (सौराष्ट्र) के शिप ब्रेकिंग उद्योग के प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मण्डल नवम्बर, 1985 में उनसे मिला था और उन्होंने शिप ब्रेकिंग उद्योग पर लगाये गये शुल्क को वापस लेने तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत और उनके द्वारा शिष्ट मण्डल को दिए गए आश्वासन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आश्वासनों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि गत दो महीनों से इस उद्योग में सभी कार्य रुका पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्योग को ऋण और अन्य सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) गुजरात के शिप ब्रेकिंग उद्योग के प्रतिनिधियों ने, उनसे मांगे गए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट दिये जाने के लिए अनुरोध किया है। वे इस बारे में वित्त मंत्री महोदय से भी मिले थे। इस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) गुजरात में अलाग स्थित शिप ब्रेकिंग एकक दिनांक 5 से 7 सितम्बर, 1985 तक बन्द रहे और दोबारा 16 सितम्बर से बन्द हैं, शिप ब्रेकरों तथा एम०एस०टी०सी० द्वारा आवश्यक उपकरण की खरीद के लिए फैरस स्क्रैप समिति द्वारा बिलों में बट्टा सुविधा प्रदान करके वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

बंगाल देशी किस्म की कपास का निर्यात करने का प्रस्ताव

2893. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र में उगाई गई बंगाल देशी किस्म की कपास का बिलकुल निर्यात नहीं किया गया;

(ख) क्या इस वर्ष इस किस्म की बहुत अधिक मात्रा मण्डियों में आ रही है और वह हमारी मांग से काफी अधिक होगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इसके निर्यात का शीघ्र निर्णय करने तथा कपास के निर्यात की अधिक स्थाई नीति तैयार करने का है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) बंगाल देशी रुई महाराष्ट्र में नहीं उगाई जाती।

(ख) और (ग) रुई निर्यात करने के सम्बन्ध में निर्णय देश में मांग तथा पूर्ति स्थिति तथा

कीमत रुख का मूल्यांकन करने के बाद लिया जाता है। सरकार ने चालू रुई मौसम के दौरान निर्यात के लिए पहले ही बंगाल देशी की 27,000 गांठें रिलीज कर दी हैं।

[हिन्दी]

आयातित चीनी की घटिया किस्म

2894. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 1985-86 के दौरान अब तक कितनी चीनी का आयात किया गया है तथा इसका आयात किस समझौते के अन्तर्गत किया जा रहा है और यह किस दर पर किया जा रहा है;

(ख) आयातित चीनी की किस्म स्वदेशी चीनी की किस्म की तुलना में कैसी है; और

(ग) यदि आयातित चीनी स्वदेशी चीनी की तुलना में निश्चित रूप से घटिया और कम मीठी है, तो भविष्य में चीनी का आयात न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अप्रैल से अक्तूबर 1985 तक आयातित चीनी की मात्रा 12.10 लाख एम० टी० है। पहले से ही की गई संविदाओं के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयातों की प्रति एम० टी० अनुमानित औसत सी० आई० एफ० कीमत 2275 रु० (अनन्तिम) प्रति एम० टी रु० है।

(ख) और (ग) आयातित चीनी का अभिस्पन्दन/इक्षु शर्करा अंश का स्तर भारतीय चीनी मानकों के अन्तर्गत विहित 99.5 प्रतिशत (न्यूनतम) ध्रुवण की अपेक्षा अधिक है। इसलिए, आयातित चीनी स्वदेशी चीनी की तुलना में कम मीठी नहीं है।

[अनुवाद]

चीन को भारतीय सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

2895. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय सिले-सिलाये वस्त्रों की चीन में बहुत मांग है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय कपड़े और सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिए चीन के साथ व्यापार संबंध स्थापित किये हैं;

(ग) क्या चीन की एक कम्पनी ने चीन के लिए "ग्रे" सूती कपड़े के उत्पादन के लिए

महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों में कुछ नये बुनाई एकक स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया है; और

(घ) चीन तथा भारत द्वारा इस बारे में क्या अन्य कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) भारत की तरह चीन परिधानों का प्रमुख निर्यातक है और इसलिए चीन को परिधानों के कोई खास निर्यात नहीं है। वस्त्र मन्त्रालय को भारत में बुनाई एकक स्थापित करने के चीन की कम्पनी के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

निर्यात संवर्धन परिषदों/जिन्स मण्डलों की गतिविधियों की समीक्षा

2896. **श्री हरिहर सोरन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार संवर्धन संगठनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, जिन्स मण्डलों की गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है;

(ख) क्या कुछ संगठनों के विलयन/विघटन बन्द किये जाने पर भी सक्रिय विचार हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यवाही का किन-किन संगठनों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) उनके कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों और अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों के कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) से (घ) एक कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा मौजूदा साधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद को इस प्राधिकरण के साथ विलय किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव इस समय मौजूदा इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद का विलय करके मसाला बोर्ड बनाने का है। प्रस्तावित विलय से प्रभावित स्टाफ के लिए सम्बन्धित नए संगठनों को जब उनकी स्थापना हो जाए, सेवारम्भ करने का विकल्प होगा।

भारतीय निर्यातकों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ गुप्त व्यापार

2897. **प्रो० राम कृष्ण मोरे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ भारतीय निर्यातकों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ किये जा रहे गुप्त व्यापार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ गुप्त व्यापार में संलग्न फर्मों, व्यापारियों के नाम सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा किस प्रकार का व्यापार किया जा रहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दक्षिण अफ्रीका को गुप्त रूप से निर्यात किए जाने के मामलों की सरकार को हाल ही में जानकारी मिली है।

(ख) निर्यात परेषणों को ले जा रहे एक पोत को, जिसके बारे में यह आरोप है कि इस पोत में ले लाये जा रहे परेषण दक्षिण अफ्रीका को निर्यात किए जाने के लिए अभिप्रेत थे, कोचीन पहुंचने पर, अभिगृहीत कर लिया गया था। जांच के बाद इस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य पर कि इन आधानों में रखा हुआ माल वास्तव में दक्षिण अफ्रीका के लिए था न कि मपूतों के लिए जैसा कि घोषित किया गया था, 19 आधानों को अभिगृहीत कर लिया गया था। अभिगृहीत माल में मशीनरी, एनैमल चढ़ाई गई तारें, ताले, अगरबत्तियां, साइकिलों के पुर्जे, प्रेशर स्टोव और स्टोव के हिस्से, पीतल की कलात्मक वस्तुएं, लकड़ी की नक्काशी, संगमरमर की प्रतिमाएं, संगीत के उपकरण और खराब हो जाने वाली वस्तुएं जैसे पापड़, मिष्ठान, सुपारी, हल्दी, सूखी मछली, डिब्बा बन्द सब्जियां, बीड़ियां और···नसवार सम्मिलित हैं।

जिन पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उन्हें संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। पोत के मालिकों, बम्बई में उनके एजेंटों तथा कोचीन में उनके स्थानीय एजेन्टों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

की गई छानबीन से यह भी पता चला है कि मैसर्स अकई इम्पैक्स प्रा० लि० दक्षिण अफ्रीका को 1.5 लाख रुपये मूल्य के मसालों और खेल के सामान जैसे माल को गुप्त रूप से निर्यात करने में लगे हैं।

(ग) नियमों के विरुद्ध भेजे जाने वाले माल को अभिगृहीत कर लिया गया है तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अन्तर्ग्रस्त पार्टियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गये हैं। जांच कार्य अभी चल रहे हैं।

विवरण

उन पार्टियों की सूची जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(i) मैसर्स सीमा सिल्क एण्ड सारीज, बम्बई।

(ii) मैसर्स जगदीश एण्ड कम्पनी, बम्बई।

(iii) मैसर्स वाधजी लक्ष्मीदास एण्ड कं०, बम्बई।

(iv) मैसर्स वी० एन० पी० इम्पोर्ट एक्सपोर्ट (प्रा०) लि० बम्बई।

(v) मैसर्स पेंगुइन (मैन्यूफैक्चरिंग) इन्टरनेशनल, बम्बई।

(vi) मैसर्स एन० हिम्मतलाल एण्ड कं०, बम्बई।

(vii) मैसर्स भूला सन्स बम्बई।

(viii) मैसर्स एम० डी० भूला एण्ड कं०, बम्बई।

(ix) मैसर्स रोक्सी इन्टरनेशनल, लुधियाना।

(x) मैसर्स जे० के० ट्रेडर्स, बम्बई।

(xi) मैसर्स हाजी भाई एण्ड सन्स, बम्बई।

(xii) मैसर्स एवन इन्डस्ट्रीज, कारपोरेशन, मुरादाबाद।

(xiii) मैसर्स इम्पल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई;

(xiv) आरबी शिपिंग कम्पनी।

कोचीन में वैलिंगटन द्वीप में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात यार्ड का विस्तार

2898. प्रो० के० वी० थामस : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा केरल को इस्पात और अन्य मदों की अपर्याप्त सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या कोचीन में वैलिंगटन द्वीप में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के इस्पात यार्ड का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) जी, हां। केरल सरकार ने अपने विभिन्न विभागों के लिए इस्पात की अपर्याप्त उपलब्धि के बारे में सूचित किया है।

(ख) और (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के विचार से कोचीन स्थित उनका वर्तमान स्टाक यार्ड निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त है :—

(i) यह आकार में छोटा है और यह दो हिस्सों में बंटा हुआ है जिससे प्रचालन कार्य मुश्किल हो जाता है; और

(ii) इसमें लोहे और इस्पात की सामग्री के एक रैक की उतराई के लिए सुविधाएं नहीं हैं।

"सेल" ने इन अड़चनों पर काबू पाने के लिए अपने स्टाक यार्ड के लिए रेलवे-स्टेशन के समीप एक उपयुक्त वैकल्पिक भू-खण्ड का चयन किया है। राज्य सरकार से भूमि-अर्जन की कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान रेलवे ने प्रस्तावित स्थल के लिए एक साइडिंग की व्यवस्था करना सम्भव पाया है।

चेकोस्लोवाकिया और भारत के बीच व्यापार

2899. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चेकोस्लोवाकिया सोशलिस्ट गणराज्य के कुल व्यापार में हाल ही के वर्षों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय चेकोस्लोवाकिया द्वारा भारत से किन-किन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है; और

(ग) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनका इस समय दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात होता है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। भारत चेकोस्लोवाकिया व्यापार, जो 1983-84 में 114.29 करोड़ रु० था, बढ़कर 1984-85 में 118.99 करोड़ रुपए (अनन्तिम) हो गया।

(ख) इस समय चेकोस्लोवाकिया द्वारा भारत से आयात की जाने वाली मदों में शामिल है : कृषि उत्पाद, वस्त्र, इंजीनियरी माल, खनिज तथा अयस्क, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान; खनिज तथा सम्बद्ध उत्पाद; तथा अन्य विविध मदें।

(ग) 1984 में, चेकोस्लोवाकिया ने भारत से इन चीजों का आयात किया : बल्क चाय, काली मिर्च तथा मसाले, काजू गिरी, मूंगफली एच०पी०एस०, तेल रहित खली, तेल रहित चावल की भूसी, खुमी, अरण्डी का तेल, काजू छिलका तेल, द्रव, चमड़ा तथा चमड़ा आधारित उत्पाद; गोंद, बासमती चावल, तम्बाकू अभ्रक तथा अभ्रक आधारित उत्पाद; लौह अयस्क, लौह अयस्क सांद्रण, मैंगेनीज अयस्क, चमड़ियां तथा खालें, तैयार चमड़ा, शू-अपर्स तथा चमड़ा उत्पाद, कपास, काटन, चीनी, सूती वस्त्र, सूती सिले-सिलाये परिधान, हथकरघा फैब्रिक्स, ऊनी कालीन, पटसन से बना सामान; कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, तैयार भेषजीय उत्पाद, बैटरी सैल, टेक्सटाइल मशीनरी, रेलवे वेगनों का सामान, जेरोग्राफिक उपस्कर, हस्तशिल्प की वस्तुएं आदि।

1984 में चेकोस्लोवाकिया से भारत के आयातों में शामिल हैं : रोल्ड इस्पाती उत्पाद, बाल, रोलर तथा टेपर बियरिंग, सीवन रहित पाइप, ट्यूबें तथा खोल, डीजल जेनेरेटिंग सेट तथा अतिरिक्त

पुर्जे; मशीनी औजार, चेकोस्लोवाकिया से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए संघटक तथा अतिरिक्त पुर्जे, अखबारी कागज, प्लास्टिक सामग्री; यूरिया, इलेक्ट्रानिक औजार तथा संघटक, टर्बो कम्प्रेसर्स, शन्टर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे, जूता बनाने, कमाने तथा चमड़ा तैयार करने वाली मशीनरी, प्रिंटिंग मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, आटे की चक्की के उपस्कर, सिट्रिक एसिड बनाने के उपस्कर, कट ग्लास, कांच के मनके, प्रयोगशाला रसायन; कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन; भेषजीय कच्ची सामग्री, आदि।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से चीनी का आयात

2900. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर चीनी का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष (जनवरी, 1985 से अक्तूबर, 1985) के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से तथा अन्य देशों से कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया है और किस मूल्य पर इसकी खरीद की गई देश-वार प्रति किलोग्राम अथवा प्रति टन मूल्य कितना था;

(ग) क्या यह सच है कि चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 80 पैसे प्रति किलोग्राम है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि आयातित चीनी राशन/उचित दर की दुकानों द्वारा 5.80 रु० प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष का आयात अप्रैल, 1985 से आना आरम्भ हो गया है। अप्रैल से अक्तूबर, 1985 के दौरान आयातित चीनी की मात्रा 12.10 लाख मे०टन है और पहले ही की गई संविदाओं के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात के लिए प्रति मे०टन औसत अनुमानित लागत बाकी भाड़ा मूल्य 2275/- रुपए (अनन्तिम) प्रति मे०टन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आयातित चीनी कंट्रोल के माध्यमों के जरिये खुली बिक्री में ऐसी कीमत पर, जो 5.80 रु० प्रति किग्रा० से अधिक न हो, वितरण के लिए राज्य सरकारों को आबंटित की जा रही है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें भी इस आयातित चीनी को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 5.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही हैं। आयातित चीनी का एक भाग लेवी चीनी के रूप में सभी राज्य सरकारों को आबंटित किया जा रहा है और इसका वितरण 4.80 रुपए प्रति किलोग्राम की एक समान कीमत पर उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।

सोवियत संघ के सहयोग से आन्ध्र प्रदेश में निर्यातोन्मुख अल्यूमिना परियोजना स्थापित करने का करार

2901. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक निर्यातोन्मुख अल्यूमिना परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में अप्रैल, 1985 के अन्त में मास्को में हुई भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान चर्चा हुई थी;

(ख) क्या सोवियत-सहयोग सहायता से ऐसी एक परियोजना स्थापित करने के लिये कोई करार-समझौता किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समय मामला किस स्थिति में है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बैठक में आन्ध्र प्रदेश में 2.3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की निर्यात-प्रधान बाक्साइट खान के निर्माण में सहयोग पर चर्चा हुई थी।

(ख) और (ग) यह सहमति हुई थी कि सोवियत पक्ष बाक्साइट खनन कम्पलैक्स के बारे में एक साध्यता रिपोर्ट तैयार करेगा।

(घ) साध्यता रिपोर्ट के लागत खर्च हेतु वित्त व्यवस्था की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

पूंजीगत माल के आयात में वृद्धि/गिरावट

2902. **श्री अनिल बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक वर्ष-वार कुल कितने मूल्य के पूंजीगत माल का आयात किया गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान वर्ष-वार पूंजीगत माल के आयात में प्रतिशतता के रूप में कितनी वृद्धि/गिरावट हुई ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। जिसमें 1982-83 (मार्च, 1983 तक) के दौरान सम्पूर्ण मशीनों और उपस्करों के आयातों का कुल मूल्य एवं उक्त अवधि के सम्बन्ध में प्रतिशतता के रूप में वृद्धि अथवा गिरावट दर्शाई गई है। मार्च, 1983 के बाद की अवधि के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान सम्पूर्ण मशीनों तथा उपस्कर (फालतू पुर्जे तथा संघटकों को (छोड़कर) का आयात तथा प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा गिरावट (—)।

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्रमांक	मद का विवरण	1982-83	1981-82 की तुलना में 1982-83 में प्रतिशत वृद्धि (+) गिरावट (—)
1.	सम्पूर्ण मशीनें एवं उपस्कर	1213.08	(+) 25.9

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन के महानिदेशालय, कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े।

विलासिता की वस्तुओं का आयात

2903. **श्री मतिलाल हंसदा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 से 1985-86 (सितम्बर, 1985 तक) में आयात की गई विलासिता की प्रत्येक वस्तु का वर्षवार मूल्य क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : आयात नीति में वाणिज्यिक कार्यों के लिए विलासिता की वस्तुओं के आयात की अनुमति नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार की बातों को ध्यान में रखते हुए तथा अर्थव्यवस्था की सीमित आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए मेवे तथा ताजे फलों जैसी कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की अनुमति है। आवास के अन्तरण पर कार तथा घरेलू सामान के आयात की भी अनुमति है। विलासिता की मदों विशिष्ट उल्लेख के अभाव में आयातों के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

मैहर में पर्यटन केन्द्र का विकास

2904. **श्री अजीज कुरेशी :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर में शारदा माता के मन्दिर में पूजा करने तथा उस्ताद अलाउद्दीन संगीत के वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए भारत तथा विदेशों से हजारों लोग मैहर आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मैहर कस्बे का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने और वहां आधुनिक सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैहर स्थित शारदा माता के मन्दिर में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक कैफेटेरिया और शौचालय के निर्माणार्थ मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। इन सुविधाओं का प्रचालन इसी वर्ष के दौरान शुरू हो जाने की आशा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में वायनाड में काफी नीलामी केन्द्र खोलना

2905. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मालूम है कि काफी उत्पादकों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या काफी उत्पादकों की शिकायतों को आंशिक रूप से समाधान करने के लिए केरल में वायनाड में एक काफी नीलामी केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। उपजकर्ताओं को कई वर्षों से काफी की स्थायी तथा लाभकारी कीमतें मिल रही हैं। काफी बोर्ड, समय-समय पर हुई समस्याओं के हल करने के लिए उपाय करने में सक्षम रहा है।

(ख) जी, नहीं। काफी बोर्ड को केरल के काफी उपजकर्ताओं से ऐसी मांग के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विदेशी पर्यटकों की भारत यात्रा

2906. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 (आज तक) के दौरान भारत यात्रा पर आये विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान लद्दाख के विशेष संदर्भ में, भाग (क) के उल्लिखित पर्यटकों में से कुल कितने पर्यटकों ने जम्मू और काश्मीर की यात्रा की; और

(घ) भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर वर्ष 1982 से लेकर अद्यतन विदेशी पर्यटक आगमन इस प्रकार हैं :—

वर्ष	संख्या	% अन्तर
1982	860,17	—
1983	884,731	2.9
1984	852,503	—3.6
1985 (जनवरी-अक्तूबर)	660,624	—6.7*

*पिछले वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में।

(ग) देश में विभिन्न राज्यों/स्थानों की यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों के विश्वसनीय आंकड़े एक नियमित आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार भारत की यात्रा कर रहे कुल विदेशी पर्यटकों के लगभग 8.56% ने जम्मू और काश्मीर राज्य में और लगभग 0.96% ने लद्दाख में कम से कम एक रात बिताई।

(घ) 1984 के दौरान और 1985 में पर्यटक आगमनों में कमी का कारण 1984 के उतरार्द्ध और 1985 के पूर्वार्ध में देश में घटी कुछ घटनाओं के बारे में प्रतिकूल मीडिया-कवरेज था। सरकार ने अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, जो कदम उठाए हैं उनमें प्रतिकूल मीडिया प्रचार को निष्प्रभावी करने के लिए अभियान चलाना, उपभोक्ता प्रचार पर जोर देना, विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं और यात्रा एजेन्टों के साथ जनसम्पर्कों को बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा आन्तरिक परिवहन प्रणालियों का विस्तार करना आदि शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए बैंक प्रभार में वृद्धि

2907. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अक्तूबर, 1985 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक प्रभार में की गई हाल की वृद्धि का विरोध किया है;

(ख) क्या इस वृद्धि से अनेक प्रतिष्ठानों विशेषकर लघु और मध्यम प्रतिष्ठानों की संचालन

लागत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या छोटे व्यापारियों को बैंक सेवा प्रभारों में कोई राहत दी जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सेवा प्रभार बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन, यह वृद्धि काफी हद तक ऐसी सेवाएं प्रदान करने में बैंकों द्वारा वहन की जाने वाली लागत को पूरा करने के लिए की गई हैं। सेवा प्रभारों में संशोधन इस प्रकार किया है कि कम राशियों की दरें कम रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त बैंक प्रभार साधारणतः किसी प्रतिष्ठान की कार्यचालन लागत का कोई काफी बड़ा हिस्सा नहीं होते और इसलिए इन संशोधनों का उत्पादन लागत पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

नारियल के तेल के लिए जारी किये गए आयात लाइसेंस

2908. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नारियल के तेल का आयात करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आज तक कितने लाइसेंस जारी किये गए हैं; और

(ख) आज तक नारियल के तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्तमान आयात नीति के अनुसार नारियल तेल का आयात राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०)/हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कार्पोरेशन नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन किए जाने की अनुमति है। संयोग से खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अधीन आयातित मदों के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं हैं।

(ख) 1982 और 1983 के दौरान एस०टी०सी० ने नारियल तेल का आयात नहीं किया है। नारियल तेल की घरेलू कीमतों पर दबाव कम करने के लिए एस०टी०सी० द्वारा अप्रैल 1984 में केवल लगभग 9,000 मी०टन की मात्रा का आयात किया गया है। इस अवधि के दौरान हिन्दुस्तान वैजीटेबल आयल कार्पोरेशन ने नारियल तेल का कोई आयात नहीं किया है। (प्रतिपूर्ति/अग्रिम/अंशदाय लाइसेंसों के आधार पर निर्यात उत्पादन के लिए नारियल तेल का सीधे आयात की अनुमति है)। इस श्रेणी के अधीन आयात की मात्रा नगण्य है।

जनता कपड़े के उत्पादन को हथकरघा क्षेत्र को अन्तरण किए जाने के पश्चात की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई

2909. श्री आर० एम० भोये
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी
: क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई न किए जाने पर जनता कपड़े के पूरे उत्पादन को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हथकरघा क्षेत्र को अन्तरित करने के प्रस्ताव पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) क्या नागपुर स्थित महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम तथा विदर्भ बुनकर केन्द्रीय सहकारी समिति के प्रतिनिधियों और हैदराबाद में विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि केन्द्रीय सरकार इन निकायों से बिना मुनाफ़ा कमाये अधिक अवधि तक काम जारी रखने की अपेक्षा नहीं कर सकती; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए गये सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आवश्यक अनुवर्ती उपाय शुरू किये जा चुके हैं।

(ख) और (ग) समाचार पत्रों में दिए गये समाचार के अनुसार एक मुलाकाती पत्रकार को योजना के गैर-लाभप्रद रूप से चलने के बारे में बताया गया है। इस संबंध में सरकार को कोई विस्तृत सुझाव नहीं दिये गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की ऋण ग्रस्तता

2910. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू सात महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण की राशि बहुत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण राशि कितनी है तथा गत वर्ष यह कितनी थी;

(ग) इसमें इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बैंक केन्द्रीय सरकार से इस राशि पर कोई ब्याज लेता है और यदि हां तो उसकी दर क्या है तथा यह किस प्रकार वसूल किया जाता है; और

(ङ) चालू वर्ष के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों पर कितना

ऋण है और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसकी राशि क्या थी ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के सात महीनों के दौरान अब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिए गए निवल ऋण के आंकड़े वर्ष 1984-1985 के तुल्य आँकड़ों सहित नीचे दिए गए हैं :—

		अप्रैल-अक्टूबर (करोड़ रुपये)
	मार्च के अन्तिम शुक्रवार को	मार्च के अन्तिम दिन को
1984-85	2,387	+1,969
1985-86	+5,549	+1,712

केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण में अत्यन्त घटबढ़ होती रहती है और बिन्दु-प्रति बिन्दु आधार पर की गई कोई भी तुलना वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति की सूचक नहीं होती।

(घ) राजकोष हुण्डियों पर बट्टे की विद्यमान दर 4.5 प्रतिवर्ष है, जबकि केन्द्रीय सरकार की दीर्घ दिनांकित प्रतिभूतियों पर परिपक्वता की अवधि के अनुसार दर में अन्तर होता है। 30 वर्षों की सबसे अधिक परिपक्वता अवधि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

(ङ) राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल और अक्टूबर, 1985 तथा पिछले वर्ष के दौरान दिए गए आंकड़ें निम्नलिखित हैं।

		अप्रैल-अक्टूबर (करोड़ रुपये)
	मार्च के अन्तिम शुक्रवार को	मार्च के अन्तिम दिन को
1984-85	—148	+ 86
1985-86	—-1,703	—2,327

पश्चिम बंगाल में स्वर्ण आभूषण निर्यात काम्पलैक्स

2911. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित स्वर्ण आभूषण निर्यात काम्पलैक्स के लिए स्थान के चयन को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथार्टी को, उन फर्मों से पहले ही प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं; जो इस काम्पलैक्स में अपना एकक स्थापित करने को इच्छुक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या काम्पलैक्स के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कार्य शुरू किया गया है;

(ङ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, जैसाकि उसने पहले सहमति व्यक्त की थी, इस परियोजना के लिए कोई सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और परियोजना के कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र में आभूषण एकक स्थापित करने के लिए केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) से (च) पश्चिम बंगाल औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम के, जोकि प्रायोजक अभिकरण है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक उप-समिति को परियोजना के लिए योजना तथा प्राक्कलन तैयार करने हैं जिसके बाद ऐसा प्रस्ताव है कि प्रायोजक अभिकरण सहायता के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सम्पर्क करेगा। प्रायोजक अभिकरण के अनुसार कम्पलैक्स के काम करने के लिए दिसम्बर 1986 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

इस्पात संयंत्रों में वायु और जल प्रदूषण का वर्तमान स्तर

2912. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री समन्वित संयंत्रों के बारे में 3 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छह समन्वित इस्पात संयंत्रों में से प्रत्येक में वायु और जल प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के अनुसार आयात किए जाने वाले उपकरण का

मूल्य और किस्म क्या है; और

(ग) प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुल आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के इस्पात कारखानों में विसर्जित जल की विश्लेषण रिपोर्टें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

भिलाई, बोकारो और राउरकेला के इस्पात कारखानों में वायु-प्रदूषण के बारे में प्रारम्भिक अध्ययनों से वायुमण्डल और स्टैक में सामान्य प्रदूषण की स्थिति होने के संकेत मिलते हैं। इस बारे में शुरू किये जाने वाले विस्तृत अध्ययनों से और जांच की जाएगी। दुर्गापुर इस्पात कारखाने और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर में वायु-प्रदूषण सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन शीघ्र ही किए जाएंगे।

सातवीं योजनावधि में कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रदूषण पर और नियंत्रण करने के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है।

(ख) और (ग) विस्तृत अध्ययनों का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात ही आयात किए जाने वाले उपकरणों की किस्म और इनकी कीमत के बारे में पता चल सकेगा।

विवरण

"सेल" के कारखानों में बहि-स्राव के विश्लेषण के परिणामों का अधिकतम और न्यूनतम स्तर

क्र० सं०	लक्षण	जल में अम्लता सूचित करने की इकाई	कुल निलंबित ठोस पदार्थ मि०ग्राम/ली०	जैविक आक्सीजन मांग मि० ग्राम/लीटर	रसायन आक्सीजन मांग मि० ग्राम/लीटर	अमोनिया मि०ग्राम/लीटर	फिनोल मि० ग्राम लीटर	सायनाइड मि०ग्राम लीटर	तेल और ग्रीज मि० ग्राम/लीटर	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	निर्धारित सीमा	55-9.0	100	30	250	50	1.0	0.2	10.0	
1. भिलाई इस्पात कारखाना										
	निकास-1-7	7.3-7.6	40-112	13-40	97-240	0.15-8.0	शून्य	शून्य	शून्य	
	निकास-8-10	7.5-8.2	40-110	15-30	88-185	लेश-मात्र 2.5	शून्य	शून्यं	शून्य	1.0
	निकास-15-. 7	7.3-8.6	35-200	6-36	68-170	0.05-6	1.0	शून्य	शून्य	1-0
	कुतेलबात आक्सीजन जलाशय	8.3-8.8	30-80	14-18	112-170	लेश-मात्र.75	शून्य	शून्य	शून्य	
2. बोकारो इस्पात कारखाना										
	निकास-1	8-8.3	25-30	8-10	170-200	—	शून्य	शून्य	शून्य	
	निकास-2	8.2-8.8	50-70	3-6	500-600	—	शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	निकास-2-(ख)	8.3-8.5	40-60	7-10	170-200	—	.05-.1	शून्य	शून्य	
	निकास-3	7.6-7.9	30-50	10-15	110-120	—	0.03-0.05	शून्य	शून्य	
3.	राउरकेला इस्पात कारखाना									
	निकास	7.5-8.5	30-90	5-8	30-50	6-12	0.22-0.05	0.05-0.07		2-8
4.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना									
	निकास-1	7.3-8.2	10-"0	—	—	—	—	—		3-8
	निकास-2	7.2-8.0	50-400	—	—	—	—	—		2-5
	निकास-3	7.5-8.2	30-600	—	—	—	5-11	—		1-6
	निकास-4	7.2.7.5	500-800	—	—	—	—	—		2-5
	निकास-5	4.0-7.5	10-100	—	—	30-100	50.80	5-20		20-80
5.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं०									
	दामोदर नदी के निचले									
	भाग में दामरा निकास									
	300 मि०,	7.2-7.5	10-40	8-15	30-50	1-2	शून्य	शून्य	शून्य	
	दाहिका निकास	7.2-7.5	30-50	20-50	80-150	0.2-40.	1-0.7	शून्य	शून्य	10-15
	अल्कातारा तलाब	7.2-7.6	100-300	100-150	300-500	50-70	2.0-6.0	1.2-2.5		2-10
	बस्ती बहिस्राव	7-8.5	300-400	120-160	300-475	60-80	0.1-0.15	शून्य		4-5

"2 स्टील फर्म्स हैल्ड अन्डर कोफेपोसा" शीर्षक से समाचार

2913. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 12 नवम्बर, 1985 के "दी स्टेट्समैन में प्रकाशित "2 स्टील फर्म्स हैल्ड अन्डर कोफेपोसा" शीर्षक से समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस प्रकार के धोखा-धड़ी की कार्य-प्रणाली क्या है और इस धोखा-धड़ी का पहले पता क्यों नहीं चला; और

(घ) अब इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और भविष्य के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कलकत्ता के सर्वश्री गोविन्द राम अग्रवाल, शंकर लाल सराफ और राधेश्याम तुलसियान को मुख्यतया स्टेनलेस स्टील के सर्कलों, ऐंगलों, जी० पी० शीटों, क्वाइलों आदि के आयातों के सम्बन्ध में न्यून बीजकांकन किए जाने के मामलों के सिलसिले में, करोड़ों रुपए के सीमा शुल्क की चोरी किए जाने और वर्ष 1981 से 1984 तक की अवधि से सम्बन्धित आयात लाइसेंसों की जालसाजी के सिलसिले में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबन्द किया गया था। मामलों का पता 1983 से तथा उसमें आगे चला था परन्तु साक्ष्य के एकत्र किए जाने में, जिसमें माल की सूचना और वास्तविक बीजक मूल्य का पता लगाया जाना शामिल है कुछ समय लगा। मामलों की जांच पड़ताल कर रहे सीमा शुल्क अधिकारियों के संबंध में पार्टियां उच्च न्यायालय से व्यादेश प्राप्त करने में भी सफल हो गईं। वे व्यादेश अभी भी लागू हैं। व्यादेशों को रद्द करवाने के लिए अब उपाय किए गए हैं ताकि मामलों की जांच पूरी तरह हो सके। इस प्रकार के ऊंचे लाभ वाले माल की सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात-कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कच्ची पटसन के निर्यात का प्रस्ताव

2914. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से कच्ची पटसन का निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को और किस मूल्य पर निर्यात किया जाएगा;

(ग) क्या पटसन मिलों से छः सप्ताह स्टाक रखने के लिए कच्चे पटसन का पर्याप्त स्टाक खरीदने के लिए कहा गया था ;

(घ) क्या 50 प्रतिशत मिलों ने ऐसा नहीं किया है; और

(ङ) क्या ऐसी चूक करने वाली मिलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय पटसन निगम रुपया भुगतान क्षेत्र तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र दोनों के देशों को कच्चे पटसन के निर्यात की संभावना का पता लगा रहा है : उन्होंने हाल ही में 1985 हेतु व्यापार योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 1985/मार्च, 1986 लदानों के लिए 2.43 करोड़ रु० मूल्य की कच्चे पटसन की 28000 गांठों के निर्यात के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। पोलैन्ड के साथ निर्यात संविदाओं के लिए वार्ताएं शुरू की गई हैं।

(ग) से (ङ) एः विवरण संलग्न है।

विवरण

कच्चे पटसन की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से वस्त्र आयुक्त द्वारा पटसन (लाइसेंसिग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 9 क के अधीन गैर-सरकारी क्षेत्र की 54 कार्यरत पटसन मिलों के संबंध में एक आदेश दिनांक 6-9-1985 जारी किया गया जिसके अन्तर्गत उनसे कच्चे पटसन की अपनी खरीदारियां एक ऐसे ढंग से करने का निदेश किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाए कि कच्चे पटसन की उनकी अलग-अलग माल सूची बढ़कर क्रमशः 30-9-85 तथा 31-10-85 तक छह सप्ताह तथा दस सप्ताह की खपत के बराबर हो जाए। नवीनतम स्थिति की समीक्षा करने पर दस सप्ताह का स्टाक स्तर बनाने के लिए समय सीमा एक आदेश दिनांक 31-10-85 द्वारा बढ़ा दी गई है और मिलों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि उनके स्टाक 30-11-85 तक दस सप्ताह के स्तर से नीचे न जाएं।

पश्चिम बंगाल में स्थित 44 मिलों, जिनके संबंध में उपरोक्त आदेश प्रयोज्य हैं का निष्पादन निम्नलिखित अनुसार है :—

कच्चे पटसन का स्टाक	मिलों की संख्या
1	2
(क) दस सप्ताह तथा ऊपर	30
(ख) छह सप्ताह तथा ऊपर परन्तु दस सप्ताह से कम।	6

1	2
(ग) पांच सप्ताह तथा ऊपर परन्तु छह सप्ताह से कम।	3
(घ) पांच सप्ताह से कम	5
योग	44

दण्डात्मक उपाय के रूप में पटसन आयुक्त ने नवम्बर, 1985 के माह के लिए बी० टिवल कोटा आवंटन से 15 व्यक्तिक्रमी मिलों को विवर्जित किया। बी० टिवल कोटा आवंटन को रोकने से हितकारी प्रभाव पड़ा है और हाल ही में व्यतिक्रमी मिलों द्वारा स्टाक सृजन के प्रयासों में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है। हाल ही में, पटसन आयुक्त के स्टाक ने 6 मिलों की स्टाक रिपोर्टों की यथार्थता देखने के लिए वास्तव में उनकी जांच की और इन सभी मामलों में रिपोर्टें ठीक पाई गई हैं। पटसन आयुक्त स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखे हुए हैं।

भारतीय पटसन निगम द्वारा की गई खरीद

2915. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम द्वारा अक्टूबर, 1985 तक राज्य-वार कुल कितनी खरीद की गई;

(ख) क्या यह खरीद सरकार द्वारा भारतीय पटसन निगम के लिए निर्धारित किसी लक्ष्य के अनुरूप थी;

(ग) क्या यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक अथवा कम मूल्यों पर की गई; और

(घ) क्या नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन के अन्तर्गत आने वाली मिलों के अलावा अन्य मिलें पटसन की खरीद भारतीय पटसन निगम से कर रही हैं या खुले बाजार से कर रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारतीय जूट निगम द्वारा अक्तूबर, 1985 तक कच्चे जूट की, की गई कुल खरीदारियां राज्य-वार निम्नोक्त प्रकार हैं :—

राज्य	180 किग्रा० की गांठों में
1	2
आसाम	1,68,889
बिहार	1,31,278
बंगाल	6,94,444
त्रिपुरा	23,889

1	2
उड़ीसा	15,798
आन्ध्र	9,889
मेघालय	6,111
योग	10,50,298

(ख) भारतीय जूट निगम को उन्हें किसानों द्वारा सांविधिक न्यूनतम कीमत पर आफर की गई कच्चे जूट की मात्रा खरीदने के लिए आग्रह किया गया है।

(ग) भारतीय जूट निगम द्वारा की गई खरीदारियां न्यूनतम समर्थन कीमत अथवा इससे अधिक कीमतों पर होती है।

(घ) भारतीय जूट निगम के वाणिज्यिक कार्य मुख्यत: एन० जे० एम० सी० और अन्य सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की जूट मिलों के लिए हैं, परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र की जूट मिलें भी खरीद वापसी संविदा आधार पर खरीद कर सकती हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की तटवूर स्थित शाखाओं में हुआ घाटा

2916. श्री मुरलीधर माने
श्री सोमनाथ रथ } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक की कुछ तटवूर स्थित शाखाओं में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन शाखाओं के नाम क्या हैं;

(ग) घाटा कब से हो रहा है;

(घ) 31 दिसम्बर, 1984 तक इनमें कितना घाटा हुआ था और जनवरी से जून, 1985 के बीच की स्थिति क्या है;

(ङ) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(च) भारतीय स्टेट बैंक की इन शाखाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक की

सिंगापुर स्थित विदेशी शाखा सहित कुछेक शाखाओं को वर्ष 1984 में हुई ऋण हानियों की सूचना मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ऐसा कुछ बड़े ऋणकर्त्ताओं को दिए गए ऋणों के डूब जाने और कुछ देशों से भुगतानों के विदेशी मुद्रा में न बदलने की समस्या के कारण हुआ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, वाणिज्यिक बैंक प्रति वर्ष अपनी वार्षिक आय में से अपने लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए व्यवस्था करते हैं और उनके प्रबंध द्वारा अन्ततोगत्वा वसूली के योग्य न समझे जाने वाले ऋणों को इस प्रकार की गई व्यवस्था के मुताबिक बट्टे खाते डाल देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भी सिंगापुर शाखा के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों सहित अपनी देनदारी पूरी करने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। बैंककारी विनियमन, 1949 के अन्तर्गत निर्धारित तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरण के प्रपत्र और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार असोध्य और संदिग्ध ऋणों, जिनके लिए बैंकों द्वारा अपने लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई होती है, ब्यौरा प्रकट नहीं किया जाता। इसे देखते हुए इस संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। भारतीय रिजर्व बैंक ने, फिर भी, सूचित किया है कि उसने पहले ही भारतीय स्टेट बैंक को सिंगापुर शाखा में हुई विभिन्न ऋण की हानियों की जांच करने और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।

(च) भारतीय रिजर्व बक और सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशी शाखाओं के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है। बैंकों को सभी विदेशी शाखाओं के कार्यकरण को मजबूत करने और अलाभप्रद शाखाओं को यदि वे अर्थक्षम नहीं हैं, बंद करने के अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं।

सातवीं योजना के दौरान गेहूं, कृषि उत्पादों और कृषि पर आधारित वस्तुओं का निर्यात

2917. श्री मुरलीधर माने
श्री सोमनाथ रथ
: क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितना गेहूं निर्यात किया गया;

(ख) क्या देश में कृषि उत्पादों और कृषि पर आधारित वस्तुओं का निर्यात करने की पर्याप्त क्षमता है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादों और कृषि पर आधारित वस्तुओं में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) उक्त प्रयोजन के लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो वह क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1985-86 के दौरान गेहूं के निर्यात की अनुमति दी गई है। तथापि, 1984-85 के दौरान सूखा पीड़ित अफ्रीकी देशों के गेहूं के पोतलदान की भी अनुमति थी। भारतीय खाद्य निगम ने 1-1-1985 से गेहूं का निर्यात इस प्रकार किया है :—

(i)	सूखा पीड़ित देशों को उपहार	87,727,46 मे० टन
(ii)	सोवियत संघ को निर्यात	2,07,358 मे० टन
(iii)	वस्तु ऋण के रूप में वियतनाम को निर्यात	70,771 मे० टन

(ख) जी हां।

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सातवीं योजना के दौरान उत्पादन करने वाली प्रस्तावित नीति के व्यापक तत्व इस प्रकार हैं :

(i) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि।

(ii) रासायनिक उर्वरकों जैसे मुख्य अन्तर्निविष्ट साधनों के उपयोग में वृद्धि।

(iii) सुनिश्चित किस्म के अन्तर्निविष्ट साधनों की समय पर सुपुर्दगी के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं का मजबूत बनाना।

(iv) नाशीकीट और बीमारी निगरानी व्यवस्थाओं और समय पर नियंत्रण कार्यों को तीव्र करना।

(v) फसल की सघनता एवं उत्पादकता में वृद्धि।

(vi) बंजर भूमि, खारी और क्षारीय भूमि, जलाक्रान्त तथा तटीय खारी क्षेत्रों का सुधार तथा विकास।

(vii) भूमि की क्वालिटी में सुधार के लिए मिट्टी संरक्षण उपाय।

(viii) फसल बीमा का प्रावधान।

(ix) लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।

(x) फार्म स्तर पर औद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए विस्तार व्यवस्था को मजबूत करना।

यह भी प्रस्ताव है कि अन्त: क्षेत्रीय, अन्त: फसल और अन्त: श्रेणी विषमताओं को कम करने के लिए विशेष कार्यक्रम को आरम्भ किया जाए।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं योजना (1985-90) के लिए प्रमुख कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य

	कृषिगत वस्तु	एकक	सातवीं योजना (1985-90)
1.	चावल	मि० टन	13.00—75.00
2.	गेहूं	"	56.00—57.00
3.	मोटा अनाज	"	34.00—35.00
4.	दालें	"	15.00—16.00
	खाद्यान्न	"	178.00—183.00
5.	सरसों		18.00
6.	रुई	मि० गांठें प्रत्येक गांठ 170 किग्रा० की	9.50
7.	गन्ना	मि०टन प्रत्येक गांठ	217.00
8.	जूट एवं मेस्ता	मि० गांठें प्रत्येक गांठ 180 किग्रा० की	9.50
9.	दूध	मि० टन	51.00
10.	अण्डे	मि० टन	19.900
11.	मछली	लाख टन	40.00

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी समिति के सुझाव

2918. श्री सैयद मसुदल हुसैन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए 22 अक्तूबर, 1984 को सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं;

(ख) उन सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पृथक करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जिला वार पुनर्गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा 28-8-1984 को गठित कार्यकारी दल से है। दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक ढांचे और कार्य को सरल बनाने के विचार से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इस सम्बन्ध में जब प्रस्ताव तैयार हो जाएंगे, तब उन्हें विधायी प्रस्ताव के रूप में संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात सम्बन्धी समस्या

2919. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात के सम्बन्ध में कुछ समस्याएं हैं;

(ख) यदि हां, तो समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने को जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) बिजली तथा कोक ओवन गैस की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न होने के कारण क्षमता के उपयोग में कमी। दामोदर घाटी निगम से बिजली की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई के अभाव में पूरी क्षमता पर कारखाने को नहीं चलाया जा सकता है।

(2) पुरानी प्रौद्योगिकी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी तथा उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई।

(3) मिश्र इस्पात के लिए बाजार में कड़ी स्पर्धा के कारण अलाभकारी बिक्री मूल्य।

(4) आदानों की लागत में वृद्धि के कारण भारी उत्पादन लागत। वर्ष 1983-84 के मुकाबले में वर्ष 1984-85 के दौरान स्क्रैप, निकलएफेरो-निकल और अन्य मिश्र धातुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि।

(5) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित श्रम-शक्ति की तुलना में काफी फालतू श्रम-शक्ति के कारण उत्पादन की प्रति इकाई की भारी श्रम लागत।

(ग) और (घ) समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) चरण-1 के अन्तर्गत क्षमता के विस्तार के लिए दामोदर घाटी निगम से बिजली की अतिरिक्त सप्लाई प्राप्त करने के लिए प्रयास किये गये हैं।

(2) वैक्युम आर्क डी-गैसिंग, वैक्युम आक्सीजन डी-कार्बोराइजेशन और निरन्तर ढलाई मशीन की व्यवस्था करके प्रौद्योगिकी को अद्यतन किया जा रहा है, जिससे भारी मूल्य की मदों का उत्पादन करके प्रॉडक्ट-मिक्स में सुधार किया जा सकेगा।

(3) निकल आक्साइड सिन्टर पर आयात-शुल्क में 87 प्रतिशत से कमी करके 30 प्रतिशत तक तथा फेरो निकल पर आयात-शुल्क में 85 प्रतिशत से कमी कर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) वर्तमान जन-शक्ति को दूसरे स्थान पर लगाकर संयंत्र की विस्तार इकाइयों को 3 नवम्बर, 1985 से चलाया जा रहा है। (श्रम-शक्ति) को दूसरे स्थान पर लगाने के मामले पर श्रमिक समस्या के परिणामस्वरूप अक्तूबर, 1985 से उत्पादन बन्द हो गया था। आपसी बातचीत से इस समस्या का अब समाधान कर दिया गया है।

सितम्बर और अक्तूबर, 1985 के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में मारे गये आय कर छापे

2920. प्रो० **नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों में आय-कर सम्बन्धी कितने छापे मारे गए;

(ख) छापों के क्या परिणाम निकले तथा उक्त प्रत्येक शहर में सम्बन्धित पार्टियों से कितनी बेहिसाब धनराशि पकड़ी गई;

(ग) उनमें से ऐसी पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिनके पास (एक) 5 लाख रुपये, (दो) 10 लाख रुपये, (तीन) 20 लाख रुपये और (चार) इससे अधिक धनराशि बरामद की गई; और

(घ) उन मामलों में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चार महानगरों में सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के दौरान ली गई आय-कर की तलाशियों की संख्या और प्रथमदृष्ट्या पकड़ी गई लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य इस प्रकार है :—

नगर का नाम	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
दिल्ली	29	4.25
बम्बई	500	445.33
कलकत्ता	315	345.74
मद्रास	100	36.60

(ग) और (घ) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के दौरान पकड़ी गई परिसम्पत्तियों के मूल्य के अनुसार मामलों की संख्या इस प्रकार है : —

	मामलों की संख्या		
नगर का नाम	5 लाख रुपये से अधिक	10 लाख रुपये से अधिक	20 लाख रुपये से अधिक
दिल्ली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बम्बई	4	3	2
कलकत्ता	4	1	3
मद्रास	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1

इन सभी मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

दार्जिलिंग, नालन्दा, काजीरंगा और कोणार्क में पर्यटकों के लिए सुख-सुविधाएं

2921. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के महीनों में पर्यटक आवागमन में आई कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) दार्जिलिंग, नालन्दा, काजीरंगा और कोणार्क में पर्यटक आवागमन कितना है;

(ग) क्या इन स्थानों में ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन चार स्थानों में सुख-सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पर्यटक यातायात में आई गिरावट का प्रतिकार करने हेतु विभाग ने, इस तथ्य को उजागर करने के उद्देश्य से कि भारत महाद्वीपीय विस्तार वाला एक विशाल देश है और कुछेक स्थानों पर गड़बड़ी के बावजूद कुल मिला कर देश में शान्ति है तथा विदेशी पर्यटक किसी भी स्थान पर पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, विदेशों में पूरे जोर-शोर से एक पुनराश्वासन अभियान प्रारम्भ किया है। हमारे विदेश स्थित कार्यालयों की विपणन योजनाएं भी सीधे उपभोक्ता विज्ञापन, प्रेस, चुनिंदा यात्रा अभिकर्ताओं और मीडिया लोगों को भारत आने का निमन्त्रण देने तथा मुख्य बाजारों (मार्किटों) में संवर्धन हेतु शिष्ट मण्डल भेजने के आधार पर विकसित की गई हैं।

(ख) और (ग) स्वदेशी पर्यटकों के सम्बन्ध में आंकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं हैं देश के विभिन्न राज्यों/स्थानों से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी पर्यटकों के सम्बन्ध में आगमन सम्बन्धी आंकड़ों की संगणना प्रवेश-द्वारों पर की जाती है राज्यवार आधार पर नहीं की जाती। विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार भारत आने वाले कुल पर्यटकों के 1.55% ने कम से कम एक रात दार्जिलिंग में बिताई। तथापि, नालन्दा, काजीरंगा और कोणार्क के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) काजीरंगा और दार्जिलिंग प्रतिबन्धित क्षेत्र हैं और विदेशियों के लिए (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश 1963 में कवर किए गए हैं। इन स्थानों पर जाने के लिए विदेशी पर्यटकों से अपेक्षित पूर्व अनुमति लेने सम्बन्धी शर्त अधिकाधिक पर्यटकों के प्रवाह में एक बाधा है।

(ङ) उड़ीसा सरकार से कोणार्क में क्रमशः 11.50 लाख और 16.85 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर शापिंग काम्प्लेक्स और एक डे-सैंटर के निर्माण जैसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विभाग में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोणार्क में एक टायलेट-ब्लाक के निर्माण के लिए 3.49 लाख रुपये की एक राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है। बिहार में नालन्दा को राष्ट्रीय विरासत के एक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है। दार्जिलिंग या काजीरंगा के लिए 7वीं योजना के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु बाहरी देशों की पेशकश

2922. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय बाहरी देशों ने इस देश में कुछ बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार के साथ मई, 1985 में एक करार निष्पन्न किया गया था जिसके अन्तर्गत सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ ने कहलगांव तापीय बिजली संयंत्र, हाइड्रोकार्बन्स की एकीकृत खोज, झरिया कोयला क्षेत्रों में ओपन कास्ट खानों के निर्माण, सितनाला भूमिगत कोयला खान, पाथरडीह कोयला धोने के कारखाने के आधुनिकीकरण, कोयला प्राप्ति संयंत्र का डिजाइन बनाने के लिए संस्था की स्थापना करने तथा नई प्रौद्योगिकी चालू करने, लौह धातु कर्म और मशीन निर्माण के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सोवियत वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारत सरकार को एक ऋण दिया है। नवम्बर, 1985 में जापान सरकार के साथ एक ऋण करार निष्पन्न किया गया है जो गैस पाइपलाइन परियोजना, आओनला उर्वरक परियोजना, सरदार सरोवर पनबिजली परियोजना, उज्जैन पनबिजली परियोजना और दूरसंचार परियोजना के लिए है।

देश में परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए विदेशों से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, आस्ट्रिया, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त प्रस्तावों के अन्तर्गत ऐसी बड़ी परियोजनाएं आती हैं जैसे कि एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन के लिए गैस टर्बाइन, एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन, हेलीकोप्टर, दुल-हस्ती पनबिजली परियोजना, फरक्का सुपर थर्मल परियोजना, नाह्व शेव पत्तन पर उत्कर्षण कार्य, टिहरी बांध परियोजना, सुपर थर्मल परियोजना, रामपुर अरुवा खनन परियोजना, ग्राम जल पूर्ति परियोजना, रेलवे के लिए हैवी ड्यूटी क्रेन, येरगुंतुला सीमेंट विस्तार परियोजना। इन प्रस्तावों के बारे में सम्बद्ध परियोजना के लिए अनुमति देते समय सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारियों और प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों द्वारा परामर्श करने के बाद निश्चय किया जाएगा।

इस्पात का आयात

2923. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितना इस्पात आयात किया गया है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इस्पात आयात करने के क्या कारण हैं जबकि देश में बिना बिके इस्पात का बहुत भंडार पड़ा है; और

(ग) सरकार की वर्ष 1985-86 के लिए इस्पात की आयात और निर्यात नीति क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं द्वारा जिस प्रकार के इस्पात की मात्रा की आवश्यकता होती है, उनकी देशीय उपलब्धि में कमी की पूर्ति करने के लिए इस्पात का आयात किया जाता है। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा माध्यम अभिकरण की मार्फत इस्पात का आयात क्रमशः 5.7 लाख टन तथा 7.0 लाख टन किया गया था जिनका मूल्य क्रमशः 250 करोड़ रुपये और 346 करोड़ रुपये था। यह निजी उपभोक्ताओं द्वारा आयात किये गये इस्पात के अतिरिक्त था। इन वर्षों के दौरान मुख्य उत्पादकों के स्टाक में कमी हुई थी। यद्यपि, वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इस्पात के कुल आयात के आंकड़े अभी प्रकाशित किये जाने हैं।

(ग) वर्ष 1985-88 के लिए आयात नीति, जो अब लागू है, में इस बात की व्यवस्था है कि देशीय उत्पादन से जितनी मात्रा की मांग की पूर्ति नहीं हो सकती है, इस्पात की उतनी मात्रा का आयात किया जाए। कुछेक मदों के लिए, नीति में एम० एम० टी० सी०, जिसे वर्ष 1985-86 से माध्यम अभिकरण बना दिया गया है, द्वारा आयात किये जाने की व्यवस्था है। कुछेक पदों का अनुपूरक लाइसेंसिंग (सप्लीमेन्टरी लाइसेंसिंग) के अन्तर्गत सीधे आयात किया जा सकता है जबकि कुछ अन्य मदों का खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किया जा सकता है। माध्यम अभिकरण की मार्फत आयात और "अनुपूरक लाइसेंसिंग" के अन्तर्गत आयात के बारे में देशीय सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए पहले से जांच पड़ताल की जाती है।

सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों, मिश्र इस्पात कारखाने, लघु इस्पात कारखानों, गौण उत्पादकों और पुनर्बेलकों द्वारा उत्पादित इस्पात का निर्यात स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की मार्फत किया जाता है। लेकिन देश में ही मांग होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण काफी निर्यात नहीं हो रहा है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मेरठ में हस्तिनापुर स्थित कताई मिल का प्रबन्धग्रहण

2924. **श्री जैनुल बशर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मेरठ जिले में हस्तिनापुर स्थित एक कताई मिल, मदन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इस आधार पर प्रबंधग्रहण किये जाने का अनुरोध किया है कि मिल के बन्द होने पर हस्तिनापुर की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और इसमें काम करने वाले श्रमिक/कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को बता दिया गया है कि नई वस्त्र नीति के अनसार गैर-अर्थक्षम वस्त्र एककों का अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण उनके द्वारा सामना की जा रही रुग्णता का समाधान नहीं है, और सरकार ऐसे मामलों में सामान्यत: हस्तक्षेप नहीं करेगी।

चाय विपणन योजना में प्रस्तावित परिवर्तन

2925. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की चाय विपणन योजना ही मुख्य रूप से चाय के मूल्य वर्ष 1976 से पहले की दर तक नीचे गिराने के लिए जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का स्थिति में सुधार करने और चाय उद्योग को बचाने की दृष्टि से विपणन योजना में क्या नये परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) क्या चाय उद्योग को समय की खुली छूट देने के लिए कोई दीर्घकालीन विपणन योजनाएं हैं?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूंकि चाय सबसे सस्ता और बहुत ही लोकप्रिय पेय है और अत्यावश्यक मद के रूप में घोषित कर दिया गया है, अत: किसी विपणन योजना के अन्तर्गत घरेलू, उपभोक्ता को उचित कीमतों पर इसकी सप्लाई सुनिश्चित करते हुए विदेशी मुद्रा अर्जन को अधिकतम करने की आवश्यकता को सन्तुलित करना होगा। उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्तियों, कीमतों और किसी भी समय की मांग पर निर्भर करेंगे।

इस्पात का निर्यात

2926. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन एजेंसी के माध्यम से विदेशों को इस्पात का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस्पात के आयात में किन्हीं अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान इस्पात के निर्यात के लिए कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात की अधिकांश उचित मदों का निर्यात "सेल" की मार्फत किया गया था ।

(ख) और (ग) निर्यात में अनियमितताओं के बारे में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय की कतिपय किस्मों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

2927. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय की कतिपय किस्मों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने और प्रत्येक देश के लिए कोटा निर्धारित करने से चाय उद्योग को निर्यात बाजार में बड़ा धक्का पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए विपणन योजना की पुनरीक्षा करने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत और चीन के बीच निर्यात/आयात

2928. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री एस० जी० घोपल } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारत से चीन को कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया है और चीन से कितने मूल्य का आयात किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत से निर्यात कम हो रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीन के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कार्यवाही योजना तैयार करने हेतु एक उच्च-शक्ति प्राप्त कार्य दल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान भारत से चीन को हुए निर्यातों का कुल मूल्य तथा चीन से भारत में किये गये आयातों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है।

(लाख रु० में)

वर्ष	चीन को निर्यात	चीन से आयात
1982-83	1216	10502
1983-84	572	7579
1984-85	212*	6655*

*अनन्तिम

(ख) जी हां। गिरावट इस वजह से आई कि चीन द्वारा पहले खरीदी गई कतिपय वस्तुएं या तो उपलब्ध नहीं हैं अथवा चीन द्वारा खरीदी नहीं जा रही है।

(ग) वाणिज्य मन्त्रालय ने कोई कार्य दल गठित नहीं किया लेकिन, कतिपय सम्बन्धित संगठनों के अनौपचारिक समूह में चीन के साथ व्यापार बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया जाता है।

(घ) दोनों देशों द्वारा वर्ष 1986 के लिए एक व्यापार संलेख पर 23 नवम्बर, 1985 को हस्ताक्षर किए गए।

सिले-सिलाए वस्त्रों, बने हुए वस्त्रों तथा ऊनी कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रियायत

2929. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान कितने मूल्य के सिले-सिलाए वस्त्रों, बुने हुए वस्त्रों, कपड़ों तथा ऊनी कपड़ों का निर्यात किया गया तथा 1985-86 में कितने मूल्य के इन कपड़ों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार ने इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और रियायतों की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये निर्यात में वृद्धि करने में कहां तक सहायक होंगे ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) परिधानों, निटवियर, तैयार वस्त्रों, यार्न तथा ऊनी कपड़े के निर्यातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार था :—

	(करोड़ रु० में) (अनन्तिम)
1983-84	1214
1984-85	1632

(स्रोत : निर्यात संवर्धन परिषदें)

चालू वर्ष के निर्यातों का अनुमान गत वर्ष की तुलना में अधिक है।

(ख) और (ग) निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण योजना उपलब्ध है।

(2) देश में न बनने वाली आधुनिक वस्त्र मशीनों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस पर अनुमति दी गई है।

(3) विस्तृत अर्ज वाले शटल रहित करघों तथा रोटर कताई मशीनों के आयात को अनुमति निर्यात दायित्व के साथ रियायती आयात शुल्क पर है।

(4) परिधान तथा होजरी बनाने वाली 114 मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। इनमें से 97 मशीनों के आयात की अनुमति रियायती शुल्क का भुगतान करने पर दी गई है।

(5) 1 जनवरी, 1984 से वस्त्र मदों की कई श्रेणियों के लिए नकद मुआवजा सहायता (सी०सी०एस०) की दरों में संशोधन करके उन्हें बढ़ाया गया है। 4 जुलाई, 1984 से सिलाई/कढ़ाई धागे भी नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र बना दिये गये हैं। यह नीति 1985 के लिये भी लागू की गई है।

(6) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की एक नीति योजना चालू है जिसमें विभिन्न वस्त्र मदें शामिल हैं। 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक तथा मुक्त व्यापार जोनों के एकक विभिन्न सुविधाओं के पात्र हैं जैसे पूंजीगत माल, कच्चा माल, संघटकों आदि का शुल्क मुक्त आयात।

(7) सरकार उत्पादों तथा क्षेत्रों के रूप में हमारे निर्यातों को बढ़ाने तथा उनका विविधीकरण करने के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियों को प्रयोजित तथा आर्थिक सहायता

प्रदान करती रही है जैसे बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(8) भारत से वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से आयात-निर्यात नीति को और उदार बनाया गया है।

(9) हमारे निर्यात प्रयास को और बढ़ावा देने की दृष्टि से नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई है।

वर्ष 1985-86 में उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

2930. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के विस्तार के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) उड़ीसा में इसके लिए चुने गये स्थानों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और अग्रणी बैंकों से उपर्युक्त नीति के अनुसार, विभिन्न खंडों में बैंक रहित स्थानों का पता लगाने के लिए कहा है। भारतीय स्टेट बैंक को उड़ीसा में और देश के अन्य भागों में और शाखाएं खोलने की अनुमति देने के प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नई शाखा लाइसेंसिंग नीति के संदर्भ में और राज्य सरकारों से केन्द्रों की सूची प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी किये गये ड्राफ्टों को सीमा शुल्क के लिए स्वीकार करना

2931. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सीमा शुल्क के प्राधिकारी सीमा शुल्क के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी किये गये ड्राफ्टों को स्वीकार कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के केन्द्रीय भांडागार निगम, के दिल्ली स्थित सीमा शुल्क प्राधिकारी स्वयं सीमा शुल्क एकत्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस प्रयोजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक को नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त प्रयोजन के लिए पूरे भारत में एक समान प्रक्रिया न अपनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बम्बई सीमा शुल्क गृह का राजकोष, सीमा शुल्क की अदायगी के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए ड्राफ्टों, अदायगी आदेशों और चैकों, जो भारतीय रिजर्व बक के नाम से आहरित होते हैं, स्वीकार करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) लेखा योजना के विभागीयकरण हो जाने से, शुल्क निर्धारितियों को शुल्क, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों, और अन्य नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराना होता है। तथापि, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन स्थित सीमा शुल्क गृहों में व्यापारी वर्ग को होने वाली दिक्कत से बचाने के लिए विभागीय राजकोषों को बरकरार रहने दिया गया था। शुल्क की अदायगी किए जाने के लिए दिल्ली स्थित सीमा शुल्क गृह में भी एक विभागीय राजकोष है इसे एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में बरकरार रखा गया है। ये राजकोष, वर्ष 1977 में लेखों के विभागीय कारण किए जाने से पहले ही कार्य कर रहे थे। विनिर्दिष्ट बैंकों में सीमा शुल्क के जमा कराए जाने की परिपाटी का, ऊपर उल्लिखित शहरों, जिनमें राजकोषों को व्यापारी वर्ग की सुविधा के लिए बरकरार रखा गया है, को छोड़कर, पालन सारे भारत में एक-समान रूप से किया जाता है।

राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था पर दबाव

2932. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन में राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था पर लगातार दबाव पर चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस दबाव के बढ़ने के क्या कारण हैं और मार्च, 1986 के अन्त तक कितने आवर्ती घाटे की सम्भावना है;

(ग) पूर्व वर्ष की तुलना में इन राज्यों को भुगतान की वृद्धि दर में मंदी के क्या कारण हैं।

(घ) गैर-विकास व्यय में वृद्धि और विकास व्यय की वृद्धि दर में मंदी के क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए केन्द्र से धन के अंतरण के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को क्या विभिन्न उपाय सुझाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 राज्यों, जिन्होंने 1985-86 के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत किए थे, के उपलब्ध अंतिम बजटों पर आधारित अपने

जुलाई, 1985 के बुलेटिन में प्रकाशित 1985-86 के दौरान राज्यों के वित्त प्रावधान के वार्षिक अध्ययन में राज्यों में वित्त पर दबाव का उल्लेख किया था।

(ख) अध्ययन में इस दबाव के बढ़ने का पूर्वानुमान 1985-86 के अन्त में 1792 करोड़ रुपये के सम्भावित अनुमानित संचित घाटे के कारण लगाया गया है।

(ग) अध्ययन से पता चलता है कि विकास व्यय में बढ़ोतरी की दर 1984-85 में 15.8% से घटकर 1985-86 में 4.4% रह गई और गैर-विकास व्यय की दर पिछले वर्ष 24.0% से घटकर 1985-86 में 19.2% हो गई।

(घ) गैर-विकास तथा विकास व्यय में बढ़ोतरी की दर में क्रमशः वृद्धि तथा कमी, छठी योजना स्कीमों के अनुरक्षण व्यय का 1985-86 से आगे तक के लिए आयोजना—भिन्न लेखे में परिवर्तन किए जाने के कारण है, जो मूलतः योजना-विकास व्यय का भाग था।

(ङ) केन्द्र ने पिछले वर्षों में राज्यों द्वारा उत्पादित घाटे के कारण राज्यों के संसाधन पर आए दबाव में राहत देने के लिए राज्यों को चालू वर्ष में 1628 करोड़ रुपये का मध्यावधि ऋण उपलब्ध कराया है। केन्द्र ने राज्यों को कर वसूली में सुधार करने तथा आयोजना-भिन्न व्यय पर नियन्त्रण करने का भी परामर्श दिया है, ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफ्ट लिये बिना ही चालू वर्ष में अपने अनुमोदित योजना परिव्ययों को वित्त घोषित कर सकें।

"स्वदेशी ग्रुप्स आफ मिल्स" की अधिग्रहण अवधि को बढ़ाना

2933. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "स्वदेशी ग्रुप्स आफ मिल्स" के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने का कार्य अगले छः महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि "स्वदेशी ग्रुप्स आफ मिल्स" को इसके प्रबन्ध के अधिग्रहण के बाद से निरन्तर करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है;

(ग) इस समय तक इस ग्रुप की ओर कुल कितनी राशि बकाया है;

(घ) स्वदेशी ग्रुप की स्वदेशी काटन मिल्स का स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड में कितना हिस्सा है; और

(ङ) इस ग्रुप को हो रहे निरन्तर घाटे को कम करने की एक कार्यवाही के रूप में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध के अन्तर्गत इसकी सम्पत्ति अवरुद्ध अथवा अधिग्रहीत करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) स्वदेशी काटन मिल कं०लि० कानपुर के छः उपक्रमों के समूह के अधिग्रहण की अवधि जो 1-11-1985 से 19 अप्रैल,

1986 तक बढ़ाई गई है जिसमें 19 अप्रैल भी शामिल है लोक हित में है।

(ग) 1976-77 से सितम्बर, 1985 तक इन छः उपक्रमों को लगभग 51.59 करोड़ रु० की हानि हुई।

(घ) तथा (ङ) स्वदेशी काटन मिल कं० लि० की स्वदेशी पालीटेक्स लि० में 10/- रु० प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 10 लाख इक्विटी शेयर की अधिकृत पूंजी है। कानूनी कठिनाइयों को देखते हुए इस अधिकृत पूंजी का अधिग्रहण करना सम्भव नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य कपड़ा मिल

2934. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं और इस समय प्रत्येक मिल में कितनी राशि का घाटा हो रहा है; और

(ख) सरकार का राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन भारी घाटे में चल रहे मिलों से कैसे निपटने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आठ मिलों का सबसे कमजोर मिलों के रूप में पता लगाया गया है। इन आठ मिलों के सम्बन्ध में 1974-75 से सितम्बर, 1985 तक संचित हानियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह महसूस किया गया कि इससे पहले कि इन 8 मिलों की अर्थक्षमता के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सके इन मिलों की सम्भाव्य अर्थक्षमता के बारे में मिल स्तर पर तथा एन०टी०सी० (नियंत्रक कम्पनी) स्तर पर कामगारों के प्रतिनिधियों में आगे विचार-विमर्श करने की जरूरत है। सरकार को एन०टी०सी० (नियंत्रण कम्पनी) से अभी सिफारिशों प्राप्त होनी है।

विवरण

एन०टी०सी० के अधीन सबसे कमजोर 8 मिलों के सम्बन्ध में संचित लाभ/हानि
(1974-75 से सितम्बर, 1985) की स्थिति

(लाख रु० में)

क्र०सं०	मिल का नाम	लाभ/हानि
1	2	3
1.	इन्दौर मालवा यूनाइटिड मिल, इन्दौर	(—) 2970.43
2.	कल्याणमल मिल, इन्दौर	(—) 1712.57
3.	स्वदेशी काटन तथा फ्लोर मिल, इन्दौर	(-) 1846 49

1	2	3
4.	हीरा मिल, उज्जैन	(—) 1672.39
5.	लार्ड कृष्ण टैक्सटाइल मिल, सहारनपुर	(—) 1953.46
6.	मैसूर स्पिनिंग तथा वीविंग मिल, बंगलौर	(—) 2033.41
7.	आजम जाही मिल, वारंगल	(—) 1721.03
8.	सेन्ट्रल काटन मिल, हावड़ा	(—) 2989.87
	योग :	(—) 16899.65

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामोदय योजनाओं के लिये ऋण मंजूर करने से इंकार करना

2935. **श्री सी० सम्बु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीकृत बैंक ग्रामोदय योजनाओं के लिए ऋण मंजूर करने से इन्कार कर रहे हैं;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत चुने और प्रशिक्षित किये गये उम्मीदवारों के लाभ के लिए स्थिति में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय 1983-84 में शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना से है जिसे आन्ध्र प्रदेश में ग्रामोदय योजना के नाम से जाना जाता है। यह कहना सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देने से इन्कार कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1984-85 के दौरान 13,084 मामलों के अधीन जिसमें 27.34 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। फिर, भी, ऐसी योजना के मामले में जो इतने बड़े पैमाने पर सारे देश में कार्यान्वित की जा रही है। बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने में देरी/ऋण मंजूर न किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें हो सकती हैं। जब कभी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में सातवीं योजना के दौरान बैंकों की शाखायें खोलना

2936. **श्री बी० सोमनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार

का आन्ध्र प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बैंकों की कितनी शाखायें खोलने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1985-90 की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतिम रूप दिया है। नीति का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17 हजार की जनसंख्या और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में बड़ी-बड़ी स्थानिक दूरियों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में खोली जाने वाली बैंक शाखाओं की संख्या के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों तथा अग्रणी बैंकों (लीड बैंक) से भी बैंक कार्यालय खोलने के लिए कम बैंकों वाले स्थानों का पता लगाने के लिए कहा है। आन्ध्र प्रदेश में अधिक बैंक कार्यालय खोलने की अनुमति देने के सवाल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पता लगाए केन्द्रों की सूची प्राप्त होने पर और उपर्युक्त नीति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

दस्तकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना

2937. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तकारों को सामूहिक बीमा योजना में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने 15 अगस्त, 1985 से उन गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सम्बन्धी एक सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ की है जिनके परिवार की कुल मिलाकर वार्षिक आय 5,000/- रुपए से कम है ताकि उन गरीब परिवारों के पुनर्वास के लिए उत्तरजीवी लाभ सुविधा प्रदान की जा सके जो अपने परिवार के आजीविका कमाने वाले ऐसे सदस्यों की दुर्घटना में हुई मृत्यु से प्रभावित हुए हों और जिन्हें अन्य किसी बीमा योजना अथवा किसी कानून/अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए कवच प्राप्त नहीं है। दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के लिए कवच की राशि 3000/- रुपए है। इस योजना के अन्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के परिवारों को भी शामिल किया गया है।

तमिलनाडु सरकार ने भी जीवन बीमा निगम के माध्यम से गैर-संगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए बीमा एवं सेवानिवृत्ति लाभ वाली एक विशेष योजना आरम्भ की है। इन योजनाओं में ग्रामीण दस्तकारों और शिल्पकारों को भी शामिल किया गया है। गुजरात सरकार ने भी इसी प्रकार की एक योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों जैसे दस्तकारों को शामिल किया गया है।

बैंकों द्वारा जमा बीमा ऋण गारन्टी निगम को देय गारन्टी शुल्क का विलय

2938. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जो कमजोर वर्गों को स्वीकृत ऋण के सम्बन्ध में जमा बीमा ऋण गारन्टी निगम को देय गारन्टी शुल्क का विलय कर रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसी प्रकार की अनियमितता है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कमजोर वर्गों को मंजूर किये गये ऋणों के सम्बन्ध में निक्षेप सीमा प्रत्यय गारन्टी निगम (डी०आई०सी०जी०सी०) को देय गारन्टी फीस स्वयं देते हैं। अन्य मामलों में, गारन्टी फीस ऋणकर्ताओं के जिम्मे डाली जा सकती है। अलबत्ता, यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दरें, गारन्टी फीस समेत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित स्थान की दरों की सीमा से अधिक न हों। अतः उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में, गारन्टी कमीशन देने के मामले में एकरूपता है।

बैंकों द्वारा जमा बीमा ऋण गारन्टी निगम कमीशन वसूल किया जाना

2939. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंकों द्वारा लघु यूनिटों से ब्याज की दर के अतिरिक्त कितने प्रतिशत जमा बीमा ऋण गारन्टी निगम कमीशन वसूल किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि लघु यूनिटों से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रियायती दर पर ब्याज की वसूली किए जाने के अतिरिक्त प्रति वर्ष 3/4 प्रतिशत जमा बीमा ऋण गारन्टी निगम कमीशन वसूल किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसा करके राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन लघु यूनिटों से उसी दर पर ब्याज वसूल किया जाता है, जिन पर 25 लाख रुपये से अधिक राशि का ऋण बकाया है? और

(घ) यदि हां, तो सरकार लघु एककों को रियायतें देकर अपनी नीति किस प्रकार उचित ठहराती है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जिन मामलों में अलग-अलग ऋण सीमाएं 25 हजार रुपये से अधिक नहीं होती उनमें अग्रिमो के सम्बन्ध में गारन्टी

की फीस बैंकों द्वारा दी जाती है। अन्य मामलों में बैंक गारन्टी कमीशन सम्बद्ध ऋणकर्ताओं पर डाल सकते हैं।

निजी आवास निर्माण के लिए ऋण देने हेतु वाणिज्यिक बैंकों की निधियां

2940. **श्री शरद दिघे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी आवास के निर्माण के लिए ऋण देने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नियत धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1983 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं द्वारा मकान बनाये जाने के लिए बैंकों से 150 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी। इसमें से 65 करोड़ रुपये की राशि व्यक्तियों/व्यक्ति समूहों को प्रत्यक्ष रूप से सुलभ कराने के लिए और बाकी 85 करोड़ रुपये हुडको, राज्य आवास बोर्डों तथा आवास विकास वित्त निगमों जैसी संस्थाओं को अप्रत्यक्ष वित्तपोषण के रूप में देने के लिए रखे थे। यह सही है कि बैंक निजी मकान बनाने वालों के लिए निर्धारित राशि का पूरा उपयोग नहीं कर सके। अलबत्ता, उपयोग न की गई राशि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के वास्ते मकान बनाने के लिए हुडको और राज्य स्तरीय अभिकरणों को दे दी गई है।

पुराने ऊनी वस्त्रों का आयात

2941. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे पुराने ऊनी वस्त्रों, परिधानों और कम्बलों के आयात की अनुमति है जिन पर "रैग" का लेवल लगा होता है;

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में ऐसा कितना और कितने मूल्य का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके इन्हें दिल्ली और उत्तरी भारत के शहरों के बाजारों में बेचा जाता है;

(घ) क्या पश्चिमी देशों में फैले "एड्स" जैसे रोगों को ध्यान में रखते हुए ये वस्त्र जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं; और

(ङ) ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :(क) वर्तमान आयात नीति ए० एम० 1985-86 के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा पूर्व-विकृत रूप में ऊनी चिथड़ों के आयात की अनुमति है।

(ख)	1982-83	1983-84	1984-85
मात्रा (किग्रा० लाख में)	178.84	267.65	335.20
मूल्य (रु० लाख में)	1163.28	1598.64	2198.56

(स्रोत आई० डब्ल्यू० एम० एफ० बम्बई)

(ग) से (ङ) ऊनी चिथड़ों के आयात में कदाचार के कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। इस बुराई को रोकने के लिए चिथड़ों के आयात के लिए नीति में संशोधन किया गया है ताकि ऊनी चिथड़ों को केवल पूर्व विकृत स्थिति में आयात की अनुमति हो। इसलिए, प्रयोग किए हुए ऊनी परिधानों और वस्त्रों को जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आयात करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

रबड़ की मांग

2942. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस समय प्राकृतिक रबड़ की कितनी मांग है;

(ख) क्या यह मांग उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि के अनुरूप ही बड़ी है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ की खपत तथा उत्पादन और चालू वर्ष के लिए अनुमान निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (मे० टन)	गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि	खपत (मे० टन)	गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1982-83	165,850	8.5	195,545	3.8
1983-84	175,280	5.7	209,480	7.1
1984-85	186,450	6.4	217,510	3.8
1985-86	201,0,0*	7.8	230,000*	5.7

*अनुमानित

प्राकृतिक रबड़-उत्पादन में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि खपत में प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा अधिक है। रबड़ बोर्ड उपजकर्ताओं के लिए इमदाद, परामर्शी सहायता का विस्तार वर्ष से बचाव संबंधी सामग्री, उच्च उत्पादन रोपण सामग्री आदि की व्यवस्था करता है और देश में रबड़ उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से रबड़ की खेती के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य कर रहा है।

"बार्ले शार्टेज हिट्स माल्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2943. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में बार्ले शार्टेज हिट्स माल्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बाजार में जौ की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जौ की कमी तथा जौ की घटिया किस्म के कारण माल्ट पर आधारित तथा फार्मास्युटिकल उद्योगों को नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो बाजार में जौ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) हाल के वर्षों में जौ के उत्पादन में गिरावट जौ की खेतों के अन्तर्गत क्षेत्र कम होने तथा निम्न उपज दरों की वजह से आई।

(ग) और (घ) बताया जाता है कि माल्ट आधारित उद्योग जौ की कमी से प्रभावित हुआ है। आयात-निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और मांग तथा सप्लाई को ध्यान में रखते हुए समुचित तथा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी बागान

2944. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों में पहाड़ी क्षेत्र काफी बागान के लिए काफी उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो काफी बोर्ड ने वहां काफी बागान को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) सरकार का आंध्र प्रदेश के वाइजाग जिले में अराकू घाटी में, जहां काफी की खेती की

बहुत अधिक संभावना है, काफी अनुसंधान केन्द्र कब तक स्थापित करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) अनुसंधान एवं विस्तार सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं, अधिक उपज देने वाली बीज सामग्री और विस्तार उपदान देने के अलावा काफी बोर्ड ने वहां काफी बागान को प्रोत्साहित करने के लिए 1970-80 के दौरान कई कार्यालय खोले हैं।

(ग) पूरे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अपेक्षित अनुसंधान जानकारी देने के लिए चिन्तापल्ली में स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र पर्याप्त हैं।

बिहार के किसानों द्वारा पटसन की मजबूरन बिक्री

2945. श्री कमला प्रसाद सिंह
श्री विजय कुमार यादव } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 सितम्बर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "डिस्ट्रेस सेल आफ जूट बाई बिहार फार्मर्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों ने उत्पादन लागत भी न मिलने पर अपने पटसन भण्डारों को जला दिया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पटसन का समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो पटसन का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या अन्य कृषि उत्पादों का मूल्य लाभकारी है; और

(च) क्या किसानों के उत्पादों के नाम और उनके निर्धारित समर्थन मूल्य के बारे में सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा और क्या उन्हें न्यूनतम निर्धारित मूल्य मिल रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) सरकार को किसानों की ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जो उत्पादन लागत भी न पाने पर उनके जूट के स्टाक को जलने के बारे में हो। इस वर्ष भरपूर फसल को ध्यान में रखते हुए भारतीय जूट निगम ने अधिक खरीद करने का अभियान चलाया है और अब तक जूट की 19 लाख गांठें समेट ली हैं। वे किसानों को व्यापक माध्यम से परामर्श दे रहे हैं कि वे अपने उत्पादन को कानूनी न्यूनतम कीमत पर बिक्री के लिए भारतीय जूट निगम/सहकारी खरीद केन्द्रों पर लायें।

(ग) पश्चिम बंगाल की सरकार से ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अन्य वस्तुओं की खरीद/न्यूनतम समर्थन कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :

खरीद/न्यूनतम समर्थन कीमत

(फसल वर्ष के अनुसार)

(रु० प्रति क्विंटल)

वस्तु	किस्म	फसल	कीमत
1	2	3	4
गेहूं	एफ० ए० क्यू०	1984-85	157
जौ	एफ० ए० क्यू०	1984-85	130
चना	एफ० ए० क्यू०	1984-85	245
रेपसीड तथा सरसों	एफ० ए० क्यू०	1984-85	385
फ्लू क्यूर्ड	फार्म ग्रेड	1984-85	11.50*
वर्जीनिया-तम्बाकू (रु०/कि०)	एफ०—2	1984-85	6.25***
धान	कामन	1985-86	142
मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का एवं रागी)	एफ० ए० क्यू०	1985-86	130
अरहर	एफ० ए० क्यू०	1985-86	300
मूंग	एफ० ए० क्यू०	1985-86	300
उड़द	एफ० ए० क्यू०	1985-86	300
गन्ना		1985-86	16.50

1	2	3	4
रुई	320 एफ/414 एफ/जे-34	1985-86	425 (एफ० 414, एवं 777) 535 (एच-4)
मूंगफली	एफ० ए० क्यू०	1985-86	350
सूरजमुखी	एफ० ए० क्यू०	1985-86	335
सोयाबीन (काला)	एफ० ए० क्यू०	1985-86	250
सोयाबीन (पीला)	एफ० ए० क्यू०	1985-86	275

* लाइट फायल:

** ये कीमतें स्तर से ऊपर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए अनुपातिक प्रीमियम के साथ 8.5 प्रतिशत की वसूली आधार से जुड़ी है।

*** ब्लैक फायल

सरकार ने न केवल विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए खरीद कीमत/न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित की है बल्कि सार्वजनिक बाजार समर्थन संचालन/सहकारी अभिकरणों के माध्यम से सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि बाजार कीमतें इन स्तरों से नीचे न गिरें।

रबड़ का उत्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन

2946. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी रबड़ का उत्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) देश में रबड़ का कुल वार्षिक उत्पादन और उपभोग क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया है;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) रबड़ बागान

विकास के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ उपजाने वाले राज्यों में रबड़ उत्पादकों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किए जाते। सातवीं योजना अवधि के दौरान रबड़ बागान विकास के लिए 53.43 करोड़ रु० की राशि अस्थाई रूप से निर्धारित की गई है।

(ग) 1984-85 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन तथा खपत क्रमशः 186,450 मे० टन तथा 217510 मे० टन है।

(घ) और (ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान, आयातित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा तथा मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रु० में)
1983-84	32,175	3566
1984-85	32,408	3529

पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग कार्यकलापों पर निगरानी

2947. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) देश में बैंकिंग संबंधी क्रियाकलापों पर, जिनमें बैंकों के पूर्वी क्षेत्र के क्रिया-कलाप भी शामिल हैं, विभिन्न मंचों, जैसे क्षेत्रीय परामर्श दात्री समितियों, राज्य स्तरीय बैंकर समितियों, राज्य स्तरीय समन्वय समितियों और जिला परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से बराबर नजर रखी जाती है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड भी सभी क्षेत्रों में बैंकों के क्रिया-कलापों तथा उनके कार्यनिष्पादन पर भी बराबर नजर रखते हैं।

हाल ही में वित्त राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में 4 नवम्बर, 1985 को कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र की परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी जिसमें बैंकों को इस क्षेत्र में बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को तेजी से बढ़ाने के लिए "एक्शन प्रोग्राम" तैयार करने, शाखा-विस्तार की गति को बनाए रखने और क्षेत्र में ऋण: जमा अनुपात को बढ़ाने का परामर्श दिया गया था। बाद में, वित्त राज्य मन्त्री 16 नवम्बर, 1985 को बैंकों के विभिन्न वर्गों के ग्राहकों से भी मिले थे, जब उन्होंने उनकी शिकायतों को सुना और उचित उपचारात्मक कार्रवाई के निदेश दिए।

टी० पी० ए० पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय की समय से पहले जानकारी

2948. श्री बाला साहेब विखे पाटिल
श्री कमला प्रसाद सिंह
श्री जगन्नाथ पटनायक
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की एक कपड़ा बनाने वाली एकक को पालियस्टर यार्न बनाने के काम आने वाले कच्चे माल टी० पी० ए० पर आयात शुल्क में वृद्धि करने संबंधी सरकार के निर्णय की जानकार सूत्र से जानकारी मिल गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं; और

(ग) जांच रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) टी० पी० ए० पर आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने के बारे में सरकार के निर्णय की समय से पहले जानकारी हो जाने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। तथापि, सरकार को यह पता चला है कि आयात नीति में परिवर्तन किए जाने से तत्काल पूर्व ही बम्बई की एक टैक्सटाइल कम्पनी द्वारा बड़ी मात्रा में टी० पी०ए० के आयात के लिए आदेश दिये थे, जबकि दिनांक 29-5-1985 को टी० पी० ए० को आयात लाइसेंसिंग के प्रयोजनार्थ "निर्बाध सामान्य लाइसेन्स" से बदलकर उसे "सीमित अनुमत्य श्रेणी" में कर दिया गया था।

(ग) इस मामले की इस समय जांच चल रही है परंतु इस जांच के पूरे हो जाने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है।

अमरीकी शेयर बाजार में भारतीय कंपनियों के शेयर

2949. श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1985 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि अमरीका में स्टाक बुकिंग फार्मों और इन्वेस्टमेंट कंपनियों द्वारा उत्तरी अमरीका में बाल स्ट्रीट और अन्य शेयर बाजारों में स्थित भारतीय कंपनियों के शेयरों की सूची बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) *संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य देशों के स्टाक एक्सचेन्जों में भारतीय कंपनियों के शेयरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।*

हथ-करघा क्षेत्र पर नई वस्त्र नीति का बुरा प्रभाव

2950. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र और कपास उत्पादकों पर नई वस्त्र नीति का बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो बुनकरों तथा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुड्डापा जिले में चूना पत्थर के भंडार

2951. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुड्डापा जिले में चूना-पत्थर के भारी भण्डार होने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का इस जिले में चूना-पत्थर पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के पास लाइसेन्स के लिए कई आवेदन विचाराधीन पड़े हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में अधिकतर चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है और उसका पहले से ही खनन हो रहा है। सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया का 4 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक संयंत्र येरागुन्टला में सीमेंट उत्पादन कर रहा है तथा उसे अपनी क्षमता 11.20 लाख टन वार्षिक करने के लिए आशय-पत्र मिल चुका है। मै० टेक्समैको कंपनी लि०. तथा कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स के भी क्रमशः येरागुन्टला तथा कलमल्ला में 5 लाख टन तथा 10 लाख टन वार्षिक क्षमता के सीमेंट कारखाने हैं। औद्योगिक लाइसेंस के लिए कोई नया आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

इंजीनियरिंग उद्योग का विस्तार और आधुनिकीकरण

2952. श्री सोमनाथ रथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में इंजीनियरिंग उद्योग के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण मिलने की आशा है;

(ग) क्या प्रस्ताव में देश में इस समय विद्यमान औद्योगिक एस्टेटों के विस्तार के अतिरिक्त नए औद्योगिक एस्टेट स्थापित करना भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे राज्यों में नए इंजीनियरिंग एस्टेट स्थापित करने का है जहां ऐसे इंजीनियरिंग उद्योग कम संख्या में हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरिंग वस्तुओं) परियोजना के लिए 25.00 करोड़ डालर के एक ऋण का अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य विनिर्मित वस्तुओं की, विशेष रूप से इंजीनियरिंग उपक्षेत्र में बनी वस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता और निर्यात बढ़ाने से संबंधित भारत सरकार के कार्यक्रम में उसकी सहायता करना है। विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से इंजीनियरिंग उद्यमों और सहायक उपकरण बनाने वाले उद्यमों को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई०सी० आई०) तथा भागीदार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये पात्र आवधिक ऋणों के विदेशी मुद्रा अंश का वित्तपोषण किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जबलपुर स्थित मझकोट डोलोमाईट परियोजना के पूरा होने में विलम्ब

2953. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की असावधानी और अदूरदर्शिता के कारण विशाखापत्तनम में निर्माणाधीन मछकोट डोलोमाइट प्रोजेक्ट जगदलपुर इस्पात कारखाने में लगभग 20 करोड़ रुपये की धनराशि अवरुद्ध पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो निर्माणाधीन इस इस्पात कारखाने को निरापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने और कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए खनन लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस कारखाने के कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(घ) इस कारखाने पर कुल कितना खर्च होने की सम्भावना है और अब तक कितना खर्च हो गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने मछकोट डोलोमाईट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं।

(ख) मध्य प्रदेश की सरकार ने मछकोट डोलोमाइट परियोजना के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन० एम० डी० सी०) का खनन पट्टे का आवेदन-पत्र इस आधार पर रद्द कर दिया है कि डोलोमाइट के निक्षेप आरक्षित वन-क्षेत्र में हैं, जहां बढ़िया किस्म के साल-वृक्ष के वन हैं।

(ग) वर्तमान समयसूची के अनुसार, विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने का प्रथम चरण वर्ष 1987-88 में तथा द्वितीय चरण वर्ष 1991-92 में चालू किया जाना है।

(घ) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की स्वीकृत लागत 3897.28 करोड़ रुपये (वर्ष 1981 की चौथी तिमाही में प्रवर्तमान मूल्यों पर) है। वर्तमान अनुमानित लागत 7467 करोड़ रुपये है। अक्तूबर 1985 तक विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में कुल मिलाकर 1903.42 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ङ) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना को डोलोमाइट की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश में कोसमी सोनार के वैकल्पिक निक्षेपों का पता लगाया है।

पाकिस्तान सीमा से तस्करी

2954. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत पाक सीमा पर तस्कारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तस्करी किस हद तक हो रही है;

(ग) क्या वहां पर कुछ अधिकारी भी तस्करी कार्यों में सम्मिलित हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि भारत-पाकिस्तान सीमा तस्करी की गतिविधियों के लिए लगातार सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है।

(ख) चूंकि तस्करी का धन्धा गुप्त रूप से किया जाने वाला एक धन्धा है, इसलिए भारत-पाक सीमा के आर-पार होने वाली तस्करी की मात्रा का उचित अनुमान बना पाना संभव नहीं है। तथापि, वर्ष 1984 और 1985 के दौरान भारत-पाक सीमा-क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत किए गये माल का मूल्य निम्नोक्त है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1983	384
1984	560
1985	2253 (अनन्तिम)
(अक्तूबर तक)	

(ग) और (घ) तस्करी की गतिविधियों में कर्मचारियों के सामान्यतया लिप्त होने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है। तथापि, जब कभी भी कोई विशिष्ट मामला जानकारी में आता है तो उस मामले की छानबीन की जाती है और यथापेक्षित समुचित कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

2955. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अनिवासी भारतीय सितम्बर, 1985 में भारत यात्रा पर आये थे और प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से मिले और उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए कुछ प्रस्ताव किये थे।

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों द्वारा किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें अनिवासी भारतीयों को निवेश की अनुमति दी जा सकती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अनिवासी भारतीयों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन/प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये गये हैं :—

(एक) पोर्टफोलियो निवेश पर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा हटा दी जाये,

(दो) पोर्टफोलियो निवेश योजना के अन्तर्गत खरीदे गये शेयरों की पुनः बिक्री के लिए निर्धारित एक वर्ष की आबद्धता (लाक-इन) अवधि कम कर दी जाए/हटा दी जाये,

(तीन) अनिवासी भारतीयों को वैयक्तिक आधार पर जो कर सम्बन्धी रियायतें उपलब्ध हैं उन्हें प्रधानतया अनिवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन समुद्रपारीय निगमित निकायों को भी उपलब्ध कराया जाये, और

(चार) अनिवासी भारतीय निदेशकों से अभिदान प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा ऋण पत्रों के निर्गम/निक्षेपों की व्यवस्था तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किये जाने की व्यवस्था करना ताकि विदेशी मुद्रा जोखिम से उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके।

(ग) उपर्युक्त सुझावों पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था और इनमें से किसी सुझाव को भी इस समय स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

(घ) सरकार ने पहले ही ऐसे क्षेत्रों का निश्चयन करके उनको घोषित कर दिया है जिनमें अनिवासी भारतीयों को निवेश करने की अनुमति है। संक्षेप में ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं : —

भू-गृहादि सम्पदा के कारबार, और कृषि/बागान सम्बन्धी कार्यकलापो को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य में **अप्रत्यावर्तन आधार पर 100 प्रतिशत तक।**

प्रत्यावर्तन आधार पर : औद्योगिक/विनिर्माण सम्बन्धी कार्यकलापों में कार्यरत किसी भी नई अथवा विद्यमान कंपनी ("फेरा" कंपनियों को छोड़कर) के नए शेयर निर्गमों में 40 प्रतिशत तक।

74 प्रतिशत तक : प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में (औद्योगिक लाईसेंसिंग नीति के परिशिष्ट 1 में दिए गये उद्योग (निर्यात प्रधान उद्योगों में, 3-5 3-5 स्टार वर्ग के

होटलों में और भारी मात्रा में निवेश योग्य और परिष्कृत अद्यतन उपकरणों की जरूरत वाले हस्पतालों में।

[हिन्दी]

राजस्थान सीमा से भारतीय मुद्रा की तस्करी

2956. श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में "राजस्थान की सीमा से भारतीय करेंसी की तस्करी" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि कोई कारंवाई नही की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को प्राप्त हुई सूचना से यह पता चलता है कि राजस्थान में भारत-पाक सीमा के आर-पार भारतीय मुद्रा की तस्करी एक आकर्षण की मद है। उक्त क्षेत्र में तस्करी के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। इस विभाग क्षेत्र में सीमा शुल्क विभाग की निवारक और गुप्तचर्या मशीनरी सामान्यतया तस्करी की गतिविधियों के बारे में जिसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल है, सतर्क बनी रहती है। उक्त क्षेत्र में तस्करी के तौर तरीकों और पकड़े गए माल की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके समुचित उपचारी उपाय किए जा सकें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्रिटेन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

2957. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटेन विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रतिदिन 50 लाख रुपये की सहायता दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन से प्राप्त होने वाली इस 50 लाख प्रतिदिन की सहायता से देश में वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां।

चालू वर्ष 1985-86 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत को संवितरित की जाने वाली यू० के० की सहायता की राशि 1150 लाख पौंड होगी जोकि लगभग 195 करोड़ रुपये के बराबर अथवा लगभग 53 लाख रुपये प्रतिदिन के बराबर होगी।

अनुदान के रूप में उपलब्ध यू० के० की सहायता को पारस्परिक सहमति से निश्चित परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा और इसमें से कुछ अंश स्थानीय लागतों को पूरा करने के लिए भी होगा। व्यवस्था चालू वर्ष की सहायता को अन्य बातों के साथ-साथ आबद्ध विद्युत संयंत्रों सहित विद्युत परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले आयातों, कोयला खनन परियोजनाओं, रेलवे और तेल कम्पनियों तथा वनपालन कार्यक्रमों और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों जैसी गरीबी दूर करने की परियोजनाओं की स्थानीय लागतों को पूरा करने के लिए भी उपयोग में लाए जाने की आशा है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के बीच विसंगतियां

2958. **श्री शरद दिघे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राप्त भविष्य निधि योजना की आयकर से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के न्यासियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों की विसंगतियों के कारण आवास ऋण लेने के इच्छुक कर्मचारियों की कठिनाइयों का उल्लेख किया है ;

(ख) क्या सरकार का आयकर नियमों में संशोधन करने का विचार है ताकि इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि नियमों के अनुरूप बनाया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयकर नियम, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रतिमास 1600/- रु० से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में लागू शर्तों के मुकाबले प्रतिमास 1600/-रु० अथवा उससे कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए भविष्य निधि से रकम निकालने की शर्तें अधिक उदार हैं। उक्त उपबन्धों में अन्तर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य निधियों में किये जाने वाले अंशदानों के सम्बन्ध में उपलब्ध कर छूट का उच्च वेतन वाले कर्मचारियों द्वारा अनुचित फायदा नहीं उठाया जाता। लेकिन, दिनांक 27-6-1985 और 14-8-1985 को सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में किये गये संशोधनों के अनुसार सरकार ने आयकर नियम, 1962 के नियम 68, 69 और 70 में संशोधन करने का निर्णय किया है जिससे रकम निकालने की सीमा बढ़ाने की दृष्टि से उक्त नियमों में निर्धारित

1600/- रु० मासिक वेतन सीमा को बढ़ाकर 2500/- रु० किया जा सके। आयकर नियम, 1962 के नियम 69 (2क) को भी संशोधित करने का निर्णय किया गया है ताकि उक्त नियमों में निर्धारित कर्मचारी के 24 महीनों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा को बढ़ाकर कर्मचारी के 36 महीनों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते तक किया जा सके।

सोवियत संघ को सूती कपड़े का निर्यात

2959. **श्री शरद दिघे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ को वर्ष 1985 में कितना लाख मीटर कपड़ा निर्यात किया जायेगा;

(ख) क्या उस देश की निरीक्षण एजेंसी द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा रद्द कर दिये जाने के कारण सोवियत संघ को किये जाने वाले कपड़े का निर्यात वस्तुतः बिल्कुल रुक गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उस देश को कपड़े के निर्यात की निर्धारित मात्रा बनाये रखने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1985 के दौरान सोवियत संघ द्वारा 207 मिलियन मीटर सूती वस्त्रों की संविदाएं की गई हैं।

(ख) जी नहीं। जनवरी 1985 से 15 नवम्बर, 1985 तक सोवियत संघ को किये गये सूती वस्त्रों के निर्यात 143 मिलियन मीटर के थे।

(ग) सरकार ने निर्यातकों और सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को वर्ष 1985 के दौरान संविदा की गई मात्राओं के निर्यात की जरूरत के संबंध में बताया है।

संश्लिष्ट रेशे का अत्यधिक सप्लाई और कपास उत्पादों पर उसका प्रभाव

2960. **डा० ए० के० पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादक सरकार की नई कपड़ा नीति से संत्रस्त हैं;

(ख) क्या उन्हें कपास के विकल्प संश्लिष्ट रेशे की अत्यधिक सप्लाई की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी आशंका को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) नई वस्त्र नीति में ऐसी व्यवस्था है कि "वस्त्र उद्योग के मुख्य कच्चे माल के रूप में रुई की उत्कृष्ट भूमिका को बनाए रखा जाएगा।"

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में खनन क्षमता

2961. श्री सुरेश कुरुप : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में खनन क्षमता के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या उड़ीसा के खनन निदेशालय ने खोज प्रयासों को तेज करने के लिये आधारभूत विश्लेषण और आधुनिक तकनीक सम्बन्धी सुविधाओं की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के खनन निदेशालय से ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

2962. श्री बी० बी० देसाई
श्री पी० एम० सईद } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक 359.5 था;

(ख) क्या 26 अक्तूबर, 1985 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य सूचकांक लगातार चौथे सप्ताह बढ़कर 360.2 हो गया था;

(ग) क्या नवम्बर के पहले और दूसरे सप्ताह में मूल्य सूचकांक बढ़ा है;

(घ) उक्त तीन महीनों के दौरान मूल्य सूचकांक में अप्रत्याशित वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970-71 = 100) 5 अक्तूबर, 1985 के 358.3 से गिरकर 16 नवम्बर, 1985

(अद्यतन उपलब्ध) को 356.7 हो गया। अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के साप्ताहिक घट-बढ़ के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

सप्ताहांत	थोक मूल्य सूचकांक	प्रतिशत परिवर्तन
5-10-1985	358.3 (अ)	0.4
12-10-1985	358.9 (अ)	0.2
19-10-1985	359.5 (अ)	0.2
26-10-1985	360.2 (अ)	0.2
2-11-1985	358.7 (अ)	—0.4
9-11-1985	357.7 (अ)	—0.3
16-11-1985	356.7 (अ)	—0 3

(अद्यतन उपलब्ध)

(अ) = अनन्तिम

सरकार मूल्य स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखती है और मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबंध के लिए बहुत से उपाय किए हैं, जिनमें ये शामिल हैं : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना तथा तंत्र में कुल नकदी को नियंत्रण में रखना।

आयात की गई औषधियों की सप्लाई के लिए राज्य व्यापार निगम की योजना

2963. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने निर्यात उत्पादन में लगे अपने सहयोगियों की प्रतियोगी क्षमता में सुधार करने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कीमतों पर तथा शुल्क मुक्त आधार पर आयात की गई 'बल्क' औषधियों की सप्लाई के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह किस सीमा तक लाभप्रद रही ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) योजना में आरम्भ में एस० टी० सी० के ऐसे वर्तमान सहयोगियों/कंसोर्शियम सदस्यों को जिन्होंने केवल एस० टी० सी० की मार्फत कोट किए गये विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर

आर्डर प्राप्त किये हैं, प्रमुख सरणीबद्ध बल्क औषधियों की सप्लाई करने की व्यवस्था है तथा बाद में ऐसे सहयोगियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है जिन्होंने सीधे निर्यात आर्डर भी प्राप्त किए हैं।

उपर्युक्त के अलावा यह भी प्रस्ताव है कि खुले समुद्र में ऐसी मदों की बिक्रियां की जाए जोकि एस० टी० सी० की मार्फत सरणीबद्ध नहीं हैं। किन्तु आई० टी० सी० नीति के अन्तर्गत जिनके निर्यातों की अनुमति है। एस० टी० सी० सहयोगी कंसर्शियम सदस्य से मांग-पत्र के साथ-साथ 10% बैंक गारंटी लेगा या विकल्प स्वरूप एक डिमांड ड्राफ्ट लेगा जिसका संमंजन खुले समुद्र के आधार पर माल की डिलीवरी के पश्चात् अन्तिम भुगतान के आधार पर किया जायेगा।

(ग) यह योजना नवम्बर, 1985 में ही शुरू की गई है तथा इतने कम समय में योजना की कारगरता का कोई मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की असक्षम मिलों की पुनः जांच करना

2965. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की असक्षम मिलों के बन्द हो जाने की पुनः जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या वस्त्र विभाग ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत भारी घाटे में चल रही आठ मिलों की अर्थव्यवस्था की जांच करने के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित की है;

(ग) क्या इन मिलों के कार्यकरण की जांच के लिए वस्त्र विभाग द्वारा पहले गठित की गई अधिकारियों की एक समिति ने उन सभी मिलों को बन्द करने की सिफारिश की थी क्योंकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं बनाया जा सका था; और

(घ) इन मिलों की पुनः जांच करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) जो अध्ययन दल सबसे कमजोर 8 मिलों के कार्य संचालन का गहराई से अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था, उसने बताया है कि इन मिलों में निवेश में वृद्धि करने मात्र से अर्थक्षमता नहीं आयेगी। यह महसूस किया गया कि इसके पहले कि इन मिलों की अर्थक्षमताओं के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सके इस मामले में मिल स्तर पर तथा एन० टी० सी० (नियंत्रक कम्पनी) के स्तर पर कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ आगे विचार-विमर्श करने की जरूरत है। कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप सिफारिशें अभी सरकार को प्राप्त होनी हैं।

नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत संश्लिष्ट रेशे की मांग

2966. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई कपड़ा नीति क अन्तर्गत संश्लिष्ट रेशे की मांग में भारी वृद्धि होने का सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांग में उपर्युक्त वृद्धि केवल आंतरिक बाजार में उपयोग में लाई जायेगी अथवा बाह्य बाजार में भी उपयोग में लाई जायेगी; और

(ग) उपर्युक्त वृद्धि का कितना भाग बाह्य बाजार के लिए नियत किया जायेगा ताकि हथकरघा और अन्य क्षेत्रों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) मांग में सम्भावित वृद्धि के निर्यात द्वार खुला रखकर घरेलू बाजारों तथा विदेशी बाजार दोनों में उपयोग में लाये जाने की व्यवस्था है।

(ग) विदेशी बाजार के लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि हथकरघा क्षेत्र में सरकार द्वारा जिन कदमों की व्यवस्था की गई है उनमें शामिल हैं केवल हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए हथकरघा (उत्पादन की वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत वस्तुओं का आरक्षण, करघों का आधुनिकीकरण, यार्न की पर्याप्त उपलब्धता के लिए व्यवस्था, विपणन के लिए करघा –पूर्व तथा करघा—पश्चात् गतिविधि कार्यक्रमों के लिए अवस्थापना का विकास और हथकरघा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन, निगरानी एवं मूल्यांकन की मशीनरी को सुदृढ़ करना। जहां तक अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वस्त्र नीति में रुई तथा मानव निर्मित रेशों/यार्न के बीच पूर्ण रेशा लोचशीलता, राजकोषीय करों के सुव्यवस्थीकरण, क्षमता विस्तार सम्बन्धी प्रतिबंधों को समाप्त करने, उपयुक्त उपायों के द्वारा बिजलीकरघा क्षेत्र के स्वस्थ विकास, कताई क्षमता के अनुकूलतम उपयोग और वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण तथा साथ ही पुनर्स्थापन की व्यवस्था है।

बैंक अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम

2967. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों की बैंकिंग पृष्ठभूमि न होने के कारण बैंकों का कार्यनिष्पादन ठीक नहीं हो रहा है; और

(ख) ऐसे अधिकारियों के लिए समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों ने बताया है कि उनके सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बैंकिंग संबंधी पर्याप्त ज्ञान है और जब कभी आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) जिले में से वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना

2968. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले को उन 100 जिलों में शामिल किया गया है, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना शीघ्र शुरू की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। इस योजना को 15 अगस्त, 1985 से आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में पहले ही आरम्भ किया जा चुका है।

(ख) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए है जिसके अन्तर्गत 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु वर्ग के उन सभी व्यक्तियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है जो ऐसे गरीब परिवारों के आजीविका कमाने वाले सदस्य हैं, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है और जो विनिर्दिष्ट जिलों में गम्भीर दुर्घटनाओं के शिकार हो जाएं। इस योजना के अन्तर्गत मृतक के उत्तरजीवी आश्रित व्यक्ति को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि 3,000/- रुपये है जो उत्तरजीवी पति/पत्नी/आश्रित बच्चों/उत्तरजीवी आश्रित माता-पिता को देय होती है।

इस योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों के पुनर्वास के लिए उत्तरजीवी लाभ सुविधा प्रदान करना है, जो अपने परिवार के आजीविका कमाने वाले ऐसे सदस्यों की दुर्घटना से हुई मृत्यु से प्रभावित हुए हों जिन्हें किसी बीमा योजना अथवा किसी कानून/अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए कवच प्राप्त न हो।

इस योजना को भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों के माध्यम से सम्बन्धित राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से संचालित किया जाता है। विनिर्दिष्ट जिलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किए गए उप-जिला अथवा तालुका दावा जांच एवं निपटान अधिकारियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दावों पर आगे की कार्रवाई की जाती है और उनका निपटान किया जाता है।

काले धन का परिचालन

2969. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री पी० एम० सईद
श्री विजय कुमार यादव
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्री कमल नाथ
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काले धन के परिचालन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार देश में काले धन के फैलाव को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रचलन में काले धन की राशि का फिलहाल कोई सरकारी अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) देश में काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए प्रशासनिक, वैधानिक और सांस्थानिक उपायों सहित सभी संभव उपाय समय-समय पर किए जा रहे हैं।

उपभोक्ता ऋण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

2970. **डा० कृपा सिंधू भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उपभोक्ता ऋण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इसी प्रयोजन के लिए उड़ीसा को कितनी राशि उपलब्ध करायी जानी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय उपभोग ऋण योजना (कन्जम्शन लोन स्कीम) से है। उपभोग ऋण सम्बन्धी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को उपभोग ऋण देने के लिए कहा था। निम्नलिखित दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए उपभोग ऋणों के आंकड़े नीचे दिए गये हैं :—

लाख रुपये

उपभोग ऋण

को समाप्त वर्ष	कमजोर वर्ग		इनमें से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
दिसम्बर, 1982	13887	142.39	4759	43.80
दिसम्बर, 1983	6211	43.06	2046	16.26

(ख) उपभोग ऋण के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

घटिया किस्म के सूती धागे का निर्यात

2971. **श्री के० रामर्मूति :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन, और पश्चिम जर्मनी में सूती धागे के विदेशी खरीददारों ने धागे की घटिया किस्म के बारे में शिकायत का है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात के लिए सूती धागे की किस्म में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) इस प्रकार के कदाचारों में लिप्त सूती धागे के निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सूत्री वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी में खरीददारों से यार्न की क्वालिटी के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

यूनियन आफ फेयर्स इन्टर-नेशनल के सदस्य के रूप में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को लाभ

2972. **श्री पी० एम० सईद :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को यूनियन आफ फेयर्स इन्टरनेशनल के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) यूनियन का सदस्य बनाने से पहले, सदस्य देश को किन-किन मुख्य शर्तों को पूरा करना पड़ता है; और

(ग) यूनियन आफ फेयर्स इन्टरनेशनल के सदस्य के रूप में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यूनियन आफ फेयर्स इन्टरनेशनल का सदस्य बनने से इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर विश्व के मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में से एक बन जाएगा और यू० एफ० आई० के विभिन्न माध्यमों के जरिये विदेशों में सभी प्रकार का प्रचार और एक सुस्थापित मानक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा।

विवरण

यूनियन आफ फेयर्स इन्टरनेशनल (यू० एफ० आई०), पैरिस के सदस्य के रूप में प्रवेश दिये जाने के लिए सदस्य आयोजक द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शनी ही केवल यू० एफ० आई० द्वारा, यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो, अनुमोदित की जाएगी :—

(1) वह अन्तर्राष्ट्रीय है और उसे ऐसा अपने देश के शासकीय प्राधिकारियों द्वारा समझा जाए।

(2) उसमें विदेशी दर्शकों की कुल संख्या 10% से कम न हो अथवा विदेशी प्रदर्शकों की कुल संख्या प्रदर्शनियों की कुल संख्या की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 20% से कम न हो अथवा उसके अन्तर्गत क्षेत्र किराये पर दिये गए स्टैंडों के कुल स्थान के 20% से कम न हो; यदि आडिट ब्यूरो आफ स्टैटिस्टिकल् विद्यमान हो तो इन आंकड़ों को सत्यापित करना होता है।

(3) वह समुचित स्थायी संस्थापनों का प्रयोग करे और वह प्रयोक्ताओं को उन्हें जरूरत पड़ने वाली कोई सेवाएं विशेषत: प्रदर्शकों तथा विदेशी दर्शकों के लिए स्वागत, सहायता तथा सूचना सेवा उपलब्ध कराए; आवेदन फाइलों, विज्ञापन सामग्री और मेला सूची केवल देश की भाषा में ही नहीं अपितु अन्य विदेशी भाषा, या तो फांसिसी या जर्मन में प्रकाशित करानी होगी।

(4) उसमें परिसरों पर और प्रदर्शनी के दौरान कोई गैर-वाणिज्यिक गतिविधि शामिल न हो। इस अनुदेश द्वारा जो शासित नहीं होते उनमें वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा शिक्षात्मक कांग्रेस तथा सम्मेलन शामिल हैं जो प्रदर्शनी के साथ-साथ तथा उसके दौरान हों।

(5) वह केवल सभी अन्य व्यापारियों अथवा एजेन्टों को छोड़कर केवल उत्पादकों अनन्य एजेन्टों और थोक व्यापारियों को ही सहभागियों के रूप में प्रवेश दें।

(6) वह नकद बिक्रियों को निषिद्ध करे जिनसे प्रदर्शक द्वारा बेची गई वस्तुओं की डिलीवरी प्रदर्शनी स्टैंड से की जाए।

(7) उसका नियमित कार्यक्रम तथा अवधि हो जो तीन सप्ताह से अधिक न हो।

(8) उसका आयोजन एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के रूप में कम से कम नियमित रूप से तीन बार हुआ हो।

इसके अलावा, यू० एफ० आई० सदस्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों की व्यापक शृंखला को देखते हुए ऊपर दी गई सभी शर्तों को पूरा करने में अब तक असफल रही प्रदर्शनियों के हक में अपवाद किये जा सकते हैं। ऐसे मामलों में अनुमोदन कांग्रेस के दो-तिहाई बहुमत के अध्ययधीन हैं।

इण्डियन एयरलाइंस के अधिकारियों द्वारा तस्करी

2973. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में इण्डियन एयरलाइन्स के कुछ अधिकारियों के पास निषेधित माल बरामद हुआ है;

(ख) इस मामले में जांच के परिणाम क्या निकले हैं और तस्करों की कार्य-शैली क्या थी; और

(ग) सरकार का विचार भविष्य में विशेष रूप से इस प्रकार से की जाने वाली तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतयः माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध दिनांक 5-11-1985 को दिल्ली हवाई अड्डे पर 3392 कलाई-घड़ियों और 20 कि० ग्राम औषधीय चूर्ण के अभिग्रहण से है। इस अभिग्रहण के संबंध में चार व्यक्तियों, जिनमें इंडियन एयरलाइन्स का एक कर्मचारी भी शामिल है, को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि निषिद्ध माल- की बुकिंग कार्गो सूची और हवाई बिलों में गलत घोषणाएं करके वाहनान्तरण कार्गो के रूप में हांग-कांग से दिल्ली हवाई-अड्डे के रास्ते से होकर काबुल/काठमांडु ले जाये जाने के लिए की जाती थी। ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि, उक्त खेपों के दिल्ली पहुंचने पर उन्हें, वाहनान्तरण माल का कार्य करने वाले एयरलाइन्स के स्टाफ के साथ सांठगांठ करके घोषित माल के अनुसार बदल दिया जाता था।

(ग) तस्करी की गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सीमा शुल्क विभाग की निवारक और गुप्तचर्या मशीनरी तस्करी की गतिविधियों के प्रति सामान्यतया सतर्क रहती है और तस्करी की आशंका वाले क्षेत्रों से माल के ऐसे वाहनान्तरण के संबंध में घनिष्ठ तालमेल रखने के लिए उसे सतर्क कर दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसे सुगम्य क्षेत्रों में और उनके इर्द-गिर्द सीमा शुल्क संबंधी निगरानी के कार्य को तेज कर दिया गया है।

तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किए जाने के साथ-साथ न्यायालय में मुकदमे चलाकर भी सख्त कार्यवाही की जाती है। अन्तर्ग्रस्त माल के जब्त किए जाने

और संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत अर्थ-दण्ड लगाए जाने के अतिरिक्त, उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी की कार्यवाही भी की जाती है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में घाटा

2974. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी को गत तीन वर्षों में कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां, विगत तीन वर्षों में हुए घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	घाटा (करोड़ रु०)
1982-83	29.63
1983-84	6.78*
1984-85 (अनन्तिम)	3.15*

* सरकारी ऋण पर ब्याज मुक्ति के बाद।

(ग) कंपनी के खराब वित्तीय निष्पादन के मुख्य कारण हैं :—घटिया अयस्क ग्रेड तथा कुछ खण्डों में कार्य चालन एवं डिजाइन सम्बन्धी कमियां और साथ ही बिजली की कमी और ऊंची लागत।

(घ) हिन्दुस्तान कापर लि० के कार्यचालन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं—खेतड़ी कापर कम्पलैक्स और इंडियन कापर कम्पलैक्स में प्रद्रावक और शोधनशालाओं की रुकावटों को दूर करके उनका आधुनिकीकरण, मलंजखड में अयस्क उत्पादन में वृद्धि करना और श्रम शक्ति का नियोजन करना।

सामान्य बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के कार्यकरण की पुनरीक्षा

2975. डा० चिन्ता मोहन
श्रीमती डी०के० भण्डारी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान्य बीमा निगम की स्वास्थ्य बीमा योजना की धाराओं में बीमारियों के मामले में अर्थात पालिसी जारी होने के 30 दिन के अन्दर होने वाली गैस्ट्रोएन्टेराईटिस जैसी बीमारियों के दावों की अदायगी रोकने का उपबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य जीवन बीमा/जीवन बीमा निगम के सम्पूर्ण कार्यकरण की पुनरीक्षा की जाएगी; और

(ग) क्या सरकार का पालिसीधारियों के सामान्य हितों की सुरक्षा के लिए सामान्य जीवन बीमा/जीवन बीमा निगम के शासकीय निकाय में उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने/नामित करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। हाल ही में साधारण बीमा उद्योग द्वारा आरम्भ की गई "हास्पिटलाइजेशन एण्ड डामिसिलियरी बेनिफिट पालिसी" में एक अपवर्जन धारा शामिल है। इस अपवर्जन के अनुसार यदि बीमाकृत व्यक्ति को, पालिसी शुरू होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर-अन्दर जठरान्त्रशोथ (गेस्ट्रोएन्ट्राइट्स) सहित कोई भी बीमारी हो जाए तो यह पालिसी उस पर लागू नहीं होगी। सारे विश्व में ऐसी पालिसियों में जोखिम शुरू होने से पूर्व प्रतीक्षा अवधि रखना एक आम रिवाज है। तथापि, इस प्रतीक्षा अवधि को केवल इसी दृष्टि से रखा जाता है कि कोई भी बीमाकृत व्यक्ति पालिसी के अधीन किसी ऐसी बीमारी के लिए लाभों का दावा न करे जो पालिसी शुरू होने से पहले ही उसे हो गई हो, क्योंकि यह पालिसी बिना किसी चिकित्सीय जांच के बीमाकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं की गई घोषणा के आधार पर ही जारी की जाती है। यह अपवर्जन पालिसी के समाप्त होने पर उसके नवीनीकरण मामलों में लागू नहीं होता।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुये, साधारण बीमा निगम/जीवन बीमा निगम की पूरी कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया है। तथापि, साधारण बीमा निगम/जीवन बीमा निगम के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम के बोर्डों में विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा हेरोइन, स्मैक और अन्य नशीली वस्तुओं का पकड़ा जाना

2976. श्री महेन्द्र सिंह
श्री आनन्द सिंह } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के पहले 10 महीनों में तस्करी विरोधी अभियान और अन्य छापों के दौरान सीमा शुल्क तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कुल कितनी सोना, हेरोइन, स्मैक और अन्य नशीली वस्तुएं पकड़ी गई तथा इन वस्तुओं के और मारे गये इन मुख्य छापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों की जांच के परिणामस्वरूप तस्करी के किन मुख्य स्रोतों और संवेदनशील स्थलों तथा तस्करी और चोर बाजारी में अपनाए गये किन-किन तरीकों का पता चला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985 के प्रथम दस महीनों के दौरान सीमा शुल्क तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अभिगृहीत किए गए सोने, हेरोइन, अफीम, गांजे, चरस, मार्फीन और मैंड्रेक्स की गोलियों की कुल मात्रा निम्नोक्त है :—

मद का नाम	अभिगृहीत की गई मात्रा (किलो ग्राम में)
सोना	2086
हेरोइन	451
मार्फीन	107
अफीम	1146
चरस	7170
मैंड्रेक्स की गोलियां	564
गांजा	25564

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

सोने-और खतरनाक औषध-द्रव्यों के मुख्य-मुख्य अभिग्रहणों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ख) सरकार को मिली रिपोर्ट से यह पता चलता है कि खाड़ी के देशों हांगकांग, सिंगापुर, पाकिस्तान और नेपाल से हवाई, समुद्री और स्थल मार्गों के जरिए भारत में सोने का तस्कर-आयात अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। सोना यात्रियों के शरीर में, उनके असबाब और कार्गो के भीतर छुपाया हुआ भी पाया जाता है।

पश्चिमी देशों को नार्कोटिक द्रव्यों और मनोत्तेजक पदार्थों का तस्कर-निर्यात किए जाने के सिलसिले में भारत का इस्तेमाल एक मार्गस्थ देश के रूप में अधिकाधिक किया जा रहा है।

विवरण

सोने (जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक है) और खतरनाक औषध-द्रव्यों के मुख्य-मुख्य अभिग्रहणों के ब्यौरे निम्नोक्त हैं :—

1. सोना

(i) दिनांक 5-2-1982 को सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय, अहमदाबाद के अधिकारियों ने कच्छ भाण्डवी में "अल-सारस" नामक जलयान को रोका और उस जलयान के अन्य निषिद्ध माल के साथ.साथ ताजे खजूरों के कार्गों के नीचे छिपाये हुए 2.62 करोड़ रुपये के मूल्य के 11,610 तोले वजन की विदेशी मार्के की सोने की छड़ों के 1161 पीस बरामद किए। इस सिलसिले में 13 व्यक्तियों को पकड़ा गया था।

(ii) दिनांक 23 फरवरी को सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय, बम्बई के अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत हाजी बंदर से दूर समुद्र-तल से 4.08 करोड़ रुपये के मूल्य का 16,679 तोला सोना बरामद करके अभिगृहीत कर लिया।

(iii) दिनांक 23-4-85 को राजस्व गुप्तचार्या निदेशालय के बम्बई जोनल एकक के अधिकारियों ने रूपम सिनेमा, सिओन सर्किल, बम्बई के निकट एक अम्बेसेडर कार में विशेष रूप से बने हुए एक खोल में से 12 बैल्टें बरामद की जिनमें विदेशी मार्के के सोने के दस-दस तोले के 1196 पीस और सोने के दस-दस तोले के 4 पीस थे। कुल 12,000 तोले सोने का जिसका मूल्य 2.95 करोड़ रुपए आंका गया और कार जिसका मूल्य 50,000/-रु० आंका गया, दोनों का अभिग्रहण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के तहत कर लिया गया था। उक्त कार में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था।

(iv) दिनांक 13-5-1985 का सीमा शुल्क (निवारक), बम्बई, के अधिकारियों ने रोहा में एक जीप को रोका जिसमें से विदेशी मार्के का 11990 तोला सोना बरामद करके अभिगृहीत कर लिया गया। उक्त सोने का मूल्य 3.06 करोड़ रुपए आंका गया। इस सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(v) राजस्व गुप्तचार्या निदेशालय, बम्बई जोनल एकक, के अधिकारियों ने नं० 10 पटेल बिल्डिग, स्टेशन रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), बम्बई, स्थित परिसरों की दिनांक 13-9-1985 को तलाशी ली और विदेशी/भारतीय मुद्रा के साथ-साथ विदेशी मूल के 14000 तोले के वजन के सोने के 1400 बिस्कुटों का भी अभिग्रहण किया; उक्त सोने का मूल्य 3.35 करोड़ रुपये आंका गया इस सिलसिले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

II. खतरनाक औषध-द्रव्य

1. हेरोइन

(i) दिनांक 17-7-1985 को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाक सीमा पर तस्करों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 325.7 कि० ग्रा० हेरोइन का अभिग्रहण किया।

(ii) दिनांक 17-8-1985 को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा पर 40 कि० ग्रा० हेरोइन पकड़ी। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था।

2. मार्फीन

दिनांक 21-8-1985 को, सीमा शुल्क अधिकारियों ने सहार हवाई अड्डा, बम्बई, में 47 कि० ग्राम मार्फीन का अभिग्रहण किया। इस सिलसिले में 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

3. अफीम

(i) दिनांक 17-1-1985 को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा पंजाब में भारत-पाक सीमा पर 119 कि० ग्राम० अफीम पकड़ी गई थी।

(ii) दिनांक 28-3-1985 को, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने फिरोजपुर, पंजाब में भारत-पाक सीमा पर 110 कि० ग्रा० अफीम पकड़ी। इस सिलसिले में, एक व्यक्ति को पकड़ा गया था।

4. चरस

(i) दिनांक 4-3-1985 का सीमा शुल्क अधिकारियों न सहार हवाई हुड्डा, बम्बई, में 899 कि० ग्रा० चरस अभिगृहीत की, इस सिलसिले में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ii) दिनांक 5/6-3-1985 को दिल्ली पुलिस ने 510 कि० ग्रा० चरस पकड़ी और इस सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(iii) दिनांक 22-5-85 को, निवारक समाहर्तालय, बम्बई, के अधिकारियों ने 113 क्लेयर बिल्डिंग, बाईकुल्ला, स्टेशन रोड, बम्बई, से 1909 कि० ग्रा० चरस बरामद करके उसे अभिगृहीत कर लिया। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

(iv) दिनांक 13/14-8-1984 को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, से 800 किलोग्राम चरस पकड़ी थी।

5. गांजा

(i) दिनांक 9-6-1985 को सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय, ने पटना के अधिकारियों ने बिदेश्वर, बिहार से 2600 किलोग्राम गांजा बरामद करके उसे अभिगृहीत कर लिया।

(ii) दिनांक 10-7-1985 को रक्सौल स्थित सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय, पटना, के अधिकारियों ने पुलिस थाना सिक्टा, पश्चिम चम्पारन, बिहार के अन्तर्गत कट्टिया-मालिया में 1110 कि० ग्रा० गांजा अभिगृहीत किया।

(iii) दिनांक 22-7-1985 को सीमाशुल्क निवारक समाहर्तालय, पटना, के अधिकारियों ने भारत-नेपाल सीमा पर ग्राम—चिकनी, रक्सौल में 1070 कि० ग्रा० गांजा अभिगृहीत किया।

(iv) दिनांक 25-7-1985 को सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय, पटना, के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की सहायता से बिहार में राधोपुर रेलवे क्रासिंग पर 8200 कि० ग्रा० गांजे का अभिग्रहण किया।

(v) दिनांक 1-8-1985 को (जादूपुर पुलिस थाना),बिहार, के पुलिस अधिकारियों द्वारा 2257 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया था। इस सिलसिले में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(vi) दिनांक 7-9-1985 को सीमाशुल्क निवारक समाहर्तालय, पटना के अधिकारियों ने बीधिपुर, बिहार, से 4391 किलोग्राम गांजा अभिगृहीत किया गया था।

खनन निदेशालय को आधारभूत सुविधाएं

2977. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन निदेशालय ने मांग की है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग और खनन तथा भूविज्ञान निदेशालय द्वारा चुने गये उड़ीसा के सक्षम खनन क्षेत्रों के खनिज संसाधनों का त्वरित विकास करने के लिए उसे रेल, सड़क, संचार, बिजली और बन्दरगाह की सुविधाओं सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं दी जाएं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय करने आरम्भ किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अपेक्षित व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उड़ीसा खनन निदेशालय से आधारभूत सुविधाओं के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2978. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी है और उनकी प्रतिशत कितनी है;

(ख) किन-किन ग्रेडों में आरक्षण दिया गया है;

(ग) क्या सभी ग्रेडों में आरक्षण कोटा पूरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या उपाय किए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि :

(क) 31.12.84 को भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है :—

कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत
1,93,012	33091	17.1

(ख) जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड-1, अधीनस्थ और लिपिकीय संवर्गों में आरक्षण की व्यवस्था है।

(ग) उपलब्ध प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विभिन्न संवर्गों में कोटे के बकाया स्थानों की संख्या इस प्रकार है :—

अधीनस्थ स्टाफ	29
लिपिकीय स्टाफ	305
सीधी भर्ती के अधिकारी	103

(घ) आयु इंटरव्यू के अर्हक अंकों और लिखित परीक्षा में ढील देकर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण देकर आवश्यकतानुसार लिपिकों की अलग परीक्षाएं आयोजित करके वर्तमान बकाया स्थानों को भरने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

धन की बचत करने संबंधी विज्ञापन

2979. डा० फूलरेणु गुहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा पुत्र की शिक्षा और पुत्री के विवाह के लिए धन की बचत करने के सम्बन्ध में विज्ञापन दिए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे दहेज को बढ़ावा नहीं मिल रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विज्ञापन और श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में पुत्री के विवाह हेतु बचत करने पर कोई बल नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय बचत पत्र (VI निर्गम) के दृश्य चित्र (वीडियो स्पॉट) के आलेख में यह बत या गया है कि माता-पिता ने अपने पुत्र की जो हमेशा सर्वप्रथम आता था, उच्च शिक्षा के लिए धन की बचत की है।

(ख) ऊपर (क) में वर्णित स्थिति को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सिगरेट निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क की चोरी

2980. श्री भोला नाथ सेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं कि देश में सिगरेट उत्पादन का एक बड़ा भाग उत्पादन शुल्क अधिकारियों की सांठ-गांठ अथवा उनके बिना उत्पादन शुल्क की अदायगी की चोरी करने के उद्देश्य से सिगरेट फैक्टरियों में चोरी छिपे बाहर भेज दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिगरेट निर्माताओं द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के कदाचारों से सरकारी खजाने को प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी हानि होती है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) जी, नहीं। सरकार को केवल ये रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि मैसर्स न्यू टोबेको कं० लि० ने दो स्थानों अर्थात कलकत्ता और गुन्टूर से चोरी छिपे तरीके से सिगरेटों के पैकेटों की निकासी की है। इसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों के साथ किसी प्रकार की मिली भगत का होना नहीं पाया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता-II ने मैसर्स न्यू टोबेको कम्पनी लि०, 24-परगना कलकत्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जिनके तहत 8,09,50,204 रुपये के उत्पादन शुल्क की तथाकथित चोरी की रकम की वसूली मांग की गई है समाहर्ता, केन्द्रीय

उत्पादन शुल्क, गुण्टूर, ने मैसर्स न्यू टोबैको कम्पनी लि०, बिकावोले के विरुद्ध नवम्बर, 1985 में एक मामला भी दर्ज किया है जिसमें लगभग 9 लाख रुपये के उत्पादन शुल्क की चोरी का आरोप है। तथापि इन मामलों के आधार पर जिनपर अभी निर्णय नहीं लिया गया है, सरकारी खजाने को होने वाली हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) सिगरेटों को चोरी-छिपे तरीके से हटाये जाने मामले पर निगरानी रखने के लिए विभाग ने सिगरेट फैक्ट्रियों पर सतर्कता बढ़ा दी है तथा बेदाग सेवा/निष्ठा वाले अधिकारियों को इन फैक्ट्रियों में तैनात कर दिया गया है।

महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र आदि के रूप में करने का प्रस्ताव

2981. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस आशय का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों को प्राप्त अतिरिक्त आय बाजार में न पहुंचे, राष्ट्रीय बचत पत्रों अथवा ऐसे अन्य बचत पत्रों के रूप में किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या विचार है?

वि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जबकि औपचारिक रूप से सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने 8-9 नवम्बर, 1985 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में महंगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी की सम्भाव्यता का उल्लेख किया था।

(ख) और (ग) जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि के लिए आंशिक मुआवजा होने के कारण महंगाई भत्ते की अदायगी सामान्यत: नकद रूप में की जाती है। तथापि विगत काल में कम से कम एक बार महंगाई भत्ते की कुछ किस्तों की बकाया राशि को संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करके कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों में जमा किया गया था। महंगाई भत्ते की किस्तों का राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में भुगतान करने पर विचार कर्मचारी पक्ष से परामर्श करके किया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम का संशोधन

2982. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के बारे में उनमें कार्यरत

कर्मचारियों की मांगों के अनुसार निकट भविष्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में कोई और संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और उनका प्रयोजन और प्रस्ताव क्षेत्र क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक ढांचे आदि को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। जब इस संबंध में प्रस्ताव को मूर्त रूप दे दिया जायेगा तब इन्हें संसद के दोनों सदनों के सम्मुख विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

सही आय घोषित करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहन

2983. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सही आय की घोषणा करने वालों के लिए सरकारद्वारा किन्हीं प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रोत्साहन दिये जायेंगे और क्या इस प्रकार की घोषणाएं करने वालों को आय-कर उपबन्धों के अन्तर्गत मिलने वाले दंड से मुक्त रखा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके घोषित किये जाने के पहले पखवाड़े में घोषणा करने वाले लोगों की कितनी संख्या थी और भविष्य में किस प्रकार की प्रवृत्ति रहने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो पुराने और नये, दोनों कर-निर्धारिती अपनी पूरी और सही आय प्रकट करने के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहते हैं वे अर्थ-दण्ड अथवा अभियोजन जैसे किन्हीं दाण्डिक परिणामों के भय के बिना चालू वर्ष की सही आय के आधार पर अग्रिम करके अनुमानों को मार्च, 1986 तक दाखिल करके ऐसा कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि न तो ऐसे कर-निर्धारितियों को कोई निरूद्देश्य जांच पड़ताल की जाएगी और न ही उनके पूर्ववर्ती कर निर्धारणों को ऐसे अपेक्षाकृत अधिक अनुमानों के आधार पर खोला/पुनः खोला जाएगा।

(ग) ऐसे व्यक्तियों की सही संख्या का पता लगा पाना संभव नहीं है जिन्होंने स्वेच्छा से इसका अनुपालन किया है। तथापि, आयकर की वसूली (जिसमें निगम कर भी शामिल है) में यथेष्ट वृद्धि हुई है। 31-10-1985 तक यह 2100.35 करोड रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1674.45 करोड़ रुपये थी, इस प्रकार 425.90 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। स्वेच्छया अनुपालन की प्रवृत्ति का भविष्य अधिक उज्जवल होने की आशा है।

सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं खोलना

2984. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं खोलने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी बैंक शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ग) शहरी बैंक शाखाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही बैंक शाखाओं का कार्य निष्पादन कैसा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1985-90 की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतिम रूप दिया है। नीति का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विकास खन्ड के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17 हजार की जनसंख्या और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में बड़ी-बड़ी स्थानिक दूरियों को कम करये का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और अग्रणी बैंकों से विभिन्न खन्डों में बैंक रहित स्थानों का पता लगाने के लिए कहा है और अधिक शाखाएं खोलने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से केन्द्रों की सूची प्राप्त होंने और बैंकों से अनुरोध प्राप्त होने पर उपर्युक्त नीति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में खोली जाने वाली बैंक शाखाओं की संख्या के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार पता लगाए गए केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण, शहरी और महानगरीय शाखाओं के कार्य निष्पादन का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है। चूंकि ग्रामीण, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में परिचालनों के स्वरूप, कारोबार की क्षमता और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का स्वरूप एक समान नहीं होता, इसलिये ऐसे क्षेत्रों में स्थित शाखाओं की तुलना करना उचित नहीं होगा।

सोने के जवाहरात के लिए निर्यातोन्मुख कम्पलेक्स की स्थापना में हुई प्रगति

2985. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी योजना के अन्तर्गत सोने के जवाहरात तैयार करने के लिए निर्यातोन्मुख कम्पलैक्स की स्थापना में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि इसमें कुछ देरी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) निर्यात अभिमुख

स्वर्ण आभूषण कम्पलैक्सों की नई अवधारणा में मजबूरन कतिपय संगठनों के साथ मिलकर प्रायोजित अभिकरणों द्वारा किये जाने के लिये काफी प्रारम्भिक कार्य अन्तर्ग्रस्त हैं जिससे अगर उद्यम कर्ताओं द्वारा पर्याप्त रुचि दर्शाई जाती है तो समुचित परिसरों का चुनाव और उनका विकास तथा परिचालन सम्बन्धी क्रियाविधियों को अन्तिम रूप देना भी शामिल है। इनमें से कुछ केन्द्रों के मामले में पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है।

[हिन्दी]

राजस्थान में चितौड़ में यात्री निवास

2986. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चितौड़गढ़, ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है;

(ख) क्या वहां पर पर्यटकों के ठहरने के लिये न तो कोई होटल है और न ही डाक बंगला है;

(ग) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम का विचार, यात्रियों की सुविधा के लिए चितौड़ में एक "यात्री निवास" का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने बताया है कि चितौड़गढ़ में होटल्स, एक सर्किट हाउस, डाक बंगले और रिटायरिंग रूम्स हैं। राजस्थान पर्यटक विकास निगम पन्ना में एक पर्यटक बंगले और चितौड़गढ़ में एक जनता आवास घर की प्रबन्ध-व्यवस्था कर रहा है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम का चितौड़गढ़ में किसी यात्री निवास का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। न ही केन्द्रीय पर्यटन विभाग को राजस्थान सरकार से चितौड़गढ़ में एक यात्री निवास का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के लिए वस्तुओं का निर्यात लक्ष्य

2987. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी मुद्रा भंडारों की वर्तमान स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विदेश व्यापार में कुल कितनी वृद्धि हुई;

(ख) भारत द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया और उनका निर्यात किन-किन देशों को किया गया तथा वर्ष 1985-86 के दौरान मुख्य रूप से निर्यात की गई वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ग) निर्यात में वृद्धि के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1 नवम्बर, 1985 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व (सोने तथा एस० डी० आर० को छोड़कर) 6788.61 करोड़ रुपये के थे। जबकि 31 मार्च, 1985 को ये 6816.76 करोड़ रुपये के थे। पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में भारत के समग्र आयात तथा निर्यात आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मूल्य करोड़ रुपये में)

	आयात	निर्यात
1982-83	14355.76	8907.75
1983-84	15762.95	9872.10
1984-85*	16812.93	11493.72

*जुलाई, 1985 तक अद्यतन

स्रोत : डी० जी० सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता।

(ख) निर्यातों की प्रमुख मदों में शामिल हैं : चाय, काफी, तम्बाकू, काजू गिरी, सब्जियां तथा फल, मसाले, समुद्री उत्पाद, खली, लौह अयस्क, सूती वस्त्र, सिलेसिलाए परिधान, पटसन निर्मित माल, चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल, रासायनिक पदार्थ तथा सम्बद्ध उत्पाद, रत्न तथा आभूषण, हस्तनिर्मित कालीन, कलात्मक वस्तुएं, मशीनें तथा परिवहन उपस्कर, धातु निर्मित माल आदि। भारत के मुख्य बाजारों में ये शामिल हैं : सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, हांगकांग, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र का अरब गणराज्य आदि।

(ग) सातवीं योजना के पांच वर्ष की अवधि में 1984-85 की कीमतों पर 60.700 करोड़ रुपये के कुल आंकड़े प्राप्त करने के लिए निर्यातों में 6.8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

पंजाब में कपास के मूल्य में कमी

2988. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कपास का मूल्य गत वर्ष से कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) इस समय रुई की कीमतें गत मौसम की उसी अवधि में चल रही कीमतों से कम स्तर पर चल रही हैं। ऐसा गत रुई मौसम के दौरान रुई की बढ़िया फसल के परिणामस्वरूप कैरी-ओवर स्टाक और वर्तमान रुई मौसम के दौरान सन्तोषजनक फसल के आसारों के कारण हो सकता है। सरकार ने चालू रुई मौसम के लिए कपास की विभिन्न किस्मों की कपास की न्यूनतम समर्थन कीमतें पहले ही घोषित कर दी हैं। भारतीय रुई निगम किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बाजार में विद्यमान है। निगम को निदेश दिए गए हैं कि जब कभी कीमतें समर्थन स्तर से नीचे गिर जाएं तो वह कीमत समर्थन कार्य आरम्भ कर दें। सरकार ने चालू रुई मौसम के दौरान निर्यात के लिए लम्बे रेशे और अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली 2.00 लाख गांठें, बंगाल देशी की 27,000 गांठें और येलो पेकिंग की 25,000 गांठें पहले ही रिलीज कर दी हैं। यदि आवश्यक समझा गया तो और निर्यात कोटा रिलीज किया जाएगा।

रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द्वारा टी० पी० ए० के आयात के लिए साख-पत्र

2989. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विभिन्न बैंकों से रिलायंस टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज द्वारा टी० पी० ए० के आयात के लिए मई, 1985 के अन्तिम सप्ताह में 110 करोड़ रुपये के साख-पत्र खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ बैंकों को ऋण देने के मानदण्डों और बैंकिंग प्रथाओं का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों और बैंकरों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में टसर उद्योग का विकास

2990. श्री हरीश रावत : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में टसर उद्योग के विकास की बड़ी भारी सम्भावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में टसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षत्रों में टसर उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भीमताल में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है ताकि इन क्षेत्रों में स्वतः उगे हुए बलूत के फूलों का मूल्यांकन किया जा सके और बलूत टसर उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकियों में किसानों को प्रशिक्षण दिया जा सके। यह अनुसंधान केन्द्र स्टाक किस्मों का रखरखाव करता है और किसानों को बीज सप्लाई करता है। इसके अतिरिक्त. राज्य रेशम उत्पादन विभाग पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बलूत-टसर विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रहा है।

1984-85 के दौरान नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अल्मोड़ा में ऋणों की मंजूरी

2991. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अल्मोड़ा जिले (उत्तर प्रदेश) में कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये;

(ख) क्या यह निर्धारित लक्ष्य के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य क्षेत्र में नैनीताल और अल्मोड़ा जिले आते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण

विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस बैंक के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले में बकाया अग्रिमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

	दिसम्बर, 1984	जून, 1985
नैनीताल	16.07	20.28
अल्मोड़ा	10.16	16.75
कुल :	26.23	37.03

नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों के लिए निर्धारित 53.50 लाख रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 1984 के दौरान दोनों जिलों में 51.18 लाख रुपये के ऋण संवितरित किए गए। अल्मोड़ा जिले के लिए ऋण का लक्ष्य अलग से उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों को देखते हुए बैंक के कार्य निष्पादन को संतोषजनक माना जा सकता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद में गुटबन्दी के कारण भारतीय वस्त्रों के निर्यात में संकट

2992. **श्री राजकुमार राय :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों भारतीय वस्त्रों के निर्यात में भीषण संकट चल रहा है तथा वस्त्रों के बिक्री में संलग्न प्रतिष्ठान कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद में गुटबाजी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कारंवाई की जा रही है;

(ग) क्या कोटा प्रणाली की समस्या के कारण अधिकांश वस्त्र निर्यातक अपने कारोबार को नेपाल ले गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्यातकों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद में गुटबन्दी के कारण भारतीय परिधानों के निर्यात में कोई संकट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल से भारतीय वस्त्रों के निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

2993. **श्री राज कुमार राय :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र निर्यातक अपना कच्चा माल और सिलेसिलाये वस्त्र नेपाल ले जाते

हैं और वहां से उनका अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात करते हैं; और

(ख) विदेशी मुद्रा की हानि होने और उसके परिणामस्वरूप कारीगरों को होने वाली कठिनाई को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) परिधान निर्यातकों द्वारा कच्चा माल तथा परिधान के नेपाल ले जाये जाने और वहां से उनका सं० रा० अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात किये जाने के बारे में वस्त्र मन्त्रालय को जानकारी नहीं है।

(ख) जनवरी-अक्तूबर, 1985 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य देशों को परिधानों के निर्यात गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक हुए हैं। इसलिए विदेशी मुद्रा अथवा रोजगार की कोई हानि नहीं हुई है।

केनारा बैंक की साऊथ एक्सटेंशन भाग-2 नई दिल्ली शाखा में चोरी

2994. **श्री राज कुमार राय**
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने केनारा बैंक की साऊथ एक्सटेंशन भाग-II शाखा से 3 लाख रुपये चुरा लिए, जैसा कि 14 नवम्बर, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे कितनी धनराशि बरामद हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंक में इतनी बड़ी धनराशि पड़ी थी, परन्तु वहां कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की चोरियां रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 12/13 नवम्बर, 1985 के बीच की रात को केनारा बैंक की साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-II (नई दिल्ली) स्थित शाखा में एक चोरी हुई जिसमें 3,25,200 रुपये की रकम की हानि हुई। इस सम्बन्ध में अभी तक न कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और न ही कोई रकम वसूल हुई है।

(ग) घटना के समय बैंक का सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर नहीं था, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। सुरक्षा गार्ड केवल काम के घण्टों के दौरान ड्यूटी पर रहता है।

(घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि बैंकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेषकर

बैंकों के निकट के क्षेत्रों में, मोटर साइकिलों और जीपों पर सशस्त्र सेना की गश्त शुरू कर दी गई है। अपराधों की रोकथाम के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा योजना भी शुरू की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा जो अन्य उपाय किये गये हैं उनमें ये शामिल हैं :—

(1) ऐसी घटनाओं की आशंका वाले स्थानों पर स्थायी रूप से हथियारों और वायरलेस सेटों से लैस पुलिस की टुकड़ी बैठा दी गई है।

(2) दिन-रात गश्त तेज कर दी गई है और ड्यूटी पर तैनात पुलिस-कर्मियों को उचित हिदायतें दी गई हैं।

(3) अपराधियों की गतिविधियों से सम्बद्ध सूचना के आदान-प्रदान के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

रुग्ण एककों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निधि का दुरुपयोग/दूसरे प्रयोजन में काम लाना

2995. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रुग्ण एककों के प्रबन्धकों द्वारा वित्तीय संस्थानों/बैंकों से सहायता प्राप्त करने के लिए जान-बूझकर रुग्णता पैदा करने और बाद में बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निधि का दुरुपयोग अथवा दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग करने के बारे में खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी खबरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है कि वित्तीय संस्थानों/बैंकों से प्राप्त सहायता का समुचित उपयोग और उसी प्रयोजन के लिए हो जिसके लिए उसे मंजूर किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जब कभी किसी एकक में जान-बूझकर खराब प्रबन्ध किए जाने के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त होती है तब उसकी जांच की जाती है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं, उनके द्वारा सहायता प्राप्त एककों पर, अपने सामान्य कार्यों के अंग के रूप में बराबर नजर रखती है। सहायता प्राप्त एककों पर समुचित नजर रखने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थाएं एककों से सावधिक रिपोर्टें भी प्राप्त करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त कम्पनियों के प्रबन्धकों के साथ विचार-विमर्श करती हैं और समय-समय पर अन्तर संस्थागत बैठकों में उन एककों के मामलों की समीक्षा भी करती हैं।

बैंकों द्वारा पता लगाये गये रुग्ण औद्योगिक एकक

2996. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा कितने भारी मध्यम तथा लघु रुग्ण औद्योगिक एककों का पता लगाया गया;

(ख) बैंकों द्वारा उनकी सहायता का अध्ययन करने के बाद कितनी एककों को उपचार कार्य-क्रम के अन्तर्गत रखा गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपचार कार्यक्रम में शामिल किये गये रुग्ण एककों में से अब तक कितने एककों को पुन:स्थापित किया जा चुका है;

(घ) बैंकों द्वारा उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित एककों में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ङ) उपरोक्त (क), (ख), (ग) और (घ) के सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गत तीन कैलेन्डर वर्षों में रुग्ण एककों के रूप में पता लगाए गए बड़े, मध्य और लघु औद्योगिक एककों की संख्या और उनके नाम बकाया कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये)

	1982	(जुलाई से दिसम्बर)	1983		1984	(अनन्तिम)
	एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि
बड़े	24	54.19	70	157.51	90	279.99
मध्य	121	34.38	286	58.63	390	54.40
लघु	33,334	186.30	27,418	232.51	30063	244.43
	33,479	274.87	27,774	448.65	30543	578.82

(ख) दिसम्बर, 1982, दिसम्बर, 1983 और दिसम्बर, 1984 (अनन्तिम) के अन्त में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सहायता प्राप्त उन रुग्ण एककों की संख्या जिन्हें उनके वित्त पोषण

के कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया था, क्रमशः 2577, 2919 और 2712 थी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) वर्तमान सूचना संग्रह प्रणाली से सूचना उस प्रकार प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार प्रश्न में मांगी गई है।

पटसन के निर्यात के सम्बन्ध में व्यापार सम्बन्धी पूछताछ

2997. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-अक्तूबर, 1985 के दौरान पटसन के सामान के सम्बन्ध में देश और विदेश से व्यापार सम्बन्धी पूछताछ की प्रवृत्ति वर्ष 1984 में इसी अवधि के दौरान प्राप्त पूछताछ की तुलना में कितनी रही है; और

(ख) पटसन के रेशों का निर्यात उन देशों को करने, जहां रुपयों में मुद्रा प्रचलित है तथा मुक्त विदेशी मुद्रा वाले देशों को करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय का क्या प्रभाव रहा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जनवरी-अक्तूबर, 1985 तथा 1984 में उसी अवधि के दौरान पंजीकरण हेतु प्राप्त पटसन सामान के निर्यात संविदाओं और घरेलू उपयोग के लिए मिलों द्वारा सामान निपटान के आंकड़े नीचे दिये अनुसार हैं :—

अवधि	जे० सी० के कार्यालय में पंजीकरण के लिए प्राप्त निर्यात सुविधाएं	पटसन सामान के घरेलू उपभोग के लिए निपटान किये गये
	(मे० टनों में)	(मात्रा 000 मे० टन में)
जनवरी, 1985		
अक्तूबर, 1985	2,22,338	801.6
जनवरी, 1984		
अक्तूबर, 1984	2,27,515	716.2

(ख) रुपया-मुक्त-देश और मुक्त-विदेश मुद्रा देशों को मुख्यतः मध्यम एवं निम्न ग्रेड की एक लाख पटसन गांठों का निर्यात करने के लिए सरकार ने भारतीय पटसन निगम को प्राधिकृत कर दिया है। अब तक भारतीय पटसन निगम सोवियत संघ के साथ दिसम्बर, 1985, मार्च, 1986 तक पोत लदान के लिए लगभग 2.43 करोड़ रुपये मूल्य की 5,000 मे० टन कच्चे पटसन की निर्यात संविदा सम्पन्न करने में समर्थ हुआ है। भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन के निर्यात के लिए पोलैंड के साथ

भी विचार-विमर्श कर रहा है। कच्चे पटसन की कीमत पर निर्यातों का प्रभाव निर्यातों की मात्रा पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली दर में गिरावट

2998. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली दर में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय अन्य राज्यों में वसूली दर की तुलना में पश्चिम बंगाल की वसूली दर क्या है; और

(घ) ऋणों की वसूली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जून, 1979 के अन्त में पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की मांग की तुलना में वसूली की दर 39.8 प्रतिशत थी और 30 जून, 1982 को यह कम होकर 27.3 प्रतिशत रह गई। तत्पश्चात इसमें मामूली सुधार हुआ लेकिन अभी भी यह प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से काफी कम है। वसूली खराब होने के मुख्य कारण हैं, ऋण की वापसी में जान-बूझकर चूक करना, अपर्याप्त निगरानी, आधारभूत ढांचे का अभाव आदि। जून, 1979, जून, 1982, जून, 1983 और जून, 1984 को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की वसूली संबंधी स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वसूली के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य पर बराबर नजर रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिसम्बर, 1985 के अन्त में कुल अतिदेय रकम दिसम्बर, 1983 के अन्त में कुल अतिदेय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। और तत्पश्चात बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे गत वर्ष की तुलना में अतिदेय राशि में आगे और कमी लाने का लक्ष्य रखें।

विवरण

(मांग के मुकाबले वसूली का प्रतिशत)

राज्य/क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	1979	1982	1983	1984
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	65.0	62.2	63.7	55.6
1. हरियाणा	65.8	55.9	59.9	57.3

1	2	3	4	5
2. हिमाचल प्रदेश	44.0	41.9	48.0	50.7
3. जम्मू व कश्मीर	46.9	48.9	40.9	36.3
4. पंजाब	79.1	73.1	74.1	61.3
5. राजस्थान	50.5	46.4	48.0	47.3
6. चण्डीगढ़	35.9	59.7	43.5	14.8
7. दिल्ली	35.3	46.1	44.2	46.8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	31.7	32.9	34.1	38.5
1. असम	26.7	26.9	29.0	34.2
2. मेघालय	22.9	26.0	33.0	46.8
3. मणिपुर	30.0	24.4	23.9	19.9
4. नागालैंड	50.6	49.8	46.9	66.7
5. त्रिपुरा	46.2	49.2	45.3	33.5
6. अरूणाचल प्रदेश	—	34.4	31.8	42.1
7. मिजोरम	—	54.1	62.2	38.6
8. सिक्किम	—	—	62.2	78.7
पूर्वी क्षेत्र	38.1	35.1	45.8	36.1
1. बिहार	31.7	39.5	38.9	38.2
2. उड़ीसा	45.4	40.6	38.8	36.4
3. पश्चिम बंगाल	39.8	27.3	28.3	33.8
4. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30.0	41.9	45.9	23.2
मध्य क्षेत्र	50.8	48.6	50.9	50.4
1. मध्य प्रदेश	38.3	42.7	44.3	42.1
2. उत्तर प्रदेश	57.1	51.5	53.8	53.9

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र	43.6	47.5	46.3	46.0
1. गुजरात	48.6	53.4	52.6	52.8
2. महाराष्ट्र	39.9	44.2	42.3	41.9
3. गोवा, दमन और द्वीव	86.9	39.2	40.2	39.4
4. दादर और नगर हवेली	50.2	66.7	63.0	66.2
दक्षिणी क्षेत्र	56.6	55.2	55.9	56.0
1. आंध्र प्रदेश	60.1	54.0	55.3	55.9
2. कर्नाटक	48.7	51.1	51.4	48.4
3. केरल	68.4	65.9	65.9	68.1
4. तमिलनाडु	53.9	57.2	56.8	58.3
5. पांडिचेरी	65.4	59.0	65.2	63.6
6. लक्षद्वीप	96.6	70.4	84.5	75.5
अखिल भारत	52.2	52.2	53.2	51.6

उन फ्लैटों का अधिग्रहण जिनका मूल्य कम आंका गया है

2999. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्लैटों की बिक्री के सौदों का मूल्यांकन करने तथा उन फ्लैटों का अधिग्रहण करने के लिए मार्ग निर्देश जारी किये हैं जिनका मूल्य कम आंका गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्लैटों के मूल्यांकन की नई पद्धति को वैज्ञानिक समझा जाता है और यदि हां, तो कैसे; और

(घ) फ्लैट खरीदने वालों पर इस पद्धति का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट

3000. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) क्या इसका कारण जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में कृषि उत्पादन आयुक्तों और वाणिज्य सचिव के बीच कोई बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो बैठक में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और भविष्य में कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में वाणिज्य सचिव ने राज्य कृषि उत्पादन आयुक्तों और निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी।

(घ) सम्मेलन में बासमती चावल, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य क्वालिटी के गेहूं, फलों एवं सब्जियों और साधित खाद्यों और समुद्री उत्पादों जैसी वस्तुओं के निर्यात योग्य अधिशेष के निर्माण करने सम्बन्धी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, परिवहन सहित कुछ मदों की निर्यात वृद्धि में आने वाली विभिन्न बाधाओं पर विचार-विमर्श किया गया और कृषि निर्यातों से सम्बन्धित मामलों के बारे में नोडीय अभिकरणों का पता लगाने के लिए राज्यों को सलाह दी गई।

संश्लिष्ट कपड़े के लिए दी गई रियायतें तथा कपास उत्पादकों पर उनका प्रभाव

3001. **श्री जैनुल बशर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को कपास उत्पादों तथा हथकरघा उद्योग से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिससे उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि संश्लिष्ट कपड़े के निर्माताओं को दी गई रियायतों से अन्ततः उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन के मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) उनके अभ्यावेदन में मुख्य प्वाइन्ट ये हैं कि रुई और मानव-निर्मित रेशे/यार्न के बीच पूर्ण रेशा लचीलापन और संश्लिष्ट रेशों पर वित्तीय लेवियों में कमी करने से उन पर विपरीत प्रभाव डालेगा।

(ग) जून, 1985 में घोषित वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि वस्त्र उद्योग को मुख्य कच्चे माल के रूप में रुई की प्रमुख भूमिका बनी रहेगी और रुई उत्पादकों को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि उनके उत्पादन की कुल खरीद को लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। नीति में हथकरघों की बेजोड़ भूमिका को भी सुरक्षित रखा गया है और हथकरघों को उनकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने और इसके साथ-साथ हथकरघा बुनकरों के लिए अधिक आय प्राप्त कराने के लिए अनेक उपायों पर विचार किया गया है। नीति के इन मार्ग दर्शी सिद्धान्तों पर अनुवर्ती कार्रवाई सरकार द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई है।

पटसन के सामान पर उत्पादन शुल्क हटाना

3002. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने पटसन के सामान के वर्तमान मूल्य पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में कटौती करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन समय-समय पर पटसन उत्पादों की विभिन्न मदों पर से उत्पादन शुल्क समाप्त/कम करने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क करती है। विभिन्न मदों पर उत्पादन शुल्क के योक्तिकीकरण के प्रस्तावों की, जब कभी आवश्यकता होती है, सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जांच की जाती है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को रियायती दरों पर आवास ऋण

3003. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मकानों के निर्माण के लिए रियायती दरों पर ऋण देने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी होगी और उस पर ब्याज की दर क्या होगी;

(ग) यह ऋण कब दिए जाने का विचार है;

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसी योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) "मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता" के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों में विभिन्न वर्गों के ऋण-कर्ताओं को मकान बनाने के लिए ऋण देने के वास्ते बैंकों को निम्नलिखित अनुदेश दिये गये हैं :—

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों — 5000 रुपये तक और उसके सहित — 4 प्रतिशत वार्षिक

अन्य— 5000 रुपये तक और उसके सहित — 12.50 प्रतिशत वार्षिक

5000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक— 13.50 प्रतिशत वार्षिक

5,000 रुपये से अधिक 15 प्रतिशत वार्षिक

राज्य—स्तरीय एजेंसियां मात्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के वास्ते बैंकों से उपर्युक्त निर्धारित ब्याज दरों पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों के अन्तर्गत पात्रता मापदण्डों के अनुरूप ऋण ले सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ये अनुदेश न केवल दिल्ली में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर लागू होते हैं बल्कि ये सारे देश के लिए एक समान हैं।

भारतीय पटसन निगम को सरकार के निदेश

3004. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों से पटसन की सीधी खरीद करने के लिए भारतीय पटसन निगम को कोई निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पटसन निगम ने किसानों से पटसन की खरीद करना आरंभ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा निदेश न करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) सरकारी निदेश के अनुसार जे० सी० आई० को कच्चे पटसन की खरीद सीधे किसानों से करनी होती है। जे० सी० आई० ने 29 नवम्बर, 1985 तक कच्चे पटसन की लगभग 18 लाख गांठों की अधिप्राप्ति पहले ही कर ली है। आगे खरीददारियां जारी हैं।

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात की भारतीय रुपये में मात्रा

3005. श्री हुसेन दलवाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय रुपये में कितने माल का निर्यात किया जाता है;

(ख) इस निर्यात का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है और यह प्रोत्साहन किन-किन मदों के लिए दिया गया है; और

(घ) प्रति वर्ष कितने मूल्य के ऐसे प्रोत्साहन लाइसेंस दिए गये ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान भारत के वार्षिक निर्यात क्रमश: 9872.10 करोड़ रु० तथा 11193.72 करोड़ रु० (जुलाई 1985 तक अद्यतन) मूल्य के रहे।

(ख) अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर 1983-84 और 1984-85 के लिए मदवार निर्यात आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) तथा (घ) सरकार ने देश के निर्यात प्रोत्साहित करने और विविधीकृत करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं :—सर्वेक्षणों के लिए बाजार विकास विधि से सहायता, उत्पाद विकास तथा संवर्धन, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अधिसंख्यक कच्चे माल अथवा आयातित कच्चे माल की सुलभता व्यवसाय के प्रयोजन हेतु निर्यातों से हुये लाभ के भाग को प्रतिधारण आदि। 100% निर्यात अभिमुख एककों और निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में स्थापित एककों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

प्रतिपूर्ति लाईसेन्सों संबंधी योजना के अधीन पंजीकृत निर्यातकों को जारी आयात लाईसेन्सों का मूल्य 1982-83 में 1963.50 करोड़ रु०, 1983-84 में 2294.49 करोड़ रु० और 1984-85 में 2163.54 करोड़ रु० (अनन्तिम) रहा।

विवरण

भारत की प्रमुख वस्तुओं के निर्यात

(मूल्य करोड़ रुपये)

सं०	मदें	1983-84 (अनन्तिम)	1984-85 (प्रारम्भिक)	1984-85/ 1983-84 में प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5
1.	चाय तथा मेट	501.37	706.57	+40.9
2.	काफी तथा काफी प्रतिस्थापन	183.26	198.13	+8.1
3.	अनिर्मित तम्बाकू	149.61	147.33	—1.5
4.	चीनी तथा चीनी से बने पदार्थ	139.86	21.74	—84.5
5.	काजू गिरी	156.62	174.48	+11.4
6.	वनस्पति तथा फल (काजू गिरी के अतिरिक्त)	155.16	158.86	+2.4
7.	खली	146.29	131.19	—10.3
8.	मसाले	109.26	172.42	+57.8
9.	समुद्री उत्पाद	327.30	335.60	+2.5
10.	मांस तथा मांस से बने पदार्थ	68.32	75.46	+10.5
11.	चावल	147.13	121.68	—17.3
12.	कपास	148.95	56.79	—61.9
13.	लौह अयस्क	385.34	446.88	+16.0
14.	मैंगनीज अयस्क	17.98	20.11	+11.8
15.	अभ्रक	26.52	19.32	—27.2
16.	सूती यार्न	19,57	21.96	+12.2
17.	सूती कपड़े	276.54	411.83	+48.9

1	2	3	4	5
18.	सिले सिलाए परिधान	607.20	837·26	+37.9
19.	सम्पूर्ण अथवा मुख्यतः सूत से बनी वस्तुएं	76.28	91.42	+19.8
20.	मानव निर्मित रेशों के कपड़ें	26.52	25.76	—2.9
21.	रेशम के कपड़ें	40.58	44.74	+10 3
22.	पटसन विनिर्माण	164.52	333.74	+102.9
23.	कयर तथा कयर विनिर्माण	23.48	22.42	—4.5
24.	चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान (फुटवीयर के अतिरिक्त)	349.88	421.91	+20.6
25.	फुटवीयर	23.23	31.15	+34.1
26.	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	277.68	364.54	+31.3
27.	रत्न तथा आभूषण	1288.65	1128.42	—12.4
28.	हस्तनिर्मित कालीन	194.04	226.72	+16.8
29.	कलात्मक वस्तुएं	116.61	133.72	+14.7
30.	धातु विनिर्मित वस्तुएं (लोहा तथा इस्पात को छोड़कर)	194.29	189.91	—2.3
31.	मशीनरी तथा इस्पात परिवहन —उपकरण	493.98	537.19	+8.7
32.	लोहा तथा इस्पात (विनिर्मित मदों सहित)	46.43	61.94	+33.4
33.	कच्चा तेल	1231.10	1563.16 x	+27.0
34.	खनिज ईंधन, स्नेहक तथा उससे सम्बन्धित उत्पाद।	361.96	255.65 x	+29.4
	कुल योग (अन्य मदों सहित)	9865.30	11358.97	+15.1

नोट : वस्तु-वार आंकड़े अनन्तिम/प्रारम्भिक तथा उनमें संशोधन हो सकता है।

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

x पेट्रोलियम मंत्रालय।

शेयर और डिबेन्चरों की बिक्री में वृद्धि

3006. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री सुभाष यादव
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्टूबर, 1985 के "दी इक्नामिक टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि 1985 की दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून) में नए शेयरों तथा डिबेन्चरों तथा राइट शेयरों की बिक्री के माध्यम से पूंजी बाजार में अति पूर्वक्रमण को छोड़कर प्राप्त की गई कुल पूंजी 80.5 करोड़ रुपये से बढ़कर तीसरी तिमाही (जुलाई से सितम्बर) में 125 करोड़ में रुपये हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिनांक 28 अक्टूबर, 1985 को "इकानामिक टाइम्स" में छपे समाचार को सरकार ने देखा है, जिससे विदित होता है कि पूंजी बाजार से जारी पूंजी निर्गम मे जो कि 1985 की दूसरी तिमाही में 80.5 करोड़ रुपए का था, वृद्धि हो गई और वह बढ़कर 1985 की तीसरी तिमाही में 125 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अन्तर्गत आने वाले निर्गमों का ब्यौरा, इसी समाचार पत्र में सारणी आर 2 आर 4, तथा आर 5 में दिया गया है। पूंजी में हुई वृद्धि का कारण अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा समय-समय पर निवेश सम्बन्धी नीति को उदार बनाना भी हो सकता है।

सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यातकों के लिए नये बिदेशी बाजार

3007. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने नए विदेशी बाजारों में सिले-सिलाये कपड़े के निर्यातकों की सहायता करने में भारी सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां सिले-सिलाये कपड़े के निर्यात के लिए नए बाजार का पता लगाया गया है;

(ग) यह निर्यात कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(घ) उक्त निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) द्विपक्षीय करार के बाहर के देशों को परिधानों के निर्यात में हाल में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। हाल ही में कुछ नए देशों को भारी मात्रा में निर्यात हुए हैं। ये देश हैं सऊदी अरब, कुवैत, स्पेन, हंगरी तथा बल्गारिया।

(घ) 1984 में इन देशों को निर्यात किए गए परिधानों का मूल्य 17 करोड़ रु० था।

भुवनेश्वर (उड़ीसा) में भारत पर्यटन विकास मण्डल के अशोक-कलिंग होटल के परिवहन अनुभाग का बन्द करना

3008. श्री चिन्तामणि जेना : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के उड़ीसा में भुवनेश्वर स्थित अशोक कलिंग होटल के परिवहन अनुभाग को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्राधिकारियों ने इस परिवहन अनुभाग के सभी वाहनों की बिक्री के लिए विज्ञापन दिया है;

(घ) क्या होटल में रहने वाले काफी पर्यटकों तथा अन्य व्यक्तियों को, जो उन वाहनों को प्रयोग करते हैं परिवहन के सम्बन्ध में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(च) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस होटल के परिवहन अनुभागों को बन्द न करने का अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) चूंकि राज्य पर्यटन संगठन और प्राइवेट सैक्टर द्वारा भुवनेश्वर में पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं जोकि होटल अशोक-कलिंग की जरूरतों को भी पूरा करेंगी, भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकों ने भुवनेश्वर में अपने होटल से अपने परिवहन वेड़े को हटा लिया है।

भुवनेश्वर में कुल 5 एम्बैस्डर कारों के बेड़े में से भारत पर्यटन विकास निगम के नियमानुसार, चार कारों का निबटान किया जा रहा है और बाकी एक वातानुकूलित कार पटना अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स यूनिट को स्थानान्तरित कर दी गई है।

(च) उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोयाबीन तेल का आयात

3009. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० सी० जी० एण्ड संस जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय फर्म है, से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य व्यापार निगम ने 467 डालर पोत पर्यन्त निशुल्क की दर से 10 नवम्बर, से 10 दिसम्बर के बीच 20,000 टन सोयाबीन तेल की खरीद की;

(ख) क्या सच है कि यह खरीद उच्चतम दर पर की गई;

(ग) यदि भागों का उत्तर सकारात्मक है तो क्या यह कार्रवाई खाद्य तेलों के आयात को कम करने संबंधी वित्त मन्त्री की घोषणा के अनुरूप है;

(घ) इतनी ऊंची दर पर यह सौदा करने का क्या कारण है और भारत की विदेशी मुद्रा को इस प्रकार गंवाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है; और

(ङ) क्या सरकार/राज्य व्यापार निगम खाद्य तेलों के इस प्रकार के आयात के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

उपभोक्ता ऋण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के लिए वित्तीय सहायता

3010. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता ऋण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित लोगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए गत वर्ष कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश को इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1985-86 में कितनी धनराशि दी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय उपभोग ऋण योजना (कन्जम्शन लोन स्कीम) से है। उपभोग ऋण सम्बन्धी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-

जातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को उपभोग ऋण देने के लिए कहा था। निम्नलिखित दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये उपभोग ऋणों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

लाख रुपये

को समाप्त वर्ष	कमजोर वर्ग		इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
दिसम्बर, 1982	2611	17.60	954	3.72
दिसम्बर, 1983	1810	14.90	631	5.30

(ख) उपभोग ऋण के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों के लिग कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं;

अंतर्राष्ट्रीय द्वारा पुर्नानिर्माण और विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ऋण की मंजूरी

3011. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दिए जाने वाले 300 मिलियन डालर का ऋण देने संबंधी समस्त कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को यह ऋण कब तक किन शर्तों पर मिलने की संभावना है;

(ग) विश्व बैंक ने भारत में कृषि सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये पहले कितना ऋण दिया था;

(घ) सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को किन शर्तों पर यह ऋण देगी; और

(ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि क्षेत्र में राज्य-वार किन परियोजनाओं के लिये यह ऋण आवंटित करेगा और किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का

आशय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से लिए जाने वाले प्रस्तावित सामान्य ऋण से है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने अभी यह ऋण मन्जूर नहीं किया है।

(ख) और (घ) भारत सरकार की जिन शर्तों पर ये ऋण प्राप्त होगा और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को जिन शर्तों पर दिया जायेगा, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा ऋण प्रस्ताव मन्जूर किए जाने के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ग) कृषि पुनर्वित्त विकास निगम-IV/के लिए पहले अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/विश्व बैंक से 35 करोड़ अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई थी।

(ङ) प्रस्तावित ऋण किसी खास परियोजना अथवा किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है बल्कि यह ऋण उधार देने वाली संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुन-वित्त के लिए उपलब्ध कराई और कुल राशि का एक हिस्सा होगा।

इण्डियन टोबाको कंपनी लि० को विदेशी मुद्रा का आबंटन

3012. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स इंडियन टोबाको कम्पनी लिमिटेड को वर्ष 1984 के दौरान सम्मेलन और अध्ययन दौरों, विदेशों में कार्यालयों के रख-रखाव और अन्य व्यापार सम्बन्धी यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा की काफी धनराशि आबंटन की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान इंडियन टोबाको कम्पनी लिमिटेड और मौर्य ग्रुप के होटलों को आबंटित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

एक और दो रुपये के फटे-पुराने नोटों को बदलने के लिये कदम

3013. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय एक और दो रुपये के अनुमानत: कितने नोट प्रचलन में है;

(ख) इस समय प्रचलित एक और दो रुपये के कटे-फटे पुराने नोटों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इन नोटों को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय देश में प्रचलित एक

रुपये और दो रुपये के नोटों कि अनुमानित संख्या के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना नीचे दी गई है :

निम्न तारीखों को	मूल्य वर्ग	लाख अदद	मूल्य (करोड़ रुपये में)
दिसम्बर, 1984 के अन्त में	1/रुपये के नोट	19,800	198.0
अक्तूबर, 1984 के अन्त में	2/-रुपये के नोट	25,180	503.(

(ख) और (ग) इस समय प्रचलित एक रुपये और दो रुपये के कटे-फटे पुराने नोटों की कुल संख्या के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई अनुमान उपलब्ध नही है। तथापि मांग के अनुपात में नए नोटों की पूर्ति में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कुछ पुराने किन्तु काम लायक और दुबारा जारी किये जा सकने वाले नोटों को पुन: प्रचालित किया गया है। सरकार को समस्या की जानकारी है और प्रचलन के लिये नये नोटों के उत्पादन और उनकी पूर्ति में वृद्धि करने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त टकसालों में एक रुपये के सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने और 10,000 लाख अदद एक रुपये के सिक्कों का आयात करने के लिये भी विभिन्न उपाय किये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कार्य सक्षम बनाना

3014. श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूर्ण रूप से पुनरीक्षण और उन्हें कार्य सक्षम बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो हमारे बैंकों के बेहतर कार्य निष्पादन तथा हमारे सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारे बैंकों का मुनाफा कम होता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यों में व्यापक सुधार लाने के विचार से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक उनके परिचालनों की बराबर समीक्षा करते रहते हैं। ग्राहक सेवा में सुधार, परिचालनों का आधुनिकीकरण, कार्य पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सरल और सदृढ़ बनाने की सुव्यवस्थित अनुरक्षण और लाभ-प्रदता में सुधार आदि कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए बैंकों से कहा गया है। वर्ष 1983 में 28 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रकाशित लाभों की राशि 84.35 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1984 में यह राशि 82.54 करोड़

रुपये थी। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल पूंजी आधार को बढ़ाने, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज दरों में वृद्धि करने सेवा प्रभारों में संशोधन आदि जैसे उपायों से बैंकों की लाभप्रदता में सुधार होने की आशा है।

संसाधित अभ्रक को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा

3015. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपूर समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसाधित अभ्रक तथा विमान के पुर्जों "थ्रस्ट उद्योग" का दर्जा दिया है जैसा कि 18 अक्तूबर, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और कौन सी अस्वीकार की गई हैं;

(घ) क्या विशेष दर्जा दिये जाने से निर्यात आय के बढ़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना से क्या लाभ होंगे ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) डी० वी० कपूर समिति ने इंजीनियरी निर्यातों के लिए दो उद्देशीय नीति की सिफारिश की है;

(1) निर्यात के लिए प्रोत्साहनों की वर्तमान बोर्ड प्रणाली को जारी रखना तथा मजबूत बनाना।

(2) हमारे घरेलू उद्योग के आधारभूत ढांचे को प्रौद्योगिकी, किस्त तथा लागत के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाना। इस उद्देश्य के लिए अधिक चुनिन्दा आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के चयन द्वारा विशेष प्रयासों की सिफारिश की गई है, जिसमें वर्तमान औद्योगिक ढांचा पर्याप्त रूप से विकसित है तथा जिसमें हमें सम्भाव्य तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। समिति ने सिफारिश की कि उत्पादन के अनुकूलतम स्तर, प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण तथा प्रतियोगिता की बातों को देखते हुए इन चुने हुए उद्योगों को विशेष नीति पर्यावरण उपलब्ध कराया जाये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से वे प्रतियोगी बन सकें।

निर्यात बाजारों और परियोजना निर्यातों के मामलों में चयनात्मकता के सिद्धान्त को भी सिफारिश की गई है।

सरकार ने कपूर समिति द्वारा सिफारिश की गई आधारभूत नीति का अनुमोदन कर दिया है ऐसी आशा है कि कपूर नीति से सातवीं योजना अवधि के दौरान इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात में काफी वृद्धि होगी।

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्यात

3016. श्री एस० एम० भट्टम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेनलेस स्टील के बर्तन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्यात करना आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनका वर्ष-वार कितना निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इन बर्तनों का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारत से स्टेनलेस स्टील के बतर्नों का पहले ही निर्यात हो रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान इन निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार थी :—

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1982-83	690.51
1983 84 (अनन्तिम)	725.00
1984-85 (अनन्तिम)	775.00

भारत से स्टेनलेस स्टीलों के प्रमुख आयातक देश थे : बहरीन, कनाडा, कुवैत, मलयेशिया, ओमन, कतार, सऊदी अरब, सिंगापुर, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सं० राज्य अमरीका।

महाराष्ट्र में भिवन्डी में विद्युतचालित करघों का बन्द किया जाना

3017. श्री सुभाष यादव
श्री राज कुमार राय
श्री प्रकाश बी० पाटिल
: क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1985 के "इकोनोमिक टाइम्स" में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र का कपड़ा निर्माता शहर

भिवन्डी के 1.80 लाख पंजीकृत विद्युतीकरण करघों में से 60 % से अधिक करघे बन्द कर दिये गये हैं;

(ख) क्या 40% विद्युतचालित-करघों पर अंशत: काम हो रहा है तथा 20% करघों को बन्द किये जाने की संभावना है;

(ग) इन एककों को बन्द किये जाने के फलस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हो गये हैं; और

(घ) भिवन्डी में इस उद्योग को पुन: चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार को प्राप्त जानकारी यह नहीं दर्शाती कि भिवन्डी में 60% बिजली करघे बन्द कर दिये गए हैं अथवा उनकी बुनाई कार्य में इतनी अधिक कमी हुई है।

बुनाई कार्य के स्तरों के साथ श्रमिकों को रोजाना काम मिलने में उतार चढ़ाव आता रहता है जो समय-समय बदलता रहता है। इस समय बेरोजगार श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सही अनुमान उपलब्ध नहीं है।

सरकार को कुछ ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि भिवन्डी में यार्न के व्यापारी बिजली-करघों को यार्न की सप्लाई के लिए प्रीमियम राशि ले रहे थे। बिजली करघा मालिकों को सीधी बिक्री सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने भिवन्डी में एक यार्न बुकिंग डिपो खोला है।

उड़ीसा में पाराद्वीप के माध्यम से लौह अभ्रक का निर्यात

3018. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उड़ीसा में पाराद्वीप पत्तन के माध्यम से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में लौह-अभ्रक का इस समय निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1985-86 में पाराद्वीप पत्तन के माध्यम से वर्तमान स्तर में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1984-85 के दौरान उड़ीसा में पाराद्वीप पत्तन से 16.07 लाख मे० टन लौह अयस्क के निर्यात हुए। चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 (1 अप्रैल-31 अक्तूबर, 1985) के दौरान इस पत्तन से 11.30 लाख मे० टन के निर्यात होने का अनुमान है।

(ख) जी हां।

(ग) 1985-86 में पाराद्वीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात का वर्तमान स्तर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं।

(1) विदेशी खरीदारों को छोटे आकार के जहाजों और मद्रास तथा विजाक पत्तनों की तुलना में अधिक फासले के कारण अधिक भाड़े को पूरा करने के लिए कटौती के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है।

(2) पत्तन से अधिक उठान के परिणामस्वरूप खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खान मालिकों से लौह अयस्क खरीदने के लिये कोटा पाबन्दियां समाप्त कर दी गई हैं।

(3) पत्तन की दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से लौह अयस्क की रख-रखाव सुविधाओं में सुधार करने तथा पत्तन को गहरा करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

सुपर-मिनी इस्पात संयंत्र स्थापित करना

3019. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सुपर-मिनी इस्पात संयंत्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसे इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने का विचार है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजनाओं की लागत क्या होगी; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) सम्भवतः प्रश्न में उल्लिखित "सुपर-मिनी इस्पात संयंत्र" से अभिप्राय बड़े आकार की विद्युत चाप भट्टियों से है। सरकार ने सिद्धान्त रूप में इस प्रकार के दो नए इस्पात कारखाने -- एक कर्नाटक में विजयनगर के स्थान पर तथा दूसरा उड़ीसा में दैतारी के स्थान पर---लगाने का फैसला किया है। प्रत्येक कारखाने की तैयार इस्पात की लगभग 2.1 लाख टन वार्षिक क्षमता के इन दोनों कारखानों की स्थापना की लागत 400 करोड़ रुपये है। परन्तु समग्र रूप से संसाधनों की कठिनाइयों के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इन कारखानों की स्थापना के लिए प्रभावी कदम उठाना सम्भव नहीं होगा।

विदेशों और विदेशी बैंकों को पूंजी पलायन

3021. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों और विदेशी बैंकों को पूंजी पलायन (फ्लाइट आफ केपिटल) के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 से 1984 तक उसका वर्ष-वार अनुमान क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यद्यपि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विनियमनों के उल्लंघन समय-समय पर ध्यान में आए हैं और इनसे कड़ाई से निपटा गया है तथापि भारत से विदेशों और विदेशी बंकों को ऐसे किसी पूंजी पलायन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भारतीय रिजर्व बंक विदेशी मुद्रा के लेन-देनों और विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों के कार्यों पर सावधानीपूर्वक नजर रखता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-कानूनी अन्तरणों पर रोक लगाई जाये और अपराधियों के विरुद्ध कड़ा कार्रवाई करने के लिए यथावश्यक उपाय किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की निकासी की स्वीकृति देने में विलम्ब

3022. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले अनेक यात्रियों को दिल्ली, बम्बई और अन्य हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग की निकासी की स्वीकृति न मिलने के कारण अत्यन्त विलम्ब हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सीमा शुल्क विभाग द्वारा निकासी स्वीकृति प्रदान करने में लिए जाने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) असबाब-निकासी की मौजूदा पद्धति के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जिन यात्रियों के पास शुल्क-युक्त सामान की मात्रा से अधिक शुल्क्य वस्तुएं नहीं होती हैं उन्हें ग्रीन चैनल से होकर जाने दिया जाता है। ऐसे यात्रियों के असबाब की जांच या यादृच्छिक आधार पर की जाती है। यहां तक कि जिन यात्रियों के पास शुल्क्य वस्तुएं होती हैं, उनके मामले में भी, उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा-पत्र के आधार पर ही वर्ष 1983 से शुल्क का निर्धारण किया जाता है और केवल संदिग्ध मामलों में ही असबाब की जांच की जाती है।

इन प्रबन्धों के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से अपार संख्या में आने वाले यात्रियों की निकासी अधिक-से- अधिक और शीघ्रातिशीघ्र हो। इसके बावजूद भी, भारतीय हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की निकासी में विलम्ब होने के मामले, समय-समय पर सरकार की जानकारी में आए हैं। जब कभी भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उनपर, उचित कार्य-

वाही किए जाने हेतु, भली-भांति जांच की जाती है। यह पता चला है कि निकासी में विलम्ब विभिन्न कारणों से होता है जिनमें अन्य कारणों के साथ-साथ, विलम्ब के सिलसिले में ये कारण भी शामिल हैं कि सीमा शुल्क आगमन हाल में एयर लाइनों से असबाब देर से पहुंचता है और यात्री अपने साथ भारी मात्रा में शुल्क्य वस्तुओं को लाते हैं अथवा रात को थोड़े-थोड़े अन्तराल के बाद अनेक उड़ानें आती रहती हैं। शीघ्र निकासी न होने का एक अन्य कारण यह भी है कि आगमन-कक्ष में पर्याप्त स्थान नहीं है।

शीघ्रातिशीघ्र निकासी को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षी नियंत्रण को बढ़ाये जाने और उसे युक्तियुक्त किए जाने के वास्ते उपाय किए गए हैं। बम्बई और दिल्ली में नए टर्मिनलों के चालू होने से और अधिक इन हवाई अड्डों में और-अधिक कर्मचारियों को तैनात किए जाने से, आशा है कि भीड़-भाड़ काफी कम हो जाएगी और यात्रियों की निकासी में भी काफी कम समय लगेगा।

चाय के उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी उपाय

3023. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अनुमानों के अनुसार चाय की आंतरिक मांग में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1990, 1995 तथा 2000 के लिए इसकी अनुमानित मांग क्या है;

(ग) क्या देश और विदेशों में चाय की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए चाय के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई उपाय करने का विचार है अथवा कोई उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उपाय करने का विचार है और अभी तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) अब तक किए गये उपायों का क्या प्रभाव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) चाय की घरेलू खपत के सम्बन्ध में भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार 1984 के दौरान चाय की घरेलू खपत का अनुमान लगभग 400 मिलियन किग्रा० का था। इस समय ऐसा अनुमान है कि भाग में 15 मिलियन किग्रा० प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है तथा 7वीं योजना के अन्त तक 475 मिलियन किग्रा० मांग होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) किए गए उपायों में शामिल है : कर रियायतें जिससे चाय उद्योग बागानों के विकास के लिए ऊंची कीमतों के वर्षों के बेशी आय को फिर से उसमें लगा सके, पुनर्रोपण पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में मानना, ऋण तथा उपदान योजनाएं और उत्पादकता एवं चाय

के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं। भारत में उत्पादन, जो 1982 में 561 मिलियन किग्रा० का था, बढ़कर 1984 में 644 मिलियन किग्रा० हो गया।

काफी बोर्ड द्वारा काफी के लिए स्वदेशी बाजार बनाना

3024. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड द्वारा देश में काफी के लिए स्वदेशी बाजार बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या काफी बोर्ड का विचार सहकारिता के आधार पर काफी के विपणन के लिए कुछ कोटा उत्पादकों को देने का है। ताकि स्वदेशी बाजार तैयार किया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) काफी बोर्ड द्वारा उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं :—

(i) घरेलू बाजारों में उन कीमतों पर काफी की बिक्री जो अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की अपेक्षा काफी कम है;

(ii) अपने संवर्धनात्मक स्कन्ध के माध्यम से इमदादी दरों पर क्वालिटी काफी उपलब्ध कराना; और

(iii) काफी फिल्टर्स, की बिक्री, काफी बनाने की तकनीकों को लोकप्रिय बनाना काफी ब्रिविंग के प्रदर्शन, प्रदर्शनियों में भाग लेना, तकनीकी साहित्य का वितरण आदि। इन्सटेंट काफी उत्पादन क्षमता में वृद्धि से गैर परम्परागत क्षेत्रों में काफी की खपत में वृद्धि होने की संभावना है।

आंतरिक बिक्री कोटा के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

डालर, रूबल, पौंड और अन्य परिवर्तनीय मुद्राओं की तुलना में रुपये का वर्तमान मूल्य

3025. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960=100 को आधार मानकर रुपए का वर्तमान मूल्य कितना है;

(ख) डालर, रूबल, पौंड और अन्य परिवर्तनीय मुद्राओं की तुलना में रुपए का मूल्य कितना है; और

(ग) वर्ष 1980 से 1985 की अवधि में रुपए का अवमूल्यन कैसे हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता कीमत सूचक अंक (आधार 1960=100) के व्युत्क्रम के रूप में मापी गई रुपए की क्रय शक्ति सितम्बर, 1985 (अद्यतन उपलब्ध) में 16.16 पैसे बैठती है।

(ख) और (ग) रुपए का विनिमय मूल्य चुनी हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की डलिया, जिनमें पौण्ड स्टर्लिंग मध्यस्थ मुद्रा होती है, में होने वाली घटबढ़ के सन्दर्भ में निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 1980 से 1985 में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए में हुई घटबढ़ नीचे दी गई है :—

	मुद्रा	निम्न तारीखों को स्थिति*		रुपए की प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (—)
		3-1-"80	9-11-"85	
1.	पौण्ड स्टर्लिंग (1 पौण्ड=रुपये)	17.80	17.80	—
2.	अमरीकी डालर (एक डालर=रुपये)	7.9376	12.0433	— 34.09
3.	डच मार्क (एक डच मार्क=रुपये)	4.6409	4.7616	— .53
4.	जापानी येन (ज, पेन 100=रुपये)	3.3474	5.9783	— 44.[illegible]
5.	स्विस फ्रांक (स्विस फ्रांक 1= रुपये)	5.0518	5.7694	— 12.44
6.	फ्रैंच फ्रांक 1 फ्रैंच फ्रांक=रुपए)	1.9872	1.5610	+ 27.30
7.	डच गिल्डर (1 डच गिल्डर=रुपये)	4.2230	4.2328	— 0.23

* आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई द्वारा दिए गये हैं।

जाली करेंसी की बरामदगी

3026. श्री एस० एम० भट्टम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही अहमदाबाद में तीन लाख रुपये मूल्य के जाली करेंसी नोट बरामद किए गये थे;

(ख) गत छः महीनों के दौरान अन्य स्थानों में ऐसे कितने मामले पकड़े गए तथा उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी; और

(ग) ऐसे सभी मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(ख) पिछले छः महीनों में अर्थात मई, 1985 से नवम्बर, 1985 तक पकड़े गये जाली करेंसी नोटों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिन राज्यों में पकड़े गये	मूल्य वर्ग	नोटों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त कुल राशि
तमिलनाडु	100 रुपये	3184	3,18,400 रुपए
कर्नाटक	50 रुपये	1780	89,000 रु०
तदैव	20 रुपये	2764	55,280 रु०
मणिपुर	100 रुपये	502	50,200 रु०
मिजोरम	100 रुपये	391	39,100 रु०
मेघालय	100 रुपये	6476	6,47,600 रु०
तमिलनाडु	50 रुपये	1806	90,300 रु०
जोड़ :		16903	12,89,880 रु०

(ग) सारे देश की भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाओं सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) सभी मूल्य वर्गों के लिए आंकड़े एकत्रित करता है और इन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बुलेटिन में प्रकाशित करने के लिए कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक समीक्षाएं भी तैयार की जाती हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाती हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बुलेटिन में तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित आवधिक समीक्षाओं से उन्हें सभी मूल्य वर्गों के जाली करेन्सी नोटों को पकड़ने में सहायता मिलती है।

बैंकों के कार्यों और लाभ की गति में तेजी लाने के लिए समयबद्ध योजनाएं

3027. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से बैंकों के कार्यों और लाभ की गति-में तेजी लाने के लिए समयबद्ध योजनाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने बैंकों के अध्यक्ष आर उच्च कार्य अधिकारियों के साथ सितंबर, और अक्तूबर, 1985 में कई बैठकें की थीं;

(ग) यदि हां, तो उसमें चर्चा की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को अलग-अलग बैंकों से ब्यौरे वार रिपोर्टें प्राप्त हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन पर बारीकी से नजर रखने और उसकी समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्री ने मई, जुलाई और अक्तूबर, 1985 में इन बैंकों के मुख्य कार्यपालकों और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैठकें की थीं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी सितम्बर, 1985 में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गए निरीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक बैंक के कार्य के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अलग-अलग चर्चा की थी। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवाओं और परिचालनों की क्वालिटी में व्यापक सुधार लाने के वास्ते "एक्शन प्लान" तैयार करने और अपनी वित्तीय क्षमता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कहा गया है। "एक्शन प्लान" में जिन क्षेत्रों को रखने के लिए कहा गया है उनमें संगठनात्मक ढांचा और कार्मिक, प्रशिक्षण, ग्राहक सेवा, साधन जुटाना, मशीनीकरण तथा कंप्यूटरीकरण, वित्तीय क्षमता और लाभप्रदता, नकद प्रारक्षित निधियों का प्रबन्ध, आन्तरिक अनुरक्षण प्रमुख है। "एक्शन प्लान" की अवधि नवम्बर, 1985 से दिसम्बर, 1987 तक है। भारतीय रिजर्व बैंक को अभी तक 13 बैंकों से "एक्शन प्लान" प्राप्त हो चुके हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक इनकी जांच कर रहा है।

केरल में चाय बागान के अन्तर्गत क्षेत्र और मूल्यों में कमी

3028. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चाय बागान के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में चाय उत्पादक मूल्यों में गिरावट के कारण संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्ष 1983 के अन्त तक केरल में चाय बागान के अधीन कुल क्षेत्र 35021 हेक्टेयर था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघों की राष्ट्रीय स्तर पर गणना

3029. **श्री एम० बी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली बार हथकरघों की राष्ट्रीय स्तर पर गणना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि हथकरघे से बनी सभी प्रकार की सूती ऊनी और रेशमी वस्तुओं पर बिक्री कर समाप्त किया जाए;

(घ) यदि हां तो, हथकरघा क्षेत्र को इससे क्या सहायता मिलेगी;

(ङ) देश में हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी हां। गणना का राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने का प्रस्ताव है ताकि हथकरघों के सम्बन्ध में हथकरघों की संख्या, बुनकरों की संख्या, उनकी यार्न-आवश्यकता, उनकी आय आदि जैसे मूल आंकड़ों की स्थिति स्पष्ट हो जाए।

(ग) तथा (घ) जी हां। हथकरघा उत्पादों की उपभोक्ता कीमत कम करके इस उपाय से एक ओर हथकरघों के लिए मांग पैदा करने में सहायता मिलेगी और देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हथकरघा उत्पादों को मुक्त रूप से लाने ले जाने में सुविधा मिलेगी।

(ङ) हथकरघा उद्योग की सहायता हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त प्राकार हैं :—

(1) सहकारी समितियों और हथकरघा निगमों की मार्फत हथकरघों का विकास;

(2) हथकरघों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय तथा अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था;

(3) हथकरघा क्षेत्र को यार्न और अन्य कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास;

(4) बुनकरों की आय में सुधार लाने के लिए हथकरघों पर मिश्रित तथा ब्लेन्डेड वस्त्रों का उत्पादन प्रोत्साहित करना;

(5) "हथकरघा (उत्पादन हेतु नियमावली-आरक्षण) अधिनियम, 1985" के उपबन्ध कड़ाई से लागू करना;

(6) विद्युत करघों की अपेक्षा हथकरघा क्षेत्र की समुचित वित्तीय उपायों द्वारा लागत संबंधी बाधाएं समाप्त करना।

(7) हथकरघा बुनकरों की कार्य-दशाओं में सुधार लाने के लिए अंशदायी बचत निधि योजना और वर्कशेड-सह-आवास योजना जैसी कल्याण योजनाएं आरम्भ करना।

[हिन्दी]

निर्यात संगठनों द्वारा खाद्यान्नों का निर्यात

3030. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संगठनों ने खाद्यान्नों के निर्यात के लिए सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके अनुरोध पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अनाज अर्थात गेहूं उत्पाद, बासमती चावल, तथा मक्का के निर्यात की अनुमति न्यूनतम निर्यात कीमत, तथा उच्चतम सीमा जैसी शर्तों के अध्ययधीन है। गैर वासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं है।

[अनुवाद]

भर्ती पर से प्रतिबन्ध हटाना

3031. डा० जी० विजय रामा राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भर्ती पर रोक है, यद्यपि दोनों ही संगठनों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और श्रमिकों की भर्ती की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्षों के कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के अवसर

समाप्त होने के अतिरिक्त इस प्रतिबन्ध का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र या सरकारी विभागों में बिना भेदभाव किए सभी सरकारी भर्तियों पर प्रतिबन्ध हटाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उद्योग मन्त्रालय के सरकारी उद्यम विभाग ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेशों की हाल ही में समीक्षा की है। ऐसे सरकारी उद्यमों में पदों की भर्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना व्यवहार्य नहीं समझा जाता, जिनका सम्बन्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और आपूर्ति से है। तदनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों मे रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सभी सरकारी विभागों में भर्ती पर रोक लगाने वाले वर्तमान सरकारी आदेशों द्वारा शासित होता है। तथापि, प्रत्येक मामले पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है और उचित मामलों में वित्त मन्त्रालय द्वारा छूट दी जाती है। सरकार ने अभी हाल ही मे, रोक आदेशों में छूट देते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 3000 से अधिक दिहाड़ी के श्रमिकों को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों को ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गयी थी, वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह देते हुए जनवरी 1984 में जारी किए गए अनुदेश मुद्रा स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में थे। जिन परिस्थितियों में किफायत सम्बन्धी ये अनुदेश जारी किए गए थे तब से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे उनमें किसी प्रकार की ढील दिए जाने की आवश्यकता हो।

केरल में धातु के दर्पणों का निर्माण

3032. **श्री तम्पन थामस** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में धातु के दर्पण हाथ से बनाने वाले शिल्पकारों की ओर कोई ध्यान दिया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कांसा धातु से दर्पण बनाने वाले इस उद्योग की सहायता की जाए?

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिकों को नए इक्विटी शेयर जारी करना

3033. श्री प्रतीश चन्द्र सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रबन्ध में श्रमिकों तथा कर्मचारियों की साझेदारी को प्रोत्साहन देने के लिए कम्पनियों द्वारा अपने श्रमिकों तथा कर्मचारियों को अपने नवीन तथा नये इक्विटी शेयर निर्माणों में कुछ प्रतिशत उन्हें देना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कर्मचारियों द्वारा अपनी कम्पनियों के शेयर खरीदकर भागीदार बनने की स्कीमों के ब्यौरे की घोषणा लोक सभा में 1 अगस्त, 1985 को कर दी गई थी और उसी दिन इन स्कीमों की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई थीं।

(ग) और (घ) 21—31 अक्तूबर, 1985 को, पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा शेयर पूंजी जारी करने के उनके प्रस्तावों के अनुसरण में 94 कम्पनियों को, अपने कर्मचारियों को शेयर जारी करने की अनुमति दी गई थी।

नियंत्रित कपड़े का वितरण

3034. श्री मोहनभाई पटेल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रित कपड़े के लिए सांविधिक योजना कब लागू की गई थी;

(ख) समाज के कमजोर वर्ग को नियंत्रित कपड़ा किस दर पर वितरित किया जा रहा है;

(ग) इस किस्म का कपड़ा खुले बाजार में किस दर पर उपलब्ध है;

(घ) क्या यह सच है कि खुले बाजार के मूल्य और उचित दर दुकानों के मूल्य में बहुत ही कम अन्तर है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उचित दर दुकानों से नियंत्रित कपड़े की कुल खरीद बहुत कम है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियंत्रित कपड़े का मूल्य घटाने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) नियंत्रित कपड़े की वितरण संबंधी सांविधिक योजना 1972 में लागू की गई थी।

(ख) नियंत्रित कपड़े की प्रति लाइनर मीटर कीमतें धोती के लिए 2.20 रु० से 3.85, साड़ी के लिए 2.90 रु० से 5.85 रु० और लठ्ठे के लिए 2.90 रु० से 5.70 रु० तक हैं।

(ग) और (घ) नियंत्रित कपड़े की कीमतें खुले बाजार में बिक रहे मिल-निर्मित अनियंत्रित कपड़े की उन्हीं किस्मों की कीमतों की अपेक्षा सस्ती हैं।

(ङ) नियंत्रित कपड़े का वितरण मूलतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि खुदरा दुकानों से नियंत्रित कपड़े की कुल खरीद बहुत कम है।

(च) जी, नहीं।

भारतीय रबड़ की लागत

3035. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित रबड़ अन्य देशों में उत्पादित रबड़ से तीन गुना मंहगी है;

(ख) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके भारत में रबड़ के बागान हैं; और

(ग) भारत में रबड़ मंहगी होने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत में किसी विदेशी कम्पनी के कोई रबड़ बागान नहीं हैं, हांलाकि कुछ कम्पनियों में विदेशी भागीदारी है।

(ग) मलयेशिया जैसे अन्य रबड़ उत्पादक देशों की तुलना में भारत में रबड़ की ऊंची लागत होने के मुख्य कारण हैं :—

(1) कम अनुकूल जलवायु के कारण कम उत्पादकता,

(2) अन्तनिर्वेश की ऊंची लागत।

(3) रबड़ बागान से होने वाली विभिन्न बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए ऊंची लागत

(4) ईंधन की अधिक लागत और इसके परिणामस्वरूप परिवहन और उर्वरकों की ऊंची लागत।

पटसन के मूल्यों में गिरावट और भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे गए पटसन की मात्रा

3036. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कच्चे पटसन के मूल्य में बहुत अधिक गिरावट को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं;

(ख) भारतीय पटसन निगम ने अब तक कितना कच्चा पटसन खरीदा है;

(ग) वर्तमान मौसम के दौरान राज्य-वार हुए पटसन के उत्पादन का ब्योरा क्या है; और

(घ) पटसन की प्रति मीट्रिक टन उत्पादन लागत क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय पटसन निगम ने अब तक कच्चे पटसन की 15 लाख गांठों की अधिप्राप्ति पहले ही कर ली है जो कि विगत में कभी इस अवधि के दौरान रिकार्ड की गई उच्चतम वसूली से काफी अधिक है।

(ग) जहां तक 1985-86 मौसम के दौरान कच्चे पटसन के उत्पादन का संबंध है, अन्तिम अनुमानों के, जैसे कि कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, प्रकाशित करने का अभी समय नहीं आया है।

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए कच्चे पटसन के लिए कीमत नीति पर अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय कृषि लागत और कीमत आयोग ने बताया है कि कच्चे पटसन के उत्पादन की अद्यतन लागत का हिसाब पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 208 रु० प्रति क्विंटल तथा असम के लिए लिए 212 रु० प्रति क्विंटल लगाया गया है।

विवरण

(क) इस मौसम में कच्ची पटसन की भरपूर फसल की पैदावार से लगभग समस्त देहाती बाजारों में कीमतों में समर्थन मूल्य तक गिरावट आई है। पटसन उपजकर्ताओं के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :—

(1) भारतीय पटसन निगम को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों पर कच्ची पटसन की बड़ी मात्रा में खरीदारियां करने का निदेश दिया गया है;

(2) कीमत समर्थन कार्य को करने के लिए भारतीय पटसन निगम के अधिकार में पर्याप्त ऋण रखा गया है;

(3) निजी क्षेत्र में कार्य कर रही समस्त पटसन मिलों को पटसन आयुक्त द्वारा 6-9-85 को एक निदेश जारी किया गया है जिसमें विशिष्ट स्तरों की कच्चे पटसन के स्टाकों को बढ़ाने को कहा गया है ताकि मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीदारियों को बढ़ाया जा सके;

(4) भारतीय पटसन निगम को कच्चे पटसन की एक सीमित मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी गई है ।

सिगरेटों के मुद्रित और बिक्री मूल्यों में अन्तर

3037. श्री सी० सम्बु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों सिगरेट के डिब्बों पर कम मूल्य छापती हैं जबकि सिगरेट के उन्हीं डिब्बों को थोक व्यापारियों और खुदरा दुकानदारों को बेचते समय उनसे वे अधिक मूल्य लेती है; और

(ख) थोक व्यापारियों और खुदरा दुकानदारों के लिए सिगरेटों के बिक्री मूल्य निर्धारित करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सिगरेट की कुछेक कम्पनियों द्वारा निर्मित कतिपय ब्रांडों की सिगरेटों की बिक्री के कुछ ऐसे मामले सरकार की जानकारी में आए हैं, जिन मामलों में पैकेटों पर यथा-घोषित मुद्रित मूल्य उन मूल्यों से कम थे जिन मूल्यों पर ऐसी ब्रांडों को खुदरा बाजार में बेचा जा रहा था ।

(ख) सिगरेटों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है । सरकार के लिए सिगरेटों के बारे में ऐसे मूल्य निश्चित करना सम्भव नहीं है जिन पर निर्माताओं को थोक डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के पास बेचना चाहिए ।

सोने के उत्पादन में गिरावट

3038. श्री आर० एम० भोये : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सोने का खान-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इसके उत्पादन में कोई गिरावट आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) भारत सरकार के उपक्रम

भारत गोल्ड माइन्स लि० का 1980-81 से 5 वर्षों का स्वर्ण उत्पादन इस प्रकार है :—

(किलोग्राम में)

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
(1) मैसूर खान	258.61	222.48	236·53	217.80	202.14
(2) चेम्पीयन खान	666.82	565.70	568.62	441.64	383.99
(3) नन्दीदुर्ग खान	627.81	621.72	548.54	509.27	437.74
(4) येप्पामाना खान	3.07	4.44	2.31	—	25.66
(5) अन्य	6.33	6.29	1.94	16.86	41.68
	1562.64	1420.63	1369.94	1185.57	1091.21

भारत गोल्ड माइन्स लि० के अलावा, कर्नाटक सरकार की हुट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लि० भी स्वर्ण का उत्पादन कर रही है। इस कम्पनी का 1980-81 से पांच वर्षों का स्वर्ण उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	(किलो ग्राम में)
1980-81	783.24
1981-82	964.80
1982-83	753.62
1983-84	821.09
1984-85	865.12

(ख) जी, हां, विशेषतया भारत गोल्ड माइन्स लि० में स्वर्ण उत्पादन में गिरावट आई है।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० के स्वर्ण उत्पादन में गिरावट मुख्यत: उच्च ग्रेड अयस्क में कमी होने तथा अत्यन्त गहराई पर खनन सम्बन्धी समस्याओं के कारण हैं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, कल आपने निर्देश दिया था कि दिल्ली में गैस रिसाव पर चर्चा होगी। महोदय, दुर्भाग्य से सरकार का चर्चा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे डर है कि वे इसे दिल्ली चुनाव के बाद करेंगे। अतः इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति दी जाये।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब की बात भी मैंने सुन ली है। मैंने कल कहा था कि कल लेट आया था इसलिए सोमवार को बी० ए० सी० की मीटिंग बुलवाकर उसमें रख लेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : वे सम्भवतः इसे दिल्ली चुनाव के बाद करना चाहते हैं...

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह उनका फैसला नहीं है, यह मेरा फैसला है। (व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी चिंता गलत है। सोमवार को बी० ए० सी० की मीटिंग बुला लेंगे और तय कर लेंगे।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम सभा से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान)**

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.02 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1985, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 853 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नारियल जटा चटाई निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 755(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नारियल जटा के गांठरहित धागे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 756(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नारियल जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 757(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) नारियल जटा धागे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 758(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) पटसन उत्पादों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण एवं निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 759(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पटसन धागा और पटसन रस्सी (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 760(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दोहरा बटा पटसन तरपाल कपड़ा और बोरा और दोहरा बटा पटसन कैनवैस कपड़ा और बोरा (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 761(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) मछली आहार का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 762(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) डिब्बा बन्द मछलियां तथा मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1985 जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) मछलियों तथा मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 764(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1985, जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985, जो 16 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 5227 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) निर्यात निरीक्षण परिषद्, "मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान" (संशोधन) नियम, 1985, जो 16 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 5225 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) वैक्यूम फ्लास्कों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1985, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4259 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1558/85]

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, इलायची बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1559/85]

भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम सीमित, का वर्ष 1982-83 का, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर का वर्ष 1984-85 का, मैन मेड टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत का वर्ष 1983-84 का और ऊन तथा ऊनी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं, आदि

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 691क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम सीमति के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम सीमित का वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1560/85]

(3) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12-क के अन्तर्गत, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1561/85]

(4) (एक) मैन मेड टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी

[श्री खुर्शीद आलम खां]

वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) मैन मेड टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1562/85]

(6) (एक) ऊन तथा ऊनी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन तथा ऊनी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) ऊन तथा ऊनी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन तथा ऊनी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० —1563/85]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 872(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 29 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 27 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या, 179/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि एल्मोनियम के पिंडों पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की मूल सीमा-शुल्क की रियायती दर को 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ाया जा सके।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1564/85]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति : —

(एक) सा० का० नि० 877(अ), जो 2 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो चांदी की सभी वस्तुओं को, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 878(अ), जो 2 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या 31/76-के० उ० शु० तथा 9 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या 111/78-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1565/85]

राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी सीमित, भुवनेश्वर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी सीमित, भुवनेश्वर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी सीमित, भुवनेश्वर, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1566/85]

12.03 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

16वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : मैं पंखा रोड, नई दिल्ली, में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण तथा साल्ट लेक, कलकत्ता, में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के बारे में समिति के 205वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04 म० प०

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

विभिन्न राज्यों में भारी मात्रा में धान जमा हो जाने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं। मेरा अनुरोध है कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

> "भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली करने के लिए की गई अपर्याप्त व्यवस्था के कारण विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान जमा हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति, जिसके फलस्वरूप किसानों द्वारा उसकी मजबूरन बिक्री करने तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गए उपाय।"

12.05 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : भारत सरकार ने विपणन मौसम 1985-86 के लिए धान के समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी है। धान की साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया, इन तीनों किस्मों के मूल्य क्रमशः 142 रुपये, 146 रुपये तथा 150 रुपये प्रति क्विंटल हैं।

सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य उन अनाजों के लिए हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हों। ये विनिर्दिष्टियां राज्य सरकारों की सलाह से निर्धारित की जाती हैं और खरीदारी के समय इनका अनुपालन करने हेतु ये विनिर्दिष्टियां विपणन मौसम आरम्भ होने से पहले सभी राज्यों सरकारों तथा भारतीय खाद्य निगम को भेज दी जाती हैं।

भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियां निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप बिक्री के लिए पेश किये गये समस्त धान को समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं ताकि किसानों को अपने उत्पाद को मजबूरन न बेचना पड़े। मिल मालिकों द्वारा धान की खरीदारी समर्थन मूल्य का उससे अधिक मूल्य पर की जाती है। समर्थन मूल्य देने में सरकारी एजेन्सियों की भूमिका अनुपूरक स्वरूप की होती है और ये एजेन्सियां उस समय अपनी भूमिका अदा करती हैं जब किसान बाजार में धान का समर्थन मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ होता है। किसान को धान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेन्सियों अथवा बाजार में, जो उसे लाभप्रद हो, बेचने का विकल्प है।

जब कभी समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर धान बेचे जाने की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, तब उनकी तत्परता से जांच की जाती है। सामान्यतया ऐसे मामलों में यह पाया गया है कि धान की घटिया किस्म होने के कारण और न कि समर्थन मूल्य पर खरीदारी न करने के कारण कम मूल्य होते हैं। कुछ मामलों में यह पाया गया था कि ऐसे धान की क्वालिटी नमी की अधिक मात्रा होने के कारण विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं थी तथा कुछ मामलों में अनाज क्षतिग्रस्त था।

भारतीय खाद्य निगम समर्थन परिचालनों के अन्तर्गत अनाजों की खरीदारी करता है। राज्य सरकारों की भी यह देखने की जिम्मेदारी है कि मजबूरन बिक्री न हो। वस्तुतः, पंजाब और हरियाणा, जो प्रमुख अधिशेष राज्य हैं, में राज्य एजेन्सियों को समर्थन मूल्य परिचालनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियां राज्य सरकारों द्वारा अलाट किये गये संबंधित केन्द्रों में चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान की वसूली कर रही हैं। 4-12-1985 तक 40.07 लाख मीटरी टन धान की वसूली कर ली गई है जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख तक 32.59 लाख मीटरी टन धान की वसूली की गई थी। इस वर्ष हुई कुल वसूली 7.48 लाख मीटरी टन अधिक है जोकि लगभग 25% अधिक बैठती है।

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी, आपके लिए 10 मिनट हैं। कृपया संक्षेप में कहिए और अपने

प्रश्न पूछिए। 10 मिनट के अन्दर-अन्दर आप मंत्री जी से जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस देश का किसान जिन्दा है, वह देश जिन्दा है और यहां आप किसान के सवाल पर समय निश्चित करते हैं। किसानों की हालत को देखते हुए, श्रीमन्, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप थोड़े लिबरल होंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ कालिंग अटेंशन का नहीं है, मैं कभी ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, यदि मेरा कोई प्रश्न इर्रेलैवेन्ट हो तो आप मेहरबानी करके कह दीजिए, मैं उनको मान लूंगा। उस स्थिति में मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा।

उपाध्यक्ष जी, किसान खेतों में अनाज पैदा करता है, धान पैदा करता है, खेत उसकी हवनशाला है और उसमें वह अपनी सारी जिन्दगी झोंक देता है। किसान के प्रयत्नों से हमारे देश में पिछली बार 150 मिलियन टन धान पैदा हुआ और इस साल 151 मिलियन टन धान पैदा हुआ, लेकिन मंत्री जी ने जिस तरह से यहां पर स्थिति को स्पष्ट किया है, ऐसा लगता है कि जो कुछ उनके अधिकारियों ने उन्हें लिखकर दे दिया, उन्होंने केवल उसे यहां आकर पढ़ दिया। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि हमारे देश में जब इतना धान पैदा हुआ तो उसमें से कितना पैडी इनको खरीदना चाहिए था : व्हाट वाज दी टार्गेट आफ दी फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया ? यह मेरा उनसे पहला प्रश्न होगा। यदि ये टार्गेट बता देते हैं तो उस टार्गेट को इन्होंने कितने परसेंट एचीव किया, यह मेरा उनसे दूसरा प्रश्न होगा। तीसरे, मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पास शिकायत नहीं आई क्यों आप इतनी बात कह देते हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री भजनलाल और उनके कृषि मंत्री श्री शमशेर सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की है और वे श्रीमान् के दरवाजे पर भी आए और उन्होंने कहा कि आज पैडी धूल के भाव बिक रही है और उन्होंने नाभा और जीन्द, इन दो जिलों का दौरा किया, वे इन दोनों जिलों में घूम कर आए हैं और उन्हें मालूम हुआ है कि :

[अनुवाद]

"श्री सूरजेवाला के अनुसार ज्यादातर मंडियों में धान 130 रुपये प्रति क्विटल बिक रहा है जबकि समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विटल है।"

[हिन्दी]

ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार के एक मंत्री और वह भी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल की है, उन्होंने आपको शिकायत की है कि वहां पर मंडो में पैडी खरीदने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मन्त्री जी जब जवाब दें तो मेहरबानी करके सोचें, यह शिकायत इन्होंने की है—

[अनुवाद]

"भारतीय खाद्य निगम ने कहीं भी धान की खरीद शुरू नहीं की है। इसके कारण

किसानों के पास यही विकल्प रह गया है कि वे अपनी उपज, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचें।"

[हिन्दी]

इन्होंने इतनी बुरी हालत में डाल दिया है कि उनका माल कोई उठा नहीं पा रहा है। पंजाब के कृषि मंत्री श्री अमेन्द्र सिंह ने कहा है कि क्या हालत आज वहां पर पैडी की हो रही है, अरे मैं तो फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया की बात कर रहा हूं यहीं क्या पूरे देश में हालत खराब है। ये मंत्री जी बहुत डिफेंड करते हैं क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए इनको डिफेंड करने की आदत हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब के कृषि मंत्री का जिक्र करते हुए कह रहा था कि वहां पर एक अंडरस्टेंडिंग हुई कि 65 परसेंट फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया और सेंटर की एजेंसीज द्वारा पैडी खरीदा जाएगी और 25 परसेंट पंजाब गवर्नमेंट परचेज करेगी, यह टारगेट भी आपने पूरा नहीं किया। उन्होंने टारगेट पूरा किया ही नहीं।

[अनुवाद]

"उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम ने कल तक 83,000 टन धान की ही खरीद की है जबकि चालू सत्र में लक्ष्य 27 लाख टन की खरीद का है।"

[हिन्दी]

ये मेरे पास 18 अक्तूबर, 1985 की है, उन्होंने खरीद लिया होगा लेकिन वह नहीं खरीदा गया। पंजाब में धान की आपने तीन तरह की क्वालिटी बनाई—कामन, फाइन और तीसरी सुपर फाइन। महोदय मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितनी पैडी कामन, कितनी फाइन और कितनी सुपर फाइन क्वालिटी की खरीदी और किस-किस जगह से खरीदी और मुझे यह बताया जाना चाहिए कि कौन से राज्य में कितनी पैडी उपलब्ध थी और अेराइव कितनी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर धान की खरीद की हालत बहुत खराब है और मिनिस्टर कहते हैं कि हम खरीद कर रहे हैं। जब इनके पास जूट बैग्स ही नहीं हैं, जब खरीद कर पैडी को भरने के लिए जूट के बोरे ही नहीं हैं, तो खरीदेंगे कहां से। उपाध्यक्ष महोदय आप के सामने मैं यह रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूं, इसको आप सुनिए—

[अनुवाद]

"भारतीय खाद्य निगम ने जूट के थैलों का भी प्रबन्ध नहीं किया है···"

[हिन्दी]

ये खरीदने कहां गए थे, महोदय मंत्री जी को मालूम नहीं है। न तो श्रीमन् इनके पास जूट

[श्री मूल चन्द डागा]

बैंक्स हैं न इनके पास गोडाउन्स हैं क्योंकि चावल खुले में नहीं रखा जा सकता और श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, और आप मुझे क्षमा करें, आप गरीबों से इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। मेरा इसमें और कोई मतलब नहीं है। एफ० सी० आई० ने कितना रुपया तय किया था कि पैडी खरीदने में लगाएंगे ? उसमें से कितना रुपया लगा दिया ? एफ० सी० आई० ने पहले यह कहा था कि हम फार्मर्स एक्सटेंशन सर्विस बनाएंगे, किसान अपना अनाज, धान, पैडी किसी भी वेयर हाउस में रख देंगे और रखकर बैंक से पैसा लेकर तब काम करेंगे। यह उनकी रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

"समिति को पता लगा है कि भारत भर में किसानों की संख्या…"

उपाध्यक्ष महोदय : राजस्थान सहित…

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान बहादुरों की भूमि है।

"समिति को पता लगा है कि भारत भर में जो किसान इस योजना के अन्तर्गत सेवाओं का उपयोग करते हैं उनकी संख्या 1980-81 में 259, 1981-82 में 409 और 1982-83 में 344 थी।"

केन्द्रीय भांडागार निगम के प्रबन्ध निदेशक ने साक्ष्य के दौरान यह बात स्वीकार की थी :

"योजना की क्रियान्विति का क्षेत्र नगण्य रहा और उसका प्रभाव और भी कम रहा।"

इसके अलावा, भांडागार भी नहीं है। यह बात स्वीकार की गई है। अगर भांडागार, नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे ? उन्होंने यह बात स्वीकार की है। अच्छे अधिकारी भी हैं। माननीय मन्त्री कहेंगे "मैं संसद में जाकर यह बात स्वीकार नहीं करूंगा।" लेकिन यहां एक गलती हुई है जिसे वह स्वीकार नहीं करेंगे।

मैं यह बात उनके समक्ष रख रहा हूं। पंजाब विधान सभा में एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें ध्वनिमत से सरकार की निन्दा की गई। यह संकल्प निर्विरोध पारित हुआ और उसमें उन्होंने यह बात कही :

"हम धान नहीं उगाएंगे। हम कस्टर आयल उगाएंगे। धान उगाने का फायदा क्या है जब वह इतनी कम कीमत पर बिक रहा है ? उन्होंने बड़े गर्व के कहा है कि इसका मूल्य प्रति क्विंटल 142, 146 और 150 रुपए है।"

[हिन्दी]

आपने बिजली, खाद, कपड़ा, लोहा आदि के दाम बढ़ा दिये, ट्रेन, बस पर चलने के दाम बढ़ा दिए, आदमी के सांस लेने के दाम बढ़ा दिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री सारी बात जानते हैं। कृपया अब समाप्त करें।

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, यह सब है। उसमें आगे यह कहा गया है :

"उन्होंने केन्द्र द्वारा कृषि उत्पादों का 'अवास्तविक' खरीद मूल्य निर्धारित करने की आलोचना की और कहा कि अगर केन्द्र कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य नहीं देगा तो सरकार को बाध्य होकर राज्य में फसल उगाने की पद्धति परिवर्तित करनी पड़ेगी और नकदी फसल की बुआई शुरू करनी पड़ेगी।"

[हिन्दी]

हमारे श्री पनिका जी यहां बैठे हैं, ये हमारी पार्टी के बड़े काम करने वाले हैं, उड़ीसा के श्री चिन्तामणि पाणिग्रही बैठे हैं, ये एस्टीमेट्स कमेटी के चैयरमैन हैं, बड़े धुरन्धर विद्वान आदमी हैं। और बड़े-बड़े लोग यहां बैठे हैं, ये बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं और आप भी जानते होंगे कि किस प्रकार से एफ०सी०आई० का 30 परसेन्ट खर्चा ट्रांसपोर्ट पर लगता है तो इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है ? मंत्री जी यह भी बतलाएंगे कि सपोर्ट प्राइस देने के लिए क्या क्राइटीरिया है। आपने एक बहाना लिया और बड़ी तरकीब से कह दिया "स्पेसिफिकेशन" तो वह स्पेसिफिकेशन्स क्या हैं, वह लिखी हुई बतला दीजिए। (व्यवधान) आपने 18 परसेन्ट ब्वाइश्चर तक की बात कही तो पंजाब के कहने पर आपने 20 परसेन्ट ब्वाइश्चर तक खरीदने की बात मानी क्योंकि बरसात की वजह से ब्वाइश्चर हो जाता है जोकि बाद में सूख जाता है। (व्यवधान)

लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था "जय जवान, जय किसान।" आपने अगर किसान को जिन्दा नहीं रखा, उसकी माली हालत को नहीं सुधारा तो वह टूट जायेगा जिससे हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं कहता हूं आप मेहरबानी करके इन बातों की तरफ ध्यान दीजिए। एम० आर०ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी०के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहां पर आप इस धान को भेज दीजिए और वहां पर आप गरीब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को लगा दीजिए। क्या इसके लिए आप तैयार हैं, आप ऐसा करेंगे ? क्या आप धान को एक्सपोर्ट करेंगे ? साथ ही साथ मेरी आपको यह भी सलाह और सुझाव है कि गोडाउन बनाने के लिए बनियों को मत बुलाइये बल्कि किसानों की कोआपरेटिव्ज बनाकर जगह-जगह पर गोडाउन्स खड़े कीजिए। मेहरबानी करके आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी अपनी टिप्पणी के दौरान कहा कि मंत्री जी सब कुछ जानते हैं इसलिए हम केवल प्रश्न पूछें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे खेद है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में जो वक्तव्य हमें दिया गया है उससे यह नहीं पता चलता कि मंत्री जी स्थिति की गम्भीरता से परिचित हैं। इसलिए इस मुद्दे पर

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

अधिक समय नहीं लेते हुए मैं केवल यही कहूंगी कि वक्तव्य वास्तविक स्थिति को बिल्कुल नहीं दर्शाता।

पहली बात यह कि धान की कीमतें लाभकारी मूल्य से, जो कि हमारे मतानुसार एकदम अलाभकारी है, काफी नीचे गिर गई हैं अति बढ़िया किस्म के धान के लिए प्रति क्विंटल 150 रुपए तथा साधारण किस्मों के लिए प्रति क्विंटल 142 रुपए कीमत अलाभकारी हैं।

साधारण किस्म के धान के लिए कम से कम 180 रुपए मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए। मेरा विश्वास है कि यहां उपस्थित हर व्यक्ति, अधिक कीमत के लिए नहीं, परन्तु इस कीमत के लिए तो सहमत है। सच बात तो यह है कि जो कीमत दी जा रही है वह लाभकारी मूल्य से काफी कम है। अपने राज्य के अनुभव से मुझे पता है कि कीमत 120 रुपए से भी नीचे गिर गई है। यही बिहार में भी हुआ है। मैं पंजाब और हरियाणा की बात नहीं करूंगी। वे राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इन दो राज्यों के किसान चावल के बजाय अन्य फसल उगाने लगे तो सारे देश को अगली कुछ बुवाइयों के दौरान नुकसान उठाना पड़ेगा।

मैं जानना चाहती हूं कि क्या तथाकथित स्वप्नलोक में निर्धारित इस 142 रुपए मूल्य पर पुनर्विचार करके इसमें संशोधन किया जाएगा और आम किस्म के धान की कीमत कम से कम 180 रुपए करने पर विचार किया जाएगा।

वक्तव्य के दूसरे पैराग्राफ में उल्लेख है कि सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित मूल्य उसके द्वारा स्वीकृत विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हैं और ये विनिर्दिष्टियां राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके निर्धारित की गई हैं। मेरे विचार से 18% आर्द्रता विनिर्दिष्टि के कारण समय धान की खरीद में वास्तव में बाधा पड़ रही है। इस उत्तर के पैरा 4 में कहा गया है कि लाभकारी मूल्य से कम पर धान बेचने की सूचनाएं मिलते ही शीघ्रता से उनकी जांच की जाती है। लेकिन पता क्या लगता है? आम-तौर पर पता लगता है कि ऐसे मामलों में कम कीमत का कारण धान की घटिया किस्म का होना होता है, न की समर्थन मूल्य का अभाव। क्या महान खोज की है! इसलिए मैंने कहा है कि मन्त्रालय को बहुत सी बातों का पता नहीं है। क्या इसका यह मतलब है कि इस समय जो धान आ रहा है वह घटिया किस्म का है? केन्द्रीय एजेंसी का अभाव, आद्रर्ता की मात्रा को केवल 18% रखने का निर्णय, अन्य सुझाव पर ध्यान नहीं देना, बहुत से राज्यों द्वारा धान न खरीद कर मिल-मालिकों से केवल चावल खरीदने की नीति, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने लिए चावल की खरीद अपनी एजेंसियों के माध्यम से नहीं करके बिचौलियों के माध्यम से करना-क्या ये सब कारण उत्तरदायी नहीं हैं। उत्तरदायी क्या धान की घटिया किस्म होना है! महोदय यह तो हमारे देश के किसानों के घावों पर नमक छिड़कने के समान है।

पैरा तीन में सार्वजनिक एजेंसियों की भूमिका के बारे में एक और महान सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। सार्वजनिक एजेंसियों की भूमिका क्या है? उत्तर के अनुसार लाभकारी मूल्य देने

में इनकी भूमिका बहुत पूरक किस्म की है और इसकी भूमिका तभी शुरू होती है जब किसान को अपने धान का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। किसान अपना धान भारतीय खाद्य निगम, राज्य एजेंसियों या बाजार में जहां भी फायदे मन्द हो बेच सकता है। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम की भूमिका केवल पूरक है। अर्थात यह प्रमुख दायित्व नहीं निभाएगा या गलतियां हुई तो उसे अपराधी भी माना जाएगा। पूरकता की बात संख्या के मामले में लागू हो सकती है। लेकिन भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार का निगम है और उसका काम वास्तव में संख्यात्मक रूप में ही नहीं है बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन के रूप में है अर्थात कीमतें कम होने पर तत्काल बाजार में कूद पड़ना है उत्पादकों को बिचोलियों और व्यापारियों की लूट से बचाने के लिए बाजार में सबसे पहले आ जाना उसका कर्तव्य है।

कुछ स्थानों पर राज्य सरकार भी धान नहीं खरीद रही है। उदाहरण के लिए बिहार में सरकार धान खरीदने के लिए अनिच्छुक है। उसको कहना वह केवल चावल खरीदेगी। मैं यहां किसी राज्य सरकार के साथ झगड़ा करना नहीं चाहती हूं चाहे वह मेरा राज्य हो या बिहार या कोई अन्य राज्य हो राज्य सरकार इस तरह की चीजें करना चाहती होगीं। ऐसी स्थिति में, मैं जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम को तुरन्त धान खरीदने के लिए निर्देश देगी तथा राज्य सरकार को चावल के स्थान पर धान खरीदने के लिए मनवाएगी। क्या यह उसका कार्य नहीं है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मन्त्री जी ये सब कुछ जानते हैं। अत: भारतीय खाद्य निगम की भूमिका के बारे में यहां जो कुछ फार्मूला अपनाया गया है उस पर मेरी कड़ी आपत्ति है। जहां तक किसानों का सम्बन्ध है। मात्रा के सम्बन्ध में यह ठीक हो सकता है लेकिन वास्तविक कार्य के सम्बन्ध में इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कुछ ठोस प्रश्न पूछना चाहती हूं।

क्या सरकार धान के मौजूदा समर्थन मूल्य की पुनरीक्षा करेगी और सामान्य किस्मी के धान का समर्थन मूल्य कम से कम 180/रुपये तक बढाएगी? जब तक औपचारिक रूप से 180/रुपये मूल्य की घोषणा नहीं की जा सकती तब तक क्या सरकार खरीदने के लिए बोनस देगी? क्या नमी की मात्रा के बारे में विस्तृत ब्यौरे की पुनरीक्षा की जाएगी और क्या इसे 18% से बढ़ाया जाएगा? क्या भारतीय खाद्य निगम को 18% तक की नमी की मात्रा को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारोंकी सहमति मिल गई है? क्या भारतीय खाद्य निगम उन क्षेत्रों से धान खरीदेगी जहां राज्य सरकार ऐसा करने से मना करती है? बिचौलियों के माध्यम से धान को खरीदने के स्थान पर क्या भारतीय खाद्य निगम अपने केन्द्रों से इसे सीधे खरीदेगा? क्या और अधिक भण्डार की क्षमता बढ़ाई जाएगी? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनाज के अपार भण्डार के बारे में जो भारतीय खाद्य निगम के पास है। क्या सरकार उसे न केवल आदिवासी योजनाधीन क्षेत्रों बल्कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से कम कीमत पर-कृषि मजदूरों को भी रिलीज करने का निर्णय लेगी और इस तरह वास्तविक रूप से उनके कष्टों का निवारण करेगी?

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : महोदय, मौजूदा ध्यानाकर्षण प्रश्न इन रिपोर्टों से उत्पन्न हुआ है जो हमें निरन्तर प्राप्त हो रही हैं चूंकि धान की कटाई का मौसम शुरू होने के बाद गरीब किसानों को अपनी धान की उपज घबराहट में बेचनी पड़ रही है। अब मन्त्री जी ने उल्लेख किया है कि उन्हें

[श्री अमल दत्त]

भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है लेकिन उसी सांस में उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार के मामलों में जांच करने के बाद यह पाया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किस्म के साथ वह धान मेल नहीं खाता और इस तरह उन्होंने ऐसी रिपोर्टों को खारिज किया है। अत: यह मामला शुरू होने से पहले ही खारिज कर दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह हमें इस बात की जानकारी दें कि उन्हें इस प्रकार की कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं या कितने मामलों में उनके द्वारा रपोर्टें प्राप्त की गई थीं और कितने मामलों में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्होंने जांच की थी कि मजबूरी में उस धान की कोई बिक्री नहीं की गई है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशन के साथ भी मेल खाती है ? यह मेरा पहला प्रश्न है। स्पष्ट रूप से ऐसा वहां पर हुआ है जहां सरकार का प्रमुख धारणा दोष है कि यह अब पूरक भूमिका नहीं है। हरित क्रांति को जो बढ़ावा दिया गया है, ऐसी स्थिति में सरकार का यह भी काम है कि जहां अपेक्षित हो वहां समर्थन मूल्य भी दे ऐसा बड़े शहरों और मन्डियों में बैठ कर नहीं बल्कि छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच कर किया जाना चाहिए क्योंकि ये किसान अपने धान को मन्डी में नहीं ला सकते तथा पास ऐसा करने के लिए पैसा भी नहीं है। इसे लाचार होकर अपना धान स्थानीय बनिया या स्थानीय ट्रेडर को बेचना पड़ता है तथा बताई गई कीमत अर्थात 140 रुपये 150 रुपये के बजाए उसे सबसे कम मूल्य मिलता है। मैं जानता हूं कि यह सही है कि किसानों को अपनी धान 100 रुपये से नीचे भी बेचनी पड़ती है। क्या मन्त्री जी इससे इन्कार कर सकते हैं ? अत: क्या सरकार अब भारतीय खाद्य निगम की खरीद नीति की पुनरीक्षा करेगी, और मन्डी से दूर दराज क्षेत्रों में जाकर खरीद करायेगी ?

दूसरा पिछले तीन चार वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। पिछले तीन या चार वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के खरीद केन्द्रों में कितनी वृद्धि की गई है ? कितने एजेंट बढ़ाए हैं ?

तीसरे, मैंने देखा है कि लोक सभा और राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तर के दौरान यह कहा गया है कि गेहूं की खरीद के लिए आकस्मिक खर्चा 1982-83 से 1984-85 के दौरान तीन वर्षों में 24,24 और 28 रहा है। चावल के मामले में यह 10, 11 और 17 रहा है। स्पष्ट है कि चावल की खरीद पर आने वाला खर्च गेहूं की तुलना में नीचे है। क्या ऐसा नहीं है ? यद्यपि चावल न खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम की सुस्ती को दोषी ठहराया गया है परन्तु समय पर चावल की खरीद न कर सकने का मूल कारण भण्डारण क्षमता की कमी है जिसका पहले से ही उल्लेख किया गया है। वे अब कहते हैं कि 300 लाख टन का जो भण्डार अक्तूबर तक था उसके बाद से उस भण्डार में 70 लाख टन के लगभग अतिरिक्त अनाज की वृद्धि हो गई है उस समय उनके पास केवल 220 से 230 लाख टन की भण्डारण क्षमता थी। अत: शेष अनाज को वे सी०ए०पी० अर्थात कवर एण्ड प्लीन्थ व्यवस्था के अन्तर्गत रखा जा रहा था। अनाज रखने के लिए प्लीन्थ तैयार कर उसे पोलीथीन से ढक कर रखा जाता है। वास्तव में इस तरीके से वे बहुमूल्य वस्तुएं सड़ा रहे हैं। यह सरकार की नीति है, केवल भारतीय खाद्य निगम की नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री और विभाग को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं

कि वे पिछले 3 या चार वर्षों के दौरान इस देश में गेहूं और चावल का जो अतिरिक्त उत्पादन होता रहा है उसे कैसे संभाला जाए इस बारे में वे कोई निश्चित नीति को नहीं बना सके हैं। सरकार को चावल और गेहूं के रूप में अवरुद्ध भारी पूंजी का प्रयोग एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० तथा ऐसे अन्य ग्रामीण उत्थान कार्यक्रमों में लगे लोगों को पारिश्रमिक के रूप में देकर करना चाहिए ताकि ये वस्तुएं भण्डारों में सड़ती न रहें बल्कि उनका उपयोग देश के लोगों के लिए उपर्युक्त तरीके से स्थाई सम्पत्ति का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन करने में हो। इस उद्देश्य से सरकार को कोई नीति तैयार करनी चाहिए थी। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक हम हरित क्रांति से उपलब्ध हुए अतिरिक्त उत्पादन को संभाल कर रखने के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता का उपयोग देश में वर्तमान वितरण प्रणाली तथा गरीबों को जकड़ रखने वाली विषमता के रहते हुए नहीं किया जा सकता इसलिए हमें मानवता के नाते इन लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ही कदम नहीं उठाने हैं वरन् अनाज के उपलब्ध भारी भण्डार की मदद से ग्रामों में आस्तियों का निर्माण भी करना है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह खेद का विषय है कि केन्द्रीय सरकार ने अधिक उपजाओ अन्यथा नष्ट हो जाओ की नीति अपनाई है। इस गरिमापूर्ण सदन में हमने बार-बार कृषि वस्तुओं में न केवल धान बल्कि नारियल, गन्ना, कपास, पटसन तथा सभी अन्य कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के बारे में चर्चा की हैं। कीमतों में गिरावट एक ऐसा गम्भीर मामला बन गया है जिस पर इस सदन के सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है लेकिन मुझे कहते हुए दुःख होता है कि केन्द्रीय सरकार इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में ऐसा कोई वाक्य नहीं पाएंगे जिसमें सरकार ने खेतिहर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया हो। सरकार 21 वीं सदी की ओर अग्रसर होने की बात करती है लेकिन वह 20 वीं सदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से हटकर लाभकारी समर्थन मूल्य की ओर क्यों नहीं बढ़ रही। इसका योजना दस्तावेज में कोई उल्लेख नहीं है।

कृषि के विकास के बारे में प्रधान मन्त्री जी ने 2 या 3 वाक्य कहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह ने भी सातवीं योजना दस्तावेज में उत्पादन के बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं। लेकिन समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने के बारे में एक भी वाक्य नहीं कहा गया है कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने की बात तो अलग है मुझे कहते हुए दुःख होता है कि केन्द्रीय सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। समस्या की ओर मन्त्री जी का रवैया उनके वक्तव्य से साफ हो जाएगा जिसमें वह कहते है :

"...यह सामान्यत: पाया जाता है कि इस प्रकार के मामलों में धान की घटिया किस्म के कारण कम कीमत होती है, न कि समर्थन खरीद की कमी के कारण।"

यह कारण है : मन्त्री जी ने यह रवैया अपनाया है मैं भारतीय रिजर्व बैंक की 1984-85 की रिपोर्ट के पृष्ठ 31 पैरा 164 से कुछ वाक्यों को उद्धृत करता हूं :

[श्री अनिल बसु]

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पास खाद्य का भण्डार 240 लाख टन से ऊपर रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है, अनाज के मामले में अधिकतम सीमा तक सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा मुद्रा स्फीति संबंधी आशंकाओं को नियंत्रित करने में सहायक है सरकारी खरीद के मूल्य समर्थन मूल्य की नीतियां बहुत वर्षों से किसानों को इस बात का प्रोत्साहन देती रही है कि वे खाद्यान्न उत्पादन को सतत् बढ़ाया जाए।"

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनिवार्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या को मदद पहुंचाती रही है..."

मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : निकट भविष्य में मन्त्री बनने का कोई अवसर आपके पास नहीं है।

श्री अनिल बसु : आगे मैं और उद्धृत कर रहा हूं :

"इसी के साथ यह नोट भी करना होगा कि खाद्यान्न का भण्डार उपलब्ध भण्डार क्षमता से बहुत अधिक है।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री अनिल बसु : रिजर्व बैंक ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम के पास बड़ी मात्रा में खाद्यान्न को जमा किया गया है तथा भण्डार को संचालनीय सीमा के अन्तर्गत रखना चाहिए और यह संचालनीय सीमा सरकार ने ये शब्द कह कर क्रियान्वित कर दी है कि खाद्यान्न विशिष्ट स्तर की नहीं है। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय भाण्डागार निगम तथा अन्य राज्य भण्डागार निगम की भण्डारण क्षमता 268 लाख टन तक की है। लेकिन इस समय खाद्यान्न का जमा भन्डार 300 लाख टन है। अब सरकार धान को खरीदेने के लिए आनाकानी कर रही है। इसलिए वह ऐसा कह रही है कि धान उपयुक्त किस्स की नहीं है और वह धान नहीं खरीदा जा सकता। परन्तु वहां क्या हो रहा है? किसान और खेतिहर लोग नाकाबन्दी कर रहे हैं। अक्तूबर के महीने में पूरी जी० टी० रोड को घेर कर वहां धान जलाया गया है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्यों में भी किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। और धान के जमाव ने हम सभी के लिए चिन्ता पैदा कर दी है।

मैं मंत्री जी से यह विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री जी बता रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक मात्रा में धान इकट्ठा किया गया है। परन्तु उसके क्या आंकड़े हैं? आंध्र प्रदेश के राज्य में वर्ष 1980-81 के उत्पादन की तुलना में चावल की खरीद...... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रभावती गुप्त।

श्री अनिल बसु : मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं। यह बहुत सगंत विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। आपने पहले से ही छ: मिनट ले लिए हैं। यदि आप इतना पढ़ते जाएंगे तो मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह प्रश्न पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। केवल पहले सदस्य को 10 मिनट दिए गए हैं। अन्य सभी को केवल पहले पांच मिनट दिए गए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने अभी तक समाप्त नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी भी तरह से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। उन्हें पांच मिनट से अधिक दिया गया है।

श्री अनिल बसु : खरीद प्रतिशत ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। वह पढ़ते जा रहे हैं। छ: मिनट समाप्त हो गए हैं और उन्होने अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री अनिल बसु : यही तो प्रश्न मैं कर रहा हूं। 1980-81 से 1983-84 तक धान के उत्पादन के प्रतिशत की तुलना में इसकी खरीद के प्रतिशत में कमी आई है। उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि वे खरीद बढ़ा रहे हैं लेकिन वास्तव में उत्पादन की तुलना में, खरीद घट रही है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह सच है या नहीं।

अगला प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति उपभोग में कमी आई है, क्या यह भी सच है कि बहुत से राज्यों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी आई है, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उपभोग में कमी आई है और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या सच है या नहीं। माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से बताएं।

अन्तिम प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य को तो छोड़िए अगर कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य भी नहीं दिए जा रहे तो आप 21वीं शताब्दी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? 1वीं सदी की ओर बढ़ने वाली आपकी सरकार की किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में क्या नीति है? इस बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है।

अन्तिम प्रश्न यह है कि आप धान सहित कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य सरकारों को ब्याज रहित ऋण क्यों नहीं दे रहे?

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रभावती गुप्त।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचार के लिए आया है, वह देश के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हित में है और बहुत उचित समय उसे यहां लाया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वे बिल्कुल सही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हमारे किसानों का महान योगदान है। हमारे यहां किसानों की प्रमुख उपज धान है और आज उसके सामने जितनी दर्दनाक और भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर माह में हरियाणा, पंजाब, बिहार, बंगाल आदि कई राज्यों के किसानों को मजबूर होकर अपना धान मिट्टी के भाव पर बेचना पड़ रहा है। हमारे खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री जी ने जो बयान दिया है, वह बहुत ही असन्तोषप्रद है और किसानों के हित में नहीं है, इतना मैं अवश्य कहना चाहती हूं। जिस तरह की नीति हमें अपनानी चाहिए और जो कार्य भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियों को करना चाहिए, उसमें हम सर्वथा असफल सिद्ध हो रहे हैं। सरकार की ओर से धान की खरीद के लिए तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं: साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया: और उनके लिए क्रमश: 142 रु०, 146 तथा 150 रु० प्रति क्विंटल भाव निश्चित किया गया है। लेकिन सरकार के केवल इतना कह देने से ही काम नहीं चलने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी खेतिहर किसान होंगे, यदि नहीं हैं तो आप जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, वहां आपके यहां बहुत से खेतिहर किसान होंगे और आप समझ सकते हैं कि खेती का काम कितना श्रमसाध्य है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर उपज पैदा हो पाती है। हमारे यहां मजदूरों की पहले से ही भारी समस्या है, क्योंकि काफी मात्रा में मजदूर इन दिनों काम करने के लिए पंजाब या हरियाणा चले जाते हैं। जब कितना अपना खून-पसीना एक करके अपने खेत को सींचता है, उससे फसल पैदा करता है और उसके बाद यदि वह पैदावार उचित दामों पर न बिक सके तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी। भारतीय खाद्य निगम बेखबर सोती रहती है। यदि आप देखें तो बिहार में दिसम्बर के महीने में छोटे किसानों को अपनी लड़कियों की शादियां करनी होती हैं परन्तु सरकार की नीति के कारण सब कुछ खत्म। क्या भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व नहीं है कि गांवों में जाकर अपने भण्डार बनाये और किसानों का धान कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ले लें। आज उसे अपना धान 100 रु० प्रति क्विंटल के भाव पर देना पड़ रहा है और इन दोनों भावों में कितना अन्तर है। सरकार भी जिस रेट पर किसानों से धान खरीदती है, वह मूल्य भी बहुत कम है, उसको 160 रु० से लेकर 200 रु० तक बढ़ाना चाहिए, जो किस्म के अनुसार तय किया जाए। आज तो आप समर्थन मूल्य तक नहीं दिला पाते।

यह भी देखिए कि एक तरफ तो किसान को मिट्टी के मोल अपना धान बेचना पड़ रहा है, दूसरी तरफ बाजार में चावल के दाम कितने ऊंचे हैं। यदि कोई खेतिहर किसान बाजार में खरीदने जाता है तो उसे किस भाव पर मिलता है और इन दोनों रेट्स में कितना अन्तर है। इसलिए मैं खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि धान के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति की घोषणा करें कि खाद्य

निगम की भूमिका क्या होगी, किसानों के प्रति उनकी नीति क्या होगी क्योंकि किसान का हमारी अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे साथियों ने यहां जो कुछ कहा, ठीक कहा। आप कहते हैं कि किसान स्वच्छन्द हैं, वे अपनी पैदावार कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर आज उसे मजबूर होकर अपना धान इतने कम भाव पर क्यों बेचना पड़ रहा है। आप इस स्थिति का मुकाबला किस तरह से करना चाहते हैं, क्या आपने कोई कार्यवाही की। क्या हर ब्लाक में एफ०सी०आई० अपने गोदाम बनायेगी। एक ओर तो हमारे करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे हैं, सिंचाई योजनाओं पर, बांध बना और पानी में बह गया, उसका कोई पता ही नहीं है, कोई सूची नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप भण्डारण क्षमता को बढ़ाईये, आपकी नीति इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, मैं इसकी घोषणा चाहती हूं। उसका कारण यह है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था किसानों पर निर्भर है। (व्यवधान) ···हां, किसानों को भी बोनस मिलना चाहिए। पहले उन्हें उचित कीमत तो मिले। जब आप 1600 रु० वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को बोनस देते हैं, क्या आपने किसानों के बारे में भी कभी कुछ सोचा। किसान का योगदान हर क्षेत्र में है, लेकिन पंजाब आदि इलाकों में इतना धान हो गया है कि किसानों को मजबूर होकर कुछ और सोचना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप आज ही स्पष्ट नीति की घोषणा करें जो देश के किसानों के हित में हो।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का हार्दिक आभारी हूं जिन्होंने···(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आपकी धज्जियां उड़ाई हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : जी हां, क्यों नहीं ? अगर इससे आपको खुशी होती है तो ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। इस बात पर मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। यह आपका विशेषाधिकार है।

मैं किसानों के हितों का समर्थन करने और किसानों, भारतीय खाद्य निगम के कार्यों और धान सहित खाद्यान्नों की खरीद की समूची प्रक्रिया में उनके द्वारा गहरी रुचि लेने, के लिए मैं उनका आभारी हूं। बहुत से सदस्यों ने पृष्ठ भूमि का उल्लेख करते हुए टिप्पणियां की हैं और कुछ प्रश्न भी पूछें हैं।

आरम्भ में मैं यही कहूंगा कि मैंने अपने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है। वही चालू नीति है और भारतीय खाद्य निगम जो कि सरकारी क्षेत्र का भारत सरकार के अधीन एक उपक्रम है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों, विनिर्दिष्टियों और कार्यों के अनुसार कार्य करता है। इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए मुद्दों पर आऊं मैं बताना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य के अन्तर्गत धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के साथ-साथ राज्य सरकारों और उसकी एजेंसियों द्वारा की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम ही खाद्यान्न की खरीद करने वाला एकमात्र संगठन या संस्था है। इसके लिए राज्य सरकार की भूमिका और दायित्व भी समान है। साथ ही,

[श्री के० पी० सिंह देव]

भारतीय खाद्य निगम की भूमिका पूरक और समर्थक के रूप में है। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है उसके बावजूद मैं इस बात को फिर से जोर देकर कहना चाहता हूं सच्चाई तो है कि यह बात सच है और पूरी तरह से सच है। केवल टिप्पणी कर देने से स्थिति नहीं बदलती······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। रुकावट मत डालिए। उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए··· (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार का उपक्रम है राज्य सरकारों का नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें भी खरीद रही हैं और भारतीय खाद्य निगम भी खरीद रहा है।

श्री के० पी० सिंह देव : भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारें तथा उनकी ऐजेंसियां उन मंडियों और खरीद केन्द्रों को परस्पर मिलकर बांट लेती हैं जहां से उन्हें खरीद करनी होती है। मंडियों के बारे में निगम तानाशाही ढंग से निर्णय नहीं लेता। कई बार तो ऐसा होता है कि निगम को रद्दी मंडियां दे दी जाती हैं। एक राज्य में तो आज की तारीख तक, 73 खरीद केन्द्रों में से 26 में खाद्यान्न पहुंचा ही नहीं है। लेकिन मैं और न ही निगम का प्रबन्ध वर्ग इसे बताने के लिए अखबार-वालों के पास दौड़ा। इसलिए इन मण्डियों और खरीद केन्द्रों के बारे में राज्य सरकारें और निगम जो कि राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए रखता है, परस्पर मिलकर मंडी और खरीद केन्द्रों के बारे में निर्णय लेते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन तीन प्रमुख राज्यों में और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में भी भारतीय खाद्य निगम बहुत सक्रियता से काम कर रहा है क्योंकि इन्हीं चार प्रमुख राज्यों में धान का आधिक्य है और पंजाब में गेहूं का। इसीलिए कुछ माननीय सदस्य इन चार राज्यों में बिचौलियों को हटाना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा में "कच्चा आढ़तिया" नामक प्रणाली है। यह प्रथा बहुत समय से चली आ रही है।

श्री अमल दत्त : वहां भी शोषण होता है।

श्री के० पी० सिंह देव : जो माननीय सदस्य सदन में इतने जोर-शोर से बोल रहे हैं वे मेरा साथ दें और "कच्चा आढ़तिया प्रणाली को हटाने में मेरी सहायता करें। पंजाब और हरियाणा दो राज्यों में यही आढ़तिए वास्तव में बिचौलिए हैं। हम किसानों से सीधे खरीद करना चाहते हैं। कृपया कच्चा आढ़तियां" प्रणाली को समाप्त करने में हमारी सहायता करें।

श्री अमल दत्त : आप मुझसे क्या सहायता चाहते हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : इसी तरह उत्तर प्रदेश में 'गांव व्यापारी' और जैसा की एक माननीय सदस्य ने कहा "गांव बनिया" हैं। अगर आप इन्हें हटाने में हमारी सहायता कर सकें तो हम किसानों से सीधी खरीद करेंगे। जहां तक हरियाणा और पंजाब का सम्बन्ध है यह प्रथा वहां पर सदियों से चली आ रही है। इसकी अपनी अच्छाईयां और बुराईयां हैं। उन्हें लगता है कि इससे फायदा है लेकिन अगर आप इन बिचौलियों को समाप्त करने में हमारी सहायता करें तो हम किसानों से सीधी खरीद करने के लिए तैयार हैं।

श्री अमल दत्त : ठीक है, आप निर्णय ले लीजिए, हम आपकी ओर से आगे बढ़ेंगे।

श्री के० पी० सिंह देव : हम मिलकर कदम बढ़ा सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : आप निर्णय ले सकते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो आपकी ही सरकारें हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : एक माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या हमने खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाई है या घटाई है। 1984-85 में खरीद केन्द्रों की संख्या 3,481 थी जबकि इस साल 1985-86 में 3,830 है। तो, खरीद केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री अमल दत्त : बहुत वृद्धि तो नहीं हुई।

श्री के० पी० सिंह देव : यह एक अलग बात है कि आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं या यह अधिक है या नहीं। आप आंकड़े चाहते थे हमने आंकड़े दे दिए। राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके हमने खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाई है। हम एक पक्षीय निर्णय नहीं ले सकते। राज्य सरकारें ही निर्णय लेती हैं कि हमें कहां काम करना है और इसी आधार पर हम खरीद केन्द्रों की संख्या घटाते या बढ़ाते हैं।

बहुत से माननीय सदस्य चाहते हैं कि निगम के कार्य मंडी और खरीद केन्द्रों तक ही सीमित नहीं रहें। निगम को व्यवहार्यतया सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। देखिए, भारतीय खाद्य निगम का मौजूदा ढांचा इस प्रकार का है कि उसे तीन प्रमुख राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक आन्ध्र प्रदेश में काम करने के लिए पर्याप्त संस्थागत और आधारभूत प्रबन्ध करने पड़ते हैं क्योंकि इन्हीं चार राज्यों से निगम केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीदता है और खाद्यान्न का भंडारण करता है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक है। अन्य राज्यों के पास उतना अतिरिक्त खाद्यान्न नहीं है। इसलिए इन राज्यों में निगम के लिए अधिक काम नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा।

मैं यहां दोहराना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर बारीकी से विचार किया जाएगा। हम देखेंगे कि क्या माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये सुझावों में से कोई भी सुझाव व्यवहारिक है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस पर खुले दिलो-दिमाग से विचार करेंगे।

[श्री के० पी० सिंह देव]

हम भी किसानों का हित चाहते हैं। चर्चा से यह स्पष्ट है कि सदन के सब वर्ग किसानों के हितों का समर्थन कर रहे हैं लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या चर्चा के दौरान कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है जैसे भागो तो खरगोश के पीछे भागो और शिकारी कुत्तों से शिकार करो। पहले तो आप कुछ खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि पर आपत्ति करते हैं जो किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लेकर निर्धारित की गई थी लेकिन साथ ही आपने किसानों को पर्याप्त कीमतें न दिए जाने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का निर्णय अलग से नहीं लिया जाता। इसका प्रभाव उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। इसलिए उत्पादक, निर्माता और उपभोक्ता के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। बहरहाल किसानों के हितों और उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने का समर्थन करने के लिए मैं सदस्यों का आभारी हूं। समर्थन मूल्यों की घोषणा करते हुए सरकार की वास्तव में यही नीति है।

1.00 म० प०

समर्थन मूल्य का अर्थ किसानों को वे न्यूनतम कीमतें देना है जिससे कम कीमत उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए चीनी, धान और गेहूं के लिए इन संवैधानिक न्यूनतम कीमतों की घोषणा की गई है। माननीय सदस्यों ने इस बारे में कुछ मांगें की हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में निर्णय मनमाने ढंग से नहीं लिया जाता राज्य सरकारों से सलाह ली जाती है। कृषि मूल्य आयोग से सलाह-मशविरा किया जाता है औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से विचार-विमर्श किया जाता है। इस निर्णय को लेने से पहले विभिन्न संगठनों और संस्थानों से विचार-विमर्श किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से किसी वस्तु की कीमत 'क' 'ख' या 'ग' रख दे। ऐसा नहीं है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खाद्यान्न कितना उपलब्ध है और उसकी कुल कितनी खरीद की गई है। इन सब बातों पर विचार किया जाता है। महोदय, कुछ राज्यों में चावल पूरी तरह लेवी चावल है। कुछ जगहों पर शत प्रतिशत और कुछ राज्यों में 90% चावल लेवी का चावल है। कुछ जगहों पर धान खरीद कर मिल मालिकों को दे दिया जाता है। कुछ स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम सरकार की ओर से उसकी खरीद करता है। विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्थिति है जैसे कि उत्तर प्रदेश में। पंजाब में निगम धान की खरीद करता है। राज्य ऐजेन्सियां भी हैं जो निगम की ओर से यह काम करती हैं। विपणन संघ हैं, सहकारी संघ है, मिल मालिक हैं। इसीलिए खरीद का सारा काम निगम ही नहीं करता। निगम है, अन्य ऐजेंसियां हैं, राज्य ऐजेंसियां हैं, राज्य सरकारें भी खरीद करती हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं होगा क्योंकि जैसाकि मैंने कहा उत्तर प्रदेश में स्थिति और है तो पंजाब और हरियाणा में कुछ और। आंध्र प्रदेश में स्थिति जरा सी भिन्न है। आंध्र प्रदेश में पिछले साल उन्होंने एक लाख टन से भी अधिक की खरीद की जो कि एक अपवाद है।

मेरे दोस्त प्रो० रंगा यह नहीं हैं; वह कुछ जानना चाहते थे। अतः अन्त में ये सब चीजें केन्द्रीय पूल के सहयोग को जाती हैं। यह अन्त में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपयोग की

जाती है। बहुत से माननीय सदस्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए बहुत उत्सुक हैं, वे चाहते हैं। कि इसे न केवल जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों तक पहुंचना चाहिए। बल्कि इसमें कृषि मजदूरों को भी शामिल करना चाहिए। ये सुझाव हैं जिन पर हमें अमल करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। हम इसमें एक और भ्रम नहीं जोड़ना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि अनाज उन लोगों के पास न जाए जिनके यह बना है या ऐसे लोगों के पास जाए जो अनुचित व्यापार कार्य में लगे हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अनाज गलत क्षेत्रों में जाए। अतः मैं आपको कोई आश्वासन या वचन दूं उससे पहले इन सब बातों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं जो मेरे पास हैं। मेरे पास जो और आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे जो पता चल रहा है मैं वह बता रहा हूं। क्योंकि जो कुछ मैंने यहां कहा है मैं उसके लिए संसद के प्रति उत्तरदायी हूं। मैं संसद के लिए उत्तरदायी हूं। यदि मैं कोई गलत विवरण देता हूं तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूंगा।

25.30 लाख टन की तुलना में पंजाब में अभी तक अर्थात 3-12-85 तक धान की खरीद 34.24 लाख टन है और इसे मैं माननीय सदस्यों की कल्पना पर छोड़ता हूं कि क्या भारतीय खाद्य निगम तथा उसकी एजेंसियों में पिछले वर्ष के अनुरूप इस वर्ष अधिक खरीदा है और क्या प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि भारतीय खाद्य निगम खरीद के क्षेत्र में उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

श्री अनिल बसु : लेकिन रिकार्ड बताता है··· (व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : दुर्भाग्यवश मैं आपके रिकार्ड पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि···

श्री नारायण चौबे : यह आपका रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : वह अतारांकित प्रश्न का उत्तर है जो आपने दिया है।

श्री के० पी० सिंह देव : यह एक विशेष तारीख को है।

श्री अनिल बसु : जी नहीं, आपने वर्ष वार आंकड़े दिए हैं।

श्री के०पी०सिंह देव : वर्ष वार ठीक है। (व्यवधान) परन्तु प्रत्येक दिन का अर्थ है कि खरीद में वृद्धि हुई है। (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि कौन सा उत्तर, कौन-सा महीना, मेरे पास पूरा प्रश्न और उत्तर यहां नहीं हो सकता है जिससे मैं विस्तार में जाऊं।

श्री अनिल बसु : आपने वह आंकड़े दिये हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैने इसे दिया होगा। मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं आपके पास एक विशेष प्रश्न हो सकता है लेकिन मैं प्रतिदिन सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर देता हूं। मैं आपको बिना तैयारी के नहीं बता सकता हूं।

श्री नारायण चौबे : क्या आप अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा रहे हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : निश्चित रूप से नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा रहा हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : क्योंकि आप मंत्री बन गए हैं इसलिए आपके पास सैकड़ों प्रश्न और सैकड़ों अधिकारी हैं। लेकिन सामग्री प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक भी अधिकारी नहीं हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

हम जानते हैं कि आपके पास सौ क्वैश्चन्स हैं, लेकिन पास आपके सौ आफिसर भी हैं। आप क्या बोल रहे हैं। आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए आप मंत्री बने हैं, हम मन्त्री नहीं बन सके हैं।··· (व्यवधान) ···आप अपनी रिसपांसबिलिटी से दूर नहीं भाग सकते हैं।··· (व्यवधान) ···

[अनुवाद]

आप सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। यह उत्तर उसी मंत्रालय द्वारा दिया गया था। आप जिम्मेदारी से दूर नहीं जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री के० पी० सिंह देव : भागने का इरादा नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता है।···

(व्यवधान)···

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप ऐसा बोल रहे हैं, क्या करूं, मेरे पास सौ क्वैश्चन्स हैं। यह सवाल नहीं है।··· (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : जंगा रेड्डी जी आज जंग करने के मूड में हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं जंग करने के मूड में नहीं हूं। कपास का किसान मर रहा है, पैडी का किसान मर रहा है, गन्ने का किसान मर रहा है। किसान को मारने की नीयत से यहां आकर बैठे हैं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय श्री एम० सी० डागा ने भी हरियाणा के बारे में बताया था।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या करना है। चावल का दाम सही नहीं मिलता है। आप सब जानते हैं।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं सदस्यों के विचारों का स्वागत करता हूं क्योंकि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार के हाथ मजबूत ही होते हैं और इस तरह अगली बार यदि ऊंची कीमत दी जाएंगी तो उन्हें आपत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर तथा उपभोक्ता मूल्यों पर असर पड़ता है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य उस वक्त दोहरी चाल नहीं चलेंगे।

श्री नारायण चौबे : यदि वह किसानों को लाभकारी मूल्य देते हैं तो वस्तुओं के मूल्य ऊपर जाएंगे और उपभोक्ता मूल्य ऊपर आएंगे तथा यदि वह उपभोक्ता मूल्य कम करते हैं तो किसानों को कम देना पड़ेगा। महोदय, यह हास्यजनक बात है।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम ऊपरी खर्च पर 40 प्रतिशत देगी। कृपया इन प्रभारों को कम करने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप भाग नहीं ले सकते हैं। मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम जानते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। हम दर्द जानते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहस नहीं कर सकते हैं, मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : किस सीमा तक वे जिम्मेदार हैं ? (व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य श्री डागा ने हरियाणा के मुख्य मन्त्री के पत्र का उल्लेख किया है और उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि भारतीय खाद्य निगम खरीद नहीं कर रही है। यह सही नहीं है। वास्तव में, सभी एजेन्सियों द्वारा हरियाणा में जो पिछले वर्ष 117 लाख

[श्री के० पी० सिंह देव]

टन खरीद की गई थी उसके मुकाबले अब तक 194 लाख टन की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने पंजाब के बारे में तथा कृषि मन्त्री के वक्तव्य का भी उल्लेख किया है लेकिन मुझे आशा थी कि वह पर्याप्त स्पष्ट तथा पर्याप्त विषयनिष्ठ होकर भारतीय खाद्य निगम की भूमिका तथा उसके प्रति संतोष व्यक्त करते हुए 20 नवम्बर 85 के स्टेट्समैन में छपे पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री बरनाला के वक्तव्य से उद्धरण देंगे क्योंकि पहले की स्थिति में तो वास्तव में ऐसा हुआ कि इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने 18 प्रतिशत से अधिक नमी वाले धान को स्वीकार नहीं किया और इसका सख्ती से पालन किया। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप से यदि 18% से अधिक नमी के अनाज को लिया जाए तो इससे गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्योंकि अधिक नमी वाले अनाज को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है जिससे भण्डारण के दौरान नमी के कारण गुणवत्ता घट जाती है, रंग हल्का पड़ जाता है और तथा विषालुता प्रभाव और फंगस विकास जैसे अन्य हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। इसीलिए मेरे माननीय दोस्त आलोचना कर रहे हैं कि विभिन्न राज्यों को चावल या गेहूं की घटिया और खराब किस्म की सप्लाई की गई है। वास्तव में खाद्यान्न की घटिया किस्म होने का एक कारण नमी की यह मात्रा है। चीन और अन्य जैसे देशों में नमी की मात्रा 15% होती है। वहां भी वे संयुक्त कटाई यंत्र का उपयोग करते हैं। वे कटाई के लिए आधुनिक उपायों का उपयोग करते हैं। यह नहीं है कि केवल हमारा ही ऐसा देश है जहां आधुनिक उपायों का उपयोग होता है।

1981 से आगे जहां तक 18% नमी पर टिके रहने का संबंध है, हम सख्ती से उसका पालन करते रहे हैं विभिन्न अनाजों की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम को सरकार द्वारा जो विनिर्देशन दिये गये हैं, मैं वे बता रहा हूं ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि जो खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राज्य सरकारों और देश के बाकी भागों में सप्लाई किए जाएं वे उपभोग करने योग्य किस्म तथा अच्छी किस्म के हों। उसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि हमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में बताए गए विनिर्देशन तथा इसके अन्तर्गत नियमों का दृढ़ता से पालन हो। अन्यथा यदि भारतीय खाद्य निगम जनवादी बनने के प्रयास में घटिया स्तर का उत्पाद खरीदता जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशन के अनुसार नहीं हैं तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उस पर कानूनी तथा प्रशासनिक जैसी अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किस्म का उत्पाद ही खाद्य निगम खरीद सकता है विनिर्दिष्ट किस्मों का निर्धारण खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के तथा विशेषज्ञों के परामर्श से होता है।

जहां तक धान का संबंध है, वह ठोस, विक्रय योग्य स्थिति का, मधुर, सूखा, साफ, पोषक तत्वों वाला, रंग तथा आकार में हर दाना एक समान और सड़ांध, घुन, विवर्णता हानिकर पदार्थों या रंजक तत्वों से मुक्त होना चाहिए और खाद्य अपमिश्रण निवारण कानून में दिये गये स्तरों पर खरा उतरने वाला होना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : कोई भी इस परीक्षण पर खरा नहीं उतरेगा।

श्री के० पी० सिंह देव : इसके बावजूद हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा 24% से अधिक खरीदा है। कड़े विनिर्देशन का पालन करने के बावजूद, हर ओर से आलोचनात्मक होते हुए भी, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा की जाए, या विपक्ष अथवा सत्ता पक्ष में बैठे माननीय दोस्तों के द्वारा की जाए; हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 24 प्रतिशत से अधिक खरीद की है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के खाधान्न को जो घटिया किस्म का हो तथा दोषपूर्ण हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को जारी करना पूरे देश को विश्वस्त करने के समान होगा और ऐसे कार्य में सहयोग करने वाला मैं अन्तिम व्यक्ति होऊंगा। मैं ऐसे कार्य में भागीदार नहीं बनूंगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मुझे बहुत दुःख है। यह तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

मिनिस्टर को पता है कि पोयजन कहां से आता है। किसान उसको पैदा नहीं करता है। वह लोगों को मरवाने के लिए उपज नहीं करता है। यह इनको पता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री का कहना है कि वह अच्छी किस्म के अनाज को खरीदना चाहते है। मैं नहीं समझता कि आप विरोध क्यों करते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान जब यहां मुख्य मन्त्री जी थे तब कुछ नमूनों के साथ जिन्हें जारी नहीं किया जाना चाहिए था, पांच मुख्य मन्त्री पहले से ही मुझे यहां मिले थे। ये पुराने नमूने हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : भारतीय खाद्य निगम के लोग धान को चावल में बदल देते हैं। वह इसे जहर के रूप में कैसे दिखा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी खड़े हैं। आप उनके बोलने में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? आप जारी रखिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : वे पूरी शरारत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप माननीय मन्त्री को उत्तर देने देना चाहते हैं या नहीं ? आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं तो वह उत्तर नहीं दे सकते हैं।

तब मैं सभा को स्थगित नहीं कर सकता। उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दो। आप क्यों खड़े हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मामले को किसी अन्य चर्चा में उठाएं, न कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में।

श्री के० पी० सिंह देव : वर्ष 1978 में 18 प्रतिशत का विनिर्देशन निर्धारित किया गया था तथा हम इसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं और हम उस पर कोई छूट नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में इसके हानिकारक प्रभाव हुए हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप हस्तक्षेप करते रहेंगे तो माननीय मन्त्री उत्तर नहीं दे सकेंगे और तब मैं सभा को स्थगित नहीं कर सकता हूं। यदि आप उनके उत्तर में दिलचस्पी रखते हैं तो पहले बैठ जाइए। क्या आपने समाप्त कर लिया ?

श्री के० पी० सिंह देव : मैं धान की किस्मों के एक समान विनिर्देशन दे रहा था जिन्हें विशेषरूप से इस वर्ष के लिए प्रमाणित किया गया है जोकि भारतीय खाद्य निगम को खरीदना है क्योंकि अन्यथा निगम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करने वाला होगा। विभिन्न अपमिश्रित पदार्थों की अनुसूची के अनुसार जैव और अजैव मिलावट 1 प्रतिशत तक हो सकती है और श्रेणी 2 में यह 1 प्रतिशत तक हो सकती है; जैव और अजैव 2 प्रतिशत हो सकती है। श्रेणी 1 में 4 प्रतिशत तथा श्रेणी II में 6 प्रतिशत तक क्षतविक्षत, धब्बेदार और अंकुरित दाने की मिलावट स्वीकार्य हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इतने विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री के० पी० सिंह देव : यही बातें सरकार, भारतीय खाद्य निगम तथा मेरे द्वारा कही गई हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० पी० सिंह देव : यह प्रत्येक मानव पर प्रभाव डालता है। आज हम भोपाल त्रासदी के बारे में क्यों चिंतित हैं ? हम कल हुई गैस रिसने की घटना के बारे में चर्चा उठाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं ? क्योंकि इन घटनाओं में प्रदूषण के कारण मानव को हानि पहुंची है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : उनके हित की वकालत करना बहुत आसान है। परन्तु सरकार को सावधान रहना होता है। बाकी देश में जहर घोलने के काम में सरकार भागीदार नहीं बन सकती।

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह सरकार कृषकों पर दोषारोपण कर रही है। यह भारतीय खाद्य निगम का दोष है।

श्री अमल दत्त : हमारी समझ में यह तो आ गया कि बहुत विशिष्ट विवरण होते हैं। क्या उनके पास 3,800 विशेषज्ञ हैं जो कि प्रत्येक गोदाम में बैठकर विशिष्ट विवरण के अनुसार चावल की जांच करें।

श्री नारायण चौबे : क्या यह सच नहीं है कि आप बाहर बाजार से जो भी चावल खरीदें वह राशन की दुकान के मुकाबले अधिक अच्छा होता है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि वे सारी एहतियात बरत रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : 1500 लाख टन के कुल खाद्यान्न उत्पादन में से भारतीय खाद्य निगम की भूमिका 200 लाख टन से भी कम की है। मैं समझता हूं कि यह मोटे तौर पर 14 प्रतिशत है और इस 14 प्रतिशत द्वारा यह केवल सहायक रूप में ही हो सकती है। यह मुख्य भूमिका नहीं हो सकती। मैं वस्तुस्थिति को सही तरीके से रखूंगा। (व्यवधान) जिस प्रकार का या जिस विशिष्ट विवरण का निर्धारण किया गया है उसकी आपात बिक्री नहीं हुई है—जिसके विषय में सुनने का धैर्य माननीय सदस्यों को नहीं है। यदि वे घटिया प्रकार की लें तो वे शिकार हो जाएंगे। अतः उनके स्वयं अपने लाभ के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं—जिस प्रकार के चावल का सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है उसकी आपात बिक्री की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है यद्यपि जिस दर पर माननीय महोदय ने बताया है घटिया किस्म के चावल की आपात् बिक्री हुई हो, ऐसा हो सकता है। इस देश के किसान के पास यह विकल्प है कि वह भारतीय खाद्य निगम के पास जाये, या सरकारी एजेन्सियों के पास या फिर खुले बाजार में जाये, आप उसको इस बात के लिए विवश नहीं कर सकते कि वह केवल भारतीय खाद्य निगम या राज्य सरकार या फिर किसी और के पास जाये। यह किसान की इच्छा है कि वह जिसे चाहे उसे बेचे। आप उसे बांध नहीं सकते। यही कारण है कि एक न्यूनतम वैधानिक मूल्य निर्धारित किया जाता है, यह मूल्य विशिष्ट विवरण या किस्म से सम्बन्धित होता है अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मूल्य किस्मों से सम्बन्धित होता है। सरकार को भारतीय खाद्य निगम से या किसी राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि किसी निश्चित या निर्धारित किस्म के चावल या धान की आपात् परिस्थितियों में बिक्री की गई हो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर कैसे दे सकते हैं यदि आप सभी इस तरह चिल्लाते रहेंगे ? कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री के० पी० सिंह देव : जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है सारी बातों की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। वहां कोई समस्या नहीं है।

कलकत्ता से ही अखबारी रिपोर्ट आ रही है—मुझे कलकत्ता पर बड़ा गर्व है; मैं कलकत्ता में ही जन्मा, मेरा पालन-पोषण और शिक्षा दोनों ही कलकत्ता में हुए। मुझे "कलकतिया" होने पर गर्व

[श्री के० पी० सिंह देव]

है लेकिन वह कलकत्ता रिपोर्ट पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके सम्बन्ध में थी। वे सज्जन खुद कभी नहीं गये और जो उन्होंने प्रकाशित किया उसे सत्यापित नहीं किया था; यह एक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य पर यह आरोपित किया गया था जो उड़ीसा गये थे और जिन्होंने लौटने के बाद कलकत्ता हवाई अड्डे पर मेरे ख्याल से एक वक्तव्य जारी किया था कि पंजाब में किसान आपात् बिक्री के कारण धान को जला रहे हैं। जब हमने पंजाब सरकार से और अपने भारतीय खाद्य निगम के स्रोतों से पता किया तो पता चला कि एक जगह थोड़ा धान का भूसा जलाया गया था, धान नहीं। मैं ऐसी खबरों का सहारा नहीं ले सकता जो अपुष्ट हैं, तथा असत्यापित हैं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : तहकीकात किसने की ?

श्री के० पी० सिंह देव : भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार ने।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आदमियों को खिलाने के बजाय बैलों को खिलाते हैं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : श्री जंगा ने चाहा है कि हम किसानों के प्रति उदार रहें। मैं एक-एक मुद्दों पर आ रहा हूं···

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : बहुत हो गया है। आपके भाषण से ही सेटिसफाइड हो गए हैं।···

···(व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : ऐसा लगता है, आपको भूख लग रही है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : हम सबने मिलकर आधा घण्टा भी नहीं लिया, लेकिन मन्त्री जी ने पहले ही आधा घण्टा ले लिया।

श्री के० पी० सिंह देव : आपने इतने सारे प्रश्न पूछे, मुझे उत्तर देना होता ही है। मैं समझता हूं कि 25 से 30 प्रश्न हैं।

श्री अमल दत्त : 30 मिनट में हमने 30 प्रश्न पूछ लिये थे वह भी भूमिका बताने के बाद।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं हमेशा आपका प्रशंसक रहा हूं इसीलिए आप मेरे सलाहकार हैं।

श्री अमल दत्त : मैं हम पांचों की ओर से ही बोल रहा था जिनमें श्री डागा भी हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : श्री डागा चाहते हैं कि हम किसानों के प्रति उदार रुख अपनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप भोजन के बाद जारी रखेंगे ?

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, हम इसे समाप्त कर लेंगे। ऐसी क्या जल्दी है ? एक बज कर पच्चीस मिनट हो चुके हैं। अगले 10 या 15 मिनट में हम इसे समाप्त कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया 10 मिनटों में समाप्त कर लीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : श्री डागा चाहते थे कि हम किसानों के प्रति उदार बनें। साधारण, उत्तम एवं अति उत्तम चावल के लिये जो 142, 146 और 150 रुपये का समर्थन मूल्य है वह पिछले वर्ष की तुलना में पांच रुपये अधिक है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाकर प्रोत्साहन देने के लिए हम बिल्कुल यही करना चाहते हैं और कुछ सदस्यों ने कहा है कि क्या हमें इसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसकी समीक्षा करने में कोई नुकसान नहीं है लेकिन केवल समीक्षा करके हम इसी समय कुछ कह पाएंगे, मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि फसल कटाई का मौसम चल रहा है। अतः, मैं इस चीज की समीक्षा के विरुद्ध नहीं हूं। मैं पूरी तरह समीक्षा किये जाने के पक्ष में हूं लेकिन केवल समीक्षा करने का अर्थ यह नहीं कि कीमतें स्वतः ही बढ़ जाएंगी। क्योंकि किसी निर्णय पर पहुंचने के पहले हमें बहुत सी एजेन्सियों से मशविरा करना होता है।

फिर, उन्होंने पूछा है कि भारतीय खाद्य निगम के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? मैंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम की भूमिका सीमित है और यह एक सहायक भूमिका है। पहली बात है। मूल्य समर्थन। राज्य सरकारों, राज्य एजेन्सियों तथा चावल मिलों द्वारा खरीद किए जाने के बाद ही, मूल्य समर्थन की यदि आवश्यकता पड़े तो भारतीय खाद्य निगम बीच में आता है। अतः इसका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं हो सकता। यह भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी भण्डार पर, उसके बफर स्टाक पर निर्भर करता है जो कि हर तीन महीने में परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को तथा 1 जुलाई को आंकड़े लिये जाते हैं। (व्यवधान) इस प्रकार यह सरकार के पास खाद्यान्न के भण्डार की उपलब्धता पर निर्भर करता है, राज्यों में परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा इस बात पर भी कि मिल वाले कितना ले सके हैं, राज्य सरकारें कितना ले सकी हैं तथा राज्यों की एजेन्सियां कितना ले रही हैं। क्योंकि केवल भारतीय खाद्य निगम ही खरीद नहीं करता। भारतीय खाद्य निगम तथा उसकी एजेन्सियां और कुछ राज्य सरकारें भी खाद्य निगम की ओर से यह काम करती हैं। यह परिवर्तित होता रहेगा।

श्री अमल दत्त : भारतीय खाद्य निगम को उनसे खरीदना होता है।

श्री के० पी० सिंह देव : वे पैसा लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम उन्हें पैसा चुकाता है। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम को कुछ निश्चित मण्डियां दी गई होती हैं, मान लीजिए कुल 'ख' में से 'क'

[श्री के० पी० सिंह देव]

मण्डियां। अतः भारतीय खाद्य निगम कुछ मण्डियों से सीधा खरीद करता है, राज्य सरकारें भी इसकी ओर से खरीद करती हैं तथा राज्यों की एजेन्सियां भी भारतीय खाद्य निगम की ओर से खरीद करती हैं।

श्री अमल दत्त : बहुत सी राज्य सरकारों ने शिकायत की है कि बहुधा भारतीय खाद्य निगम उनके द्वारा खरीदे गये स्टाकों (भण्डारों) को लेने में देर कर देता है और कई मामलों में इस आधार पर लेने से मना कर देता है कि··· (**व्यवधान**)।

श्री के० पी० सिंह देव : हमें ऐसी कोई कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : महोदय, भारत सरकार ने आंध्र सरकार को धान और चावल की खरीद करने से रोक दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : लक्ष्य निर्धारित हैं और उसी के अनुसार वे अनुमति दे रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैंने हरियाणा के मुख्य मन्त्री के बारे में तथा श्री अमरिन्दर सिंह की रिपोर्ट जिसका कि वह हवाला दे रहे थे, उत्तर दिया है। कुछ अखबारी खबरें यहां हैं। स्टेट्समैन, 12 नवम्बर, 1985 का, कहता है "बरनाला भारतीय खाद्य निगम के कार्य से संतुष्ट", प्रसंगवश श्री बरनाला पंजाब के खाद्य मन्त्री भी हैं। (**व्यवधान**)

श्री डागा ने 65:35 के किसी समझौते का भी हवाला दिया। भारतीय खाद्य निगम या किसी अन्य से कोई समझौता नहीं है। यह एक काल्पनिक समझौता होगा। खरीफ की स्वीकृति के विषय में विवरण और गोदामों की संख्या··· (**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द डागा : अखबार में बात छपी थी और सरकार की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया था। सरकार की ओर से कोई खण्डन क्यों नहीं हुआ ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जबकि इतना कुछ कहा और किया जा चुका है। फिर भी किसानों द्वारा धान की आपात् बिक्री की जा रही है।

श्री के० पी० सिंह देव : इस वर्ष धान की खरीद की स्थिति यह रही है; भारतीय खाद्य निगम द्वारा 19 लाख टन।

श्री अमल दत्त : यह इससे कहीं बहुत अधिक होना चाहिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : किसान को आपके आंकड़ों से कुछ भी पता नहीं होता।

श्री के० पी० सिंह देव : यह धान—559 के बारे में है जो कि 47.8 प्रतिशत बैठता है। यह

अब तक का है और इसी अवधि के दौरान वर्ष 1984-85 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 19.16 लाख टन की खरीद की गई जो कि 58.9 प्रतिशत था जबकि अभी सीजन समाप्त नहीं हुआ है। हम अभी भी फसल कटाई के मौसम के बीच में ही हैं।

श्री अमल दत्त : बीच में नहीं हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : पंजाब में भारतीय खाद्य निगम समेत सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा 50.1 प्रतिशत खरीद की गई है। हरियाणा में यह 10 प्रतिशत थी जो कि पिछले वर्ष 7.1 प्रतिशत की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। मैं आपको केवल यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस वर्ष हमने जो खरीद की है···

श्री मूल चन्द डागा : हमें कोई तुलना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि किसान बाजार में हैं वे अपने अतिरिक्त उत्पादन को लाते हैं और आपको उसे खरीदना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सारा विवाद यही है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमारा विवाद नहीं। यह सरकार की योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि सारा अतिरिक्त उत्पादन सरकार द्वारा खरीद किया जाना चाहिए।

श्री अमल दत्त : किसान इसे किसी को बेचते नहीं हैं और फिर वह व्यक्ति उसे भारतीय खाद्य निगम को बेच देता है।

श्री के० पी० सिंह देव : आपने जानना चाहा था कि धान आया कितना था और खरीद कितनी हुई थी।

श्री मूल चन्द डागा : बाजार में कुल कितना पहुंचा और आपने इतने में कितना खरीदा है?

माननीय उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक बात होनी चाहिए हम एक स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं कि बाजार में कुल कितना पहुंचा और इसमें से कितना खरीदा गया और किस ऐजेंसी द्वारा। उन्हें यह बताना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको अब बता रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : हमने उन्हें पूरे धैर्य के साथ सुना है।

श्री के० पी० सिंह देव : पंजाब में इस वर्ष 4 दिसम्बर तक कुल 68.70 लाख टन धान पहुंचा जिसमें से भारतीय खाद्य निगम ने 18.63 लाख टन खरीद की···

श्री अमल दत्त : केवल इतना ही?

श्री के० पी० सिंह देव : और राज्यों की एजेंसियों ने 15.67 लाख टन लिया है। अतः सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा 34.30 लाख टन खरीद की गई है। मिलवालों ने 34.40 लाख टन खरीद की है, पिछले वर्ष की तुलना में यह बड़ी मजेदार बात है, पिछले वर्ष पंजाब में कुल 70.12 लाख टन पहुंचा था और भारतीय खाद्य निगम ने 18.88 लाख टन खरीदा जबकि इस वर्ष यह संख्या 18.63 लाख है, और मिल वालों ने 44.61 लाख टन खरीद की थी जबकि इस वर्ष 34.40 लाख टन की है। अतः मिल वालों ने इसको लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया है। अतः भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार किसानों को बचाने के लिए सामने आयी है। अतः इस वर्ष ज्यादा अच्छी खरीद हुई है। यही बात में सम्माननीय सदन को बताना चाहता हूं यदि इसके पास धैर्य है तो।

अब हरियाणा में भी यही बात है। हरियाणा में 1984-85 में कुल धान 18.37 लाख टन पहुंचा और इस वर्ष यह 19.75 लाख टन, 3 दिसम्बर तक, पहुंचा है। भारतीय खाद्य निगम ने पिछले वर्ष 16000 टन दिये थे और इस वर्ष यह 3000 टन है, राज्यों की एजेंसियों ने 1.58 लाख टन किया है जबकि पिछले वर्ष 1.01 लाख टन लिया था। राज्यों की एजेंसियों का मतलब है राज्यों की वे ऐजेंसियां जो खाद्य निगम की ओर से यह खरीद करती हैं और इस प्रकार सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा धान की कुल खरीद 1.91 लाख टन बैठती है जबकि पिछले वर्ष 1.17 लाख टन थी। और मिल मालिकों के द्वारा पिछले वर्ष 17.20 लाख टन की खरीद की गई थी जबकि इस वर्ष 17.84 लाख टन की, की गई।

श्री एम० सी० डागा : पटसन की बोरियां के बारे में कुछ जानना चाहते थे।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है ? आपने पंजाब और हरियाणा के बारे में बताया है। आंध्र प्रदेश के बाजार में कितना माल आया है ? आपने आंध्र प्रदेश से कितनी खरीदारी की है ? आप आंध्र प्रदेश की उपेक्षा कर रहे हैं। अतः जो श्री एन० टी० रामा राव कह रहे हैं वह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे रहे हैं आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय मैं प्रश्नों की कल्पना नहीं कर सकता। पटसन की बोरियों के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते थे। अब भारतीय खाद्य निगम के खिलाफ एक आलोचना यह है कि बैगों में अनाज का भार वास्तव में जितना होना चाहिए वह नहीं होता है। बहुत चोरी होती है। हानि भंडारण तथा रास्ते में उसके परिवहन के दौरान भी होती है। क्योंकि बैगों से अनाज गिरता रहता है। अतः भारतीय खाद्य निगम ने सख्ती से काम लिया और कुछ राज्य सरकारों से नये बैग खरीदने के लिए भारतीय वित्त निगम से धन लेने के लिए कहा है। प्रत्येक बार अनाज की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए बैगों में हुक लगाया जाता है, जिससे आप बैग में छेद करते हैं और अनाज बाहर आ जाता है। अतः कुछ स्टाक इस कारणवश भी स्वीकार नहीं किये गए थे, क्योंकि बैगों से अनाज गिर रहा था। जब कठोर रुख लिया गया केवल तभी नये बैगों का प्रयोग किया गया और वे स्वीकार किए गए।

एक और क्षेत्र है जहां क्षय को कम किया जा सकता है। क्षय को भण्डारण के दौरान कम किया जा सकता है एफ० सी० आई० नये बैग लिए के 13 रुपये दे रहा है, यह एक खास किस्म का बैग है जो कि उन्हें खरीदकर एफ० सी०आई० गोदाम को देना होता है।

[हिन्दी]

श्री सी० रंगा रेड्डी : पांच रुपए का मिलता है सौ के०जी० का, आप क्या बता रहे हैं ? यही तो है घपला। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : मैं बताऊंगा कि यह सब क्या है। गोदामों के बारे में, लगभग 10 दिन पूर्व एक और ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में, मैंने एक प्रश्न के सम्बन्ध में उल्लेख किया था कि योजना आयोग द्वारा आबंटन संसाधनों को सीमित किया गया था, जो पैसा हमने मांगा था उसमें योजना आयोग द्वारा भारी कटौती, 50 प्रतिशत से अधिक की गई है। अतः लगभग 20 लाख टन क्षमता के अलावा, जो हम एफ० सी० आई०, केन्द्रीय भण्डार निगम तथा अन्य राजकीय भण्डार निगमों जुटायेंगे गैर सरकारी क्षेत्र को भी इससे सम्बद्ध किया जा रहा है, ताकि प्राइवेट लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर गोदामों को बनाकर एफ० सी० आई० की क्षमता को बढ़ा सकें। हम सी० ए० पी० (कैप) भण्डारण को भी कम करना चाहते हैं, जहां पर भण्डारों को पोलिथीन से ढका जाता है, जो इतना वैज्ञानिक तथा स्थाई नहीं है जैसा कि बन्द गोदाम होते हैं। परन्तु प्रत्येक कार्य को संसाधनों की सीमाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर करना है और इसलिए, अगर हमें हमारी आवश्यकता के अनुरूप मिलता है तो संभवतः हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता के अनुरूप निर्माण कर सकेंगे। परन्तु अड़चनों के कारण यह सम्भव नहीं हुआ।

विनिर्दिष्टियों के बारे में, मैंने पहले ही उल्लेख किया है, डागा जी भी चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को ये अनाज दिया जाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में 19 नवम्बर, 1985 को वित्त मंत्री का वक्तव्य सुना होगा। हम इस फालतू के गेहूं को समाज के कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिसे हमने उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व भी हैं। सरकार के पास इसे निर्यात करने का भी विकल्प है, परन्तु सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले हम अपने लोगों को इसे उपलब्ध करायें। सूखे से प्रभावित तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों सहित संकटग्रस्त क्षेत्र हैं। अतः 19 नवम्बर, 1985 को एक योजना तैयार की गई थी और इसके अन्तर्गत औरतों, बच्चों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लाने के लिए इसे क्रियान्वित किया जाना है। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें परिवर्तित क्षेत्र विकास ऐजेंसियों, को भी कहां तक शामिल किया जा सकता है। एक और सुझाव माननीय सदस्या, श्रीमती मुखर्जी ने भी दिया है और हम इसे लागू करने की व्यवहार्यता के बारे में जांच करेंगे।

अन्तिम बात जो श्री डागा जी ने कही वह गोदामों के लिए प्राइवेट लोगों की बजाय, किसानों की सहकारी समितियों से सम्बन्धित थी। हम इस सुझाव पर भी विचार करेंगे।

[श्री के० पी० सिंह देव]

श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि बिहार तथा बंगाल में धान का मूल्य क्रमशः 120 रुपये तथा 130 रुपये तक गिर गया था। हो सकता है कि कुछ अनाज आवश्यक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न हो। मेरा उस पर न तो कोई झगड़ा है और न ही उसकी मुझे जानकारी चाहिए।

उन्होंने किसी स्वप्न लोक में 142 रुपये की कीमत का जिक्र किया था। मुझे नहीं पता कि यह स्वप्न लोक का मूल्य क्या है। मूल्यों का निर्धारण विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद किया जाता है। मेरे विचार से श्रीमती गीता मुखर्जी, इस तथ्य के बावजूद कि वह इस सदन की एक बहुत ही आदरणीय सदस्या हैं, कृषि विशेषज्ञ नहीं है। परन्तु अगर वह यह समझती है कि 142 रुपये लाभकारी मूल्य नहीं है तो मुझे खेद है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कृषि मन्त्रालय अपने विभिन्न विशेषज्ञ निकायों से परामर्श करने के बाद मूल्य निश्चित करता है।

वह यह भी जानना चाहती थीं कि क्या 18 प्रतिशत नमी की शर्त में भी कुछ छूट दी जा सकती है। मैंने पहले ही बच्चों, पुरुषों तथा अन्यों, संपूर्ण जनता पर इसके पड़ने वाले विषाक्त प्रभाव का उल्लेख किया है। और उपाध्यक्ष महोदय आपका राज्य भी चावल प्रयोग करने वाले राज्यों में से है; आंध्र प्रदेश भी एक चावल प्रयोग करने वाला राज्य है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : म्वाइश्चर होने पर भी उसको उबालकर और सुखा कर हम खा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : मेरे राज्य में चावल प्रयोग होता है; केरल तथा कर्नाटक राज्यों में भी चावल प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि फालतू चावल तथा धान जो सरकार उत्तर भारत से खरीदती है वह देश के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जा सकता है और सरकार मानव द्वारा खाए जाने योग्य चावल को देना चाहते हैं तथा हम सदस्यों को सन्तुष्ट करना चाहते हैं कि हम खराब गुणवत्ता वाला चावल, जो विषाक्त होता है, अथवा टूटा हुआ होता है अथवा जिसमें मिलावट होती है नहीं भेज रहे हैं और यह सदस्यों की प्रस्तुत भावनाओं के अनुरूप है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं।

बिचौलियों के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि तीन राज्य हैं जहां पर बिचौलिये हैं। एक पंजाब है तथा दूसरा हरियाणा है। वहां पर कच्चे आढ़तिये हैं और ये बहुत समय से चले आ रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूंगा अगर मुझे माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो सके; वे राज्यों में जाकर राज्य सरकार को यह समाप्त करने के लिए प्रभावित करें। परन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह बहुत ही कठिन कार्य है। वे इसे मुश्किल पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आंध्र प्रदेश के बारे में भी...

श्री के० पी० सिंह देव : आंध्र प्रदेश का मैंने जिक्र नहीं किया है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आंध्र प्रदेश आपके नक्शे में नहीं है इसीलिए उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : अभी मैंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है। आप उल्ट-उल्टा क्यों कहते रहते हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आंध्र प्रदेश में कितना पर्चेज किया-यह आपने नहीं बताया।

श्री के० पी० सिंह देव : आपका नाम कालिंग- अटेंशन-मोशन में नहीं है।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा नहीं करें। मैं इस प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : माननीय सदस्य का नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं आया है। वह कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? एक बहुत ही गलत दृष्टांत स्थापित किया जा रहा है······** (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी सदस्यों की बातों का उत्तर दे रहे हैं। जब आंध्र प्रदेश के बारे में कोई प्रश्न सदस्यों ने पूछा ही नहीं है तो वह उसके बारे में उत्तर कैसे दे सकते हैं। आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। अगर आप चाहें तो अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। केवल वही सदस्य जिसका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर है। प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया बहस न करें।

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी किसानों को कुछ बोनस देना

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के० पी० सिंह देव]

चाहती थी। मुझे विश्वास है कि वह पश्चिम बंगाल में अपनी राज्य सरकार को बोनस देने के लिए राजी कर सकेंगी, क्योंकि यह कार्य राज्य सरकार का है न कि केन्द्रीय सरकार का।

श्रीमती गीता मुखर्जी : तो आप हमें धन दे दीजिए।

श्री अमल दत्त : प्रधान मन्त्री ने गत वर्ष पंजाब के लिए बोनस घोषित किया था।

श्री के० पी० सिंह देव : उस समय पंजाब राष्ट्रपति शासन में था। क्या आप अपने अधिकार हमें दे रहे है ? मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : इन्होंने भी उन्हीं बातों का बिचौलियों, भण्डारण क्षमता, कृषि श्रमिकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न भण्डार के बारे में जिक्र किया है जिन्हें श्री डागा ने उठाया है। मैंने पहले ही इन बातों का उत्तर दे दिया है।

अब मैं अपने विद्वान मित्र और वकील श्री अमल दत्ता की बात पर आता हूं। उन्होंने मजबूरन बिक्री का उल्लेख किया था। मैंने पहले ही कह दिया है कि किसी भी विनिर्दिष्ट अनाज की मजबूरन बिक्री के बारे में हमें जानकारी नहीं है। यह किसी ऐसे अनाज के बारे में हो सकती है जो विनिर्दिष्ट गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। अगर वह घटिया किस्म का है तो यह स्वाभाविक है कि उसे कम मूल्य मिलेगा।

श्री अमल दत्त : आपके कारिंदे अवश्य ही ऐसा कहेंगे। तब वे उसी चीज को खरीद लेंगे और उसे बेच भी देंगे।

श्री के० पी० सिंह देव : श्री अमल दत्त भी यह चाहते थे कि भारतीय खाद्य निगम की भूमिका अनुपूरक वाली नहीं होनी चाहिए बल्कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हमें इस बात पर गौर करेंगे

श्री अमल दत्त : आप इसकी जांच देश में भ्रमण करके करें न कि मंडियों में बैठकर।

श्री के० पी० सिंह देव : हां, मैं सहमत हूं। यह मण्डी में बैठकर या यहां नई दिल्ली में बैठकर नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें बाहर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखना चाहिए। हम इसकी जांच करेंगे और अपने संसाधनों की सीमाओं के अन्तर्गत हम जहां तक व्यवहारिक रूप से सम्भव होगा। दूर-दूर के क्षेत्रों में जाने का प्रयत्न करेंगे। इससे हमें कीमतों को कम करने में भी सहायता मिलेगी। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। माननीय सदस्य खरीद डिपुओं के बारे में जानना चाहते थे। मैंने पहले ही आंकड़े दे दिये हैं। लगभग 400 डिपु जोड़े गए हैं। इसके बाद वे आकस्मिक खर्चों के बारे में जानना चाहते थे। 1984-85 के संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार, चावल के लिए आकस्मिक खर्च 11.57

रुपये प्रति क्विंटल है। 1983-84 में वह 11.11 रुपये था। मैं आपको इसका विवरण भी दूंगा। अग्रप्रेषण खर्च—0.86 रुपये; अस्थायी भण्डारण खर्च—0.07 रुपये; आंतरिक्ष संचलन—0.86 रुपये बोरा खर्च—11.83 रुपये प्रतिष्ठान तथा प्रशासनिक खर्च—0.99 रुपये; रखीद बिक्री कर 2.09 रुपये; ब्याज—0.34 रुपये; अन्य आकस्मिक खर्च—0.05 रुपये; और भारतीय खाद्य निगम का प्रशासनिक खर्च 0.50 रुपये।

श्री अमल दत्त : गेहूं के खर्च चावल के खर्च से बहुत अधिक क्यों हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, एक मंडी खर्च है जो 4.35 रुपये है। यह कमीशन सहित है। इसके अतिरिक्त मंडी का मजदूरी खर्च है जो 1.17 रुपये है।

श्री अमल दत्त : यह किसको प्राप्त होता है ?

श्री के० पी० सिंह देव : मंडी को मिलता है। रेगुलेटिड मार्किट्स सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत। यह एक राज्य सरकार का अधिनियम हैं और मुझे विश्वास है कि आपके पश्चिम बंगाल में भी यह है।

श्री अमल दत्त : यह मंडी खर्च केवल गेहूं के मामले में ही क्यों लगाया जाता है और चावल के मामले में नहीं लगाया जाता है ?

श्री के० पी० सिंह देव : प्रत्यक्ष रूप में यह केवल गेहूं के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य जानना चाहते हैं कि यह शुल्क केवल गेहूं के लिए ही क्यों है, धान के लिए क्यों नहीं ?

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मैं उन्हें बता दूंगा।

श्री अमल दत्त : मंत्रियों को अधिक ज्ञान होना चाहिए।

श्री के० पी० सिंह देव : हां···हां। आपको सुनकर मुझे अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। भंडार सुविधाओं के अभाव का जो उल्लेख किया गया है वह कुछ राज्यों में मिल मालिकों से लेवी के रूप में चावल लिये जाने का कारण है। अतः इस मामले में मण्डी के खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता है। गेहूं मण्डियों में आता है।

श्री अमल दत्त : आप मण्डियों से खरीद रहे हैं और मण्डी का खर्च भी नहीं दे रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : यदि मिल मालिकों से खरीदा जाएगा तो हम मण्डी प्रभार क्यों देंगे ? मिल मालिकों को मण्डी प्रभार वहन करना चाहिए।

श्री अमल दत्त : पंजाब में आप मण्डियों से खरीद रहे हैं। आप यह कर है··· (व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : मैं आपको पंजाब के बारे में बता दूंगा।

श्री अमल दत्त : आप पंजाब और हरियाणा के विषय में क्यों बात कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब क्या करें ? उन्होंने पंजाब और हरियाणा के बारे में ही प्रश्न उठाया है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं केवल पंजाब और हरियाणा के बारे में ही नहीं अपितु अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश के बारे में भी पूछ रहा हूं। क्या आप मेरा राज्य भारत से अलग करना चाहते हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता जिसे पूछा ही नहीं गया है। आप के आंध्र प्रदेश राज्य को नहीं हटाया जाएगा यदि आप चाहें भी। दूसरा मुद्दा भंडार सुविधाओं के बारे में है जिसका उत्तर मैंने पहले ही दिया है। हम अपनी भण्डार सुविधाओं में वृद्धि करेंगे यद्यपि हमें योजनाओं में अपेक्षित राशि मिल जाए, नहीं तो हम गैर सरकारी लोगों को भी इसके साथ मिलाएंगे जिन्हें यह बैंकों से प्राप्त होगी। हम डागा जी के सुझाव की जांच करेंगे। श्री बसु ने खाद्यान्नों के संचयन के विषय में बात की। मुझे विश्वास है कि परमाणु शस्त्रों के संचयन से खाद्यान्नों का संचयन अच्छा है। मैं इस बात पर उनसे सहमत हूं कि खाद्यान्नों के संचयन संचालनीय हो सकते हैं इस प्रकार हमने कुछ योजनाएं तैयार की हैं। जिनसे हम समाज के कमजोर वर्गों को पौष्टिक आहार के रूप में ला सकते हैं।

श्री अमल दत्त : आप की योजना में कितने खाद्यान्नों की जरूरत है ?

श्री के० पी० सिंह देव : इस समय कुछ कहना कठिन है। यह तो अभी 19 तारीख को बनाई गई है और हम केवल इसके लागू होने के पश्चात् ही कुछ कह पाएंगे। इसकी जांच करने में भी समय लग जाएगा। मैं इसी समय आपको आंकड़े नहीं दे सकता हूं। यह सम्भव नहीं है। उन्होंने भण्डार की क्षमता का भी उल्लेख किया है जिसका उत्तर मैंने पहले ही दिया है। जो अनाज की खरीद की गई है वह उपज का कितने प्रतिशत है, यह वह जानना चाहते थे। गत वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 1500 लाख टन के करीब था और हमारी वसूली 200 लाख टन के करीब थी जो 1/7 के बराबर या 1/7 में थोड़ा अधिक के बराबर है, अर्थात् कुल खाद्यान्नों के 13 से 14 प्रतिशत के बराबर है।

श्री अनिल बसु : क्या इसमें कमी हुई है या नहीं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह प्रतिशतता पूछ रहे हैं।

श्री अनिल बसु : क्या प्रतिशतता को एकत्र करने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है।

श्री के० पी० सिंह देव : यह वर्ष तो अभी समाप्त नहीं हुआ। गेहूं नहीं आया है, धान तो आ रहा है·· (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : यह भी विचित्र बात है कि विद्वान सदस्य के निरन्तर पूछने पर भी आंध्र प्रदेश से कोई सदस्य आगे नहीं आ रहा है।

श्री के० पी० सिंह देव : अभी तक मैंने कुछ पुराने आंकड़े दिए हैं, इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3 दिसम्बर 1985 तक 47.8% वसूली हुई है। गत वर्ष यह 58.9% थी। यह धान की स्थिति है।

श्री अमल दत्त : यह आगम के बारे में है। वसूली कितनी हुई है ?

श्री के० पी० सिंह देव : सभी सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा की गई खरीद की तुलना में भारतीय खाद्य निगम की वसूली यह है··· (**व्यवधान**)

मेरे पास वसूली और आगम के आकड़े भी हैं। वह लाभकारी मूल्य निश्चित करना चाहते थे, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि इसमें हाल में 5 रुपये की वृद्धि की गई है। सी० ए० सी० पी० यह कार्य करता है। यह इस पूरी व्यवस्था को कृषि के परिप्रेक्ष्य में, उपभोक्ता के दृष्टिकोण तथा कृषक के दृष्टिकोण से देखेंगे। और सरकार की नीति लाभकारी मूल्य देने की रही है। इसी कारण हमारे पास भारतीय खाद्य निगम की समर्थन मूल्य नीति है। वह वसूली के लिए सरकार को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने किस सरकार का उल्लेख किया। यह उनका अन्तिम मुद्दा था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह राज्य सरकारों के विषय में बोल रहे थे।

श्री के० पी० सिंह देव: राज्य सरकारें उन्हें वित्तीय संस्थाओं से ले सकती हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार होना चाहिए।

श्री अनिल बसु : क्या आप ब्याज-मुक्त ऋण के लिए वचनबद्ध हो रहे हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ? मैं भारतीय रिजर्व बैंक नहीं हूं। मैं आपको कैसे राशि दे सकता हूं। मैं साहूकार नहीं हूं कि आपको धन दे दूं। (**व्यवधान**)

एक और कारण यह है कि इस वर्ष के उत्पादन के आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस समय कुछ कहना कठिन है। (**व्यवधान**)

श्रीमती प्रभावती गुप्ता ने भण्डार करने के संबंध में कुछ कहा। मैंने पहले ही इस बात का उत्तर दे दिया है।

माननीय जंगा रेड्डी ने कुछ पूछा यद्यपि उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि उनका नाम नहीं था···

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर मत दीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : वह आन्ध्र प्रदेश के बारे में जानना चाहते थे। आन्ध्र हमारे राज्यों में एक ऐसा राज्य है जहां से हमें अतिरिक्त वसूली होती है। मैंने पूर्व ही अपने उत्तर के दौरान कहा है कि

[श्री के० पी० सिंह देव]

आन्ध्र प्रदेश में गत वर्ष 1.15 लाख टन एक ही समय धान वसूल किया गया। सच तो यह है कि वहां किसी समर्थन मूल्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में किसान को समर्थन मूल्य मिल रहा है। अतः आन्ध्र में समर्थन मूल्य देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

महोदय मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब स्थगित होती है, और 2 बजकर 55 मिनट म० प० पर पुनः समवेत होगी।

1.57 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा दो बजकर पचपन मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

3.00 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा तीन बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, कोई और कार्य आरम्भ करने से पूर्व मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हजारों लोग मण्डल आयोग प्रतिवेदन के कार्यान्वियन के लिए यहां आए हुए हैं। मैं संसदीय मामलों के मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह भावना प्रधान मन्त्री तक पहुंचा दें और इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करें ताकि यह मामला चर्चा के लिए लिया जा सके।

3.01 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 9 दिसम्बर, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा ।

(2) "शिक्षा की चुनौतियां—एक नीति परिप्रेक्ष्य" नामक स्थिति-पत्र पर चर्चा ।

(3) फतवाह-इस्लामपुर लाईट रेल लाईन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक 1985 पर विचार और पारित करना ।

(4) वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान ।

(5) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार ।

(6) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संशोधन विधेयक, 1985

(7) दीर्घकालिक वित्तीय नीति पर चर्चा ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि अगले सप्ताह के कार्य में निम्नलिखित मामला चर्चा के लिए शामिल करें ।

सम्बलपुर जिले के लोग विशेष रूप से और उड़ीसा के लोग सामान्य तौर पर केन्द्रीय जल आयोग हैदराबाद द्वारा बाढ़ पूर्व सूचना विभाग प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग का शाखा कार्यालय बुरला से रायपुर ले जाये जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध आंदोलन करते रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि केन्द्रीय जल आयोग बुरला के ये कार्यालय महानदी के पास हीराकुंड बांध के निकट स्थित है। आदर्श स्थान के कारण, ये कार्यालय बाढ़ के विषय में पूर्व सूचना दे सकते हैं और संबलपुर, बालंगीर और उड़ीसा के अन्य जिलों में आवश्यक सिंचाई मामलों में वहां के लोगों की आवश्यकता को पूरा कर रहे थे। आप जानते हैं कि उड़ीसा में बाढ़ एक स्थाई प्रकोप है और बुरला में ऐसे कार्यालयों का होना अत्यन्त आवश्यक है। इन कार्यालयों का उड़ीसा से बाहर ले जाने से पूर्व सूचना उपलब्ध कराने में अत्यन्त कठिनाई होगी । विशेषकर वर्षाकाल में। अतः केन्द्रीय जल निगम कार्यालय और बाढ़ पूर्व सूचना विभाग बुरला को राज्य से बाहर न ले जाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। इस मामले को अगले सप्ताह के कार्य में शामिल करने की आवश्यकता है ।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० झिकराम (मांडला): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय को शामिल किया जाए :

[श्री एम० एल० झिकराम]

वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। शासन ने शिक्षा की दृष्टि से जगह-जगह महा-विद्यालय खोले हैं। इस कारण जहां एक ओर हमारे नवयुवक शिक्षित होते जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जो एक राष्ट्र-व्यापी समस्या है।

मेरा निवेदन है कि इस समस्या के निदान हेतु अब तकनीकी शिक्षा आवश्यक है, जिसे सरकार भी महसूस कर रही है, किन्तु आई० टी० आई० पोलीटैक्निक कालेजों के अभाव में नवयुवक लाचार हैं।

अत: मेरा निवेदन है कि कम-से-कम प्रत्येक जिला मुख्यालय में पोलीटैक्निक कालेज खोलने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

ए० पी० एस०ई० बी० के पास पर्याप्त धन राशि नहीं है। गत दो वर्षों की तुलना में भारत के आर०ई०सी० ने 1985-86 में 30 करोड़ रुपये कम दिए हैं। धन के अभाव के कारण ए० पी० एस० ई० बी० सामान्य कार्यक्रम नहीं चला सकता है और नए उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन उपलब्ध नहीं कर सकता है। कृषि के लिए विद्युत का प्रयोग ग्रामीण विकास का आधार है और मेरा यह मत है कि अपर्याप्त धनराशि के कारण अन्य राज्यों को तैयार की हुई बिजली बेचने पर मजबूर हुई है जिससे राज्य को जनता को बिजली का प्रयोग करने से वंचित किया जाता है।

मैं दु:ख के साथ यह कह रहा हूं कि समस्त राष्ट्रीय सम्पत्ति कृषि पर आधारित है जो मूलत: जल आपूर्ति पर आश्रित है। चूंकि राष्ट्रीय सम्पत्ति, कृषि उत्पाद तथा पानी एक दूसरे पर निर्भर हैं, भारत सरकार को पोचमपद परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करना चाहिए, अर्थात्; नहरों का विस्तार (क) काका थिया नहर 284 कि० मी० से 349 कि० मी०, (ख) सरस्वती नहर का तेलरीच तक 48 कि० मी० से 153 कि० मी० तक और (ग) लक्ष्मी नहर से तेलरीच 15 कि० मी० से 47 कि० मी०, पोलवरम परियोजना, वनों को काटने के लिए श्रीसैलम बाईं नहर (भूमि टनल के नीचे) तेलुगु गंगा, इम्चम्पल्ली जल-विद्युत अन्तर्राज्यीय परियोजना और वंसधारा परियोजना।

भारत सरकार से निवेदन है कि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा के मुख्य मन्त्रियों को इकट्ठे बुला लें— जिससे इन राज्यों के पूर्ववर्ती मुख्य मन्त्रियों द्वारा किए गए समझौते को कार्यान्वित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बोट क्लब जो नाम है इसमें अंग्रेजियत की बू आती है। इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न दो मुद्दों का समावेश करना चाहता हूं —

"1. बोट क्लब में जिस स्थान पर स्वर्गीया इन्दिरा जी का विशाल तैल चित्र लगाया गया था उसके दर्शन हेतु हजारों लोग प्रतिदिन उस स्थल पर आ रहे थे। लोगों की इस श्रद्धा को देखते हुए इस स्थल पर सरकार को इन्दिरा जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित कर बोट क्लब का नाम बदल कर इसे इन्दिरा गांधी मैदान नामित कर देना चाहिए।

2. देश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद रखने व उससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्राप्त होती रहे इस हेतु देश भर के विभिन्न संस्थानों, विद्यालयों आदि का नाम मृत-जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर किया जाना चाहिए।"

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की सूची में शामिल किया जाए : —

"मेरे करोल बाग क्षेत्र में बहुत सी ऐसी पुरानी कालोनियां हैं जिनको तुरन्त नियमान्वित करना आवश्यक है। यहां के लोग जो कि विशेषकर जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के हैं बड़ी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। पीने का पानी, सफाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी सहूलियतों का बहुत अभाव है। इसलिए मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इस बारे में तुरन्त कार्यवाही हो।

मेरे संसदीय क्षेत्र करोलबाग में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए तुरन्त कुछ योजनाएं सरकार को शुरू करनी चाहिएं। यह क्षेत्र विशेषकर जनजाति की महिलाओं के विकास के कार्यक्रमों के लिए प्राथमिक क्षेत्र घोषित होना चाहिए। इसके अलावा जो योजनाएं अभी चल रही हैं उनकी गति को तेज करना है एवं उनको सुचारू रूप से चलाना है। जहां बालवाड़ी आदि में महिलाओं एवं बच्चों को सुविधाएं प्रदत्त हैं वहां उनको प्रभावकारी बनाना है। कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनको प्रभावी बनाने के लिए कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो इस बारे में कार्यवाही करे और ये विषय अगले सप्ताह सदन में लाए जाएं।"

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी सप्ताह की लोक सभा की कार्य-सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें :—

"किसी भी विकसित एवं विकासशील देश में विकास की समुचित जानकारी सम्पूर्ण देशवासियों को देने हेतु दूरदर्शन का विशेष महत्व है और भारत जैसे तीव्रगति से विकासोन्मुख देश में तो इसका महत्व और ज्यादा ही बढ़ जाता है। वस्तुतः शासन की उपलब्धियों

[श्री राम प्यारे सुमन]

की जानकारी ग्रामीणांचल में जन-सामान्य तक पहुंचाने एवं ग्रामीण जनता को साक्षरता की तरफ उन्मुख करते हुए कृषि, स्वास्थ्य, नई तकनीक एवं अन्य दैनिक कार्यक्रमों की जानकारी कराने के लिए दूरदर्शन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में भी एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना गत दिनों की गई है, परन्तु उसकी क्षमता मात्र 15 कि० मी० तक ही सीमित है, जिससे जनपद का आधा हिस्सा भी नहीं लाभान्वित होता है। जनपद फैजाबाद में ही अयोध्या स्थित है जिसकी ख्याति सम्पूर्ण विश्व में है क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। इसी जनपद के पूर्वांचल में स्थित दरगाह किछौछा शरीफ है जहां विदेशों के लोग भी अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं। जनपद की पूर्वी तहसीलें अकबरपुर एवं टाण्डा सबसे बड़ी तहसीलें हैं। इन्हीं दोनों तहसीलों में स्थित अकबरपुर टाण्डा व जलालपुर नगर पालिका क्षेत्र एवं किछौछा शरीफ व सदर तहसील में मोशाईगंज टाउन एरिया स्थित है तथा काफी संख्या में लोग टेलीविजन सैट लगा रहे हैं, परन्तु उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में या तो फैजाबाद स्थित दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता बढ़ाई जाए अथवा अकबरपुर में एक अन्य दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जाए जिससे सम्पूर्ण जनपद लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।"

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह के सभा के कार्य में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :—

मानव-बलि न केवल मानव अधिकारों के ही विरुद्ध है बल्कि 20वीं शताब्दी में मानव सभ्यता का मजाक भी है और एक घिनौना, घृणित कृत्य भी है। काफी मेहनत से विदेशी शासन के दौरान इस पाशविक अपराध का भारत से सफाया किया गया था। लेकिन यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मानव-बलि के इस घृणित कृत्य की भारत में पुनः प्रचलन हो रहा है। मानव-बलि दी जा रही है और जादू-टोने में सैकड़ों लोगों की बलि दी जा रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि इन अमानवीय कृत्यों को मात्र कानून और व्यवस्था न समझ कर इनकी पूरी तरह से जांच की जाए ताकि मानवता के प्रति इस अपराध, अमानवीय कृत्य को समाप्त किया जा सके।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह के सभा के कार्य में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं।

भोपाल गैस त्रासदी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्रीराम फूड एवं फर्टीलाइजर्स लि० से हुई गैस रिसाव से सारे देश में अभूतपूर्व डर की लहर फैल गई है। इस दुर्घटना के फलस्वरूप एक वकील श्री चरणजीत सिंह वालिया की मृत्यु हो गई और कई अन्य दिल्ली के अस्पतालों के गहन देखभाल वार्डों में दाखिल हैं। इसके अलावा हजारों लोग छाती में दर्द, गले में क्षोभण, खांसी और उल्टी से परेशान होकर अस्पतालों में गए हैं। इस खतरनाक दुर्घटना से एक दफा पुनः यह मुद्दा उठा है

कि फैक्टरियों में रिसाव, तोड़फोड़ और दुर्घटनाओं की हालात में पर्यावरण और जहरीली गैसों से कैसे निपटा जाए। भोपाल की तरह दिल्ली में भी निस्संदेह यह साबित हो गया है कि गैस-संकटक-वाली फैक्टरियां बड़े शहरों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे उनके आस-पास रह रहे लोगों की जान को खतरा है। पहले भी संसद की दोनों सभाओं और सार्वजनिक मंचों पर ऐसे खतरों के विरुद्ध आवाज उठती रही है। इस वर्ष भी स्वर्गवासी संसद सदस्य, श्री ललित माकन ने ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में लोक सभा में राजधानी में इन गैस-रिसावों के खतरों को जोरदार ढंग से उठाया था। भारत सरकार को, अगर आवश्यक हो तो, एक व्यापक विधान लाना चाहिए ताकि दिल्ली और देश के सभी नगरों से तत्काल ऐसी फैक्टरियां हटाई जा सकें और जनता और श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकें और इन फैक्टरियों को चलाने के लिए आचारसंहिता बनाई जा सके।

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : मैं चाहता हूं कि सभा के अगले सप्ताह के कार्य में निम्न-लिखित मद शामिल की जाए :

आजकल मध्य प्रदेश में देश के बैंकों के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य संचालन क्षेत्र भोपाल में केवल चार विभागों तक ही सीमित हैं, ये विभाग हैं, बैंकिंग संचालन और विकास, ग्रामीण आयोजन और ऋण विभाग, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग और शहरी बैंक विभाग।

जबसे मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक का नागपुर स्थित कार्यालय, देश के सबसे बड़े राज्य की मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। रिजर्व बैंक ने पहले ही करीब सभी राज्यों की राजधानियों में अपने मुख्य कार्यालय खोल दिये हैं। महाराष्ट्र राज्य में रिजर्व बैंक के चार कार्यालय हैं।

निर्गम विभाग, करंसी नोटों के प्रचलन और उन्हें पुनः जारी करने, पुराने सड़े-गले नोटों आदि के बदलने, जनता के लिए नकदी और सिक्कों को देने के लिए काउंटर आदि खोलने की सुविधाएं प्रदान करेगी।

बैंकिंग विभाग (पी० ए० डी० एण्ड डी० ए० डी०) सरकारी/अर्ध-सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय और बैंकों आदि के खातों को रखने में सहायता करेगा और इन एजेन्सियों के जल्द और सुगम सम्पादन में भी सहायता प्रदान करेगा।

बैंक का लोक विभाग कार्यालय जनता और सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभा जैसे राष्ट्रीय रक्षा बांड, स्वर्ण बांड, जी० पी० नोट्स आदि में सरलता से निवेश करने में सहायता करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण कार्यालय खुलने से न केवल राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवकों का ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि जनता, बैंकिंग संस्थानों और सरकार द्वारा अपने कार्यों में आने वाली कई मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा।

अतः, बिना किसी देरी से भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण कार्यालय खोला जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की सभा की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाएं :

राज्य सरकार विधेयक पारित करके केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए भेजती रही है, लेकिन केन्द्रीय सरकार इन विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रही है। केन्द्रीय सरकार के गैर-सहानुभूतिपूर्वक रवैये के कारण राज्य सरकार अपने कार्यक्रम लागू करने में असमर्थ है।

अतः, राज्य सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधेयकों पर सभा में चर्चा करना आवश्यक है।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, सभा में चर्चा के लिए विषयों का चयन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है। माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, मैं निश्चय ही उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखूंगा। इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कि मैंने पिछली दफा भी कही थी। यह माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वह किसी भी विषय के बारे में सुझाव दें। मैं केवल एक सुझाव देना चाहूंगा। मैंने देखा है कि माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं वे अन्य प्रस्तावों जैसे नियम 377 आदि के अधीन उठाये जा सकते हैं। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए। लेकिन श्री काबुली ने जो बात उठाई है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। यह गैस त्रासदी के बारे में है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी। जब मेरे मित्र सभा का बहिष्कार कर रहे थे तो, मैं सुबह सभा में खड़ा हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार भी गैस त्रासदी के प्रति काफी चिंतित है। सरकार इस विषय पर चर्चा करने को उत्सुक है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है, इस पर सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जाएगा। हम इस पर चर्चा करने को काफी उत्सुक हैं। मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखूंगा।

3.16 म० प०

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे पास केवल 15 मिनट का समय बाकी है। इसके बाद हमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा करनी है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री सोमवार को उत्तर देंगे। मैं केवल दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। अब श्री पीयूष तिरकी बोलेंगे।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 378 रुग्ण उद्योगों की रुग्णता के कारणों की कारणवार की गई जांच की ओर दिलाना चाहता हूं। ये उद्योग 31-12-79 को रुग्ण थे।

अपनी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि 52 प्रतिशत इकाईयां कुप्रबन्ध और प्रबन्ध-अकुशलता, जिनमें निधियों का अपवर्तन और उनके आपस में झगड़े आदि कारण प्रमुख हैं, की वजह से रुग्ण हुए।

14 प्रतिशत उद्योग आरम्भिक गलत आयोजन और अन्य तकनीकी कमियों के कारण रुग्ण हुए। अतः, यह पाया गया कि 66 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां कुप्रबन्ध और बेईमानी के कारणों से रुग्ण हुई।

अतः विधेयक में स्वयं प्रबन्धकों में से बेईमान व्यक्तियों को कारावास सहित कठोर दण्ड का उपबन्ध होना चाहिए। प्रस्तावित विधेयक में केवल पूर्ण रूप से रुग्ण कम्पनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का उपबन्ध किया गया है। कम्पनी को रुग्ण बनाने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। विधेयक में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।

न केवल रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को ही, बल्कि इसमें अन्य छोटे-बड़े औद्योगिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

प्रस्ताविक विधेयक में केवल कम्पनी का निदेशक मंडल ही रुग्णता के बारे में बी० एफ० आई० आर० को सूचित कर सकता है।

मैं समझता हूं कि श्रमिकों और उनके श्रम संघों को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वे रुग्णता के बारे में बी० एफ० आई० आर० को सूचित कर सके और ऐसा वे तब कर सकते हैं जब उनको मजूरी न दी गई हो या कम्पनी ने भविष्य निधि आदि का अंशदान तीन माह तक जमा न किया हो।

भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा योजना के अंशदान का काफी पैसा अभी बकाया है।

महोदय, क्योंकि उद्योगों की रुग्णता से सबसे अधिक श्रमिक ही प्रभावित होते हैं, अतः बोर्ड के सदस्यों में और उसके कार्यकरण में श्रमिकों को भी मिलाया जाना चाहिए। जब कोई औद्योगिक इकाई बन्द हो तो श्रमिकों को देय राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि जब कोई इकाई रुग्ण पाई जाती है तो संचालकगण या प्रबन्धक आवश्यक नहीं कि आर्थिक रूप से रुग्ण ही हों।

क्या श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निदेशक की निजी सम्पत्ति या उसके परिवार की सामूहिक सम्पत्ति को जब्त करना चाहिए। जब कभी भी कोई इकाई बन्द होती है, तो बी० एफ० आई० आर० के लिए यह आवश्यक हो कि वह श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार दे या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे।

इसके साथ ही रुग्णता सम्बन्धी मामलों के निपटारे के मामले में सभी स्तरों पर श्रमिकों को सम्बद्ध किया जाए।

[श्री पीयूष तिरकी]

अन्त में, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान पश्चिम बंगाल के सभी दलों के शिष्ट मंडल द्वारा 24-6-1985 को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्हें इस पर विचार कर इसका हल निकालना चाहिए।

इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर देश का औद्योगिक विकास बहुत हद तक निर्भर करता है; अतः इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए ताकि इस सभा में इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, रुग्ण उद्योग के सम्बन्ध में सदन में बहस हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं दो-चार बातें कहना चाहता हूं।

सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग रुग्ण घोषित होने से पहले ही उस पर काबू पा लिया जाए। उद्योग में जबकि 90 प्रतिशत पूंजी सरकार की है और दस प्रतिशत पूंजी मालिक की, उसके बावजूद भी सरकार गुलाम बनी हुई है। मेरा यह सुझाव है कि आप जो भी पूंजी लगाना चाहते हैं, वह भी कानून के अन्दर ही लगानी चाहिए। बिल में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी पूंजी सरकार ने लगाई है, उसको वापिस करने का भी प्रावधान उसमें होना चाहिए।

एक बात यह भी है कि प्रबन्ध में मजदूरों का साझा नहीं बना पाए हैं। अगर हम इसका कानून बना देते हैं, तो मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलेगी। मजदूर भी समझेगा कि प्रबन्ध में हमारा भी साझा है। प्रबन्ध के अन्दर में मैं भी सहयोगी हूं। इससे मजदूर भी अपनी जवाबदेही को समझेगा और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी और उत्पादन प्रतियोगिता बढ़ेगी। इस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे और देश मजबूत बन सकेगा। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी भी बच सकेगी। यही भी एक रास्ता है देश में समाजवाद लाने का। संविधान के अनुसार देश में आप समाजवाद लाना चाहते हैं, मगर समाजवाद लाने के लिए कोई वैध रास्ता नहीं होता है, उसके लिए तो रास्ता बनाया जाता है। उसके लिए आपको सही रूट बनाना पड़ेगा।

ऐसी स्थिति में कानून के द्वारा यदि आप मजदूर को प्रबन्ध में साझा बनाते हैं, तो उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। बहुत से उद्योगों को आपने ले भी लिया है। गया में एक उद्योग है, जिसका नाम है गया जूट काटन्स मिल्स, इसकी हालत खराब है। मैं वहां पर कामगार यूनियन का अध्यक्ष रहा हूं। यूनियन के अध्यक्ष के नाते मैं मजदूरों को सजेशन देता था। मजदूर जाकर प्रबन्धक को कहता था कि आप बैठाकर हमको पैसा क्यों दे रहे हैं, आप रुई का प्रबन्ध क्यों नहीं करते हैं। आप रुई नहीं मंगाते हैं, तो कारखाना तीन दिन बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? यह सब प्रबन्धक की गड़बड़ी है। हमने प्रबन्धक को लिख-लिखकर दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गत वर्ष मजदूरों के नेताओं ने, शास्त्री जी जो पहले पटना से संसद सदस्य थे, इनके द्वारा वित्त मन्त्री जी से भेंट की थी,

लेकिन उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहां के प्रबन्धक के पास राजनीतिक ताकत है। वहां से वे हट नहीं सकते। उयका नाम है···**···। इन···**···को आप हटाते नहीं हैं और वहां स्थिति यह है कि सामान बिका जा रहा है। वह मृतक हो रही है, रुग्ण नहीं।

गया जिले में सिर्फ यह एक कारखाना है जिसमें बहुत गरीब मजदूर एम्पलाई हैं। आप इसको देखेंगे तो वहां जो आठ सौ मजदूर काम कर रहे हैं उनको राहत मिलेगी।

मैं आपसे कहूंगा कि गया में इसमें लाखों-लाखों रुपये की गड़बड़ी हुई है। आप एक कमेटी बनाकर, अपनी ही पार्टी के लोगों की कमेटी बनाकर इस सारे मामले की जांच करवाएं। वहां पर कांग्रेस की यूनियन है और कांग्रेस की यूनियन वाले ही यह कहते हैं इन··**···को हटाया भी जाता है तो भी 15 दिन के बाद वे लौट आते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नाम बताए जाने की अनुमति नहीं दे सकता। नामों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मन्त्री जी जब जवाब दें तो बताएं कि गया में क्या सुधार किया जा रहा है। बिहार में गया बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। उद्योग के मामले में गया में केवल यही एक उद्योग है। इस उद्योग की भी स्थिति बदतर है। आप उसके लिए जांच कमेटी बनावें जो कि यह देखे कि वहां पर क्या हालत हुई है। आपके सरकारी लोगों के द्वारा यह हालत हुई है। वह उद्योग पूंजीपति वर्ग के हाथ में नहीं है। आप उसके बारे में जांच कमेटी बिठाकर सही-सही स्थिति का पता लगाएं और वहां जो और हालत खराब होने जा रही है उसको पहले से ही ठीक करें ताकि वहां के मजदूरों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शान्ता राम नायक। क्या आप अपना भाषण तीन मिनट में समाप्त कर सकते हैं ? यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है।

ठीक है। मन्त्री महोदय, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) विधेयक के सम्बन्ध में हुई चर्चा का उत्तर सोमवार को देंगे। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करेंगे। हम इस पर चर्चा समय से कुछ मिनट जल्दी कर रहे हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

3.27 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आर० पी० सुमन (अकबरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 4 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 4 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

————

विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पुरःस्थापित किए जाएंगे।

श्री के० रामामूर्ति : अनुपस्थित।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल।

3.28 म० प०

(एक) फसल बीमा निगम विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से कृषकों के हित की रक्षा करने के लिए फसल बीमा कारबार करने के प्रयोजनार्थ तथा खाद्य और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के सहायक उपाय के रूप में फसल बीमा निगम की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : —

*दिनांक 6-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

"कि अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से कृषकों के हित की रक्षा करने के लिए फसल बीमा कारबार करने के प्रयोजनार्थ तथा खाद्य और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के सहायक उपाय के रूप में फसल बीमा निगम की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मानिक सान्याल—अनुपस्थित। श्री दत्ता सामंत।

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*

अनुच्छेद 311 का संशोधन

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० दत्ता सामंत । मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थम्पन थामस—अनुपस्थित।

श्रीमती जयन्ती पटनायक।

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*

अनुच्छेद 16 में संशोधन

*दिनांक 6.12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

(चार) हिन्दू विवाह संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० राममूर्ति—अनुपस्थित।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० एम० सईद—अनुपस्थित।

---

*दिनांक 6-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 13—श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 10 मई, 1985 द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे और विचार।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री जी० एम० बनातवाला के दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1985 (धाराओं 125 और 127 में संशोधन) पर वाद-विवाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत अगले दिन तक के लिए स्थगित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है···

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : प्राथमिकता बनाए रखने सम्बन्धी जो दूसरा प्रस्ताव है, उसका क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न यह है :—

"कि श्री जी० एम० बनातवाला के दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1985 (धाराओं 125 और 127 में संशोधन) पर वाद-विवाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत अगले दिन तक के लिए स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 30 के उप-नियम (1) के उपबन्धों और नियम 29 के परन्तुक को श्री जी० एम० बनातवाला के दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1985 (धाराओं 125 और 127 में संशोधन) पर वाद-विवाद, जिसे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत अगले दिन तक के लिए स्थगित किया गया है, के सम्बन्ध में लागू होने से निलम्बित किया जाए, ताकि इस विधेयक को बैलट के बिना कार्य-सूची में प्रथम मद के रूप में सम्मिलित किया जा सके।"

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : क्या कारण है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है…

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, उसे आप मेरी बहुत अधिक उत्सुकता या अत्याधिक सतर्कता कह सकते हैं। सरकार की सुविधा को देखते हुए मुझे इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए निश्चित अगले दिन इस विधेयक को अन्य सभी विधेयकों से पहले रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं थोड़ा ज्यादा उत्सुक हूं। मैं सदन में आने से पहले काफी पढ़कर आता हूं। प्रस्ताव में कहा गया है "गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए निश्चित अगले दिन"। हमारे पास जो सूची है, उसके अनुसार, यह 20 दिसम्बर को रखा जाना चाहिए। मान लीजिए, यदि दैवयोग से किसी कारण यदि 20 दिसम्बर को सदन की बैठक नहीं होती, तब फिर चालू सदन में गैर-सरकारी सदस्यों को और कोई दिन नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अगले सत्र में भी पहला दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए दिया जाना चाहिए। यह बात अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, यह स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकार की सुविधा को देखते हुए, हमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 30 के उप-नियम (1) के उपबन्धों और नियम 29 के परन्तुक को श्री जी० एम० बनातवाला के दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1985 (धाराओं 125 और 127 में संशोधन) पर वाद-विवाद, जिसे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत अगले दिन तक के लिए स्थगित किया गया है, के सम्बन्ध में लागू होने से निलम्बित किया जाये, ताकि इस विधेयक को बैलट के बिना कार्य-सूची में प्रथम मद के रूप में सम्मिलित किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिस माननीय सदस्य ने यह विधेयक पेश किया था, उन्होंने भी यह बात मान ली है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप क्यों रूल्स ससपेंड कर रहे हैं ? क्यों डिबेट एडजोर्न कर रहे हैं ? आप लोग क्यों आसाम और दिल्ली के चुनाव के चक्कर में ··· (व्यवधान)

मैं वाकआउट करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री सी० जंगा रेड्डी सभा-भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विषय। श्री आनन्द पाठक।

3.34 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए भाग 10 क का अन्तःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

महोदय, यह विधेयक भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए और दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध करने के लिए हैं।

ये विशेष उपबंध क्या हैं और संविधान में इन उपबंधों को किसके लिए बनाया जाना है ? विधेयक के खण्डों के साथ-साथ उद्देश्य और कारणों के कथन के निष्पक्ष अध्ययन से उपर्युक्त प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा और विधेयक के प्रयोजन की धारणा के बारे में भी स्पष्ट हो जाएगा।

इस विधेयक में बताया गया है कि दार्जिलिंग जिले के तीन सघन पहाड़ी उप-मण्डलों के लोगों को तथा उसके साथ लगे पश्चिमी बंगाल के उन जिलों के लोगों को जहां नेपाली भाषी लोगों का बहुमत है, क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की जाए।

[श्री आनन्द पाठक]

जैसा कि कानून की मांग हो व्यस्क मताधिकार के आधार क्षेत्रीय प्रशासन के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाएगा।

इस जिला परिषद में, इस क्षेत्र के संसद सदस्य और पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य के रूप में रहेंगे।

इस परिषद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और भाषाई तथा अल्पसंख्यकों तथा बंगाली, बिहारी, मुस्लिम, मारवाड़ी जैसे और क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों के लिए सीटें आरक्षित होंगी तथा उन्हें आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

इस जिला परिषद को, स्वायत्त क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, नियम कानून और विनियमन बनाने का अधिकार होगा, बशर्ते कि संसद द्वारा बनाये गए या बनाए जाने वाले या पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून इस क्षेत्र पर लागू हों तो यह कानून बनाएगी।

यह उपबन्ध जिला परिषद द्वारा क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाये गए कानूनों की सहायता से देश के कानूनों को सही रूप में लागू करने में बहुत ही सहायता करेगा।

इसलिए विश्वास करने के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिला परिषद द्वारा बनाए गए इन कानूनों का संसद या राज्य विधान सभा द्वारा पारित किए गए कानूनों के साथ कोई विरोध होगा।

राज्य सरकार के अधिसूचित आदेश के अनुसार स्वायत्त क्षेत्र में न्याय के प्रशासन का भी उपबन्ध है।

"जिला निधि" के गठन कार्यकारी समिति की स्थापना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद के अन्य पदाधिकारियों आदि की नियुक्ति के लिए भी उपबन्ध है।

स्वायतत्ता के सिद्धांत तथा संकल्पना को पहले से ही स्वीकार कर लिया गया है और भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया है, हालांकि इसे सीमित क्षेत्र और केवल कुछ प्रदेशों तक ही लागू रखा गया है।

असम और मेघालय राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जातियों तथा आदिवासी क्षेत्रों तथा अब त्रिपुरा में और संघ शासित क्षेत्र मिजोरम के लिए संविधान के अनुच्छेद 244, 275 और पांचवीं तथा छठवीं अनुसूची में स्वायतत्ता के सिद्धांत और संकल्पना के बारे में बात कही गई है। यद्यपि इन प्रदेशों और क्षेत्रों के लाग उपर्युक्त अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों में निर्धारित शक्तियों और अधिकारों से अधिक की मांग करते हैं। ताकि स्वायतत्ता के अस्तित्व को वास्तविकता प्रदान की जा सके।

महोदय, दार्जिलिंग का यह प्रस्तावित स्वायत्तता वाला प्रदेश उपर्युक्त प्रदेशों और क्षेत्रों की

श्रेणी में नहीं आता है। तथापि इस क्षेत्र के लोगों की स्थिति उपर्युक्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भिन्न नहीं है। फिर चाहे वे अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों में आते हो या न आते हों।

लेकिन यह सही है कि उनकी अपनी विशेष भाषा, अलग संस्कृति, अलग रीति-रिवाज तथा रुचि और अन्य उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जो पश्चिम बंगाल तथा देश के शेष भागों के लोगों से भिन्न हैं। इन लोगों के देश के प्रशासन और 'विकास कार्यकलापों में भाग लेने के लिए पूरा अवसर नहीं दिया गया है।

समस्या का मूल प्रश्न यह है कि भारत की आजादी के लिए उनकी शौर्य-सेवा, निष्ठा, समर्पण के बावजूद, आजादी के बाद नए भारत का पुन:निर्माण करने में उनके पर्याप्त योगदान, उनके देश भक्ति पूर्ण आग्रह या आवेश तथा आकांक्षा को मान्यता नहीं दी गई है तथा राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा में उन्हें नहीं लाया गया है।

इसलिए उनमें एकाकीपन और उन्हें देश की मुख्य धारा से अलग-थलग रखे जाने की भावना है विदेशी शासकों ने उन्हें जान बूझकर अपने स्वार्थ के लिए शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक तथा राजनीति के क्षेत्र में पिछड़ा रखा और ये लोग दशकों से यह अनुभव करते रहे कि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग-थलग इसलिए रखा जा रहा है। इसलिए देश के अन्य भागों तथा पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ-साथ उनकी विशेषता तथा उनकी विशेष रुचि सहित उनके स्वयं अपने आर्थिक राजनीतिक तथा संस्कृति जीवन के विकास और उनकी अलग पहचान के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उनके संपूर्ण तथा महान योगदान की निरन्तर मांग रही है। यह केवल स्वायतत्ता प्रदान करके की सम्भव होगा।

महोदय, जब हम स्वायतत्ता के लिए मांग के इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि विदेशी शासकों ने इन पहाड़ी क्षत्रों को लम्बे समय के लिए "बहिष्कृत" या "आंशिक रूप से बहिष्कृत" वर्गीकृत किया तथा लोगों को देश के शेष भावों से अलग-थलग रखा गया इसलिए दार्जिलिंग के लोगों के लिए स्वायत्तता की मात्रा निरन्तर की गई थी ताकि आजाद भारत में इस अन्याय को मिटाया जा सके।

मार्ले-मिन्टो सुधारों की अवधि से ही इस क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वायतत्ता की मांग की जाती रही है। जिसे बार-बार दोहराया गया था। उन्होंने साइमन आयोग तथा आजादी की पूर्वसंध्या पर सुप्रसिद्ध गांधी-जिन्हा समझौते के समक्ष स्वायतत्ता के लिए अपने मामले को उठाया था। आजादी के बाद न केवल नेपाली बोलने वाले लोगों ने बल्कि क्षेत्र के सभी राजनैतिक दलों ने जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी दल, गोरखा लीग भूटिया तथा लेपया संस्थाएं, बार एशोसिएशन, बंगाली, बिहारी तथा दार्जिलिंग के अन्य समुदायों ने एक होकर, अप्रैल 1957 में भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के पश्चिम बंगाल राज्य के अन्दर क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया था। उस अवसर पर पश्चिम बंगाल विधान सभा के 52 सदस्यों ने भी उस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने भी जब वह 1955 में दार्जिलिंग में आया

[श्री आनन्द पाठक]

था, अपने मामले को रखा था। यह मांग सदन में भी समय-समय पर उठाई गई थी।

महोदय, हम समझ सकते हैं कि विदेशी शासक तो उपर्युक्त क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं आग्रहों तथा दावों के प्रति असंवेदी थे। परन्तु दुर्भाग्यवश आजादी के बाद भी उनकी उचित तथा न्यायोचित मांग के पक्ष में विचार नहीं किया गया है। इससे इन लोगों में निराशा की गहरी भावना पैदा हो गई है, जिसका प्रतिक्रियावादी तथा निहित स्वार्थ वाले लोग लाभ उठा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग एक पृथक राज्य 'गोरखा लैंड' आदि की मांग कर रहे हैं। इनमें से कुछ तत्व 1950 की भारत नेपाली संधि तथा इसी तरह की अन्य बातों के निराकरण की भी मांग कर रहे हैं।

स्वार्थी एवं धूर्त लोग तथा दल इस प्रकार की मांगों का शोषण कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं जिसका परिणाम होगा देश के टुकड़े। इस तरह की स्थिति में यह दुर्भाग्य की बात है कि दार्जिलिंग में कांग्रेस (आई) के एक वर्ग ने दार्जिलिंग में अलग से केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र की भी बात कही है। तथापि इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे दल में मजदूर वर्ग के आंदोलन की मौजूदगी के कारण ये तत्व साम्प्रदायि दंगे या पृथकतावादी आंदोलन नहीं पैदा कर सके हैं अन्यथा वहां विस्फोटक स्थिति होती।

इसलिए देश के विकास और राष्ट्रीय एकता की प्रगति में नेपाली बोलने वाले लोगों में देशभक्ति आवेग का लाभ उठाते हुए तथा राष्ट्रीय विकास और प्रगति की मुख्य धारा में ले जाते हुए और उनके अन्दर यहां का होने की भावना को बैठाते विखंडनशील तत्वों को अलग करते हुए मैंने जैसा कि ऊपर बताया है, मैं सरकार से पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर दार्जिलिंग के लोगों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की लोकतंत्रीय मांग को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं।

जटिल समस्या का यह एक मात्र और व्यावहारिक हल है। यह कोई अलगाव की मांग नहीं है, बल्कि सिर्फ इसके विपरीत है। यह सीमित राष्ट्रवादी अलगाव की मांग नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतवादी और संवैधानिक मांग है।

दार्जिलिंग के लोगों की इस मांग का पश्चिम बंगाल के सभी लोकतांत्रिक लोगों ने समर्थन किया है।

पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस मांग को 1967 और 1969 में अपने कार्यक्रम सम्मिलित किया था। पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चा सरकार ने इस मांग को अपने 34 सूत्री कार्यक्रम में न केवल रखा था बल्कि नेपाली भाषा को सांविधानिक मान्यता के लिए मांग तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में इसको शामिल करने और नेपाली भाषा का समग्र विकास करने के लिए नेपाली अकादमी को गठित करने की मांग का भी समर्थन किया था।

पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 2 जुलाई 1977 और 23 सितम्बर 1981 को सर्वसम्मति से

पारित एक प्रस्ताव में दार्जिलिंग के लोगों को स्वायत्तता देने की मांग की है और केन्द्र सरकार से इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है।

वामपंथी सभी पार्टियों के साथ-साथ विधान सभा में विरोधी दलों सहित कांग्रेस ने इस मांग को अपना समर्थन दिया है।

इसलिए, यह उचित समय है कि केन्द्रीय सरकार इस सर्वसम्मत मांग को मानकर इस विधेयक को इस सदन में पारित कराए।

मैं इस मांग को इसलिए नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि मैं उस विशेष-क्षेत्र या एक विशेष समुदाय से संबंधित हूं। बल्कि श्रमिक-वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, एक साम्यवादी के रूप में श्रमिक वर्ग की एकता में बिना किसी रुकावट के देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा हूं। और इस मांग का यहां संसद में समर्थन कर रहा हूं।

हम विभिन्न राष्ट्रीयताओं के उन लोगों के लोकतांत्रिक आग्रह का समर्थन करते हैं जो वास्तविक स्वायत्तता लिए देश में रहते हैं। हमने विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए वास्तविक समानता तथा स्वायतत्ता और लोकतांत्रिक राज्य की रचना के विकास के आधार पर भारतीय संघ की एकता की प्रगति तथा सुरक्षा के लिए काम किया है। इसलिए हम राज्यों को अधिक शक्ति देने की मांग सहित तथा उनको वास्तविक स्वायत्तता के साथ केन्द्र राज्य सम्बन्धों की पुनः रचना के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास कमजोर केन्द्र होगा। हम राज्य और केंद्र दोनों में बिना किसी असमानता के मजबूत करना चाहते हैं।

परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में बुर्जुआ जमीदार सरकार की पूंजीवादी नीति ने केन्द्र को मजबूत तथा राज्यों को कमजोर बनाया है।

3.50 म० प०

(श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए)

इसलिए राजनीतिक ढांचे में कुठा तथा असमानता का जहर भर दिया है और देश के विभिन्न भागों में विखंडनशील तथा पृथकतावादी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं तथा हमारे देश को अस्थिर बनाने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियां इस स्थिति का फायदा उठा रही हैं।

अत: यदि हम इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो, आपको लोगों को एक करना होगा तथा समानता के आधार पर देश को एक करना होगा और विकास गतिविधियों के मामलों में लोगों को शामिल करना होगा तथा लोकतांत्रिक आधार पर शक्तियों का केन्द्रीयकरण के द्वारा प्रशासन करना होगा।

भारत जैसे एक विशाल देश को शक्तियों के केन्द्रीयकरण से मजबूत नहीं बनाया जा सकता

[श्री आनन्द पाठक]

हमारे देश में भाषा, संस्कृति, धर्म आदि के रूप में बहुत विविधताएं हैं। इसलिए हमें वास्तविक रूप में एकता के अर्थ को समझना होगा।

लेकिन सत्तावादी शासन करने के लिए आप केन्द्र के हाथों में सभी शक्तियों का केन्द्रीयकरण करना चाहते हो, जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के आधार पर अलोकतांत्रिक तथा निष्ठुर बदले में निरोधात्मक उपाय बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन अब लोग सचेत हो गए हैं तथा इस प्रकार की प्रवृत्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

यदि आप लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं तो आपको जनता को सही रूप में मूल अधिकार देने हैं, आपको यह बात सुनिश्चित करनी है, कि जनता विकास तथा प्रशासन कार्य में भाग ले। आपको सत्ता के विकेन्द्रीयकरण से और इसको ग्रामीण स्तर तक ले जाने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि सरकार जनता है, जनता के लिए है और जनता द्वारा चलाई जाती है। यथार्थ में तो यही 'लोकतन्त्र' है।

यही गांधी जी और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और अपने जीवन काल में दोहराते रहे। किंतु आप इस सिद्धांत को आजकल प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। यदि समस्या है।

हमारे देश का ढांचा और हमारे संविधान का स्वरूप संघीय माना जाता है किंतु वास्तव में यह ऐसा नहीं है।

इस प्रकार आप उन सभी सिद्धांतों तथा मूल्यों को छोड़ रहे हैं जिनके लिए भारत की जनता विदेशी शासकों के विरुद्ध कई वर्षों तक लड़ती रही और अपने जीवन का बलिदान किया।

अत: अब समय आ गया है कि आप इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और हमारे देश के लोकतन्त्र के अनुरूप अपनी नीति को बदल दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सदन के सभी वर्गों से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए जोर देता हूं। महोदय इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (रोबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, अपने सहयोगी श्री आनन्द पाठक द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, उसका तो मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूं, लेकिन इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से जिन बातों की ओर उन्होंने संकेत किया है, मैं उनका तहेदिल से समर्थन करता हूं।

यह बात सही है कि देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं, और कुछ ऐसे भाषा-भाषी लोग हैं, जिनको

निश्चित तौर से यदि राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है तो उनके विकास के लिए कुछ अलग कार्यक्रम अपनाने होंगे। यह बात सही है, जैसा इन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में बताया, यही नहीं कि स्वतंत्रता के बाद से बल्कि उसके पूर्व से हमारे दार्जिलिंग जिले के 5 मंडलों के लोग इस बात के लिए आन्दोलित हैं कि उनको एक अलग से सुविधा का अधिकार दिया जाये।

यही नहीं, वे ऐसा अनुभव करते हैं कि राष्ट्र धारा में जो उनका त्याग रहा है और जो उनका योगदान रहा है वह उसके अनुरूप नहीं हो रहा है। यह सही है कि नेपाली भाषा-भाषी लोगों का अपने देश में, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, बहुत ही अधिक योगदान रहा है। इससे किसी को भी इंकार नहीं है। लेकिन हमें राष्ट्रीयता की भावना को भी देखना है और हमें उन तमाम मौलिक बातों को भी देखना होगा जो हमारे भारतवर्ष में एकता को अक्षुण्ण बनाने में बाधक हो सकती हैं। आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद भाषावार राज्य बनाने का जो आन्दोलन देश में चला उसके क्या नतीजे हुए। उसके आधार पर राज्यों का रिआर्गेनाइजेशन किया गया लेकिन तब भी किसी को संतुष्टी नहीं मिली हाल ही में हमारे यहां के एक बड़े राज्य के तीन राज्य बने। पंजाब पहले था, उसके बाद हरियाणा और फिर हिमाचल प्रदेश बना। आप देखें भाषा, धर्म या भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हम राज्यों का निर्माण करेंगे और स्वायत्तता देते जायेंगे तो देश में जो एकता और अखंडता की भावना है उसको धक्का लग सकता है। ठीक है, पंडित जी ने नेपाली भाषा को अन्य 15 राष्ट्रीय भाषाओं में जोड़ दिया था लेकिन कई जगहों से अन्य भाषाओं को भी जोड़ने के आन्दोलन चल रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय आधार पर भी आन्दोलन चलाए जा रहे हैं जैसे कि झारखंड आन्दोलन चल रहा है या विदर्भ का आन्दोलन चल रहा है। हमारे प्रदेश में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र अलग हो जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो जाए तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी अलग हो जाए। इन आन्दोलनों के चलते अन्ततोगत्वा यह भावना हमारे राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के विपरीत जायेगी।

ठीक है आज आपने इस विधेयक के माध्यम से इस विषय पर इस सदन को विचार करने का मौका प्रदान किया है और हमको सोचना होगा कि कब तक हम इन संकीर्ण भावनाओं को लेकर भाषा, क्षेत्र, प्रान्तीयता धर्म, वर्ण और जात-पांत के आधार पर एक एक जिले में राज्य का निर्माण करते जायेंगे। मैं समझता हूं पूरा सदन इससे अपनी असहमति प्रकट करेगा इसमें कोई भी शक नहीं है। हमारे बंगाल के साथी यहां बैठे हैं वे जानते होंगे कि तीन चार साल पहले कलकत्ता में झारखंड के लिए कितना विशालतम जुलूस निकाला गया था। तो आएदिन इस प्रकार की गड़बड़ियां होती रहती हैं। क्या देश इस चीज से भली भांति अवगत नहीं है कि हम देश में आए दिन विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देते जा रहे हैं? इसलिए मैं सदन से तथा प्रस्तावक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। पिछले दिनों जब इस सदन में प्लानिक कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई तो हमने देखा कि इस देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी बाढ़ या ट्राइबल एरियाज हैं उनके विकास के सम्बन्ध में मांगें प्रस्तुत की गई और मांगें करनी भी चाहिएं लेकिन इसके पीछे कोई स्वायत्तता की भावना नहीं है। लेकिन प्रस्तावक महोदय ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें यद्यपि उन्होंने यही कहा है कि उस क्षेत्र के लिए एक अलग से जिला परिषद का गठन किया जाए परन्तु अन्य प्रदेशों की जिला परिषदों से यह बिलकुल भिन्न होगी क्योंकि पूरे 44

[श्री राम प्यारे पनिका]

अधिकार देना चाहते हैं। यदि यह सभी अधिकार मिल जाएं तो यह स्वाभाविक होगा कि वहां के लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो-क्योंकि वह एक संवेदनशील इलाका है, अन्य देश से सीमा जुड़ी हुई है उनमें ऐसी भावना पैदा हो कि हम अलग से ही अपनी स्टेट क्यों न कायम करलें। इस प्रकार की भावना उनमें आ सकती है इसलिए इस प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए।

4.00 म० प०

सारे के सारे 44 बिन्दु आपने इस बिल में शामिल कर लिए हैं, इससे ऐसा लगता है कि सारे के सारे राज्य सरकार के अधिकार आप समाप्त कर रहे हैं। बिल में एक जगह है, इंडियन फारैस्ट एक्ट, 1927 के अनुसार अधिकार राज्य सरकार का होगा या केन्द्र सरकार को हो। आपने स्वत: ही सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया है। मैं ऐसे प्रस्ताव का विरोध करता हूं और पुरजोर विरोध करता हूं। ऐसी परिस्थिति अभी देश में नहीं आई है कि इस मांग को स्वीकार किया जा सके। यह बात सही है कि नेपाली भाषा-भाषी लोगों का विकास हो। उनके आर्थिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इसीलिए अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने देश में पांच सांस्कृतिक केन्द्र बनाने का निर्णय किया है। एक केन्द्र पूर्व में भी होगा। जब पूर्वी क्षेत्र का सांस्कृतिक केन्द्र बनेगा, तो उसके माध्यम से आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो भाषा है, जो रीति-रिवाज है, उसकी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था होगी। यही उद्देश्य हमारे प्रधान मंत्री जी ने जाहिर किया है। अभी हाल ही में एक केन्द्र का उद्घाटन भी किया है। इसी प्रकार देश के पांच हिस्सों में भी केन्द्र बनने जा रहे हैं। हमारी सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि सारे हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि आप इस प्रस्ताव को वापिस ले लें, क्योंकि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।

यह सौभाग्य की बात है कि पंजाब और असम की समस्या हल हो गई है। देश में जो काफी बेचैनी थी, वह बेचैनी दूर हो गई है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कह दिया कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब को एक बना दिया जाए। ये सब विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ऐसे प्रस्ताव को लाना उचित नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी जन आकांक्षाओं के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप आप ऐसा बिल ला सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि यह प्रश्न केवल तीन मंडलों का नहीं है। उनको स्वतन्त्रता देकर आप भावनाओं को नहीं बदलेंगे। मैंने अभी झारखण्ड की बात कही, इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश को भी अलग-थलग करने की बात कही जा रही है। कहीं ट्राइबल के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर दक्षिण भारत में इस प्रकार की भावनाएं बढ़ रही हैं। कई राज्यों में, खास कर पिछड़े हुए क्षेत्र में, भाषा के नाम पर राजनीति चलाई जा रही है। इसलिए जहां तक उनके विकास का प्रश्न है, उनके आर्थिक विकास का प्रश्न है, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि देश में जो ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए विशेष रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि की व्यवस्था करें।

चाहे उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र की बात हो या राजस्थान के डेजर्ट की बात हो, इनके विकास के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे देश में अनेक भाषायें हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक धर्म हैं, विविधता में एकता है। इसलिए एकता की भावना को पनपाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सर्वेजना सुखिनों भवन्तु- जब मैं यह कल्पना करता हूं कि सब सुखी रहें, तो अलग-अलग होने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह तय हो जाए कि भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कभी कोई अलगाव की बात नहीं करेगा। भारतवर्ष के साथ दुनिया में कितने देश स्वतन्त्र हुए हैं। आज उनकी हालत क्या है? हमको छोड़कर सारे के सारे देश अपने-अपने स्वार्थों में फंस गए हैं, वहां पर मिलिट्री शासन हो गये हैं। हम बचे हैं, हमारा भारतवर्ष बचा है। वह अपनी संस्कृति के कारण। हमारे यहां जो विविधता है और उसका जो हमारे देश में समादर किया जाता है, उसके कारण हम बचे हैं। मैं बिल प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि भगवान के लिए देश के लिए ऐसे बिल न लाएं जिससे कि देश में अलगाववादी भाव जगे। इसी तरह से हमारे देश के नेपाली भाषा बोलने वाले भाई भी इस देश के अंग हैं, वे हमसे अलग कैसे हो सकते हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे विधि मन्त्री जी बैठे हुए हैं। हमारी सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए काम करे, जैसे कि उसने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए और मूल चन्द डागा जी खुश हैं कि डेजर्ट एरियाज के विकास के लिए भी शतप्रतिशत राशि देने की बात की है। प्लानिंग कमीशन ने जो 6 प्रकार के क्षेत्र घोषित किए हुए उनमें इन्हें भी शामिल कर लिया जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर लोगों का विकास होने लगेगा तो यह जो भावना आ रही है वह उनमें से हट जाएगी।

मुझे मालूम है कि जहां छोटा नागपुर क्षेत्र में झारखंड की मांग हो रही है वह इसलिए हो रही है कि वहां का आदिवासी अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। आप कल्पना नहीं कर सकते जो स्थिति वहां है, वहां का आदिवासी रोजी-रोटी के लिए काम धंधे के लिए अन्य राज्यों में जा रहा है और वहां भी उसका शोषण हो रहा है। अगर वहां के लोग सामाजिक न्याय की बात करें, अपने विकास की बात करें तो उनके बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसी तरह से बस्तर के आदिवासी इलाके हैं वे भी अगर ऊपर उठने के अपने अधिकार की बात करते हैं तो उसको भी माना जाना चाहिए लेकिन अगर वे स्वायत्तता की बात करें तो उसको नहीं माना जाना चाहिए। उनको राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।

हमने अपने संविधान के द्वारा सभी को समता का अधिकार दे दिया है। लेकिन समता का अधिकार दे देने से ही काम नहीं चलता है। जब तक अधिकार के साथ अवसर प्रदान न किए जाएं तब तक समता का अधिकार कैसे मिलेगा। हम जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समता के अवसर प्रदान करें, उनको ऐसी विशेष सुविधाएं दें जिनसे कि समता प्राप्त कर लाभ उठा सकें। एक लड़का जो शहर के कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ता है, उससे दार्जिलिंग के किसी मंडल में किसी मास्टर ने पढ़ा हुआ लड़का कैसे

[श्री राम प्यारे पनिका]

कम्पीट कर सकता है। वह नहीं कर सकता है। इसलिए समता के साथ-साथ समान अवसर भी प्रदान किये जाने चाहिएं।

हमारा दार्जिलिंग जो कि सीमा पर स्थित है, एक ऐतिहासिक और रमणीक स्थान है। उस पर हमको गर्व है। उसके तीन मंडल जो खास कर पहाड़ी हैं उनके विकास के लिए सरकार विशेष प्रयत्न करे, अगर उनके विकास के लिए काम होगा तो हमारे माननीय सदस्य की जो भावना है, जिसका कि हम स्वागत करते हैं, वह पूरी होगी और फिर स्वायत्तता की बात नहीं उठेगी। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यह जो आप कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए हैं और इसके द्वारा स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, यह इस नाजुक घड़ी में किसी प्रकार से भी नहीं माना जा सकता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी होती यदि हमारे मित्र आनन्द पाठक जी बजाए स्वायत्तशासी परिषद् की मांग करने के ये मांग करते कि पश्चिमी बंगाल के जो पिछड़े हुए इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, उनके लिए और अधिक पैसा दिया जाए और प्लानिंग कमीशन में उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। मेरे विचार से इस बिल को लाते वक्त उनके मन में जो आंतरिक प्रेरणा रही होगी, दिल के अन्तर की वह यह रही होगी कि दार्जिलिंग का एरिया ऐसा है जिससे लगे हुए दूसरे एरियाज हैं जिनका विकास नहीं हो पाया, जितना विकास पश्चिम बंगाल के और इलाकों का हुआ है।

श्री नारायण चौबे : ये तो दिल की बात बोलते हैं।

श्री हरीश रावत : अब मैं क्या कर सकता हूं, चौबे जी का दिल ही नहीं है, बाहर से लाल जरूर हैं, पर दिल के अन्दर कोई लाली नहीं बची। अगर बची होती तो दिल के जजबातों को समझने की कोशिश करते।

स्वायत्तशासी परिषद या जिला परिषद बना देने से कोई काम नहीं चल सकता। हमारे सामने बड़ा लंबा इतिहास है राज्यों के पुनर्गठन का, भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया गया, लेकिन उससे कहीं आकर कोई बात रुकी नहीं, कहीं आकर बात ठहरी नहीं है। आज भी देश के विभिन्न अंचलों में इस प्रकार की मांगें उठती रहती हैं, मैं समझता हूं कि इस सदन में ही कई बार हम इस प्रकार के प्रश्नों को उठा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी गोरखा लैण्ड की मांग की, दार्जिलिंग एरिया के लिए स्वायत्तशासन की मांग, संथाल एरिया के लिए अलग मांग, नक्सलाइट की अलग मांग, इन सब के बीच कहीं-न-कहीं आर्थिक धारणा स्रोत रही है और जहां तक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की भावना शामिल है। मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो न चाहता हो कि हर क्षेत्र का समान रूप से आर्थिक विकास हो। मान्यवर, मेरे विचार से बिल भले भी व्यावहारिक न हो मगर इस बिल के जरिए हमको कुछ व्यावहारिक बातों पर विचार करने का जरूर मौका मिलता है, जिनके अधीन हम कह सकते हैं कि अब केन्द्रीय सरकार को ऐसे पिछड़े हुए इलाकों के लिए जहां के

लोग आज भी विकास की मालिक आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जहां आज भी विकास बहुत कम हुआ है जबकि हम देख रहे हैं कि देश के अन्दर जो हमारे दूसरे शहर हैं और उस क्षेत्र के चारों तरफ के जो क्षेत्र हैं उनका बहुत विकास हो गया है। ऐसे समय में वहां के लोगों के मन में कसमसाहट हो, भावनाएं हों तो उसको यहां पर रखने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। इसलिए मैं अपने मित्र आनन्द पाठक जी को इस बात की बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने यह अवसर दिया कि हम उनके बिल के माध्यम से पिछड़े हुए क्षेत्रों की व्यावहारिक आकांक्षाओं के लिए सदन के समक्ष कुछ बातें रख सकें। प्लानिंग कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आज से नहीं, प्रथम योजना बनाते वक्त भी, उस समय के योजनाकारों ने इस बात का जिक्र किया था कि देश के अन्दर कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं, उनका अपेक्षित विकास होना चाहिए। मगर कुछ धन की कमी की वजह से, कुछ अन्य प्रकार की प्रायरटी जो योजनाकारों के सामने थी, उनके कारण ऐसे पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों, दूर-दराज के क्षेत्रों, प्राब्लम्स एरियाज का विकास नहीं हो पाया और हम अपेक्षित धनराशि नहीं दे पाए, अपेक्षित काम नहीं कर पाए। इन्दिरा जी को आज भी पर्वतीय इलाकों के, आदिवासी क्षेत्रों के लोग याद करते हैं मां के रूप में, क्योंकि उन्होंने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्पेशल एरियाज प्रोग्राम के तहत प्लानिंग कमीशन में एक अलग सेल, अलग प्रकोष्ठ गठित करवाया, इन क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि मुहैया कराई थी और उसका लाभ पश्चिम बंगाल को भी मिल रहा है, उसका लाभ उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू-कश्मीर को, दक्षिण में पालघाट को और ऐसे दूसरे एरियाज को मिल रहा है, वहां के लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगा, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के माध्यम से और मन्त्री महोदय के माध्यम से कि वे हमारी इस भावना को योजना मंत्रालय तक पहुंचाएं, गृह-मन्त्रालय तक पहुंचाएं। देश के अन्दर और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लोग रीजनल इंबैलेन्सेस के, इन्टरनल स्टेट रीजनल इंबैलेंसेस के शिकार हैं, उनका विकास हो और अपेक्षित धनराशि उनको मुहैया कराई जाए, जिस तरीके से सभी एरियाज के विकास के तहत कराई जाती है। हमारे कई माननीय सदस्य इस बात को सदन के पटल पर रख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रांत का विकास उसको अलग-अलग टुकड़ों में बांट कर हम नहीं कर सकते।

यदि हमको उसका विकास करना है तो उसकी विभिन्न प्रकार की सामाजिक और आर्थिक इकाइयां हैं। एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलग प्रकार की योजना बनानी पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे राज्य की सरकार उन कारणों का निदान करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो केन्द्रीय सरकार को मदद करनी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल है कि वहां की जनशक्ति को कैसे रोजगार दिया जाए, वहां कारखाने खोलने होंगे। बुन्देलखण्ड एरिया में सड़क, पीने का पानी और बिजली की जरूरत है। जो ऐसी सामाजिक मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनकी अत्यन्त आवश्यकता है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में और देश के दूसरे भागों में भी कंयुनिकेशन गैप रहता है। इसका कारण यह है कि वहां पर रेलवे लाईन, वायुदूत सेवा और सड़कों की व्यवस्था नहीं है। अलग-अलग प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए केन्द्र की सरकार को आगे आना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि राज्य की सरकार स्वायत्तशासी परिषदें या जिला परिषदें बना दें तो उससे काम चल जायेगा। हमारे पास जिला परिषदें और क्षेत्रीय समितियां हैं। वे परिषदें और

[श्री हरीश रावत]

समितियां उतना काम नहीं कर पाती हैं। उनके पास अधिकार हैं लेकिन उन अधिकारों का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। उनके पास अपेक्षित धन नहीं है इसलिए लाभ नहीं मिलता है। एक तो धन मुहैया किया जाये और देश के अन्दर जो रीजनल इंबैलेन्सेज हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। राज्यों और राज्यों के बीच में जो विकास का गैप है उसको भरने की कोशिश की जाए। गाडगिल फारमूला के तहत भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को मदद नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिये। कुछ राज्य योजना परिव्यय का अधिकांश अंश अपनी तरफ खींचने में सक्षम होते हैं। उसको संशोधित करने की जरूरत है। प्रान्तों में गैप बना रहेगा तो इससे लोगों के मन में असन्तोष का पैदा होना स्वाभाविक है। वित्त आयोग भी इस प्रश्न पर विचार किया लेकिन वित्त आयोग भी जितनी अपेक्षित मदद की उम्मीद करता था इस मामले में उतनी नहीं कर पाया। उन्होंने जो शुरूआत की, वह स्वागत योग्य है। लेकिन उससे तकलीफ का निदान होने की कोई गुंजाईश नहीं दिखाई देती राज्यों के अन्दर विकास की अलग-अलग यार्डस्टिक हैं। जब हम राष्ट्रीय विकास की कल्पना करते हैं तो उसके लिए यार्डस्टिक एक ही मानकर चलना पड़ेगा और वह होना चाहिये क्षेत्र विशेष का पिछड़ापन। मुझे तकलीफ इस बात की है कि योजना आयोग चाहे जो भी घोषित करे लेकिन व्यावहारिकता में यह देखने में आता है कि गाडगिल फारमूला के अन्तर्गत जो जितनी बड़ी लाबिंग करता है, उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिल जाता है। एक मांग और रखना चाहूंगा। राज्यों के अन्दर बहुधा यह देखने में आता है कि जो पर्वतीय या जनजाति वाले प्रधान क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राज्य में कम होता है और वे अपनी वायस को राज्य विधान मण्डल के पटल पर प्रभावशाली तरीके से नहीं से रख पाते। यह पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बुन्देलखण्ड का बहुत कम प्रतिनिधित्व है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात को माना गया है। जिस तरह से अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू-काश्मीर, मिजोरम और दूसरी जगह विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या के नार्म्स को रिलेक्स किया गया है, उसी तरीके से राज्यों के अन्दर जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए जनसंख्या के प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के मापदण्ड को हटाया जाना चाहिये। उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए।... (व्यवधान) हमारे विधि मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं। मेरी मांग उनसे ताल्लुक रखती है। मेरी यह मांग है कि जिस तरीके से हिमाचल, जम्मू-काश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड, अरूणाचल, मिजोरम और कई प्रान्तों में राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या को प्रतिनिधित्व नहीं माना है और जो स्टैंडर्ड है उसको रिलेक्स किया है।

उसी प्रकार जिन राज्यों में पर्वतीय क्षेत्र हैं और योजना आयोग ने उनको स्पेशल कैटेगरी के क्षेत्र माना है तो उन राज्यों के लिए भी प्रतिनिधित्व के लिए स्टैण्डर्ड नौर्म्स में कुछ रिलैक्सेशन देकर विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व कुछ ज्यादा मिलना चाहिये। और उसी आधार पर मिलना चाहिये। जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मेघालय आदि दूसरे राज्यों में मिला है। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मन्त्री जी स्वीकृति में सिर हिला रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेरी बात उनकी तह तक पहुंच रही होगी... (व्यवधान) ...मेरा धन्यवाद का बजाना

तो आपकी तरफ हमेशा लुटता रहता है। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर गहराई से विचार किया जाये। हमको यह सोचना होगा कि हम कुछ लोगों को हमेशा पिछड़ा हुआ नहीं रख सकते क्योंकि विकास की भूख लोगों में पैदा हो चुकी है। मुझे खुशी होती है और गर्व होता है जब हमारे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोग कहते हैं कि राजीव जी देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाना चाहते हैं, हम कैसे उस दौड़ में लगें। वैसे तो सब जानते हैं कि शुक्रवार के बाद ही शनिवार आता है और इसी तरह इक्कीसवीं सदी भी अपने समय पर ही आयेगी लेकिन हमारे गांवों के लोग यह समझते हैं कि राजीव जी हमको उन्नति-शील राष्ट्र की दिशा में ले जाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं और देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। लोग यह समझते हैं कि हमें भी उनमें भागीदार बनना है, जिस रूप में राजीव जी सारे देश को अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर आगे ले जाना चाहते हैं हमें राष्ट्रीय पटल पर दूसरे विकसित लोगों के साथ, आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ, कदम-से-कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। हमें उनकी इस भावना का सत्कार करना चाहिये जो विकास की भावना लोगों के मन में पैदा हुई है, जो भूख जो ललक पैदा हुई है, उसका सम्मान करते हुए आज हमें उस स्ट्रैंग्थ को चैनेलाइज करके विकास की दौड़ में आगे ले जाने की जरूरत है।

मैं समझता हूं कि हमारे जितने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसमें दार्जिलिंग, छोटा नागपुर का इलाका, महाराष्ट्र में विदर्भ का इकाला आन्ध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र हैं, ये सब शामिल हैं, इन क्षेत्रों के लोग लम्बी छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। सवाल यह है कि उनको छलांग लगाने का ठीक से मौका दिया जाये, आज कुछ ऐसे हाथों की जरूरत है जो उनकी पीठ पर, सहानुभूति से आप रखें तो वे लोग राष्ट्रीय विकास की दौड़ में अपेक्षित योगदान दे सकते हैं।

इसलिए मैंने जैसा पहले कहा, भावनात्मक रूप से मैं अपने मित्र से सहमत हूं लेकिन सहमत होते हुये भी इस मांग का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इस मांग को मानने का अर्थ होगा कि कहीं पर मामला रुकेगा नहीं। रुकने वाली कोई चीज इसमें नजर नहीं आती क्योंकि आज यदि हम दार्जिलिंग में स्वायत्त-शासी परिषद् के गठन की मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो कल उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से स्वायत्त-शासी परिषद की मांग उठेगी। यदि उसे भी स्वीकार कर लिया जाएगा तो एक समय ऐसा भी आयेगा जब लोग उससे भी छोटी इकाई के विषय में सोचने लगेंगे और सरकार पर दबाव डालना शुरू कर देंगे। चूंकि हर किसी की राजनैतिक आकांक्षा की पूर्ति होना सम्भव नहीं है और लोग अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के तहत कभी-कभी इतना ज्यादा गहराई तक सोच जाते हैं कि स्पष्ट कारण न होते हुये भी वे असन्तुष्ट बन जाते हैं और अपने बुद्धि और विवेक का दुरुपयोग करके इस तरह की मांगों को उठाने लगते हैं। इसलिए भाई आनन्द पाठक से मैं आग्रह करूंगा कि जहां तक विकास की भावना का प्रश्न है, उसका समर्थन यह सारा सदन करता है, मगर वे इस विषय पर जोर न दें क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरह की परिस्थितियां विद्यमान हैं, जैसा हमने अभी अनुभव किया है, असम में जब विशेष परिस्थितियां पैदा हुई तो असम को हमें कई टुकड़ों में बांटना पड़ा, लेकिन फिर भी बात कहीं आकर रुकी नहीं, पंजाब एक छोटी इकाई थी, लेकिन वहां कैसे हालात पैदा हुए, कुछ लोग भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे, जब वह भी हो गया तो उनको लगा

[श्री हरीश रावत]

कि क्यों न धर्म के आधार पर भी हो जाये। आप यह भी जानते हैं कि भारतवर्ष में जातियों का लम्बा इतिहास है। हर राज्य के अन्दर अलग-अलग धर्मों के लोग हैं। कहीं किसी धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है तो कहीं दूसरे धर्म को मानने वाले ज्यादा संख्या में हैं। भाषा के आधार पर भी इसी तरह की प्रौब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि इससे देश को लाभ नहीं हो सकता।

हमको यह विचार करना होगा कि हम आज अपने देश की एकता और अखण्डता को कैसे कायम रख सकते हैं और देश की एकता तथा अखण्डता को कायम रखने के लिए हमें उन सारी लोकतांत्रिक मान्यताओं को प्रबल करना होगा जिनके द्वारा हम देश को एक सूत्र में बांध सकें और ऐसा करते समय अगर हमारा कुछ अहित भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है, तो उस नुकसान को सहते हुए भी हमको देश की एकता के सूत्रों को मजबूत करना होगा।

श्रीमान्, देश की एकता को कायम रखने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा है। वे पर्वतीय क्षेत्र चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, जम्मू-कश्मीर के हों या उत्तर प्रदेश के पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र हों, सभी पर्वतीय क्षेत्रों का देश की एकता और अखण्डता को कायम रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के जो विभिन्न राष्ट्रीय बल हैं, लोक सेनाएं हैं, उनमें हैं और उन्होंने इस काम में बड़ा सराहनीय योगदान दिया है।

सभापति महोदय, हो सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग पिछड़े हुए हों, लेकिन हम मानसिक रूप से देश के किसी भी भाग के आगे बढ़े हुए व्यक्तियों से पीछे नहीं हैं और हमने हमेशा इस उच्च मानसिक स्थिति का फायदा देश को मजबूत करने में दिया है, राष्ट्रीय एकता को विखंडित होने से बचाने में दिया है। इसलिए मैं अपने भाई श्री आनन्द पाठक जी से आग्रह करूंगा, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के माननीय सदस्यों ने अपनी विकसित बुद्धि से वहां के लोगों की स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं को देखते हुए, प० बंगाल के लोगों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये ऐसा बिल पास कर दिया हो, किन्तु जब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हमको कई मुद्दों पर नजर रखते हुए कई चीजें सोचनी पड़ेंगी और विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आज की हमारी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में प्रान्तों के बंटवारे, प्रान्तों की स्वायत्तशासी परिषदों की इस तरह की मांगें ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं अपने मित्र पाठक जी से आग्रह और निवेदन करूंगा कि इनको वापिस ले लें। प्रान्तों के बंटवारे के बजाय मैं चाहूंगा कि छोटी इकाइयां गठित हों और उनको अधिक से अधिक धन उस क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाये और वहां का विकास हो।

सभापति महोदय, मैं इतना कहते हुये, इस बिल की भावनाओं का समर्थन करते हुए भी यह आवश्यक समझता हूं कि यह बिल आज की परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं है। इसलिए मैं अपने मित्र श्री आनन्द पाठक से आग्रह करूंगा कि वे स्वयं इसको वापस ले लें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं पूरी तरह से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कांग्रेस दल के मेरे मित्रों ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं वह गलत हैं। मैं केवल उनके विचारों से सहमत हूं कि उन्होंने अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। देश संकट में है। असम, मेघालय की, पंजाब की समस्या है और खालिस्तान की मांग की जा रही है। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में मेरे कई मित्र यह समझ लें कि इस समय इस विधेयक से देश में केवल विघटन होगा। किंतु मैं यह निवेदन करता हूं कि यह तर्कसंगत आशंका नहीं है। यह गलत है। यह विचार करना गलत है।

मेरे प्रिय मित्र, श्री रावत जी ने अभी कहा कि भारत को विभिन्न भाषायी राज्यों में विभाजित करने का निर्णय सफल नहीं हुआ है। यदि यह सफल नहीं हुआ तो क्या वह यह सुझाव देते हैं कि भाषा के आधार पर भारत में कोई राज्य नहीं होना चाहिए ? क्या वह इस बात का सुझाव दे रहे हैं कि एक भारत, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक राजा और एक राजाधिराज होना चाहिए ? मैं यह कहने का निवेदन करता हूं कि यह दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण नहीं है। यह केवल पूंजीवादी ही नहीं है, अपितु सामन्तवादी दृष्टिकोण भी है। राष्ट्र क्या है ? आप इसे पसन्द करें अथवा नहीं, भारत एक बहु-भाषी, बहु राष्ट्रिक देश है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : यह एक नया मुहावरा है।

श्री नारायण चौबे : मैं यह फिर कहता हूं। भारत एक बहु-भाषी, बहु राष्ट्रिक देश है।

[हिन्दी]

"पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा।"

[अनुवाद]

अंग्रेजों ने यदि भारत को गुलाम नहीं बनाया होता, तो भारत यूरोप जैसा होता जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हालैंड आदि शामिल हैं। हमें एक होकर ब्रिटेन के वंशधरों से लड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने हमें अपने अधीन किया। भारत में अंग, बंग, कलिंग, मगध आदि सारा था। अनन्तकाल से भारत में "विविधता में एकता" चली आई है। यदि किसी का विचार है कि एकता एक-राष्ट्र विचार-धारा से थोपी जाए तो वह गलत है। एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा से आप यह थोप नहीं सकते हैं। कामरेड आनन्द पाठक के विधेयक में भय की कोई बात नहीं है। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे और अधिक विघटन पैदा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री रावत तथा एक और मित्र ने कहा कि आर्थिक विषमता क्षेत्रीय विषमता का एक प्रमुख कारण है। यह ठीक है। उन्होंने एक अन्य बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि में लागू हो रहा है और कहा कि इसी प्रकार

[श्री नारायण चौबे]

यह गढ़वाल, दार्जिलिंग और अन्य पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों पर भी लागू होना चाहिए ताकि इनकी विधान सभाओं में इन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो इसमें क्या बुराई है ? विशाल उत्तर प्रदेश विधान सभा में गढ़वाल क्षेत्र के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। अतः आप ऐसा कर सकते हैं। इस विधेयक में ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है कि दार्जिलिंग को भारत से अलग किया जाए। दार्जिलिंग बंगाल के ढांचे में चलता रहेगा; किन्तु यदि यह विधेयक स्वीकार किया जाता है तो यह बंगाल में एक स्वायत्तशासी क्षेत्र बना रहेगा। हमने पहले ही त्रिपुरा में आठवें दशक के शुरू में ऐसा किया है। मेरे मित्र पहले ही इस विषय पर बोल चुके हैं। त्रिपुरा के बारे में, आठवीं अनुसूची के अन्तर्गत स्वायत्तशासी क्षेत्र कार्य कर रहा है। किन्तु हम चाहते थे कि यह छठी अनुसूची के अन्तर्गत कार्य करे। फिर भी स्वायत्तशासी क्षेत्र का जन्म त्रिपुरा में हुआ है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि समस्याएं तब सुलझ जाएंगी जब भारत एक राज्य हो ? नहीं; यह इस प्रकार नहीं हो सकता है। स्वतन्त्रता से बहुत पहले, कांग्रेस दल भाषा के आधार पर कार्य कर रही थी। जमशेदपुर यद्यपि बिहार में हैं स्वतंत्रता से पूर्व यह उत्कल कांग्रेस कमेटी के अन्तर्गत था। जमशेदपुर के अन्दर और बाहर बहुत से लोग उड़िया-भाषी थे। अतः जमशेदपुर उत्कल कांग्रेस कमेटी के अन्तर्गत मिलाया गया। सबसे बड़े राजनैतिक दल राष्ट्रीय कांग्रेस (नेशनल कांग्रेस) ने स्वतंत्रता से काफी पहले इस विचार को स्वीकार किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर विभाजित होगा। आन्ध्र की जनता ने जो आन्दोलन 1953 में पोत्ती श्री रामुलु के नेतृत्व में आरम्भ किया उससे आन्ध्र प्रदेश राज्य का जन्म हुआ। इसी प्रकार महाराष्ट्र की जनता का भाषायी राज्यों के विषय में जो आन्दोलन हुआ उससे महाराष्ट्र तथा गुजरात बन गए जो पहले संयुक्त बम्बई राज्य के भाग थे। बंगाल में हमें बिहार क्षेत्र का कुछ हिस्सा मिला जहां के लोग बंगला-भाषी हैं। अतः यह एक स्वाभाविक बात है।

महान कम्युनिस्ट नेता, स्टालिन ने वर्ष 1911 में राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने कहा, "भारत में अर्ध-राष्ट्रीय तथा जनजातियों की संख्या सैंकड़ों में है और वह इस समय निष्क्रिय अवस्था में हैं किन्तु वह एक दिन उठेंगे और वह अपने अधिकार मांग लेंगे और अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे।" यह बात उन्होंने 1911 में लिखी। यह बात सच सिद्ध हो रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् केवल आधुनिक विज्ञान, साहित्य तथा ज्ञान इन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। यह अच्छी बात है। अब इनमें जागरुकता आ रही है। वह अपनी मांगें लेकर सामने आएंगे, उनका अपना नीति-शास्त्र होगा, वह अपनी नीति लेकर आएंगे, अपनी सभ्यता लेकर आएंगे और हमें उन्हें स्वीकार करना है—सब को तो नहीं—किन्तु हमें उन बातों को सहन करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यह सभी आन्दोलन जो इन बातों के लिए होते हैं उचित नहीं है और यह सभी आन्दोलन भी अनुचित नहीं हैं। विघटनकारी आन्दोलन भी होते हैं और रचनात्मक आन्दोलन भी होते हैं। खालिस्तान की मांग एक विघटनकारी आन्दोलन है, असम में से बंगाली लोगों को निकालने की मांग एक विघटनकारी आन्दोलन है, किन्तु बंगाल में दार्जिलिंग को एक स्वायत्तशासी क्षेत्र बनाने की मांग तथा नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना विघटनकारी नहीं है। इससे राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता

में वृद्धि होती है। अतः सभी आन्दोलन उचित नहीं हैं और सभी आन्दोलन अनुचित नहीं हैं। हमें प्रत्येक आन्दोलन को इसके अपने दृष्टिकोण से देखना चाहिए। खालिस्तान की मांग निस्सन्देह गलत है। इसे साम्राज्यवाद का समर्थन तथा अब प्रेरणा प्राप्त है। किन्तु नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना निस्सन्देह उचित है और यदि श्री पणिका को यह आशंका है कि सन्थाल भी इसी प्रकार की मांग करेंगे, तो जी हां संथाल तो मांग करेंगे ही और मुण्डु भी मांग करेंगे। वह मांग करेंगे आज नहीं तो कल। यह तो इतिहास का क्रम है। वह अपनी मांगें करेंगे। इतिहास हमें इस विषय में बता सकता है।

मेरे प्रिय मंत्री एक महान व्यक्ति है, वह बहुत सी बातें जानते हैं। वह विश्व भर में घूम आए हैं। लेनिन ने क्या किया ? सोवियत संघ में 17 नवम्बर, 1917 को क्रान्ति आई। उससे पूर्व जार ने रूसी के अतिरिक्त किसी भी भाषा को समृद्ध नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि केवल रूसी भाषा पढ़ो। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तथा ताजकिस्तान के मुसलमान क्षेत्र बड़े राज्य हैं। जार ने कहा कि उन्हें रूसी भाषा सीखनी चाहिए और रूसी भाषा के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है। उन्हें अपनी राष्ट्रीय भाषायें सीखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उन पर ईसाई धर्म थोप दिया गया। लेनिन ने क्या किया ? हमारे यहां आपस में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच संघर्ष, सिखों और हिन्दुओं के बीच संघर्ष, एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच संघर्ष तथा एक भाषा और दूसरी भाषा के बीच संघर्ष हैं। सोवियत संघ की क्रांति के पश्चात् हमने कोई ऐसा संघर्ष नहीं देखा है जो इस क्रान्ति से पूर्व इतने निरन्तर होते थे। जार के काल के दौरान, कभी ईसाई मुसलमानों को मार रहे थे और कभी मुसलमान तथा ईसाई यहूदियों को मारते रहते थे। किन्तु 17 नवम्बर, 1917 की क्रान्ति के पश्चात् सोवियत संघ में यह सब झगड़े रोक दिए गए। क्यों ? लेनिन ने कहा कि प्रत्येक राज्य स्वतन्त्र है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजकिस्तान स्वतंत्र हैं। किन्तु साथ ही उन्हें अलग होने का अधिकार भी दिया गया है और कोई भी राज्य अलग नहीं हो रहा है। वह सभी इकट्ठे रहे और साम्यवादियों ने उन्हें इकट्ठे रखा, यद्यपि उन्हें अलग होने का अधिकार भी है। लेनिन ने दो बातें कही। उन राज्यों को अलग होने का अधिकार होना चाहिए, किन्तु साम्यवादियों को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि राज्य कभी अलग न हों और वह सदा इकट्ठे रहें। क्या आप समझते हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : हम समझ गए हैं।

श्री नारायण चौबे : यदि आपने समझ लिया, तो इस विधेयक को स्वीकार कीजिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हमने बहुत पहले समझा है।

श्री नारायण चौबे : यदि आपने इसे बहुत पहले समझा है, तो मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। अतः इस विधेयक से आकाश पृथ्वी पर तो नहीं उतरेगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आपके भूतपूर्व साम्यवादियों ने क्यों आप का साथ छोड़ दिया है ?

श्री नारायण चौबे : क्या ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : आपने कहा, दादा जी ने, डोगरा जी ने आपका साथ छोड़ दिया। अनेक साम्यवादी आपका साथ छोड़ रहे हैं। यह क्या है? कृपया उत्तर दीजिए।

श्री नारायण चौबे : इसका कारण यह है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जायेंगे।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आपकी संख्या कम हो रही है। क्या कारण है?

श्री नारायण चौबे : खैर, हम विधेयक तक ही सीमित रखते हैं। निस्सन्देह···

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : इन्होंने एक आब्जेक्शनेबल बात कही है। इन्होंने कहा वे पुराने पापी हैं और हम कम्युनिस्ट पापी हैं।···(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : ठीक है, वे पुराने पापी नहीं हैं, पुराने पुण्यात्मा हैं, आपका उद्धार करने के लिए वहां गए हैं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : महोदय, आज भारत में प्रायः विघटनकारी तत्वों का कहीं-कहीं सिर उठाने का एक कारण यह है कि हम इन समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे हैं जो मुख्यतः राष्ट्रीय समस्याएं, भाषा समस्याएं तथा संस्कृति की समस्याएं हैं। नेपाली लोग चाहें आप मानें या न मानें भारत के ही अंग हैं। जब कभी वह हमारे पास आए हमने उनसे वायदे किये। ऐसा तब हुआ जब श्रीमती इन्दिरा गांधी दार्जिलिंग गई थीं। मुझे नहीं मालूम कि क्या श्री राजीव गांधी दार्जिलिंग गये थे। किन्तु बहुत बार हमारे राष्ट्रीय नेता दार्जिलिंग गए हैं और अनेक बार उन्होंने यह वायदा किया था कि वह नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार करेंगे। मैं यह कहूंगा कि जब भी वह वहां जाते हैं हजारों नेपाली बाहर आ जाते थे। इस भावना का आदर करने में कौन सी आपत्ति है।···(व्यवधान)

दो प्रकार के नेपाली हैं जो नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। एक विघटनकारी जप नेपाली के नाम से जाने जाते हैं जो इसे बंगाल तथा भारत से बाहर ले जाना चाहते हैं। किन्तु कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो भारत के साथ रहना चाहती हैं और कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो बंगाल में रहना चाहती हैं और साथ ही नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल कराना चाहते हैं। क्या आप यह बात नहीं मानते हैं कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से अखंडता की शक्तियों को विघटनकारी तत्वों का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी? यह सीधी बात है। यदि आप किसी प्रकार अकालियों के साथ समझौता कर सकते हैं; आप संत लोंगोवाल के साथ बात-चीत कर सकते थे जब सिखों की भारी संख्या खालिस्तान की मांग कर रही थी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपने ठीक किया है। आपने चुनाव करवाए और अब अकाली पंजाब में शासन कर रहे हैं। इस मामले में पंजाब भारत से अलग नहीं है। सम्भवतः वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर कुछ नहीं

किया जा सकता था। अगर आपको यह समझ नहीं आता, तो आप अहं झूठी प्रतिष्ठा और तथाकथित राष्ट्रीय एकता की भावना को स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपको यह समझ नहीं आता तो यह पूर्व-धारणा है, अंध देशभक्ति है। अगर नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता तो इससे क्या नुकसान हो जाता ? आज इतनी अच्छी बात होती कि बहुत से नेपालियों के हाथ, जिनमें राष्ट्रीय एकता है, विघटनकारी, साम्प्रदायिक, युद्ध प्रिय तथा मिशन प्रचारक ताकतों के साथ, जो नेपाली क्षेत्र में विघटनकारी अधिनियम बनाने के लिए कार्य करते हैं, लड़ने के लिए मजबूत होते। मेरे विचार में हम उससे लड़ सकेंगे।

स्वाभाविक है कि मैं यह बात सामने रखूंगा चाहे आप इसे स्वीकार न करें। परन्तु कम से कम कुछ मुख्य बातों को जो यहां पर बतायी गयी हैं उन्हें स्वीकार करें और मैं आपको फिर बताऊं अगर आप इस तथ्य को मान लें, अगर आप कह दें कि कुछ बातों पर विचार किया जाएगा, मेरे विचार से इसके कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। इस परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर, इस देश की विघटनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ने के नाम पर आप गलत रास्ते का प्रयोग न करें। ऐसा न सोचें कि सभी आन्दोलन जो लोगों की तरफ से होते हैं वे गलत तथा विघटनकारी होते हैं। बहुत से सही आन्दोलन हैं। ये आन्दोलन इस लिए सामने आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों की समस्याओं को समय पर सुलझाने में असफल रहे हैं। झारखंड आन्दोलन शांत है परन्तु यह फिर से उठेगा। अगर आप संथालों की समस्याओं को हल करने में असफल रहते हैं, अगर आप आदिवासियों की समस्याओं को, उनके जमींन के प्रश्न को उनके कृषि संबन्धी प्रश्न को, उनके संस्कृति संबंधी प्रश्न को, उनके शिक्षा संबंधी प्रश्न को, उनके वित्त पोषण संबंधी प्रश्न को उनके उद्योग संबंधी प्रश्न को, अपनी भूमि पर अपने सिर ऊंचे रखने के प्रश्न को हल करने में असफल रहते हैं तो वे फिर से उठेंगे। यह उनकी अपनी भूमि है यह भूमि है जो आदिवासियों की है। परन्तु आप पायेंगे कि चौबे, दूबे, पंडे, तिवारी तथा अन्य सभी वहां पर जा रहे हैं, और बल पूर्वक ब्याज ले रहे हैं तथा उन्हे बुरी तरह से लूट रहे हैं। कब तक वे शांत रहेंगे ? इस समय वे कई बातों की वजह से चुप हैं। परन्तु कल वे फिर से अपनी बात उठायेंगे। झारखंड आन्दोलन फिर से उठ सकता है। अगर आप इन समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो कृपया उन्हें समय पर हल कीजिए और इस क्षेत्र के लोगों की नब्ज को पहचानिए। पश्चिम बंगाल के नेपाली क्षेत्र में इस प्रकार की धारणा चल रही है। इस कारण हम यह विधेयक सामने लाये हैं और मैं सरकार से विघटनकारी ताकतों से लड़ने तथा एकीकरण करने वाली ताकतों की सहायता करने के उद्देश्य से विधेयक को स्वीकार करने का निवेदन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और माननीय मन्त्री तथा इस ओर के मित्रों से हमें समर्थन देने के लिए आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, हमारे मित्र जो यह बिल लाए हैं उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। बिल लाने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां जिला परि-

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

मद बननी चाहिए और परिषद के जिन-जिन अख्तियारात की बात उन्होंने कही है उससे मैं समझता हूं कि उस जिले में एक मिनी विधान सभा बनाने का उनका इरादा है। बंगाल की सरकार के बारे में भी सारा कुछ कहा गया है कि बंगाल सरकार भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी।

मेरे मित्र ने संविधान के आठवें शेड्यूल की बात भी कही कि सरकार नेपाली भाषा को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नेपाल के जितने भी लोग भारत के अन्दर हैं उन्हें सरकार ने पूरा दर्जा दे रखा है। सारे राष्ट्र के अन्दर नेपाली लोग अच्छे-अच्छे पदों पर हैं दार्जिलिंग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके कि लोग अधिकारों से महरूम हों। पश्चिम बंगाल में तो सी० पी० एम० की सरकार है। वह सरकार वहां के कामों को देखती है। जो बंगाल के सी० पी० एम० के एम० पी० हैं या एम० एल० ए० हैं वे यहां और बंगाल की विधान सभा में जाते हैं। दार्जिलिंग से भी लोग चुनकर वहां जाते हैं और यहां भी आते हैं। उनको पूरा मौका मिलता है वे वहां भी अपनी बात कह सकते हैं। यहां पर भी कह सकते हैं। इस तरह का बिल उन्हें नहीं लाना चाहिए था।

यहां पर यह भी कहा गया है कि अकालियों ने खालिस्तान की मांग की और उनके साथ सरकार ने बात की। मैं समझता हूं कि खालिस्तान के साथ इस बात को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यहां तक भी कहा गया कि प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी अभी तक वहां नहीं गए। इससे क्या सिद्ध होता है ? हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जी वहां गई थीं। हमारी जो राष्ट्रीय धारा है उसमें इस देश के सारे लोग शामिल हैं। मैं नहीं समझता कि भाषा के आधार पर या और किसी किस्म की बात को लेकर सारे राष्ट्र को यह बताया जाए कि हमारा जिला अलग है।

हमारे यहां पंचायती राज्य कायम है। हमारे यहां पंचायतें काम कर रही हैं। पंचायतों के बाद ब्लाक कमेटियां हैं। उनके बाद जिला परिषद हैं। उसके ऊपर विधान सभाएं हैं और फिर पार्लियामेंट बनी हुई है। फिर इस चीज की क्या जरूरत है। यह बात तो अच्छी है कि वहां के लोगों की बात यहां पर रख दी गई लेकिन उनको इस बिल पर जोर नहीं देना चाहिए। इस पर ज्यादा बहस की गंजाइश नहीं है।

यह बात ठीक है कि बंगाल की सरकार भी उस क्षेत्र की तरफ तवज्जोह नहीं देती होगी, इसीलिए माननीय सदस्य यह बिल लाए हैं। हमारे देश में बहुत से पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं जो कि कई तरह से पिछड़े रह जाते हैं। जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश में हों, हिमाचल प्रदेश में हों, नागालैंड में हों, यह ठीक है कि वहां साधन नहीं हैं। न वहां रेल है न ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन हैं जिनसे कि वहां लोग लाभ उठा सकें। इसके लिए सही बात तो यह है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा काम हो ताकि उनकी तरक्की हो सके। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने जो दार्जिलिंग जिले की बात की है और परिषद बनाने की बात कही है, यह मैं समझता हूं कि यह उनके साथ अन्याय होगा। वहां की सरकार को चाहिए कि सरकार उस जिले की डवलपमेंट के लिए ज्यादा तवज्जोह दे। जो नेपाली भाई वहां हैं उनके डवलपमेंट के लिए विशेष काम करें। अगर बंगाल सरकार कहती कि नेपाली भाषा को आठवें शेड्यूल में डाला जाए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। जहां तक मेरा ख्याल है कि वहां की सरकार का उद्देश्य यही है कि वहां पर जो नेपाली लोग बसते हैं उनको एक्सप्लाइट किया जाए और अपने वोट पक्के किए जाएं, मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें कहना उचित नहीं है। हमारे देश के अन्दर नेपाल के लोग रहते हैं, मेहनत करते हैं बहुत मेहनती हैं, उनका भाषा का भी हम उतना ही आदर करते हैं जितना आदर हम भारत की अन्य भाषाओं का करते हैं। हम पूरा उसका सत्कार करते हैं, लेकिन इस तरह से कहना उचित नहीं है। देश के अन्दर जो हमारी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का हम आदर करते हैं, चाहे पंजाबी हो, नेपाली हो सिंधी हो, अंग्रेजी हो, सारी हमारी राष्ट्र की भाषाएं हैं और उनका दर्जा समान है और मैं समझता हूं कि सबका समान आदर सत्कार होना चाहिए।

जहां तक उस क्षेत्र के विकास की बात है, मैं चाहता हूं कि बंगाल सरकार उस तरफ तवज्जह दे, दार्जिलिंग की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे। जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का ताल्लुक है, इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रूस में क्रांति आई, किस बात के लिए क्रांति आई, गरीबी मिटाने के लिए। लेनिन ने जो काम किया है वह किसी ने नहीं किया, जैसे चौबे जी कह रहे थे, वे तो अपनी बात कह कर चले गए, वे मार्क्स को बात कर रहे थे, वे चाहते थे कि गरीबों को खत्म किया जाए, लेकिन लेनिन ने सही काम किया। वे लेनिन के अनुयायी बनकर, वफादार बनकर मार्क्सवाद की थ्यूरी पढ़कर देश के अन्दर मार्क्सवाद फैलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मार्क्सवाद भी कोई बुरी चीज नहीं है, उसने भी गरीबी दूर करने के लिए आवाज इस तरह की आवाज वे लोग नहीं उठाते, ये लोग तो सिर्फ नेपाली भाषा की बात उठाते हैं, पंजाबी भाषा की बात उठाते हैं, कोई प्रोग्राम जब उनके पास नहीं होता है तो एजीटेशन करने की बात करते हैं। विकास की बात सिर्फ वे अपने क्षेत्र की ही करते हैं जहां से चुनकर आते हैं, ऊपर के इलाके की बात नहीं करते, पहाड़ी इलाकों की बात नहीं करते, दार्जिलिंग या गंगटोक को बात नहीं करते, सिर्फ अपने नीचे के इलाकों की बात करते हैं नहीं तो आज क्या वहां पर आर्थिक विकास नहीं होता, अच्छी सड़कें नहीं होतीं, अगर ये लोग उनकी तरफ पूरा ध्यान देते तो क्या वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता, बल्कि यहां की सरकार ने अधिक ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया, इंदिरा जी ने देश के अन्दर गरीबों को ऊपर उठाने के लिए सारे देश में जो कार्यक्रम चलाया इससे गरीब ऊपर उठे हैं और आप बंगाल में भी जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि वहां पर भी हमारी सरकार बंगाल सरकार को पीछे छोड़ देगी, इतने वहां पर कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही है।

सभापति महोदय, जिन लोगों ने आवाज उठाई है, उनकी भावना ठीक हो सकती है, लेकिन ये मिनि विधानसभा बनाना ठीक नहीं है। जहां तक भाषा को बात है, कोई भी भाषा हो, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है, आसाम में भी कोई भाषा का झगड़ा नहीं था वहां पर वो सिर्फ बाहर से जो लोग आए थे, उनको वोटर बनाने या न बनाने का सवाल था और पंजाब

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

में क्या हुआ। पंजाब में तो उग्रवादियों ने संत लौंगोवाल जी को भी मार दिया। इसलिए उग्रवाद किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। जहां तक भाषा का सवाल है, देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सबकी इज्जत होनी चाहिए। पंजाब का इतना बड़ा समझौता हुआ, वहां चुनाव हुए, हमारे अकाली भाई भी यहां पर आए हैं, आपके यहां भी लोग यहां आए हुए हैं, सी० पी० आई०, सी पी० एम० के लोग भी हैं, भाषा के मुत्तालिक हमारा कोई मतभेद नहीं है, हम सभी भाषाओं का आदर करते हैं। नेपाली भाषा कई प्रदेशों में नहीं बोली जाती, पंजाब में नहीं बोली जाती, इसलिए हम भाषा का कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते. नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए भाषा का कोई विवाद हम खड़ा करना नहीं चाहते जिससे राष्ट्र कमजोर हो। हमें राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करना है और इस तरफ आप तवज्जह दें ताकि गरीबी मिट सके। इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्री लग सके और जो उद्योग स्थापित हों उनके उत्पादन की मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जा हम वहां पर फल-फ्रूट पैदा करते हैं, उसका हमको उचित दाम मिलना चाहिए।

यह हमारा काम है और यह हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की मांग है। आपने कहा कि वहां पर भूमि का वितरण होना चाहिए। सरकार इंतजाम करती है, इसमें दो राय नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में जितनी किलो मीटर सड़कें बनती हैं या स्कूल-कालेज बनते हैं, वे बहुत कम है। हम लद्दाख और काश्मीर के इलाके को भी देखते हैं। वहां पर बड़े कालेज कम ही होंगे। टैक्नीकल ट्रेनिंग की व्यवस्था होना भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना मुल्क की आज की दौड़ में कम्पीट नहीं रह सकते चूंकि जब तक साधन प्रोवाइड नहीं होंगे। हमारे नामग्याल जी का इतना चुनाव क्षेत्र है जितना सारा हरियाणा और पंजाब होगा। हम किस तरह अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा डवलपमेंट कर सकते हैं जबतक कि हमारे लोगों को वही साधन प्रोवाइड नहीं होंगे जो कि बड़े शहरों के लोगों को प्राप्त होते हैं। हम तो बार्डर पर रहते हैं। बार्डर पर रहने से डवलपमेंट रुक जाता है। मैं समझता हूं कि दार्जिलिंग में काफी अच्छा डवलपमेंट हुआ है क्योंकि वहां काफी टूरिस्ट आते हैं और सभी लोग उनको देखना चाहते हैं। यह तो आप लोगों की डवलपमेंट है। भारत सरकार ने बंगाल सरकार को पैसा देना है, उसी से डवलपमेंट होगा। हमारे हिमाचल प्रदेश में आलू और सेब की खेती होती है। लेकिन आलू और सेब की कीमत हमको पूरी नहीं मिलती है। हमारे मन्त्री जो जोर लगाते हैं कि वह मिलनी चाहिए। लेकिन कौन देता है। मेरा क्षेत्र डोडराक्वार तिब्बत के साथ लगता है। वहां से कोई आदमी सेब की पेटी अगर दिल्ली भेजना चाहे तो चौबीन रुपये किराया लगता है। जब आजादपुर मण्डी में उसकी बिक्री होगी तो उसकी कीमत 48 या 50 रुपये हो जायेगी और जब वह सेब बाजार में बिकेगा तो छह या आठ रुपये किलो के हिसाब से बिकेगा। हमको यह देखना चाहिए कि गरीब आदमी का शोषण कहां से होता है। परिवहन और रेलवे की सुविधा भी हमारे लोगों को होनी चाहिए। बगीचों में हमारी इन्कम बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन भारत सरकार को देना चाहिए। जहां तक बिजली का सवाल है, अकेला हिमाचल बीस हजार मैगावाट बिजली तैयार कर सकता है। मैंने देखा है कि गंगटोक में भी बड़ी भारी नदी जाती है। वहां भी काफी पन-बिजली तैयार हो सकती है।

दार्जिलिंग में पन-बिजली की बात आपने की है, मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को उठायेंगे

तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। उस इलाके में उद्योग के मामले में सबसे ज्यादा सुविधा प्राप्त हो सकती हैं। दार्जिलिंग की चाय बहुत मशहूर है। वहां पर चाय पैदा करने वाले काफी लोग इसमें लगे हुए हैं। उसके डवलपमेंट के लिए मजदूरों को कुछ नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि इन चीजों को देखा जाए तो ये राष्ट्र के हित की बातें हो सकती हैं। गरीब आदमी का जो शोषण होता है, उस पर रोक लगानी चाहिए। राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए आज एक ही प्रोग्राम बनाइए। सभी लोग यह बात कहें कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों का डवलपमेंट होगा तो राष्ट्र बचेगा। जितना भी भूमि का कटाव हो रहा है वह सब पहाड़ की तरफ से हो रहा है और इस तरह से मैदानी क्षेत्र का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। हिन्दुस्तान के जितने ,डैम हैं वे मिट्टी के साथ भर रहे हैं क्योंकि वहां न प्लान्टेशन है और न कुछ और है। दार्जिलिंग का एरिया भी मैंने देखा है। वहां भी पहाड़ हैं और वह बंगाल के अन्दर फ्लड पैदा करता है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पन-बिजली योजना बनाएं तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। हम कोयले से बिजली पैदा करते हैं। यह हमारा जखीरा है। कोयला बिहार में होता है।

5.00 म० प०

चाहे आप उसे दार्जिलिंग साइड में ले जाएं या मद्रास साइड में ले जाएं, मैं समझता हूं कि उसमें हमारा खर्चा अधिक लगता है और वह ज्यादा से ज्यादा 100 साल या 200 साल तक चल सकता है। उसके बाद राष्ट्र की यह सम्पत्ति भी खत्म हो जाएगी। उसके पश्चात हमारे राष्ट्र को सब से बैठ जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपना ध्यान पन-बिजली योजनाओं की ओर अधिक से अधिक लगाना चाहिए क्योंकि पन-बिजली योजनाएं हमारे राष्ट्र की परि-स्थितियों के अनूकूल हैं, हम उनको अच्छी तरह बना सकते हैं और हमें बिजली भी सस्ती पड़ती है। इसलिए इस प्रस्ताव को मूव करके जिस तरह की मांग की गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूं इससे देश आगे तरक्की नहीं कर सकेगा और इस प्रस्ताव को मान लेना मुमकिन भी नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि इसे वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : इसमें कोई दो राय नहीं है कि दार्जिलिंग के आसपास रहने वाली नेपाली जनता खराब हालत में रह रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इनमें अधिकांश लोग पिछड़े वर्ग से हैं। उनके पास रोजगार के बहुत ही कम साधन हैं। अगर आप सिक्किम जाएं तो पाएंगे कि दार्जिलिंग क्षेत्र से या दार्जिलिंग क्षेत्र के आसपास के बंगाली, नेपाली लोग होटलों में, सड़कों पर तथा हर जगह काम कर रहे हैं।

5.02 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

वे बहुत मेहनती हैं और वास्तव में उनके साथ बेहतर व्यवहार करने की जरूरत है। यह सब

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

है। परन्तु प्रश्न यह है : क्या यह उपाय जो इस सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है इसका हल है। यह मुख्य बात है जिसके बारे में हमें सोचना है ...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों में से एक है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का जिला है और मैं कम से कम विश्वास करता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार एक सज्जन है और सरकार उस क्षेत्र की देखभाल करना उसका कर्तव्य है और उसने अभी तक उन्हें तसल्ली दे दी होगी कि वह उनकी उचित देखभाल कर रही है।

यह एक बहुत ही दुखद बात है कि एक सी० पी० एम० से सम्बन्धित तथा उस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति यह उपाय आगे रखे। इस उपाय का अन्तिम विश्लेषण करने पर अर्थ निकलता है कि नेपालियों के साथ न्याय नहीं किया गया है और भविष्य में उस सरकार से उन्हें न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। अगर आप गहराई में जाये तो इसका वास्तविक उद्देश्य यही है। मैंने इसे इस प्रकार से समझा है। मैं शायद इसे गलत समझ लेता परन्तु मैंने इसे सहानुभूतिपूर्वक समझने का प्रयास किया और मैं इसके अतिरिक्त और कुछ न समझ सका। अतः अगर उन्हें पता होता कि कुछ कार्य उस सरकार के द्वारा किया जाएगा तो वे वहां गये होते। विधेयक के प्रस्तावक इतने गुमराह तथा निराश हैं कि उसने पश्चिम बंगाल सरकार को शक्तियां देने की सिफारिश की है न कि पश्चिम बंगाल विधान सभा को जो कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उपलब्ध करायेगी। अगर आप इस विधेयक के खंडों को देखें तो विधेयक में प्रावधान है कि :

'राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा निम्नलिखित से लिये उपबन्ध कर सकती है :—

(क) जिला परिषद की सदस्यता के लिए अर्हता;

(ख) जिला परिषद की सदस्यता के लिए अनर्हता;

(ग) निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूचियां तैयार करना;

(घ) जिला परिषद के लिए निर्वाचन कराने अथवा उस परिषद के सम्यक गठन के सम्बन्ध में या उनसे सम्बन्धित सभी मामलों और उसके कार्यकाल तथा विशेष रूप से निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं विषयों के बारे में उपबन्ध कर सकती है :—

(1) जिला परिषद के सदस्यों में से उसके सभापति, उपसभापति तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति;

(2) जिला परिषद के सदस्यों में से उसकी कार्यकारी समिति का गठन;

(3) सभापति, उपसभापति तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते;

(4) कार्यकारी कृत्यों का निर्वहन;

(5) कार्यकारी समिति की शक्तियां; और

(6) ऐसे अन्य विषय, जो जिला परिषद के कार्य संचालन के लिए आवश्यक और आनुषंगिक हों।

ये शक्तियां हैं जो वह वहां पर कार्य कर रही किसी भी राज्य सरकार को देना चाहते हैं जिसका वास्तव में अर्थ होगा विभाग के प्रभारी मन्त्री को अथवा नौकरशाहों को शक्ति प्रदान करना। ऐसा कैसे किया जा सकता है।

जैसा कि मैंने इस सभा में बहुत पहले अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलते हुए कहा था, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सोचा था कि उत्तर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात को आर्थिक विकास तथा रक्षा प्रयोजनों के लिए खोला जाना चाहिए। उन्होंने सीमा सड़क संगठन को स्थापित किया था जिसने बहुत कार्य किया है। परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। चाहे वह दार्जिलिंग जिला हो अथवा उत्तर-प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर का कोई जिला हो वहां पर बहुत कार्य करना बाकी है। दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी राज्यों में भी इसी तरह के क्षेत्र हैं जिनका विकास करना है। आप इन क्षेत्रों का विकास तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहां उन्हें यातायात के लिए न खोला जाये। जब तक कि वहां पर सड़क नहीं होगी कोई भी वहां पर नहीं जायेगा और वहां पर सुधार नहीं होगा। इसका आठवीं अनुसूची के साथ कुछ लेना देना नहीं है। या तो हम समझ नहीं पाते या फिर हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर हम समझते हैं तो हमें यह करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल सरकार जान बूझकर दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है। ऐसी बात नहीं है समस्याएं बहुत ही विकट हैं और उसके लिए बहुत धनराशि चाहिये। यह भी सही है कि विरले ही उस क्षेत्र से किसी मन्त्री को पश्चिम बंगाल के मंत्रिमण्डल में रखा गया हो। अतः उचित ध्यान की भी कमी रही है। एक बार श्री एच० जी० वैलस द्वारा यह कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए सोचना चाहिये। जो लोग स्वयं के लिए नहीं सोचते तो अन्य उनके बारे में सोचते हैं और वे इस प्रकार से सोचते हैं जैसा कि सोचने वाले व्यक्ति के अनुकूल होता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार चला रहा है और वह उस क्षेत्र का नहीं है तो वह उन क्षेत्रों के बारे में अधिक सोचेगा जिनसे वह संबंधित है तथा वह अन्य क्षेत्रों पर समान ध्यान नहीं देगा। लोग महसूस करते हैं कि उनकी भाषा अलग है तथा वे पहाड़ी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं और इसी कारण उनकी उपेक्षा की जा रही है। वास्तविकता यह है कि हम अपने विकास में तेजी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम नई प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं—समस्तर तथा ऊर्ध्वाधर विकास के लिए—तथा विकसित क्षेत्रों के विकास पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं। हम विश्व में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करना चाहते हैं परन्तु इसके साथ ही हम अपने पिछड़े हुए तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। परन्तु हमें यह समझना चाहिए कि उन क्षेत्रों में ये ही लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

कर रहे हैं। अतः हमें उनका ध्यान रखना होगा।

इस विधेयक से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। मुझे मेरे माननीय मित्र के साथ पूरी सहानुभूति है परन्तु दृष्टिकोण सही होना चाहिए। भारतीय संविधान में कई प्रावधान हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा रहा है और यह उनमें से एक होगा।

महोदय, अधिक समय न लेते हुये मैं यह बताना चाहूंगा कि वास्तविक समस्या भिन्न है। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता को पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में महसूस किया गया था और इस देश की मूल समस्याओं को उन्होंने पहचाना था। हमें अभी भी ऐसे बेहतर व्यक्ति की तलाश है जो सम्पूर्ण देश के लिए बेहतर रूप से सोच सके।

अत: उन समस्याओं को छोटे छोटे रूपों में विभाजित करने की कोशिश से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। मैं समझता अगर पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करके उनका विकास करके उन्हें अन्यों के अनुसरण के लिए आदर्श के रूप में सामने रखा होता। तो हम उसे दूसरों के सामने मिसाल के तौर पर उद्धृत करते परन्तु उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वहां के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

महोदय हम गंगटोक गये थे और हमने वहां देखा कि जो सड़कें सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत हैं वे भी ऐसी ही खराब हालत में थीं जैसी कि अन्य जगहों पर हैं। अत: हमें समस्या को जैसी है उसी रूप में देखना होगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता परंतु मैं यह भी नहीं चाहता कि आरोप हमारे ऊपर थोपा जाये। हमें समस्या जैसी है उसी रूप में उसका सामना करना चाहिए।

नेपाली हमारे भाई हैं। उनकी भाषा का विकास देश की अन्य भाषाओं के विकास के समान किया जाना चाहिये। यह देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक इस देश में बोली जाने वाली हर भाषा का विकास नहीं कर लिया जाता। दूरदर्शन और रेडियो का क्या फायदा है अगर ये उन लोगों से सम्पर्क नहीं कर पाते जो अभी तक अनपढ़ हैं। जब तक दूरदर्शन पर उनकी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित नहीं किये जाते तब तक वहां विकास नहीं किया जा सकता।

अत: सही उपाय यह है कि असमान विकास की बजाये उपयुक्त और समान विकास किया जाये। सजावट की वस्तु मत बनाइये। मुंह पर पाउडर लगाकर बाकी शरीर को गंदा मत छोडिए। हमें उन लाखों व्यक्तियों को भी देखना है जो पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं। उन लाखों व्यक्तियों को भुलाया नहीं जा सकता।

उन्हीं के वोटों के कारण हम सब इस सभा में विपक्ष या पक्ष में बैठे हैं। अमीर लोग अवसरवादी होते हैं। वे आपको वोट नहीं देते। पिछड़े लोग ही आपको इस सभा में और राज्य विधान सभाओं में चुनकर भेजते हैं। इसलिए गलत नारों से उन्हें गुमराह मत कीजिए। आपको स्थिति की

वास्तविकता समझकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समस्याओं का हल करना होगा। आप यह जो उपाय कर रहे हैं उससे लोग गुमराह होंगे। इसलिए, मैं इसका विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, यह जो बिल इस हाउस के सामने आया है इसमें मूवर ने लिखा है :

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय निर्माण कार्यक्रम से देश का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहेगा। छात्रों को लाखों मूक लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। उन्हें प्रदेश, शहर, वर्ग या जाति के आधार पर नहीं बल्कि महाद्वीप और उन लाखों व्यक्तियों के लिए सोचना सीखना होगा जिसमें अछूत, शराबी, गुन्डे और यहां तक की वेश्याएं भी शामिल हैं और जिनकी इस हालत के लिए हम सब जिम्मेदार हैं।" (यंग इंडिया—9 जून, 1927)

[हिन्दी]

तो जो बिल आए हैं उसका क्या मतलब है ? उसका मतलब है :

[अनुवाद]

"जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा। हम उन्हीं की कीमत पर शिक्षित हैं हर हमने उन्हें कुछ नहीं दिया है।"

[हिन्दी]

डा० अम्बेडकर ने कहा था कि मुस्लिम लीग से मिलकर गवर्नमैंट बना लो तो आधे हिंदुस्तान के मालिक हो जाएंगे क्योंकि बंटवारे में आपको आधा हिंदुस्तान मिलता है मगर हमने नहीं माना। हम महात्मा गांधी के साथ रहे। हमने उनका साथ नहीं छोड़ा।

1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ। पहले सेप्रेट एलेक्टोरेट मिला था। उस वक्त डा० अम्बेडकर ने जो कहा था उसको माना नहीं गया। उस वक्त मुसलमानों की 9 करोड़ की आबादी थी और 6 करोड़ हमारी हरिजनों की आबादी थी। लेकिन उस वक्त उनकी बात को नहीं माना। आज इस तरह के आंदोलन किये जा रहे हैं। महात्मा जी ने जो कहा था वह ठीक था लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया।

महात्मा गांधी ने लिखा है :

[अनुवाद]

"आज विश्व के विवेकशील व्यक्ति ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र नहीं चाहते जो एक दूसरे के साथ

[चौधरी सुन्दर सिंह]

लड़ते रहें बल्कि ऐसे मित्र राष्ट्रों का संघ चाहते हैं जो एक पर निर्भर हों। परस्पर निर्भरता मनुष्य के लिए उतनी ही आदर्श है और होनी चाहिए जितनी की आत्मनिर्भरता। मानव सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ परस्पर सम्बन्ध रखे बिना, वह अपने अहम् का दमन करके स्वयं को विश्व का एक अंग महसूस नहीं कर सकता।"

[हिन्दी]

यह जो कहा था वह कब कहा था ? यह 1929 में महात्मा गांधी ने कहा था। जो उनके विचार थे उन पर अगर अमल हो जाये तो ठीक है। महात्मा जी ने 1921 में क्या कहा था वह भी सुनिए :

[अनुवाद]

"स्वराज्य व्यर्थ है अगर हम 1/5 भारत को स्थायी तौर पर पराधीन बनाये रखना चाहते हैं, और उन्हें राष्ट्रीय संस्कृति के लाभों से जानबूझकर वंचित करते हैं। हम चाहते हैं कि इस महान आन्दोलन में ईश्वर हमारी सहायता करे लेकिन हम उसी के उन प्राणियों को मानवता का अधिकार देने से इंकार करते हैं जो इसके सबसे अधिक हकदार हैं। हम स्वयं अमानवीय हैं इसलिए हमें ईश्वर से, दूसरों की अमानवीयता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

महात्मा जी के यह जो विचार थे उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है और इसी वजह से सारी चीजें पैदा हो रही हैं। जिस समय अलग मताधिकार था तब डा० अम्बेडकर ने कहा था :

[अनुवाद]

मैं हिन्दू पैदा हुआ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं हिन्दू के रूप में मरूंगा नहीं।

[हिन्दी]

लेकिन उन्होंने जो कहा उसकी किसी ने परवाह नहीं की। आज यह जो नेपाली हैं या जो सिख हैं उनमें अलग स्टेट की मांग की जाती है।

इस बिल का मैं विरोध करता हूं, इसको नहीं माना जाना चाहिये। चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमारा मर्ज लादवा न था। जो काम करने वाले हैं, जिनके हाथ में आप ताकत देते हैं, वे क्या उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे। हिन्दुस्तान का हर एक आदमी यदि अलग होने की बात सोचेगा, तो देश की एकता कैसे बनी रहेगी। पंजाब में खालिस्तान की मांग की जा रही है। वह राज्य

कमजोर नहीं है, सबसे ज्यादा बलवान है और ज्यादा जमीन उसके पास है। लेकिन वे कहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिये। हाल ही में मेरे हलके में दो आदमियों का कत्ल हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझता हूं कि गरीब आदमी अपना हक चाहता है, इसीलिए इस प्रकार की बातें पैदा होती हैं।

[अनुवाद]

"किसी आदमी को मिटाने से अधिकार नहीं मिल सकते। अधिकारों को अनिच्छुक हाथों से छीनना पड़ता है।"

[हिन्दी]

नेपालियों का यह मसला ऐसे हल नहीं हो सकता है, जब तक वे इकट्ठें होकर लड़ाई नहीं करेंगे। महात्मा गांधी, डा० अम्बेडकर और पं० जवाहर लाल नेहरू की यह मंशा थी—

[अनुवाद]

नेहरू जी ने संविधान सभा में कहा था :

"गरीब और भूखे लोगों की समस्या कैसे हल करें। जहां कहीं हम देखते हैं हमें यही समस्या नजर आती है। अगर इस समस्या का हम शीघ्र हल नहीं कर सकते तो कागजों पर लिखा हमारा संविधान निरर्थक और उद्देश्यहीन हो जाएगा।"

[हिन्दी]

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह बिल सैप्रेट-टेंडेन्सी की भावना को लिए हुए हैं। मैं पुनः इस बिल की मुखालिफत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य जरा भी अलगाववादी नहीं है। वस्तुतः इस विधेयक को सभा में एक अच्छे उद्देश्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व भी हमारी सरकार थी लेकिन हम स्वतन्त्रता चाहते थे, अपनी खुद की सरकार चाहते थे क्योंकि हम अपने देश का विकास अपने ढंग से करना चाहते थे। इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य नेपाली, संस्कृति नेपाली भाषा और जीवन शैली को उनके अपने ढंग से विकसित होने देना है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी भी चीज के विकास के लिए जरूरी है कि उसके पास जगह हो। दार्जिलिंग में नेपालियों की अधिकता है इसीलिए वे इस जगह को नेपाली संस्कृति का केन्द्र बनाना चाहते हैं ताकि वहां से उसका सब ओर प्रसार हो सके। नेपाली संस्कृति भारत में ही रहेगी। यह बहुत संस्कृति है। भारत सरकार भी भारतीयों की सभी संस्कृतियों, भाषाओं और जीवन शैली को बनाए रखने की इच्छुक रही है और यह उचित भी है।

[श्री पीयूष तिरकी]

भारत में बहुत सी समृद्ध संस्कृतियां हैं और हम उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य केवल यही है कि नेपाली संस्कृति, भाषा आदि के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाए जहां से इसका सर्वोन्मुखी विकास किया जा सके। इस प्रकार इसका केवल यही उद्देश्य है। सभी प्रमुख भाषाओं के अपने घर हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में राज्य भाषाई आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन उन भाषाओं का क्या होगा जिन्हें कुछ ही लोग बोलते हैं ? उनका भी तो अपनी भाषा के प्रति कर्त्तव्य है। वे चाहते हैं कि इन स्वायत्तशासी जिलों में उनकी पहचान और संस्कृति बनी रहे तथा इसके लिए वे अपने ढंग से काम करना चाहते हैं। यह नहीं कहना चाहिए कि उनकी संस्कृति भिन्न है आदि आदि। नेपाली संस्कृति भारतीय संस्कृति है। यह कोई अलग संस्कृति नहीं है। यह भारतीय संस्कृति का अंग है। पश्चिम बंगाल सरकार अर्थात् राज्य विधान सभा ने इन स्वायत्तशासी क्षेत्रों के संबंध में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है ताकि वे अपना विकास अपने ढंग से कर सकें। इसलिए मेरे विचार में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई है उसका कोई आधार नहीं है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र की कुछ जनजातियों को लीजिए इन जनजातियों की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और कुछ सामान्य कानून हैं जिससे वे स्वयं को शासित करती हैं। लेकिन वे अन्य भारतीयों से भिन्न नहीं हैं। यहां, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद आपकी सारी आदिवासी विकास योजनाएं असफल क्यों हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि आप उन आदिवासियों का विश्वास नहीं जीत पाए हैं जिनके लिए आप ये सभी विकास कार्य कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप इन लोगों को उनके अपने ढंग से विकास क्यों नहीं करने देते। इसकी बजाए कि यहां से कोई जाकर उन्हें विकास करने के ढंग के बारे में शिक्षा दे, अगर इन लोगों को उनके अपने हालातों के अनुसार तथा अपने सामान्य कानून का उपयोग करते हुए विकास करने दिया जाए, तो मुझे विश्वास है कि, विकास अधिक तीव्र गति से होगा तथा देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना बढ़ेगी। ये सभी लोग—चाहे वे आदिवासी हों, नेपाली आदिवासी हों, अनुसूचित जातियों के हों, जनजातियों के हों, हजारों सालों से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने पृथकता के बारे में कभी नहीं सोचा वे भारत का अभिन्न अंग हैं। वे केवल अपने लिए जगह की मांग कर रहे हैं। हर कोई जगह चाहता है। यह कहना कि "भारत आपका घर है" बिल्कुल अस्पष्ट है। जिस भी समुदाय की जहां बहुलता हो वहां उसे जगह दी जानी चाहिए ताकि वे अपने कानूनों के अनुसार अपनी पहचान बनाए रखकर अपने ढंग से अपना विकास कर सकें। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको अपने पुलिस बल के साथ वहां जाकर ऐसे किसी आन्दोलन को दबाना नहीं चाहिए। यदि कोई समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति के विकास के लिए अलग स्वायत्त जिलों की मांग करता है तो सरकार को उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आपको बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। नागालैंड और मिजोरम में वैसे भी काफी रक्तपात हो चुका है। कृपया उसी प्रकार मत चलिए। जब लोग किसी चीज की मांग करते हैं तो आपको उनका दृष्टिकोण समझना चाहिए। सरकार को उनके क्षेत्र, भाषा और संस्कृति के विकास के लिए उन्हें सभी सुविधाएं देनी चाहिए। भारत में भौगोलिक स्थितियां भी भिन्न हैं। स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। यदि कोई आदमी या अधिकारी

दार्जिलिंग के तथाकथित विकास के लिए दिल्ली से जाता है तो उस पर खर्च किया गया सारा पैसा व्यर्थ जाता है। दुःख की बात है कि ऐसी बातें होती हैं। अगर नेपालियों को या छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासियों को अपने ढंग से विकास करने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो वे तेजी से विकास करेंगे, जैसाकि सरकार चाहती है, भारत के लोग चाहते हैं कि उनका विकास तीव्रगति से और बिना शोषण के हो। शोषण पर नियन्त्रण रखने के लिए वे आजादी का मिलकर उपयोग करेंगे और सरकार की शक्ति, मेरा मतलब है कि लोगों द्वारा स्वायत्त शासन, का उपयोग करेंगे। इस प्रकार सरकार को इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए और नेपाली संस्कृति, भाषा और उनकी जीवन-शैली को भारत में—विशाल भारत में सुरक्षित रखने के संबंध में विचार करना चाहिए। मन्त्री जी को उनके द्वारा की जा रही और मांगों पर भी विचार करना चाहिए।

अब लोग अपने बारे में आप बोलने लगे हैं और वे अपने ढंग से विकास करना चाहते हैं। माननीय मन्त्री क इस बात को महसूस करना चाहिए और इसको महत्व देना चाहिए।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित दो घंटे का समय पूरा हो चुका है। क्या सभा के लिए इस समय को बढ़ाना जरूरी है, यदि हां, तो कितने घंटे ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : दो घंटे।

सभापति महोदय : मैं मान लेता हूं कि सभा इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय बढ़ाने के लिए सहमत है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : श्रीमन्, हालांकि दार्जिलिंग और इसके आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले नेपाली लोगों के बारे में व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं यहां इस विधेयक का कई कारणों से विरोध करता हूं, जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा। श्रीमन्, अगर आप विधेयक के अनुच्छेद 2 को पढ़ें तो पायेंगे कि

> "244(ग) संविधान में किसी भी बात के बावजूद, संसद, विधि द्वारा, पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर दार्जिलिंग जिले के और पड़ोसी जिलों के, जहां नेपाली भाषी लोग बहु-संख्यक हैं, और ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर, जो विनिर्दिष्ट किये जाएं, एक स्वायत्त क्षेत्र बना सकती है, और ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक जिला परिषद की स्थापना कर सकती है, जिसका गठन अनुच्छेद 244घ के अधीन विनिर्दिष्ट रीति के किया जायेगा और जिसकी शक्तियां तथा कृत्य अनुच्छेद 244ङ के अधीन विधि बनाकर विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।"

महोदय, अगर मंशा नेपाली भाषी लोगों के लिए कुछ स्थान या जिला सुरक्षित करने की थी, तो मेरे विद्वान सहयोगी पहले से ही विद्यमान संविधान के ढांचे का सहारा ले सकते थे। अगर वह महसूस करते हैं कि दार्जिलिंग और उसके आस-पास के लोगों की अनदेखी की जाती है तो वह मांग कर सकते हैं, अगर सही हो, तो, कि इसे संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि पर्याप्त मात्रा में वहां सीधे केन्द्रीय सहायता दी जा सके।

[श्री शांताराम नायक]

और अगर वह महसूस करते हैं कि यह मामला राज्य का दर्जा मांगने का है और इसके लिए आधार भी है, मैं नहीं कहता कि इसके लिए उचित आधार नहीं है,—वह इसकी मांग कर सकते हैं। लेकिन संविधान के अन्तर्गत हमें दो दर्जे उपलब्ध हैं। एक राज्य का, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र का। हमारे देश में 22 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन दो दर्जों के अलावा आप एक तीसरे दर्जे स्वायत्तशासी क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, जोकि उचित नहीं है। यह भारत के लोगों और सारे राष्ट्र के हित में नहीं है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। अन्यथा जहां तक आपकी भाषा-समस्या का सम्बन्ध है, गोवा और नेपाली भाषा की समस्या एक समान है। जिस प्रकार आप नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह हम भी कोंकणी को इसमें शामिल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य समस्याओं के बारे में, माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। लेकिन इनका यह उपचार नहीं है। अगर आप विधेयक का और अध्ययन करें तो पायेंगे कि इस जिला परिषद् के अन्तर्गत 44 मदों को लाने का विचार है। मैं कहना चाहता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप में विधान सभा ही है, यह अप्रत्यक्षत: राज्य को दर्जा देना ही है; हालांकि आप इसे स्वायत्तशासी जिला परिषद् ही कह रहे हैं। आप के कृषि उद्देश्य के लिए नहरों या छोटी नदियों के प्रयोग समेत 44 मदें इसके अन्तर्गत रख रहे हैं। जिला परिषद् के अधीन निम्नलिखित विषय होंगे :

ग्राम या कस्बा समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियां;

ग्राम या कस्बा प्रशासन से संबंधित कोई अन्य विषय, जिसमें ग्राम या कस्बा भी सम्मिलित हैं;

सम्पत्ति का उत्तराधिकार;

भूमि;

भू-राजस्व;

कृषि;

लोक स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल और औषधालय;

पर्यटन;

परिवहन और संचार;

मछली पालन; आदि।

मैंने उनमें से केवल कुछ मदों का ही नाम लिया है। आपने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए आखिर छोड़ा ही क्या है? इस प्रकार आप राज्य सरकार की सारी शक्तियां जिले को देना चाहते है और इसे स्वायत्त जिला परिषद कहते हैं।

अगर आप जिले को कुछ अधिक शक्ति देने जैसी और बात करते हैं, तो यह ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 44 मदों और 55 सदस्यों की परिषद् का स्वायत्त जिला बनाया जाना चाहिए। कृपया अनुच्छेद 244ज को देखें। इसमें कहा गया है :—

"निर्बन्धनों या शर्तों, जो राज्य सरकार ठीक और उचित समझे, के अध्ययधीन, स्वायत्त क्षेत्र में स्थित और नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार की सभी सम्पत्तियां, अन्य सभी सम्पत्तियों के साथ, जो परिषद् में निहित हों, जिला परिषद् में निहित होंगी और उसके स्वामित्वाधीन होंगी, तथा वे जिला परिषद् के निर्देशन, प्रबन्धन और नियंत्रण के अधीन होंगी, और वे इस अधिनियम के लिए धारित और प्रयुक्त होंगी—"

अतः, आप चाहते हैं कि क्षेत्र की सारी सम्पदा जिला परिषद् को सौंप दी जाए। यह उतना ही बुरा या अच्छा है जितना राज्य की मांग करना। आप इसे स्वायत्त जिला परिषद् का नाम दे रहे हैं और सम्पदा और विधान बनाने की शक्तियां जिला परिषद् को ही दिना चाहते हैं। यह ऐसी बात है जोकि नहीं होनी चाहिए। अतः, मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं।

वास्तव में इस प्रकार की मांग उठाने की बजाय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार इन पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों की समस्याओं की तरफ ध्यान दे। अगर ये लोग मांग करते हैं कि इनकी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अगर वे कुछ आर्थिक सहायता चाहते हैं तो उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अगर वे संघ शासित क्षेत्र का दर्जा चाहते हैं तो इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हमारे संविधान के ढांचे के भीतर जो भी मांगें हों उन पर विचार किया जाना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रवृत्तियां न पनप सकें।

उदाहरण के तौर पर, जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, यह भी संघ शासित क्षेत्र है। भारत में अब नौ संघ शासित क्षेत्र हैं। 25 वर्ष पूर्व हम स्वतन्त्र हुए थे और 19-12-1985 को हम अपनी स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मनाने जा रहे हैं। जब हम स्वतन्त्र हुए तो हमें केन्द्रीय सरकार ने छूट दी थी और हम से पूछा था कि क्या हम गोवा को महाराष्ट्र में और द्वीव और दमन को गुजरात में मिलाना चाहते हैं या अपनी अलग पहचान बनाये रखना चाहते हैं। देश के इतिहास में पहली दफा राय जानने के लिए मतदान हुआ। संसद के एक अधिनियम के तहत ऐसा हुआ। उस मतदान में गोवा, द्वीव, दमन के लोगों ने इसे संघ शासित क्षेत्र ही बने रहने देने के पक्ष में मत दिया। तभी से हम संघ शासित हैं। हमने काफी प्रगति की है। केन्द्रीय सरकार ने काफी सहायता और धन दिया है और इस प्रकार हम अब आत्मनिर्भर हैं। अतः अब हम अपने संविधान के ढांचे के अन्दर राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हम स्वायत्त जिला परिषद् जैसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं। संघ शासित क्षेत्र कोई स्थायी दर्जा नहीं है। यह दर्जा विकास करने के लिए दिया जाता है, और कुछ समय पश्चात् जब वह क्षेत्र आत्मनिर्भर हो जाता है, तब उसे राज्य का दर्जा दिया जाता है।

अतः, इस प्रकार के मामलों में, जहां संघ शासित क्षेत्र आत्मनिर्भर हो जाता है और खुशहाल

[श्री शांताराम नायक]

हो जाता है वहां उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि यह मांग किसी गलत रूप से न उठाई जाए।

दूसरे, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारी कोंकणी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अतः क्षेत्र को राज्य को दर्जा देने पर विचार करते समय इस भाषा की समस्या पर भी विचार करना होगा। संक्षेप में, मैं कहना चाहता हूं कि देश और राष्ट्रीय एकता के हित में इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, आज भी हिन्दुस्तान में थ्री-टायर सिस्टम है : पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियां। जहां तक सदन में प्रस्तुत बिल का सम्बन्ध है, इस बात की सराहना हर व्यक्ति करेगा कि नेपाली बड़े बहादुर हैं परन्तु वेस्ट-बंगाल में रह कर वे आज तक जो तरक्की या विकास नहीं कर पाये, क्या दार्जिलिंग में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का गठन हो जाने के बाद वे विकास कर पाएंगे। सवाल हमारे सामने एक ही है। मैंने आज से 30 साल पहले दार्जिलिंग देखा था। उस समय वह बहुत हरा-भरा और सब्ज था लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई है। सभापति जी, आज लोग उस हिल-स्टेशन पर जाना तक पसन्द नहीं करते। सारे जंगल कट गए हैं और दार्जिलिंग आज एक बैरन-लैंड की तरह बनकर रह गया है, चारों ओर मकान-ही-मकान नजर आते हैं। आज दार्जिलिंग में वह खूबसूरती या सौंदर्य नहीं है जो 30 साल पहले था। फिर भी, इस बिल के प्रस्तावक महोदय की ओर से वहां डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मांग की गई है और इसके साथ-साथ उन्होंने यह मांग भी कर दी कि एक स्टेट को जो अधिकार होते हैं, उनमें से कई अधिकार वे चाहते हैं। अब हमारे सामने सवाल यह है कि क्या ऐसा सम्भव है।

गवर्नमेंट का एक प्लान बनता है, जिसे ट्राइबल प्लान का नाम दिया जाता है। वह प्लान शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनता है। इस प्लान के लिए अलग रुपया दिया जाता है, अलग परसेंटेज के हिसाब से एलोकेशन की जाती है। उसके बाद फिर सब-प्लान बनता है। उस सब-प्लान में, गवर्नमेंट के जो फण्ड हैं, विकास के, एजूकेशन के, पंचायत राज के, एन०आर०ई०पी० के, आई०आर०डी०पी० के, बीस प्वाइंट प्रोग्राम के जितने आइटम हैं, डेवलपमेंट, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट आदि, सारे फण्ड्स का पैसा उधर जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने इस बिल को पेश किया है, क्या उन्होंने हिसाब लगाया कि इस पर कितना प्रशासनिक खर्चा आएगा। आपने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाने की मांग तो की, लेकिन इसमें कहीं नहीं बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन आदि का टोटल एक्सपेंडीचर कितना आएगा। दूसरे, कौंसिल बन जाने के बाद, उसमें सदस्यों के बन जाने के बाद, क्या आर्थिक दृष्टि से वह सक्षम इकाई होगी : हरगिज नहीं, बल्कि इसका खर्चा इतना अधिक होगा कि हम उसको चला नहीं सकेंगे। जब यह आर्थिक दृष्टि से सक्षम ही नहीं है तो फिर किसलिए आप उसको बनाए जाने की मांग कर रहे हैं।

आज हम देखते हैं कि हमारे यहां कई छोटे-छोटे स्टेट्स बन गए है : मणपुर, मिजोरम,

नागालैंड आदि और इन छोटी-छोटी रियासतों में हमारा जितना प्रशासनिक खर्चा हो जाता है, उसकी वजह से विकास कार्य नहीं हो पाता। राजस्थान में छोटी-छोटी 24 रियासतें हैं, जिनसे मिलकर राजस्थान बना हुआ है, परन्तु वे सब मिलकर एक बड़ा और विशाल राजस्थान बनाये हुए हैं।

राजस्थान का विकास बड़े राज्य के बनने से होता है। छोटे-छोटे राज्यों से आमदनी नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कोई आमदनी नहीं करती है।

नेपाल की सारी आमदनी मनीआर्डर पर आधारित है। वहां के सारे लोग भारत में आकर सेवा करते हैं और उनकी इकनौमी, मनीआर्डर की इकनौमी है। सेवा करने से पैसा पैदा करते हैं। इसलिए महोदय मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपके पास वहां पर पैसा है, क्या आपके पास इतनी जमीन है जिससे आप अपनी इकनौमी बना सकें, आपके पास ये दोनों चीजे नहीं हैं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मांग किस आधार पर कर रहे हैं। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक दृष्टि से आप सक्षम इकाई हैं, नहीं हैं। आपके यहां जिला परिषदें हैं, जिला परिषद में ये सारे सवाल आते हैं—शिक्षा का सवाल है, इरिगेशन का सवाल है, लैंड रिफार्म्स का सवाल है और भी इसी प्रकार के कई सवालात हैं, वे जिला परिषद के द्वारा तय किये जा सकते हैं, इसलिए आपकी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मांग का कोई आधार मालूम नहीं देता है।

सभापति महोदय, मालूम होता है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस हिस्से को बराबर नैगलैक्ट किए जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस जगह के रहने वाले माननीय सदस्य को चाहिए कि वे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के समक्ष अपने हकों के लिए लड़ें और अपने अधिकारों की मांग करें। उनसे इस बात को कहें कि हमारा एक पिछड़ा इलाका है और रीजनल इम्बैलेंसेस नहीं रहने चाहिएं। महोदय इस प्रकार से एक जिले की मांग लेकर यहां पर बिल लेकर आना और कौंसिल की मांग करना बिलकुल ठीक नहीं कहा जा सकता है। यह कोई तरीका नहीं है।

सभापति महोदय, मैं अपने मित्र और माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे अपने इस बिल के ऊपर पुनर्विचार करें और आप इस बात को लाना चाहते हैं तो इस रूप में ला सकते हैं कि हमारा मकसद यह है कि हमारा शोषण होता है, हमारे आर्थिक साधनों का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, दूसरे लोग कर लेते हैं, अगर आप यह बताएंगे, तो शायद उस पर विचार किया जा सकता है। इसी दृष्टि से आपको पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के साथ इसको उठाना चाहिए और एक इकाई के रूप में लड़ना चाहिए जैसा कि हमारे डिप्टी लीडर ने सुझाव दिया है, उसके बारे में अपनी एक स्कीम बनाकर गवर्नमेंट के पास रखिए, तब आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े इलाके हैं उनको मदद देगी और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों को अपने पैरों पर खड़े होने में पूरी सहायता देगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० के० जी० अवियोडी* (कालीकट) : सभापति महोदय, 1985 के संविधान संशोधन विधेयक संख्या 122 पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे वास्तव में काफी खेद है। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस दल का शासन है उसने ही यह आवश्यकता महसूस की है कि राज्य के ही दार्जिलिंग और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लोगों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए स्वायत्तशासी शक्तियां प्राप्त करने के लिए यह विधेयक लाया जाए। मुझे खुशी है कि जिस सदस्य ने यह विधेयक पेश किया है, वह इस समय यहां उपस्थित हैं। वह ऐसे दल के सदस्य हैं जो यह कहती है कि पंचवर्षीय योजना मात्र कागजी योजना है और इससे लोगों की समस्याओं का हल नहीं होगा। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि देश में जब सातवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने जा रही है, तभी पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल ने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए, इस विधेयक को पेश किया है। इसके द्वारा पहले भी इस प्रकार के हथकंडे अपनाये जाते रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह चाल बदनीयत भावना से प्रेरित है। ऐसे समय जब योजना आयोग और सरकार विकासात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, विभिन्न राज्यों की विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने ऐसे समय में सभा में विधेयक पेश किया है। विधेयक में कहा गया है :—

"....राष्ट्रीय एकता और देश के विकास की प्रक्रिया में नेपाली-भाषी लोगों की देश भक्तिपूर्ण भावना का और अधिक योगदान प्राप्त करने की दृष्टि से, यद्यपि इस दिशा में उनका योगदान शौर्यपूर्ण, महत्वपूर्ण और निष्ठापूर्ण रहा है।"

इस पर किसी को एतराज नहीं है।

"ऐसे लोगों को राष्ट्रीय विकास और प्रगति की मुख्य धारा में।"

जैसे कि वे मुख्य धारा में नहीं हैं।

"उन्हें प्रशासन और विकास संबंधी गतिविधियों में भागीदार बनाने का अवसर देकर तथा इन गतिविधियों में उनके वास्तविक रूप से भागीदार होने तथा अपनेपन की भावना को भरकर, उनको सम्मिलित करना चाहिए।"

"इस लक्ष्य की पूर्ति इन क्षेत्रों के लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करके की जा सकती है।"

क्यों? क्या दार्जिलिंग के आगे कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है? मैं माननीय सदस्य या उनके दल के

*मलयालम में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लोगों के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि दार्जिलिंग से अधिक पिछड़ा क्षेत्र कोई अन्य नहीं है या दार्जिलिंग के लोगों से अधिक अन्य स्थानों के लोग पिछड़े हुए नहीं हैं। जब गांधी जी दक्षिण भारत गये तो उन्होंने खुद वहां के लोगों की दयनीय दशा देखी। उसके बाद उन्होंने आधा नंगा रहना आरम्भ किया। उनके इस जीवन ने हमें आजादी दिलाई। लोगों की सोच, भावना, आशा एक ही ध्येय पर केन्द्रित हो गई, वह थी देश की एकता और अखण्डता। गांधी जी का संदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास, प्रथा, परम्परा आदि को पालन करते हुए दूसरे लोगों में मानवता को भी प्यार करना चाहिए। गांधी जी ने हमें दु:खी मानवता के आंसू पोंछने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हमने बेदर्दी से उनके जीवन का अन्त कर दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी भी इन्हीं मूल्यों के लिए लड़ती रहीं। उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अत: इस कोशिश में कुछ भी नया नहीं है। अगर कोई काल्पनिक दृष्टिकोण ले तो वह सोच सकता है कि यह विधेयक लोगों के हितों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। लेकिन सच्चा देशभक्त इसे मजाक में नहीं ले सकता। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने स्वाधीनता के 37 वर्षों में पूरी प्रगति नहीं की है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि स्वाधीनता से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी? अत:, हमें स्वाधीनता पूर्व समय से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि विभिन्न योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अनेक कमियां रही हैं। कई कल्याणकारी उपायों को लागू करने में वैधानिक रुकावटें भी आई हैं। आदिवासियों, हरिजनों, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी कुछ शिकायतें रही हैं। इन कमियों और शिकायतों को दूर करने के लिए और 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए ही हमने 20-सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया है और कुछ साहसिक कदम उठाये हैं। माननीय सदस्य और उनके दल की राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता देनी चाहिए। मगर ऐसा होता है तो हमारी जनसंख्या के कुछ वर्गों को ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं रहना पड़ेगा। मैं अपने विपक्षी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि उन्हें ऐसे अवसरों और परिस्थितियों का राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। विश्व के कई देश आज हमसे प्रेरणा लेने की कोशिश कर कर रहे हैं और हमारे देश में अपनाये जा रहे समाजवादी लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके ऐसे उपायों से इन कोशिशों में बाधा पड़ेगी। विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां के लोगों का रहन-सहन हमारे देश में रह रहे आदिवासियों या हरिजनों के जीवन स्तर से भी नीचा है। वे विकास के गांधीवादी सामाजिक-आर्थिक उपायों को अपनाकर अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने माननीय मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी इस प्रकार की प्रवृत्तियों से उन देशों में संघर्ष कर रहे लोगों को सहायता नहीं मिलेगी। मिन्टो-मोरले या अन्य प्रशासनिक सुधारों का हवाला दिया गया है। वास्तव में पंडित नेहरू ने खुद कम विकसित क्षेत्रों के विकास के प्रश्न को गम्भीरता से लिया था। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक सत्ता सौंपने की कई योजनाएं बनाई थीं। लेकिन इन सबके पीछे कोई असंगत मंशा नहीं थी। हमने आज तक सांविधानिक तरीके से राजनैतिक लाभ उठाने की कोई प्रवृत्ति नहीं देखी है। अत:,

[डा० के० जी० अदियोडी]

मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस सभा के माननीय सदस्य द्वारा लाया गया यह विधेयक अहानिकर है। इस प्रवृत्ति को शुरू में ही दबा देना चाहिए। आज मैं अपनी मातृभाषा में बोल रहा हूं—यह भाषा देश की 75 करोड़ जनसंख्या में से केवल 2½ करोड़ लोगों द्वारा ही बोली जाती है। केरल वास्तव में एक छोटा राज्य है और कई मामलों में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। एक सच्चे भारतीय के केरलावासी होने के नाते, मैं अपने विचार अपनी मातृभाषा मलयालम में व्यक्त कर रहा राष्ट्रीय ध्येय को ध्यान में रखते हुए और सभी आवश्यक उपाय करते हुए, प्रगति के पथ पर जाना है, ताकि उन गरीब लोगों को स्थिति को सुधारा जा सके तो हम लोगों के साथ वि कर सके हैं इस प्रक्रिया में इस विधेयक द्वारा आन्दोलित विचार आड़े नहीं आने चाहिए। हूं माननीय सदस्य इस विधेयक को वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समा हूं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 9 दिसम्बर, 1985/18 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, दिल्ली-53